राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या : 17

शनिवार

25 मार्च, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।
(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

निलम्बन निरस्तीकरण

श्री रघुवीर मीणा, श्री अशोक बैरवा, डा. सी. पी. जोशी, श्री संयम लोढ़ा, श्री सी. डी. देवल, श्री रणवीर सिंह गुढा व श्री महीपाल यादव, सदस्य, विधान सभा के निलम्बन की समाप्ति

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल और पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम हुआ उससे इस सदन के सभी माननीय सदस्य, सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, हम सब बहुत ही शर्मिन्दा हैं लेकिन रात तक जो कुछ आपस में सहमति बन पाई कि इस सदन की जो गरिमामय परम्पराएं रही हैं उनका संरक्षण करने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और आगे ऐसा नहीं हो, इस बात का जो संकल्प दोहराया है उसके अन्तर्गत मैं यह प्रस्ताव करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 292 (2) के अन्तर्गत संकल्प। महोदया, यह सदन संकल्प करता है कि दिनांक 22 तथा 24 मार्च, 2006 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव जिसमें श्री रघुवीर मीणा, श्री अशोक बैरवा, डाक्टर सी. पी. जोशी, श्री संयम लोढ़ा, श्री सी. डी. देवल, श्री रणवीर सिंह गुढा तथा श्री महीपाल यादव...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा नाम तो लो आप।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपका नहीं है, चिंतित मत होइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सदस्य, राजस्थान विधान सभा को आसन के निर्देशों की लगातार अवहेलना करने, अव्यवस्था फैलाने और असंसदीय आचरण के चलते वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

निलम्बित किया गया था। राजस्थान विधान सभा की उच्च और गौरवशाली संसदीय परम्परा रही है लेकिन पिछले कुछ दिनों से सदन में जो कुछ हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता, नेता, प्रतिपक्ष और सदन के सम्पूर्ण माननीय सदस्य काफी आहत हुए। पक्ष और विपक्ष के मध्य सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बना रहे और यह सदन जन-आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे और इस हेतु सदन की गौरवशाली परम्पराएं भी अक्षुण्ण बनी रहें, इस हेतु मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि माननीय श्री रघुवीर मीणा...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका संकल्प डिफेक्टिव है। संकल्प आपका डिफेमेटरी है। अध्यक्ष महोदय, संकल्प आपका डिफेमेटरी है। यह कहीं तय नहीं हुआ था। किसका निष्कासन किया गया था, क्या किया था वह सब बात तो भुला दी गई थी और आप संकल्प पेश कर रहे हो कि इसलिए किया गया था, अवहेलना की गई थी, वो किया गया था, तो इसको क्यों आप याद करा रहे हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): भुलाया ही तो जा रहा है, भुलाया ही तो जा रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, इसको री-ड्राफ्ट करो। ये नाम नहीं आने चाहिए। प्रक्रिया के सब.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): नाम तो आयेगा लेकिन यह हुआ, यह हुआ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो कार्यवाही का हिस्सा है, यह तो हुआ जो है। माननीय सदस्य श्री रघुवीर मीणा, श्री अशोक बैरवा, डाक्टर सी. पी. जोशी, श्री संयम लोढ़ा, श्री सी. डी. देवल, श्री रणवीर सिंह गुढा तथा श्री महिपाल यादव का निलम्बन प्रक्रिया के नियम 292 (2) के परन्तुक के अन्तर्गत अब तक के निलम्बन को पर्याप्त मानते हुए इस संकल्प के पारित होने के बाद शेष निलम्बन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। अंत में - धरिये क्षमा, विवेक, कोप न कीजे प्रिय आत्मा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में ही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बन कर इस सदन में सार्थक बहस हो और जन समस्याओं का निराकरण हो, मेरी समझ में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों यही चाहते हैं और यह जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जो

(श्री अध्यक्ष)

आया था, सच पूछिये तो इस राजस्थान की विधान सभा के गरिमामय इतिहास में चार दिन में जो इसकी गरिमा की छीछालेदर हुई है, मेरा मन उससे बहुत आहत है। इसलिए आहत है कि मैं चाहती थी कि सदन में सदस्य का आचरण मर्यादित रहे और जब अमर्यादित किसी का आचरण हो तो सचमुच में सबसे अधिक यदि किसी को कष्ट होता है तो वह अध्यक्ष को, आसन को होता है लेकिन बहुत अच्छी बात है कि सारा मामला चार दिन के उस हल्ला-गुल्ला के बाद में शांतिपूर्वक फिर से यह प्रस्ताव आ गया इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूं।

प्रश्न यह है कि सदस्यों के निलम्बन को समाप्त करने का जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है उसे... (व्यवधान) सुनिये तो सही, सुनिये आप, नेता प्रतिपक्ष। यदि आपको कुछ कहना है तो खड़े होकर कह दीजिये ताकि मैं बैठ जाऊं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): खड़ा तो इसलिए नहीं हूं कि आप पैरों पर विराज रही हैं। आपके सम्मान में नहीं खड़ा होना चाहता।

श्री अध्यक्ष: आप खड़े होंगे तो मैं बैठ जाती हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मैं बैठ गया। मैं यह कहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदया को भी अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बाद में करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले वो माननीय सदस्य आ जाएं।

श्री अध्यक्ष: वो माननीय सदस्य प्रवेश कर लें उसके बाद में करेंगी, उसके बाद आप भी कीजियेगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): I withdraw my comments.

श्री अध्यक्ष: मुझे दुबारा से पूछना पड़ेगा।

प्रश्न यह है कि 7 सदस्यों के निलम्बन को समाप्त करने का जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। एक तो फिर भी नो बोल गया न।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले रघुवीर मीणा बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: पहले रघुवीर मीणा। (व्यवधान) सत्ता पक्ष की ओर से कोई कमेंट नहीं हो अब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम तो पूर्णतया आपकी आज्ञा के अनुसार चलने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, कोई गया क्या उनको लाने?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, वैक्यूम तो हो नहीं सकता सदन के अन्दर कि सदन शांत बैठा रहे तो आप ही कुछ फरमा दें, ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: जब आपने कह दिया है, जब आप चाहते हैं कि आसन ही कुछ कहे तो मैं आपको एक शेर कह देती हूं आपकी सब बातों पर। चार दिन मैंने जो देखा...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट, मेरी बात सुन लें, आप स्थान ग्रहण कर लें। ऐसा कुछ मत कह दीजियेगा कि हमको कुछ फिर....

श्री अध्यक्ष: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है आपसे। एक मिनट के लिए बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बैठिये, देखिये... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जो सरकारी मुख्य सचेतक साहब प्रस्ताव लाये हैं यह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि आप सज़ा को बहाल रखते हुए ही प्रस्ताव लेकर आये हैं ...(व्यवधान) लाना यह चाहिए था कि इस निलम्बन के प्रस्ताव को वापस लिया जाता है। आप संशोधन कराइये अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप समझे नहीं, मैं तो केवल एक ही तरफ इशारा करके, सुन लीजिये, माननीय नेता प्रतिपक्ष सुनिये तो सही, मैं भी कुछ कह रही हूं -

ए दस्ते जुनूं अब तू ही बता
औरों का दामन हो कैसे रफू
ये हाथ तो उलझे रहते हैं
अपना ही गिरेबां सीने में।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक क्षमा पर मैं सुनाऊं। (व्यवधान) मैं तो यह कह रहा हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मेरी बात के जवाब में कुछ तो आप भी प्रस्तुत कर दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हम इतने विद्वान कहां हैं ? हम तो विद्वान नहीं हैं।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन से निवेदन है कि शेर-शायरी का बड़ा महत्व है, इसलिए एक दिन इस पर, शेर-शायरी पर ही एक दिन सदन रखा जाये, बड़ा शौक है।

श्री अध्यक्ष: यह सदन सार्थक बहस के लिए है, शेर-शायरी के लिए नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): तो शेर और शायरी सार्थक नहीं है इसका मतलब। फिर यह व्यर्थ में समय गंवाया जा रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, "गर मुझसे खता हुई तो खता को माफ करो, मैं खताओं को मान लेता हूं, अब तो दिल साफ करो"।

श्री अध्यक्ष: दिल बिलकुल साफ है, दिल बिलकुल साफ है भई। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य सचेतकजी ने रखा है, वह थोड़ा डिफेमेट्री है। इसमें यह बात यह होनी चाहिए प्रस्ताव में, आप इसमें कृपया थोड़ा संशोधन कर दें कि जो भी सदन की कार्यवाही हुई, उस सदन की कार्यवाही के अनुसार अब यह निलम्बन वापस लिया जाता है। इन्होंने यह रखा है कि सज़ा को कायम रखते हुए, आगे से ऐसा किया जाता है, इस तरह से इन्होंने पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने निलम्बन को समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, निलम्बन को समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, निलम्बन को वापस लेने का प्रस्ताव होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करने का है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, पहले वाला कायम रखते हुए और ...(व्यवधान) पहले ऐसा है, आप दुबारा दिखवाइये इसको।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अब तक की सज़ा को पर्याप्त मानते हुए कहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह डिफेक्टिव है, यह बिलकुल डिफेक्टिव है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसा नहीं है, निलम्बन को पर्याप्त मानते हुए है, सज़ा-वजा नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो आज तक तो मान रहे थे, इसमें आपकी मंशा क्या हुई? जो निलम्बन का प्रस्ताव है, उसे वापस लिया जाता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जो समझौता हुआ था, उसके बिलकुल खिलाफ है यह। इसमें यह होना चाहिए कि निलम्बन का जो प्रस्ताव है, वह विदड्रा किया जाता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप देखिये, अच्छा वातावरण बनाइये। आज यह लाइये कि जो निलम्बन का प्रस्ताव है इसको विदड्रा किया जाता है, भावना तो यह होनी चाहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमेशा ऐसा ही होता है।

श्री अध्यक्ष: अब यह सारे के सारे कानूनविद हो रहे हैं, कानूनविद हो रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, आपको इसमें संशोधन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें आपको संशोधन करके जो निलम्बन का प्रस्ताव मूल रूप में मुख्य सचेतकजी ने पेश किया था, उसको वापस लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: तो निलम्बन के प्रस्ताव को ही तो इन्होंने समाप्त करने की बात कही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा नहीं है, आप पढ़ो।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव वापस लिया जाता है। एक बार जब प्रस्ताव पारित हो गया तो वापस तो सदन ही ले सकता है और वह तो आप ले चुके, इसलिए यह नहीं हो सकता। आप तो यह कहिये कि निलम्बन रद्द किया जाता है, खतम हुई बात। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब तक के... प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, आखिरी लाइन को मैं पुन: दोहरा देती हूं, जो उन्होंने कहा है। नहीं, पूरा तो पढ़ दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सुनिये, "...अन्तर्गत अब तक के निलम्बन को पर्याप्त मानते हुए इस संकल्प के पारित होने के बाद शेष निलम्बन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाये।" (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आज तक का तो मान रहे हैं ना, आज तक का जब आप मान रहे हैं तो आपने सज़ा तो दे दी। आप इनको अच्छे सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में जब हम बैठ रहे हैं, आप इसको यह कराइये, जो इस तरह का प्रस्ताव लाये थे, उसको वापस लिया जाता है। यह तो सदन की नेता महोदय, आपसे निवेदन है कि आप पहल करिये और उदारता दिखाइये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पारित हो गया, आपने उसे स्वीकार कर लिया, सदन ने स्वीकार कर लिया, अब इस बारे में क्या होगा? सदन स्वीकार कर चुका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव की मूल आत्मा पर आप जायें। मूल आत्मा के पीछे जो छिपा हुआ तत्व है, उसको आप देखें। कल सारी बातें तय हो गईं, अब छोटी-छोटी टैक्निलिटी को लेकर अगर हम सदन का समय जाया करें इसलिए, न तो कोई ऐसी मंशा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, प्रस्ताव पारित हो गया है, प्रस्ताव पारित हो गया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब एक संकल्प यहां रखा और माननीय मुख्य सचेतक ने रखा और आपने हमने सबने हाउस ने अपनी सहमति से, सर्वसम्मित से इसे पास कर दिया, इसके बाद अब यह क्या परन्तु खड़ा होता है, यह बहुत ही विचारणीय विषय है। जब सारे सदन ने इस प्रस्ताव को मानते हुए अपनी सहमति जाहिर की और उसके आधार पर आपने निलम्बन रद्द मानते हुए उनको आमंत्रित किया, उसके बाद इसमें परन्तु निकालना, अगर यह निकालना ही था तो उसको पास करने के पहले निकालते तो कोई समझ में आ सकती थी। क्या सारे सदन ने जो राय दी, वह राय तो घटिया हो गई और किसी एक्स-वाई-जेड को बाद में लगा कि इसमें सुधार होना चाहिए, यह बात सदन की गरिमा को गिराने वाली है, कृपया ऐसा मत करो। जो हमने, सदन ने पास किया, सबकी भावना का आदर करते हुए किया, उसको अब रिजेक्ट करके केवल एक आदमी या दो आदमी के सुझाव के आधार पर अगर प्रस्ताव को ही अपन यह करें, जो कुछ अपन ने हां कही, वह तो सब गलत हो गया, यह क्या बात हुई? यह तो अच्छी परिपाटी नहीं रहेगी। कृपया इसको मानिये जब हमने सदन ने पास कर दिया है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, आपने समय दे दिया था। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव की निट्टी ग्रिट्टी को कभी डिस्कस नहीं किया गया, केवल भावना को आधार मानते हुए इसको विदड्रा करने वाली बात की गई थी कि यह आज से हो या पूर्वकालीन से हो, इसको डिस्कस अपन ने नहीं किया था। यह भावना के आधार पर उनको निलम्बन वापस करने का था। अब केवल इतनी-सी बात है, सदन ने अगर प्रस्ताव पास कर दिया है तो हम आपको अधिकार दे देते हैं कि उसमें यह ठीक कर दें, भूतकालीन से उसका प्रस्ताव वापस किया जाता है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, कुछ शब्द अपमानजनक हैं, डिफेमेट्री हैं, उनमें आप...

श्री अध्यक्ष: कौनसे शब्द हैं? आप बताइये, कौनसे शब्द हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह आप देख लेंगी खुद ही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम पूर्णतया सहमत हैं, मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रखा, आप संशोधन कर लेना उसके अन्दर।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आसन का अपमान हुआ, उसका क्या होगा? चार दिन तक आसन का अपमान किया आप लोगों ने, उसका क्या होगा? उसकी चिंता नहीं है आपको, उन लोगों की चिंता है जिन्होंने आसन का अपमान किया है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम आपको अधिकार दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष: देखिये, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आप बीच में नहीं बोलें। प्लीज। (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आप बीच में नहीं बोलें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हम आपको सर्वसम्मति से अधिकार देते हैं कि आप लीगल एक्सपर्ट से, आपके सेक्रेटरी हैं, दो सेक्रेटरी हैं, दोनों लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हाईकोर्ट के सम्मानित जजेज हैं, इनकी राय लेकर हमारी भावनाओं का मतलब यह है कि यह सज़ा बहाल रहेगी, यह अपमानजनक शब्द नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, क्या रह गया, यह कौनसा लीगल है? कोर्ट में कोई पेश करना है क्या?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): देख लेना आप, हमारी बात भी सुन लेना। फिर आप इसमें सुधार कर देना।

श्री अध्यक्ष: आप फरमाइये। तो आपका कहने का मतलब यह है, सुनिये भई, आपके कहने का तात्पर्य क्या यह है कि पिछला संकल्प जो हमने पारित किया है यहां पर, उसको बिलकुल ही एक्सपंज कर दिया जाये, यह मतलब है आपका?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह नहीं है। नहीं नहीं, यह मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष: फिर क्या मतलब है? आप बताओ ना, मैं क्या करूं, बताइये आप। वैसे तो डिक्टेट कर ही रहे हैं आप मुझे, और बता दें।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि केवल इसमें यह परिवर्तन कर दिया जाये कि उसके विदड्राअल को हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करते हैं। That is the only thing.

श्री अध्यक्ष: विदड्राअल का, मैंने सुना नहीं, आप क्या कह रहे हैं। One at a time. एक समय में केवल एक को बोलने दें।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): यह तो निलम्बन को हम बहाल करते हैं। मेरा निवेदन यह है, इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि आज तक की उसकी सज़ा को मानते हुए, इसको हटाया जाये।

श्री अध्यक्ष: इसको पर्याप्त मानते हुए।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): इसको मानकर इसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से समाप्त कर दिया जाये, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: तो रघुवीर मीणा ने चार दिन की सज़ा पा ली।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): उससे क्या फर्क पड़ता है?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, एक बार संकल्प हाउस में आ गया, कोई...(व्यवधान) सुनिये ना, लीगल, कानून से चलेगा सदन, ऐसे कोई नहीं चल सकता है, आपको अगर करना है अध्यक्ष महोदय, इनको करना है तो पहले विदड्रा करना पड़ेगा यह, इसके बाद दूसरा लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। मर्जी आये जैसे कर लें, यह कोई ऐसे थोड़े ही है। आप कर लेना, हम आपको अधिकार दे देते हैं संशोधन करने का। कैसे कर सकते हैं? किसी संकल्प को हाउस पास करता है तो हाउस को विदड्रा करना पड़ेगा उसको, इसलिए आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको जो कुछ भी करना है, आपने जो किया है, उसमें जो शब्दावली यूज की है, वह इसलिए यूज की गई कि आपको जिस समय यह प्रस्ताव रखा

(डा. एन. एस. गुर्जर)

गया था, उस समय पाइंट आफ आर्डर के जरिये आपको रेज करना चाहिए था कि इसमें से यह अमेंडमेंट करिये। अब मुख्य सचेतक महोदय अगर आपकी बात मानते और अमेंडमेंट करते तो उस समय समझ में आता था। लेकिन सर्वसम्मति से हाउस ने एक संकल्प पारित कर दिया और पारित होने के बाद ये बाहर चले गये लेने के लिए और बाहर जाकर के इनको पता नहीं क्या लताड़ मिली, क्या मिली कि वापस आकर के कहने लगे कि यह तो डिफेक्टिव है, हम नहीं मानेंगे। आप नेता हो, आपके सचेतक हैं। यह कौन कंट्रोल कर रहा है आपकी पार्टी को और विधायक दल को, हमको समझ में नहीं आ रहा है आज तक, इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह भाषण हो रहा है क्या? यह नई डिमांड पर बहस हो रही है क्या, आप अपनी बात कहो। यह भाषण क्या हो रहा है? हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, आपकी पार्टी में क्या हो रहा है?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इतने बुजुर्ग, एक्स-मिनिस्टर बैठे हुए हैं। बड़े-बड़े नेता हैं यह, कानूनविद हैं। कानून के अन्दर प्रोविजन है कि मैं कानून की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कानून की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: यह क्या तरीका हुआ, नहीं, यह नहीं चल सकता, गलत तरीका है यह। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर: आप एक मिनट विराजिये। आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करता बोलते हो तो। अध्यक्ष महोदय, आपको डिस्टर्ब नहीं करता आप बोलते हैं तो मैं। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल कानून की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: हमारी पार्टी की ठेकेदारी आपने ले रखी है क्या, आप कांट्रेक्टर हैं क्या, आप कांग्रेस के कांट्रेक्टर हैं क्या । (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर: आप सुनोगे ही नहीं, आप ही आप बोलते जाओगे।

मोहम्मद माहिर आजाद: यह क्या तरीका हुआ...

डा. एन. एस. गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैं कानून की बात कर रहा हूं। जब यह संकल्प...

मोहम्मद माहिर आजाद: यह कानून की बात है क्या, आपकी पार्टी को कौन कंट्रोल कर रहा है। कानून की बात है यह?

डा. एन. एस. गुर्जर: मैं कानून की बात कर रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद: आप ठेकेदार हैं क्या कांग्रेस के, हमारी पार्टी में कौन क्या कर रहा है, वह जसवंत सिंहजी ने नहीं मानी। (व्यवधान)

डा.एन. एस. गुर्जर : जब तक यह संकल्प विदड्रा नहीं होगा, तब तक दूसरा नहीं आ सकता। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: जसवंत सिंहजी ने नहीं मानी भैरोंसिंहजी की, उठकर खड़े हो गये...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मेरा हम्बल सब्मिशन है, आप उत्तेजित मत होइये। मेरा आपको हम्बल सब्मिशन है, आप जो भी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपकी कोई भावना हो, मैं उसके कोई विरोध में नहीं, विरोध नहीं कर रहा हूं आपकी कोई भी भावना हो सकती है, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद: आप कानूनी बात कहो न, आप कह रहे हो कांग्रेस में कौन क्या करता है, आप कंट्रोल कर रहे हो क्या। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर: लेकिन कानून के मुताबिक, (व्यवधान) एक मिनट आप विराजें। आप विराजें, आपके बीच में नहीं करता मैं, आप बैठ जाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद: आप मुख्य मंत्रीजी से कंट्रोल नहीं हो रहे। जब राज्य सभा में जसवंत सिंहजी को भैरोंसिंहजी ने बोलने का अवसर नहीं दिया, वह बहिष्कार करके चले गये, आपकी ही पार्टी की...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर: आप आयन्दा बोलेंगे तो मैं भी इंटरफियर करूंगा फिर, बीच-बीच में आप खड़े हो जाते हैं मैं बोलता हूं तो।

मोहम्मद माहिर आजाद: कोई आप ठेकेदार हैं क्या कांग्रेस के। You are not a controller of the Congress Party.

डा. एन. एस. गुर्जर: आप बीच में खड़े हो जाते हैं, आपको जो भी बोलना है मुझे बैठने के बाद बोलिये। (व्यवधान) आप मुझे बैठने के बाद बोलिये जो भी बोलना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। यह सदन नियमों से चलेगा। यह सदन नियमों से चलेगा।

डा. एन. एस. गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैं केवल सब्मिशन इतना देना चाहता हूं...

मोहम्मद माहिर आजाद: कानून की बात करें, हमें कोई एतराज नहीं है। कानून की बात करें। कांग्रेस को कौन कंट्रोल कर रहा है, खड़े होकर यहां पर..(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर: सब्मिशन मेरा इतना सा है कि आप अगर (व्यवधान) मेरी बात तो पूरी होने दीजिये। I am in possession of the floor. ...(व्यवधान) ... I am in possession of the floor.

अध्यक्ष महोदय, मेरा सब्मिशन इतना है, भावना कुछ भी आप व्यक्त करें, आप मिलकर कुछ भी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, कुछ भी करें आप, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। Being a member of this House, I am concerned with the rule book. और रूल बुक के अंदर यह है कि जब संकल्प सदन में आ गया, सर्वसम्मति से पास हो गया तो दूसरा संकल्प, तब तक उसमें अमेण्डमेंट नहीं हो सकता पास होने के बाद, जब तक यह संकल्प विदड्रा नहीं होगा और दूसरा संकल्प नहीं आयेगा, तब तक पास हुए संकल्प के अंदर उसमें कोई अमेण्डमेंट नहीं हो सकता कानून के अनुसार। This is my submission to you.

आप रूलिंग दें, मुझे भावना में कोई आपत्ति नहीं है, आप जैसा चाहें करें, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं आपकी जो भी भावना है। धन्यवाद।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, हमारे सबसे योग्य विधायक सम्माननीय श्री नाथू सिंहजी गुर्जर समन्वयवादी माने जाते हैं और चीज को ढंग से सुलझाने में उनका विश्वास रहता है, पता नहीं आज उनको क्या हो गया, मेरे समझ में नहीं आता। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये। I am not yielding.

डा. एन. एस. गुर्जर: मैं भावना का आदर कर रहा हूं माथुर साहब।

श्री शिवचरण माथुर: I am not yielding.

श्री रामनारायण चौधरी: यह उलझाने की कला भी जानते हैं।

श्री शिवचरण माथुर: मैंने जैसे सबसे पहले यह कहा, सदभावना के वातावरण में न तो इसकी भाषा को हमने देखा, न उसकी निट्टी-ग्रिट्टी के बारे में हमने कोई बातचीत की थी, अगर यह बात आती और ज्वाइंटली इसका एक ड्राफ्ट किया गया होता तो शायद यह स्थिति उपस्थित नहीं होती। इसलिए मैंने कहा, हमने एक अच्छी भावना से यह समझ करके कि सब चीजें साफ हो जायेंगी, इस प्रस्ताव को लाने के लिए आपके मुख्य सचेतकजी को कहा था।

मोहम्मद माहिर आजाद: इनको ड्राफ्ट करना ही नहीं आता।

श्री शिवचरण माथुर: और उनको, अगर आप कहते दोनों को मिलकर ड्राफ्ट करना होता तो हम वहीं करवा देते, इसलिए मैंने बहुत निवेदन किया था...

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह क्या बात हुई, नगर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं, ड्राफ्ट मुझे करना नहीं आता, क्या समझते हैं आप।

श्री शिवचरण माथुर: सुनिये मेरी बात। I am not yielding. मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि मुझे ड्राफ्ट करना नहीं आता तो आप मतलब ऐसे तड़पते नहीं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कैसे सी. पी. जोशी का नाम आपने, कल सी. पी. जोशी का नाम एस. पी. जोशी लिखा है आपने। योग्यता होती तो मंत्री होते आप, हां।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह भी ध्यान रखिये, अगर कोई सदस्य बोल रहा है और वह यील्ड नहीं कर रहा है तो दूसरे सदस्य को उसके बाद बोलने का अधिकार दीजिये, यह नहीं कि बीच में आप व्यवधान उपस्थित कर दें। मैं सम्मान करता हूं...

श्री महावीर प्रसाद जैन: मैं आपसे क्षमा चाहता हूं।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं-नहीं, यह गलत। यह क्या बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन: आप बोल रहे थे, नगर से आने वाले माननीय सदस्य , बीच में नहीं उन्होंने कहा कि इनको ड्राफ्ट, इसलिए मैंने कहा है, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे।

श्री शिवचरण माथुर: मैं तो उनकी योग्यता का वर्णन कर रहा था।

डा. एन. एस. गुर्जर: नहीं-नहीं, मैं बोल रहा था तो वह बार-बार खड़े हो रहे थे, आपने उनको नहीं रोका।

श्री महावीर प्रसाद जैन: यदि आपकी भावना को आघात पहुंचा तो मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री शिवचरण माथुर: आपका फर्ज है यह, अध्यक्षजी का फर्ज है यह, मेरा नहीं है...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर: नहीं, माननीय माथुर साहब, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, जब मैं बोल रहा था...

श्री शिवचरण माथुर: मैं आपका भी आदर करता हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर: बीच में वह बार-बार खड़े होकर, मैं उनको निवेदन कर रहा था कि मेरे बाद बोल लेना।

श्री शिवचरण माथुर: सुनिये आप। I am not yielding.

श्री अध्यक्ष: माथुर साहब को बोल लेने दें।

डा. एन. एस. गुर्जर: नहीं, मैं आपको कभी इंटरफियर नहीं करता।

श्री शिवचरण माथुर : मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं अभी। मैं आपको उदारवादी, समन्वयवादी और जो कुछ भी और लगाया जाय, मैं उसके लिए आपका सम्मान करता हूं। आप इसी आधार पर हमारे सदन के सर्वश्रेष्ठ विधायक भी चुने गये हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आज क्या हो गया आपको।

डा.एन.एस.गुर्जर: मैं आपकी भावना का विरोध नहीं करता।

श्री शिवचरण माथुर: भावना का विरोध नहीं। यह सदन यहां बैठा हुआ है पूरा का पूरा, कोई भी गलती को ठीक कर सकता है। क्या बात है, कोई भी अगर मान लीजिये भूल भी हो गई, और मैंने निवेदन यह किया था कि अगर यह ड्राफ्ट दोनों के मिल-जुलकर ही बात होती तो शायद यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। एक यह आपने ड्राफ्ट बनाकर यहां पर पेश किया और पेश करने के बाद में स्वाभाविक बात है, यह एक छोटी-सी बात है कि जो भी आपकी सज़ा होगी, चार साल की कोई कैद है क्या यह, अच्छी भावना से उसका निलम्बन वापिस लिया गया है और उसको जब तक आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लेते हैं तो क्या मतलब होता है। उनका चार दिन का वेतन कटेगा, सारी एक निलम्बन की प्रक्रिया उसके साथ जुडी होगी। इसलिए मैंने तो यहां बात नहीं करके आपको अधिकार देने वाली बात कही है और अगर सदन पूरा अध्यक्ष को अधिकार देता है, तो हमारी भावनाओं को देखकर के आप कर सकते हैं, और इस त्रुटि को ठीक करना है तो दोबारा ठीक कर लीजियेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब यह प्रस्ताव तो पारित हो गया, भविष्य में आपकी आत्मा को किसी प्रकार की कोई आहत नहीं पहुंचाई जायेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर: आप बोलेंगी क्या। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: एक मिनट, मान्यवर। जब पहले पढ़ा था तब

मैंने टोका था, आपको याद है, कि यह अपमानजनक भाषा का, शब्दों का प्रयोग हुआ है और फिर लास्ट में जब इन्होंने, मैंने सोचा आप कोई सुधार करके बोल रहे हैं, अब वह भी पार्ट इसका बन गया जब तो बहुत डिफेमेटरी है। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपके एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं नीचे, यह कोई सज़ा नहीं है निलम्बन, पहले प्रस्ताव से निलम्बन हो गया, अब रेस्ट के बारे में, पिछला यह जिक्र करते हुए निलम्बन को काफी मानते हुए और इस सज़ा को काफी मानते हुए, यह आन रिकार्ड, आप ऐसा क्यों लेना चाहते हैं। अब हमारे टोड़ारायसिंह से आने वाले माननीय विधायक, सबसे अच्छे विधायक का आपको ताज पहनाया गया है, विश्व सुंदरी होती है, उसको ताज पहनाते हैं। आप ऐसे बोलेंगे तो वह ताज आपका हम वापिस तो ले नहीं सकते लेकिन यह सेरेमनी मनायेंगे, हम उसका बायकाट कर देंगे। हम बायकाट कर देंगे ऐसे बोलेंगे तो। आप हमारे भी विधायक हैं, आप अपमानजनक बात बोलते हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर: मैंने कानून की बात कही है।

श्री रामनारायण चौधरी: काहे की कानून की बात है।

डा. एन. एस. गुर्जर: मैंने आपकी भावना का, देखिए, फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं एक शब्द भी अपमानजनक होगा, अध्यक्ष महोदय...

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, हम सजायाफ्ता हैं?

श्री अध्यक्ष: अब बीच में नहीं बोलें, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। बीच में नहीं। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, बीच में नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी: हम सजायाफ्ता है? कानून की बात काहे की। हम कोई सजायाफ्ता नहीं हैं, निलम्बन था हमारा।

श्री अध्यक्ष: निलम्बन तो सज़ा ही होता है।

श्री रामनारायण चौधरी: नहीं-नहीं, सज़ा नहीं बोलते हैं उसको। निलम्बन था, तो वह तो था। उसका जिक्र क्यों करते हैं। उस सज़ा को पर्याप्त मानते हुए। (व्यवधान)

वह तो था, वह तो रिकार्ड में है। वह तो मिटा सकते नहीं, लेकिन आप वर्णन क्या करते हैं कि उसको पर्याप्त मानते हुए, भाषा को शुद्ध कर दो जिससे हमारे को ठेस नहीं लगे। हमारे सदस्यों से बात कर लीजिये। अपमानजनक शब्द हैं उसको निकाल दीजिये, भावना को निकाल दीजिये,

(श्री रामनारायण चौधरी)

आपने जो ड्राफ्ट किया, हम तो यह समझते थे कि ड्राफ्ट में आप हमारी भी सहमति लेंगे लेकिन आपने तो एकदम बम छोड़ दिया तो यह तो कोई बात थोड़े ही हुई। आपको हमारे से बात करनी चाहिए थी। आप बहुत अच्छे ड्राफ्ट मेन हैं, यह बात सही है, लेकिन आपकी भावना बहुत...

श्री अध्यक्ष: खराब है।

श्री रामनारायण चौधरी: उदार नहीं, बहुत अनुदार है।

श्री अध्यक्ष: खराब है भावना। हां, बहुत खराब है।

श्री रामनारायण चौधरी: अनुदार है, ऐसे नहीं करना चाहिए था न। हम आपसे मिलकर चल रहे थे, हम आपकी शोभा बढ़ा रहे थे, आपकी मान-मर्यादा हम बढ़ा रहे थे तो आपको हमसे पूछ लेना चाहिए था कि यह लाऊंगा, यह क्या बम्बाड़मेंट कर दिया आपने। तो हमारा सुझाव है मान्यवर, जैसा शिवचरणजी माथुर साहब ने कहा, प्रस्ताव तो वही है लेकिन उसमें इस प्रकार से अमेंड कर लेना ताकि कोई किसी भावना, हमारे सदस्यों को, पूरे प्रतिपक्ष को उन शब्दों से आघात नहीं लगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है। (व्यवधान) अब कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया सुधार कर लेना, मेरे ऊपर छोड़ दिया, आप छोड़ दीजिये बात को। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर: एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में बोला है कि मैंने अपमानजनक बात कही है, रिकार्ड को करेक्ट करने के लिए एक मिनट मैं आपसे इजाजत लूंगा, रिकार्ड को करेक्ट करने के लिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: आपको तो विश्व सुंदरी का वह दिया है खिताब।

डा. एन. एस. गुर्जर: नहीं-नहीं, मुझे कहा है कि मैंने अपमानजनक बात कही है, मैं क्लियर करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। मेरी दिली इच्छा है कि माननीय सदस्य सदन में आयें।ये सब जितना आप चाहते हैं उससे भी ज्यादा मैं चाहता हूं पहली बात तो यह क्लियर करना चाहता हूं। दूसरा मैंने कभी भी कोई भी अपमानजनक बात कही हो तो मैं पूरे सदन से माफी मांगने को तैयार हूं, उन शब्दों को निकलवाने के लिए मैं वापस आपको निवेदन करने को तैयार हूं नंबर-2 । तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात, पूरी कर लेने दीजिये ...(व्यवधान) मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के आप हैं।

श्री अध्यक्ष: सम्मान तो करते हैं लेकिन आप जब वो खड़े हों तो बैठ जाया करो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): चूंकि मैं अभी बोल रहा हूं इसलिए बीच में आप खड़े हो गये। अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल नियमों के बारे में टैक्निकल मिस्टेक नहीं रह जाए इस प्रस्ताव में, मैंने इसलिए निवेदन किया था। अब अमेंडमेंट हो नहीं सकता प्रस्ताव पास होने के बाद उसको विदड्रा करके दूसरा अमेंडमेंट आप लाइये। मैंने नियम की बात कही है और कुछ नहीं है इसमें मेरा इंटेशन उसको आप अन्यथा मत लीजिये। उसको अन्यथा मत लीजिये। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, उस तकनीकी त्रुटि को समाप्त करने के लिए मैंने तो निवेदन यह किया था कि हम अध्यक्ष महोदय को एक प्रकार से अधिकार देते हैं कि उसमें आवश्यक संशोधन करें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ये प्रस्ताव नहीं रखा जाए, यह है इनकी पीड़ा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं ... (व्यवधान) आपके सर्वोच्च विधायक महोदय का आदर करते हुए आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको कोई तकलीफ नहीं हो तो वो अपना पूरा स्टेटमेंट विदड्रा कर लें क्योंकि हमारे वरिष्ठ सदन में भी वरिष्ठ, दो बार मुख्य मंत्री रहे और समन्यवादी और उदारवादी श्री शिवचरणजी माथुर ने ही उनके कथन पर आपत्ति सबसे पहले की है। अगर आप बेस्ट लेजिस्लेटर रहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने तो नहीं की न, आपको तो कोई आपत्ति थी ही नहीं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) आपत्ति की है अगर वो संशोधन नहीं करेंगे तो इनको बेस्ट का जो अवार्ड आप देंगी उसमें मैं तो नहीं आऊंगा।

श्री अध्यक्ष: उसको आप छीन लेंगे?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, मैं तो नहीं आऊंगा। मैं तो नहीं आऊंगा उसमें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं आपको तो आना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): प्रतिपक्ष के नेता, आप विधान सभा में मेरे जो राइट्स हैं उनका उपयोग करने के लिए मुझे धमकी देकर नहीं रोक सकते। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो कभी नहीं रुकूंगा। मैं न इस अवार्ड की परवाह करता हूं न किसी और अवार्ड की परवाह करता हूं। मैं सदन का सम्मान करता हूं और जनता ने मुझे यहां चुनकर भेजा है उस कर्तव्य के प्रति मैं प्रतिबद्ध हूं संविधान की कसम खाकर मैं खड़ा हुआ हूं यहां पर। ... यस।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसे हेकड़ीबाज को...। ऐसे हेकड़ीबाज बेस्ट लेजिस्लेटर के सम्मान में हम कभी शामिल नहीं होंगे।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हां, मत होइये आप ...(व्यवधान) मत होना।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जब तक ये हेकड़ी को वापस नहीं लेते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको लायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मनाकर लाएंगे। आपको मनाकर लाएंगे हम। ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय आपको मनाकर लाएंगे हम।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कानूनी बात कही मुझे उस पर कोई एतराज नहीं थी लेकिन इन्होंने यह कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक ने नहीं की वहां जाकर के आ गये किसी के एक के कहने से आ गये, कांग्रेस में फूट है। ये बातें कहने का आपको क्या हक है? इस पर मैंने आपत्ति की थी आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके भी जब राज्यसभा के सभापातिजी ने जसवंतसिंहजी को बोलने का मौका नहीं दिया तो वो बॉयकाट करके कैसे आ गये?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से यह प्रस्ताव लाया गया है और ये सारी ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको कांग्रेस के बारे में कहने का अधिकार नहीं है आप कानूनी राय दें, आपको कांग्रेस के बारे में बोलने का कानूनी अधिकार नहीं है उस पर हमको आपत्ति है ...(व्यवधान) घोर आपत्ति थी हमको।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ये बिलकुल सही बोले हैं कुछ गलत नहीं बोले और जो देखा वो बोला है। जो देखा वो बोला है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ...(व्यवधान) आप समर्थन करें, हम नहीं करते इस बात का समर्थन।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप हर एक को डिक्टेट करने की कोशिश मत करें। आप हर एक को धमकाने की कोशिश मत करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ...(व्यवधान) कानूनी बात करें। कानूनी बात पर ...(व्यवधान) बाकी नहीं कर सकते आप।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले मुझे?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप कौन हो डिक्टेट करने वाले हमेशा बीच में बोलते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले मुझे? Who are you to dictate me? Who are you to dictate me?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आपके कारण ही व्यवधान होता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप भी नहीं कर सकते। Who are you? आप कौन होते हैं?

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर-ऑर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप भी जीतकर आये हैं हम भी जीतकर आये हैं हम कोई नॉमीनेट नहीं हुए, आपकी मेहरबानी से नहीं आये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपके मेहरबानी से नहीं आए जो डिक्टेट करोगे आप।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, पिछले चार दिन में जो हुआ उसके लिए जो प्रस्ताव आया है जो संकल्प पास किया गया है, उसमें जो प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जिस भावना के साथ न केवल प्रतिपक्ष ने बल्कि सत्ता पक्ष ने आपको जो इसमें जो ऐसी चीज है कि इस सज़ा को पर्याप्त मानने और जो कुछ भी उसमें इस तरह का है उसका आपको अधिकार दिया गया है कि इसमें आप संशोधन करके, पावर दे दिया तो आप इसमें फरमा दें तो आगे की कार्यवाही इस भावना के साथ दोनों तरफ से हुई है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप सदन की सहमति ले लें फिर ।

श्री अमराराम (धोद): सहमति ले लें हम समझते हैं कि आपको, जो सर्वोच्च आसन पर आप हैं सबकी तरफ से आपको अधिकार दिया गया है तो

(श्री अमराराम)

आगे की कार्यवाही शुरू हो जिस भावना के साथ चार दिन से समअप हुआ है, ऐसी आप घोषणा करें जिससे आगे की कार्यवाही शुरू हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इस प्रस्ताव में तो जो कुछ आपको आब्जैक्शनेबल है, कोई बात है, इधर-उधर कुछ करने का, शब्दों का परिवर्तन करने का आपने मुझे अधिकार दिया है वो ...(व्यवधान) बात सुनिये पहले। जो अधिकार आप दे रहे हैं यदि मैं उसको उपयोग भी करूं मान लीजिये और उपयोग करके इसे थोड़ा माइल्ड भी कर देती हूं लेकिन पूरे भारत ने कल आपको जिस तरीके से यहां पर नारे लगाते हुए देखा उसको मैं कहां से मिटा दूंगी? यह तो बताइये मुझे, वो कहां से मिटेगा? इसको तो कर दूंगी मैं आप जैसा चाहेंगे पर उसको तो सारे भारत ने देखा है, राजस्थान की जनता ने देखा है।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, नारे लगाना, मैं समझता हूं नारे लगाना भारत ने देखा है ...(व्यवधान) नारे लगाना ...(व्यवधान) नारे तो पूरा हाउस लगा रहा था ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, नारे तो संसद में भी पूरी जनता देख रही है वर्षों से। नारे कोई पहली बार तो लगे नहीं है । नारे कोई अंकित थोड़े हुए हैं।

श्री अमराराम (धोद): नारे तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों, यह हाउस पूरा लगा रहा था सिवाय आपको छोड़कर।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दस-दस दिन तक सदनें नहीं चली हैं दिल्ली में।

श्री अध्यक्ष: आप सदन को चलाना चाहते हैं कि नहीं मुझे यह बता दो? मैं दोनों ही पक्षों से पूछ रही हूं। सत्ता पक्ष से भी पूछ रही हूं और प्रतिपक्ष से भी पूछ रही हूं आप सदन को चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते?

श्री अमराराम (धोद): बिलकुल चलाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: तो फिर लाइये उन्हें। फिर लाइये आप उन्हें ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): चलाना चाहते हैं तभी तो आपको अधिकृत कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बुलाइये उन्हें। आप बुलाइये और नहीं बुलाते हैं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूं। वो नहीं आते हैं तो मैं फिर आगे की कार्यवाही शुरू कर रही हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस स्प्रिट से आपकी मध्यस्थता में बात होकर के यह सारा प्रकरण समाप्त हुआ मैं समझता हूं कि उस स्प्रिट में यह प्रस्ताव नहीं आया है और इसीलिए यह सदन आपको अधिकृत कर रहा है, उसमें वांछित संशोधन हो और किन्तु परन्तु और वो प्रोविजो लगाये गये हैं वो खतम किये जाएं और यदि सत्ता पक्ष यही चाहता है कि वापस वो ही प्रक्रिया शुरू हो तो मैं समझता हूं कि ये सदन के लिए और प्रजातंत्र में यह ठीक नहीं रहेगा इसलिए आपको हमने अधिकृत किया है आप उसी स्प्रिट में इसको लाते हुए जो प्रोविजो लगाये गये हैं उनको समाप्त करके और इसकी बहाली ढंग से की जाए।

श्री अध्यक्ष: आप भी उस समय मौजूद थे और मामला सिर्फ नेता प्रतिपक्ष और सदन की नेता के बीच में था, मैं बीच में नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो बीच में नहीं हैं। बिलकुल साफ है इसलिए जो कुछ भी प्रस्ताव वो लाये हैं मैं मजबूर हूं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष आपके सामने कह चुके थे आप दोनों गवाह हैं कि स्पीकर से माननीय सदस्य, कोई उम्मीद नहीं रखते हैं इसलिए सदन की नेता आप कर दो फैसला, उन्होंने फैसला किया मैं बीच में नहीं हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं-नहीं, आपकी मध्यस्थता में फैसला हुआ था । ये आपकी व्यक्तिगत बातें थीं।

श्री अध्यक्ष: वो शब्द मैं नहीं दोहराऊंगी जो उन्होंने वहां कहे थे मैं नहीं दोहराना चाहूंगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी अध्यक्षता में फैसला हुआ है।

श्री अध्यक्ष: मैं नहीं दोहराना चाहती बिलकुल और इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती इस बारे में।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी अध्यक्षता में फैसला हुआ है।

श्री अध्यक्ष: फिर भी मैंने आपको आश्वस्त किया है इसके अन्दर जो कुछ भी मेरे से संभव होगा ...(व्यवधान) वो क्या करेंगे वो मौजूद थे उसमें उनको मालूम है। मैं तो नहीं दोहराऊंगी उन शब्दों को क्योंकि मैं, मैं आसन पर हूं। मैं आसन पर हूं नहीं दोहराऊंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप काहे को दोहराओ, परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैं आसन पर हूं। मैं नहीं दोहराऊंगी लेकिन मामला केवल आपके और सदन की नेता के बीच का था मुझे नहीं रखा था आपने बीच में ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है श्री बाबूलाल

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट बात यह हुई थी।

श्री अध्यक्ष: बुलाइये न उन्हें आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम आश्वासन तो दें कि जो भी इन्होंने ...

श्री अध्यक्ष: जब मैं बीच में नहीं हूं तो क्या आश्वासन दूंगी? मैं बीच में कहां हूं? ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या ये बार-बार खड़े हो जाते हैं ...(व्यवधान) कोई सैंक्टिटी नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके सामने सारी बातें हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: यद्यपि आपने मुझे बीच में नहीं रखा था फिर भी मैं आपको आश्वस्त करूंगी...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने आपको बीच में रखा है अध्यक्ष महोदय, आपके बिना तो यह समझौता होता ही नहीं, अनिश्चितकालीन धरना रहता यहां पर। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिये ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: दे लीजिये धरना। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिये तो सही आप। आप मेरी तो सुन नहीं रहे हैं । यद्यपि आपने मुझे बीच में नहीं रखा ...(व्यवधान) आप विराजें। आपने मुझे नहीं रखा बीच में यह सदन की नेता और प्रतिपक्ष के नेता के बीच की बात थी फिर भी मैंने आपसे कहा कि मैं इसे देख कर कितना क्या कर सकती हूं, क्या करूंगी वो आपको आश्वस्त तो कर रही हूं मैं और क्या चाहते हैं आप?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, सरकारी मुख्य सचेतक महोदय, आपने यह बात तय की थी कि रघुवीर मीणाजी अफसोस जाहिर करेंगे

(श्री जुबेर खान)

फिर किस बात का अफसोस कराने का आप लोगों ने तय किया था अगर आप उनकी सज़ा बहाल रखते हैं तो। फिर यह बात कहां से आयी कि मीटिंग में जो आप नेताओं के दोनों पक्षों के बीच में हुई थी कि रघुवीर मीणा जी आने के बाद में दुःख प्रकट करेंगे। यही भावना थी वहां मीटिंग में फैसले की कि पिछली तारीख से आप इसको विथड्रा करेंगे। आप यह शब्दजाल चलाकर और अपनी चाल चलना चाहते हैं यह कतई ठीक नहीं है। अगर आपको ठीक से सदन चलाना है या फिर आप कह दीजिए एक तरफा चलाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। यह बात तय हुई थी कि नहीं हुई थी। आपको दुबारा संशोधित प्रस्ताव रखना चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, क्या तय हुआ था किन-किन में क्या तय हुआ था वह सब अंदर की बातें हैं यहां करना उचित भी नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस भावना से यह प्रस्ताव बनाया गया मैंने आपको भी इसको दिखवा लिया था और इसमें आपको एक शब्द में आपत्ति थी और अंत में तो मैंने यहां तक कह दिया कि 'धरिये क्षमा विवेक कोपण किजे प्रिआत्मा' मैंने सबसे क्षमा मांगते हुए, यानि धरिये क्षमा विवेक कोपण किजे प्रिआत्मा।

श्री अध्यक्ष: क्षमा भी करो, विवेक भी रखो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने तो यहां तक इसमें किया है। इस सदन की कार्यवाही को लेकर कोई किसी अदालत में तो जायेंगे नहीं। आज तक जो प्रस्ताव आते रहे हैं और उसमें यही माना गया है कि यह सज़ा को या खेद व्यक्त करने के बाद चाहे 5-6 दिन वह निलम्बन रह गया उसके बाद उसको मानते हुए आगे उसको प्रवेश दे दिया जाता है यही आज तक परम्परा रही है। इसी परम्परा के अन्तर्गत मैंने कहा कि ..

श्री जुबेर खान : हाल ही इसी 12वीं विधान सभा में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य श्री संयम लोढा को निलम्बित किया था । उनको भी उसी तारीख से लिया था जिस दिन से निलम्बित किया था । इसी 12वीं विधान सभा का मामला है। उसी दिन से लिया था जिस दिन उनको निलम्बित किया था तो आप यह नई परम्परा कहां से डाल रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : गलती कर ली बार बार थोडे ही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आपको सब अधिकार दिये हुए हैं अब आप जानो मैं तो इतना ज्ञानी आदमी हूं नहीं। जो ज्ञानवान हैं उनसे बात कीजिए।

श्री अध्यक्ष: अब आप उन्हें बुलाना चाहें तो बुलाइए वरना मैं प्रोसीड कर रही हूं। मैं प्रोसीड करूं आगे या आप उन्हें बुलाइए।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपके विवेक पर छोडने की बात कही थी और आपने कह भी दी अब पता नहीं उस मैटर को क्यों उलझाया जा रहा है। हमने तो आपके विवेक पर छोड दिया था।

श्री अमराराम (धोद): दोनो तरफ से छोड दिया था। सरकारी मुख्य सचेतकजी ने सत्ता पक्ष की तरफ से और प्रतिपक्ष की तरफ से दोनों तरफ से आपको जब अधिकार दे दिया है तो मैं नहीं समझता कि इस पर और चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष: एक घंटा होने जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आगे का बिजनेस पुकारो शून्यता तो रह नहीं सकती इस सदन में।

श्री अध्यक्ष: वह आयेंगे जब हो जायेगा, मैं आगे प्रोसीड करती हूं। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उनको सम्मानपूर्वक लाना चाहिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लाओ सम्मानपूर्वक ।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): हम लायेंगे ।

श्री अध्यक्ष: तो ले आओ आप उन्हें । मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, यह जा रहे हैं उनको लाने के लिये ।

श्री अध्यक्ष: क्या नाटक कर रहे हो, गलती भी करो और उसके बाद नखरे भी करो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, क्षमा पर मैं आपको एक दोहा सुनाता हूं ।

श्री अध्यक्ष: मैं सदन को यह सूचना देना चाहूंगी कि पूर्व में माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य श्री देवीसिंहजी भाटी को 19.2002 को निलम्बित किया था और 24 तारीख को समाप्त किया था और उसमें यही लिखा है कि यह सदन संकल्प करता है कि दिनांक 11 मार्च, 1983 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव से श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य विधान सभा को सत्रावसान तक सदन की बैठकों से निलम्बित किया गया था । 24 मार्च, 83 से यह निलम्बन समाप्त किया जाता है। यही आया है इसमें और लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी उस समय।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और माथुर साहब मुख्य मंत्री थे।

श्री अध्यक्ष: जब तक वह आते हैं आप बोल सकते हैं। माननीय मुख्य सचेतकजी जब तक वह लोग प्रवेश करते हैं तब तक आप कुछ कहना चाहे तो कहिए।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, आपने जो पहले की रूलिंग पढी उसमें यह नहीं है कि सज़ा को पर्याप्त मानते हुए 24 तारीख को निलम्बन खतम किया जाता है । यह शब्द इसमें आज जोड़ा गया है। सज़ा को पर्याप्त मानते हुए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सज़ा मैंने कहा ही नहीं इसमें।

श्री अध्यक्ष: सज़ा शब्द ही नहीं कहा है आपने सुना ही नहीं।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): आपने जो अभी रूलिंग पढ़ी है उस रूलिंग में वह शब्द नहीं है।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने सज़ा नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है निलम्बन को पर्याप्त मानते हुए। आप समझते ही नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं किस भावना से लाया हूं सुनिए।

'उत्तम छिमा गहो रे भाई, इस भव जस पर-भव सुखदाई।
गाली सुनि मन खेद न आनो, गुनको औगुन कहे अयानो।
कहि है अयानो वस्तु छीने, बाँध मार बहुविधि करै।
घरतैं निकारै तन विदारै, बैर जो न तहां धरै।
तै करम पूरब किये खोदे, सहै क्यों नहिं जीयरा।
अति क्रोध-अग्नि बुझाय प्रानी साम्यजल ले सीयरा ।'

इस भावना से मैंने प्रस्ताव किया है।

श्री अध्यक्ष: आपने आखरी वक्त में सब गड़बड़ कर दी, गलत बात है आपकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनका नाम स्वामी महावीर प्रसाद जैन रख दें तो ठीक रहेगा। अध्यक्ष महोदय, जमेगी भी खूब। अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतकजी अगर स्वामी महावीर प्रसाद बन जाये तो आप परिकल्पना करो कितने जमेंगे और कितना अच्छा उपदेश इन्होंने दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बनेंगे तो स्वामी महावीरजी नहीं बनेंगे दिगम्बर बनेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वह परिकल्पना मैं कर रहा हूं यह दिगम्बर महावीर प्रसाद जैन होंगे तो इनकी परिकल्पना करके बड़ा सुखदायी लग रहा है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): लेकिन यह सुंदर काका भी साथ जायेंगे।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय घनश्यामजी और राजेन्द्र जी दोनो इनके शिष्य होकर साथ चलेंगे ।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हाउस की कार्यवाही आगे चलाई जाये, कोई भी हाउस किसी आदमी का इंतजार नहीं कर सकता । आयेंगे तो आगे कार्यवाही होगी । कार्यवाही शुरू की जाये जब वह आयेंगे तो खेद व्यक्त करने का काम करेंगे ।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिलकुल ठीक कह रहे हैं सी. पी. जोशीजी सौफे पर आराम से बैठे हैं दृष्य यहां से नजर आ रहा है । वह चिंतित नहीं है आने के प्रति ।

श्री अमराराम (धोद): आयेंगे या नहीं आयेंगे आपको इससे क्या है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री बाबूलाल नागर एवं अन्य सदस्यों की और से आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को पदोन्नति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

हालांकि प्रस्ताव का विषय अनुमान पर आधारित है, फिर भी चूंकि आज मांग भी है इस संबंध में इसलिए माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा । मैं चाहूंगी कि इस बारे में मंत्री जी जब जवाब दें तो इसके बारे में भी जवाब दें ।

2. श्री अमराराम धोद सदस्य की ओर से कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जयुपर जिला कार्यालय में पुलिस की मौजूदगी में मारपीट-तोडफोड की घटना के संबंध में।

दिनांक 27 मार्च, 2006 को पुलिस विभाग की मांग पर चर्चा के समय आपको अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल, सदस्य की और से राज्य में दो दशक से अवरुद्ध कला शिक्षकों के पदों का पुन: सृजन करने हेतु।
2. श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की और से विधान सभा क्षेत्र खानपुर के गांव सारोला कलां में उप तहसील कार्यालय खोलने के संबंध में।
3. श्री रामप्रताप कासनिया, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय फेज के वर्ष 2002 से पूर्व के आबंटी काश्तकारों द्वारा किश्तों की अदायगी नहीं किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल। (अनुपस्थित)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है। परसों पुलिस पर चर्चा होगी लेकिन यह घटना होने के बाद 23 तारीख से उस कार्यालय में पुलिस ने ताला लगा दिया और तमाम कार्यवाहियां बंद हो गई और न केवल यहां तक रुकी हैं उन नेताओं के घरों में जाकर आग लगाने की भी परसों रात को कोशिश की है और यह पहली बार नहीं है, राजस्थान में जिस तरह की भावनाएं आ रही हैं, राजस्थान का ऐसा कोई प्रकरण नहीं था...

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी भविष्य में तोडफोड नहीं हो यह आप आश्वासन दें। वह उठ गये ना, वह उठ गये ना।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो ट्रेंड आ रहा है चाहे वह रामेदव बाबा का हो, कोई भी अलग मत मतान्तरण नहीं रख सकता है लेकिन कार्यालय पर प्रदर्शन करने का, उनकी तोड़ फोड़ करने का यह राजस्थान में पहली बार हो रहा है, मैं समझता हूं कि यह बहुत घृणित काम है। हम मत मतान्तरण, विरोध में हम प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन किसी भी पार्टी के कार्यालयों में अगर इस तरह तोड़ फोड़ की, यह पहली घटना नहीं है, पुलिस ने ताला लगा दिया और यह कहकर लगा दिया कि यहां घटना नहीं हो। तो फिर एनबीसी के ताला क्यों नहीं लगा देते आप? पार्टी पर यह पहली घटना नहीं है। हमारे राज्य कार्यालय पर रामदेव के प्रकरण को लेकर प्रदर्शन किया गया, मेरे क्वार्टर पर प्रदर्शन किया गया। घरों पर पार्टी कार्यालय पर अगर विरोध में प्रदर्शन होने की ऐसी प्रकिया आपने चालू की है, अगर ऐसी प्रक्रियायें हुई, राजस्थान उन राज्यों की गिनती में आयेगा केवल विरोध प्रदर्शन करने का किसी को भी राइट है लेकिन यह छूट नहीं हो सकती कि आपकी पुलिस मौजूद हो, ताला लगा दिया और तीन दिन से आज भी बंद है।

श्री अध्यक्ष: अब आपने कह दी बात, आप सुन लीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपकी बात समझ में आ गई कि आपके कार्यालय पर कोई कब्जा हो गया1 पहले वहां सीटू की यूनियन थी। उनकी सदस्य संख्या 80 प्रतिशत थी, पिछले पांच साल से वहां बीएमएस की यूनियन है और आपका अध्यक्ष भी बीएमएस का सदस्य बन गया है। एक मिनिट, मेरी बात पूरी सुन लेना। वह अपने, कहीं सड़क पर खड़े थे, आपके लोगों ने जब उन पर हमला किया उसका जवाब देने के लिए आपका जो मारने वाला था वह आपके कार्यालय में घुस गया वे लोग उसके पीछे भागकर गये और कार्यालय में जाकर उन्होंने भी उसको पीटा। पुलिस ने इस झगड़े को देखकर कार्यालय को सील कर दिया। 145 में कुड़क करके क्योंकि आज वहां बहुमत में बीएमएस की यूनियन है, वह कार्यालय बहुमत वाली यूनियन को मिला हुआ है, कोई सीटू का ठेका नहीं है वहां पर। 145 में कुड़क किया है। जो भी आगे चलकर फैसला होगा पुलिस उसको सुपुर्द कर देगी। आज की तारीख में वह कार्यालय, न तो उनके कब्जा करने की मंशा थी न कुछ थी, उन पर मारपीट करने की, उन्होंने मारने वाले को, जब पीछे भागे तो वह उस कार्यालय

में घुसे, उन्होंने जब अंदर उनकी मारपीट की और इसलिए पुलिस ने दोनों को ही वहां से निकालकर 145 में कुड़क किया आगे किसकी यूनियन होगी, किसको लीगली वह कार्यालय मिलना चाहिये वह बाद में, कोर्ट से फैसला होगा उसके बाद में। 145 का कुड़क जिसके हक में जाएगा उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा।

श्री अमराराम (धोद): नहीं अध्यक्ष महोदय, आप जो बात कह रहे हैं यूनियन आज की तारीख में...

श्री अध्यक्ष: कोई सवाल जवाब नहीं, इस पर कोई सवाल जवाब नहीं।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, बीएमएस वहां बहुमत में है लेकिन कार्यालय एनबीसी,.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो आप बोलिएगा ना, उस पर बोलिएगा ना जब1

श्री अमराराम (धोद) एनबीसी कम्पनी का नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पुलिस डिमांड पर (व्यवधान) बोलिएगा। गलत बात है आपकी।

श्री अमराराम (धोद): गृह मंत्री जी ने तथ्य तोड़-मरोडकर पेश किये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हठधर्मी है आपकी। दे दिया जवाब उन्होंने। (व्यवधान) फिर आप सुनते जवाब।

श्री अमराराम (धोद): एनबीसी के सीआइबी के वर्कर्स का, कार्यालय है, कोई भी यूनियन अगर बहुमत में आ जाएगी वह उस कार्यालय पर जाकर कब्जा कर लेगा (व्यवधान) आपकी पुलिस ने, आप यह कह रहे हैं कि ...

श्री अध्यक्ष: हो गया जवाब आपका। आप बिराजिए। कृपया स्थान ग्रहण कर लीजिए।

श्री अमराराम (धोद): आपने वहां, झगड़ा बाहर हुआ अंदर गये, आपने उनको तो अरेस्ट कर लिया।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। धोद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): जिनके पैर तोड़ दिये उनमें आपने एक को भी गिरफ्तार नहीं किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आज उस पर कब्जा बीएमएस का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं है आज उस कार्यालय पर कब्जा सरकार का है। पुलिस ने उसको 145 में कुड़क करके सुपुर्द कर दिया है। बीएमएस का उस पर कोई कब्जा नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): आप जहां झगड़ा होगा उसको कुड़क कर देंगे, एनबीसी है गेट पर (व्यवधान) आप उसको कुड़क कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण करें, बस हो गया।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, यह जो आप कर रहे हैं, मैं तो आपसे यही निवेदन...

श्री अध्यक्ष: यह क्या तरीका है, आप अपना वो दिखा रहे हैं। इतनी हठधर्मी क्यों कर रहे हैं जब बात हो गई तो।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत दो दशक से अवरूद्ध कला शिक्षकों के पदों का पुन: सर्जन करने हेतु निवेदन ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, 295 केवल 250 शब्दों में लिख जाता है आपने 1000 शब्द लिख दिये उसके ऊपर। भविष्य में ध्यान रखें, इतना लम्बा नहीं।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आगे से ध्यान रखूंगी साहब।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, माननीय 13 सदस्यों ने, आपके बीच स्थगन लाये...

श्री अध्यक्ष: आपको बीच में क्या हो गया? मैंने नाम पुकार लिया लक्ष्मी बारूपाल।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है...

श्री अध्यक्ष: लक्ष्मी बारूपाल। सिट डाउन। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): महिला बोल रही है, आप बीच में ही ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कर ले। स्थान ग्रहण कर ले, I don't want to hear ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): यह उनको बोलने नहीं दे रहे है, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री **अध्यक्ष:** नहीं, कुछ नहीं। लक्ष्मी बारूपाल। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करिये न।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैं नम्रतापूर्वक आपसे कहना चाह रहा हूं कि...

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कला-शिक्षक पद का सृजन

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आप प्रदेश के शिक्षा के प्रति जागरूक ही नहीं एक प्रबुद्ध शिक्षाविद एवम कला व संस्कृति के हितैषी एवं राजस्थान में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के चिन्तक है। प्रारम्भिक शिक्षा एवं सैकण्डरी तक पहले अन्य विषयों के साथ कला शिक्षा भी..;(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या। आप या तो स्थान ग्रहण कर ले वरना अंकित तो हो नहीं रहा इसलिए बैठ जाइये। अच्छा है बैठ जाइये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग थी, क्योंकि यह बात शिक्षाविदों की दृष्टि में भी थी कि कला शिक्षा छात्रों की सामाजिक, व्यावहारिक चेतना को संगठित करती है।

किन्तु किन्हीं कारणवश सरकार ने गत दो दशकों से कला शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय के द्वितीय व तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा रखी है। जिससे शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग पंगु ही नहीं वरन चेतना शून्य हुआ जा रहा है।

राजस्थान की कला का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इस गौरवमयी परम्परा को अनदेखा कर राज्य में इस विषय को गौण समझा जा रहा है। 1986 की शिक्षा नीति में कला व संस्कृति को भी विशेष स्थान दिया गया परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में इस दिशा में विशेष कार्य नहीं हुआ?

आर.पी.एस.सी. द्वारा की जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा में शारीरिक शिक्षकों से भी आवेदन मांगे गये जबकि कला शिक्षकों के पद इस विज्ञप्ति में सृर्जित नहीं किये गये। दो दशक से राज्य में कला शिक्षकों के पदों का सर्जन नहीं हुआ है। जबकि अन्य राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश में समय-समय पर कला शिक्षकों के पदों पर भर्ती होती रही है। उसमें राजस्थान के अभ्यर्थियों को नियुक्त नहीं किया जाता है। सी.बी.एस.सी. पाठयक्रमों के अनुसार प्रत्येक सी. सैकेण्डरी विद्यालय में दो द्वितीय श्रेणी कला शिक्षकों के पद होना अनिवार्य

(श्री लक्ष्मी बारूपाल)

है जबकि राज्य के राजकीय विद्यालयों में एक एक तृतीय श्रेणी कला अध्यापकों की भी नियुक्ति नहीं हुई है। इस वर्ष कक्षा 6,7 में कला शिक्षा का लिखित प्रश्न पत्र भी लिया गया तथा कक्षा 10 में 20 अंक कला शिक्षा के लिए दिये जाते हैं। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया औपचारिक रूप से सामान्य अध्यापकों द्वारा सम्पन्न कराई जा रही है जो उचित नहीं है।

एक कला शिक्षक अपनी योग्यता से विद्यालय के सम्पूर्ण वातावरण को शिक्षामयी बना सकता है। अत: इसकी उपयोगिता सर्वविदित है। अधिकांश प्राईवेट स्कूलों में प्राथमिक कक्षा में है छात्रों के लिए अन्य विषयों के साथ कला शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है जबकि राजकीय विद्यालयों में इस विषय की औपचारिकता निभाई जा रही ही। एम.ए. चित्रकला अभ्यर्थी व्याख्याता के पद पर आवेदन करने की योग्यता रखते हैं उन्हें बी.एड. करने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें तृतीय श्रेणी के पदों पर आवेदन करने की अनुमति प्रदान करें।

राजस्थान में प्रतिवर्ष लगभग 300 अभ्यर्थी एम.ए. डिप्लोमा कोर्स करते हैं उनका भविष्य क्या होगा? राज्य में सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की संख्या लगभग 4000 है। समय-समय पर विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय राज्य तथा जिला स्तर पर अनेक कलात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उन प्रतियोगिताओं में प्राइवेट विद्यालय के विद्यार्थी ही अधिकांशत: पुरस्कृत होते हैं। राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की प्रतिभाएं उचित मार्गदर्शन के अभाव में छिपकर रह जाती है। हाल ही में राज्य स्तर पर सभी जिलों में 22.1.05 को एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोयजन किया गया, उसमें दो वर्गों में बच्चों को बांटा गया। जिसमें से प्रति सेन्टर पर 50.50 प्रतिभागी भी राजकीय विद्यालय नहीं जुटा पाया। एक सेन्टर पर लगभग 7000 रुपये का खर्च किया गया। जब राजकीय विद्यालयों के बच्चों को कला सर्जन के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा तो वे कला के बारे में क्या जानेंगे।

वर्तमान उपराष्ट्रपति एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भैरोसिंहजी शेखावत ने अस्सी के दशक में यह घोषणा की थी कि प्रत्येक सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में एक एक कला शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, वह घोषणा किसी कारणवश केवल घोषणा ही बन कर रह गई। उसका क्रियान्वयन नहीं हो सका।

(श्री लक्ष्मी बारूपाल)

ऐसे में राजस्थान में कला शिक्षक बनकर कला जैसे अमूल्य धरोहर को संजोये रखने का सपना लिये बेरोजगार कला अभ्यर्थी अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं और उनका भविष्य न जाने क्या होगा?

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि दो दशक से अवरूद्ध द्वितीय व तृतीय श्रेणी कला शिक्षकों के पदों के लिए विषयाध्यापकों की नियुक्ति के मार्ग खोलने हेतु राज्य सरकार को विषय वस्तु से अवगत करायेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र नागर ।

खानपुर तहसील के सारोला कलां में उप तहसील कार्यालय की स्थापना

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत निवेदन है कि खानपुर विधान सभा क्षेत्र के गांव सारोला कला में विगत कई वर्षों से राजनैतिक द्वेष भावना से उप तहसील कार्यालय नहीं खुला। खानपुर तहसील के क्षेत्राधिकार में 207 गांव, 5 कानूगो सर्किल, 45 पटवार सर्किल है इनकी यह एक ही तहसील है। खानपुर तहसील में 30 कि.मी. तक के गांव इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। इससे यहां के किसानों व आम जनता को तहसील कार्यालय में जाने हेतु दिन भर लग जाता है। व किसान पेशी चूक जाते हैं। अधिक गांव होने की वजह से किसानों के कार्य तत्काल नहीं हो पाते। गांव में कोई घटना घटित हो जाती है तो प्रशासन को पहुंचने में दिन भर लग जाता है।

खानपुर तहसील के सबसे बड़ा ग्राम सांरोला कला मध्य में स्थित है। इस ग्राम को उप तहसील का दर्जा मिल जाता है तो 107 ग्राम लाभान्वित होंगे।

अत: सारोला कला में उप तहसील कार्यालय खोलना जनहित में जरूरी व न्यायसंगत तथा अति आवश्यक है। यह अत्यधिक ही गंभीर जनहित का विषय है। इस पर विचार किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनिया।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय फैज के वर्ष 2002 से पूर्व के काश्तकारों द्वारा किश्त अदा न किया जाना

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राज्य में निरन्तर पड़ रहे अकाल से बदहाल काश्तकारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के फेज द्वितीय के वर्ष 2002 से पूर्व के आबंटी काश्तकारों द्वारा किश्तों की अदायगी न किये जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2002 में किश्तों की Rescheduling (पुर्ननिर्धारण) करके पहली किश्त वर्ष, 2002 से लागू की थी, जिसे स्वीकार कर काश्तकारों ने किश्तों की अदायगी भी शुरू कर दी है जबकि वर्तमान में सरकार ने आदेश जारी करके किश्तों की Rescheduling को वर्ष 2002 (पुर्ननिर्धारण) के स्थान पर पूर्ववर्ती आबंटन की तारीख से लागू कर दिया है जिससे किसानों की चार-चार, पांच-पांच किश्तें बकाया निकाली जा रही हैं जिनको वर्तमान हालात के चलते कोई भी किसान चुकाने में समर्थ नहीं है। अत: आपसे आग्रह है कि वर्तमान आदेश को निरस्त करते हुए किश्तों की Rescheduling (पुर्ननिर्धारण) वर्ष 2002 के आदेश के तहत ही लागू रखी जावे। साथ ही वर्तमान किश्त जमा कराने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2006 को 30 जून, 2006 तक बढ़ाया जाये क्योंकि वर्तमान समय में काश्तकारों को उनकी उपज की राशि प्राप्त नहीं हो पाई है, उनकी उपज या तो खेत में है अथवा सरकारी गोदाम में है।

आशा है उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय राजस्व मंत्री महोदय किसानों के हित में लिये गये पूर्ववर्ती वर्ष 2002 के आदेश की बहाली के साथ-साथ किश्तों की अदायगी की अंतिम समय सीमा में भी बढ़ोतरी करवाने का कष्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर, श्री जोगाराम पटेल, पर्ची पर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणी क्षेत्र के भवन की मरमत

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आज से करीब सौ साल पुराना है। सौ साल में कभी भी उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। इसकी वजह से वह

(श्री जोगाराम पटेल)

विद्यालय अत्यन्त ही जीर्ण अवस्था में हो गया है। कल मिली सूचना के अनुसार जो विद्यार्थी वहां परीक्षा दे रहे हैं बोर्ड की, उनके ऊपर भी चूना गिर रहा है और किसी भी वक्त कोई अनहोनी घटना हो सकती है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी 2-3 प्रार्थना-पत्र दिये थे, उस विद्यालय को तुरन्त प्रभाव से रिपेयर करवाना बहुत आवश्यक है। अगर उस विद्यालय को रिपेयर नहीं किया गया, और किसी भी विद्यार्थी पर कोई पत्थर या अन्य सामान गिर गया तो उससे नुकसान होने की पूरी-पूरी सम्भावना है। इसलिये मैं पर्ची के माध्यम से आपकी मार्फत मंत्रीजी का इस ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन करुंगा कि उस विद्यालय की तुरन्त प्रभाव से रिपेयर करवायी जाए। इसके साथ-साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि विद्यालय खोलने में माननीय शिक्षा मंत्रीजी, सरकार ने बहुत उदारता रखी, अनेक विद्यालय खोले परन्तु इसके साथ ही साथ जो पुराने सरकारी विद्यालय हैं उन विद्यालयों के भवनों के निर्माण के बाबत कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा उन सरकारी विद्यालयों के भवन निर्माण की व्यवस्था करावें, धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची में लिखा था कि विधान सभा क्षेत्र लूणी के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के जीर्ण-शीर्ण होने के कारण परीक्षा में व्यवधान। अध्यक्ष महोदय, मैंने तुरन्त जिला शिक्षा अधिकारी को वहां मौके पर भेजकर जांच करवायी है, उसके हिसाब से लूणी प्रोपर में 2 विद्यालय हैं। एक उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स का है और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्वायज का है। गर्ल्स विद्यालय में कोई भी परीक्षा का केन्द्र नहीं है। ब्वायज विद्यालय में परीक्षा का केन्द्र है उसमें 21 कमरे हैं जिनमें से 6 कमरे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। उन 6 कमरों में कोई परीक्षा नहीं हो रही है। केवल 8 कमरे परीक्षा के उपयोग में लिये जा रहे हैं और उन में 131 बच्चे सैकण्डरी की परीक्षा दे रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। रहा सवाल जहां तक आपने पूछा है कि कमरे जीर्ण-शीर्ण हैं तो इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में प्रावधान किया है। सीनियर सैकण्डरी स्कूलों के भवनों के निर्माण का तो करेंगे तथा जो जीर्ण-शीर्ण भवन हैं इस वित्तीय वर्ष में उनके लिये निश्चित रूप से प्रावधान करेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम, धोद।

घड़साना पंचायत समिति में पोषाहार कार्यक्रम में करोड़ों का घोटाला

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान की बहुत बड़ी पंचायत समिति घड़साना है और जहां बच्चों को पोषाहार गेहूं दिया जाता था उस पोषाहार में दो करोड़ का घोटाला हुआ । वहां की पंचायत समिति के अधिकारियों ने बी.डी.ओ. से मिलकर के हजारों क्विंटल गेहूं जो बच्चों को मिलना चाहिए था पोषाहार के रूप में उसको पब्लिक में बेचकर 2 करोड़ रुपये का घोटाला किया। एक ही नहीं, ए.सी.डी. में 3 एफ.आई.आर. वहां के विकास अधिकारी के खिलाफ दर्ज हो गयीं लेकिन उसको बचाने के लिये एक में भी आज तक कार्यवाही नहीं हुई। उसका नतीजा यह हुआ कि पोषाहार के 2 करोड़ के गेहूं के घोटाले के बाद उस पंचायत समिति में घोटाले पर घोटाला, तो सबसे बड़ी पंचायत समिति है जहां राशन कार्ड की छपाई में लाखों रुपये खर्च किये जाएंगे, गंगानगर से चलकर अजमेर की एक फर्म, जिसके कोई टेण्डर इन्वाइट नहीं किये गये। मैं समझता हूं कि गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर में बहुत प्रिंटिंग प्रेस हैं लेकिन अजमेर में जाकर के एक ही प्रेस से, कोई टेण्डर नहीं, लाखों रुपये का राशन कार्ड छपाई में घोटाला कर दिया। कोई लाखों रुपये का घोटाला, उसके बाद में 3 घोटाले लगातार, विकास अधिकारी के माध्यम से और आप आश्चर्य करेंगे कि करोड़ों रुपये का घोटाला करने वाला विकास अधिकारी उसी पंचायत समिति में, उसी के खिलाफ इन्क्वायरी हो रही है और वह वहीं पंचायत समिति का विकास अधिकारी बनकर बैठा हुआ है। तो मेरा सीधा सरकार पर आरोप है कि सरकार ऐसे भ्रष्टाचारी, जो बच्चों के गेहूं को खा जाए, जनता के पैसे को राशन कार्ड में, बोर्ड छपाने में जिस तरह से 3 घोटाले लगातार, करोड़ों रुपये के घोटाले करने के बाद ऐसे अधिकारी को बचाने का काम पिछले ढाई साल से राजस्थान की सरकार कर रही है। (व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, किस समय किये गये, मैं बात करूंगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का यह मामला है, इस बारे में मैं भी कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बिलकुल नहीं।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात की जा रही है, वह कौन से वर्ष की है।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कर लें। कृपया स्थान ग्रहण करें। आपसे कह रही हूं, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप इनकी बात का जवाब दें। यदि इनकी बात का जवाब देना है तो मंत्री देंगे, आप नहीं। आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है अगर सरकार चाहती है, वह चाहे 2004 का ही घोटाला हो, यह विकास अधिकारी है, इनकी मौजूदगी में भी हजारों क्विंटल का घोटाला हुआ है, लगतार चलता रहा है और अगर सरकार चाहती है तो निश्चित रूप से यह तमाम 3-4 घोटाले हैं जिनकी ए.सी.डी. रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, अगर आप निष्पक्ष चाहते हैं तो वहां के ऐसे अधिकारी जो इसमें लिप्त रहे हैं उनको निश्चित रूप से हटाकर इन्क्वायरी कीजिए। उसी पंचायत समिति में वहां घोटाला करने वाला अधिकारी रहेगा, मैं नहीं समझता कि उसकी निष्पक्ष जांच हो सकेगी क्योंकि निश्चित रूप से वह उस जांच को प्रभावित करेगा।

अगर सही रूप से आप भ्रष्टाचारियों पर नकेल डालना चाहते हैं तो उस अधिकारी को वहां से हटायें और अगर वह निर्दोष पाया जाता है तो वापस वहीं पर ही लगा दीजिए। अगर दोषी पाया जाता है और उसी के द्वारा ही इन्क्वायरी की जाती है तो मैं नहीं समझता हूं कि न्याय होगा इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आज तक इन घोटालों पर क्या कार्यावाही हुई है? पोषाहार घोटाले पर और दूसरे तीन घोटाले जिनकी ए.सी.डी. में रिपोर्ट दर्ज हुई है और आगे आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

एक माननीय सदस्य: आपका ही प्रधान है वहां पर, एक ही।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं। ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ पंचायत समिति के बारे में माननीय सदस्य ने जो

(श्री बाबूलाल)

कहा मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि यह घोटाले जो बता रहे हैं, दो घोटाले जो दर्ज हुए हैं 2002 से लेकर 2004 के यह प्रकरण हैं। मैं इसलिए इन मामलों पर कहना चाहूंगा कि गेहूं गबन के मामले में 2,12,36,239/- का घोटाला हुआ और इसमें जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि बी.डी.ओ. का इन्वॉल्वमैंट है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें ठेकेदार- सुधीर ठेकेदार, अशोक, हरिश गुप्ता ठेकेदार और अशोक विश्नोई, चार -पांच कर्मचारी हैं, इन सबके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और वर्तमान में यह केस ए.सी.डी. में 136/6 के हिसाब से दर्ज हो चुके हैं और इसमें रिकवरी भी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 2 करोड़ 12 लाख का प्रकरण था उसमें पचास हजार की रिकवरी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन वाला जो मामला था उसमें 36 हजार की रिकवरी हुई है। मैं इसलिए क्योंकि जब से यह घोटाला था, मैं आज यह नहीं कहना चाहता हूं कि घोटाला किसके कार्यकाल का था लेकिन जो भी पोषाहार से संबंधित घोटाले हैं और जब से हमारी सरकार बनी है, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले को बहुत गम्भीरता से लिया है और गम्भीरता से भी इसलिए लिया है कि पोषाहार जो कि गरीब बच्चों को अच्छा भोजन मिले, सही भोजन मिले इसके लिए पंचायत समिति के जो भी घोटाले हैं, उसमें सरकार ने हर मुकदमे, लगभग पचास से ज्यादा मुकदमे दर्ज किये जा चुके हैं और सबके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, यह मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि दो करोड़ 13 लाख का तो घोटाला है और इन्होंने पचास हजार की रिकवरी की है और आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया और मेरा सीधा निवेदन यह है कि 2002 में कह रहे हैं, 2002 से लेकर 2004 तक जब आपकी सरकार आ गयी थी, वहां के घोटाले हैं और आज तक किसी भी एक भी अधिकारी, ठेकेदार ही बेच दिया ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आपने कह दी अपनी बात। आपने पर्ची के माध्यम से अपनी बात कह दी। उन्होंने जवाब दे दिया, अब क्या है? ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): नहीं, जवाब तो दे दिया अध्यक्ष महोदय, लेकिन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब क्या हो? आज डिमाण्ड है। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): 2 करोड़ 13 लाख का घोटाला और 50 हजार रुपये वसूल किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: आज डिमाण्ड है इसलिए अब कोई डिबेट नहीं करिये। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ए.सी.डी. में एफ.आई.आर. दर्ज है, एक भी आदमी को पकड़ा नहीं। ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.सी.डी. में मामला दर्ज हो चुका है। फरवरी के महीने में दर्ज किया जा चुका है। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): इसका मतलब निश्चित रूप से सरकार आज की तारीख में भी घोटाले जब तक ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): अब निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): वह वहां के बच्चों का पोषाहार खाने वाले हैं, चाहे कोई की सरकार थी। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पर्ची पर इस तरह की डिबेट नहीं होती। माननीय सदस्य, पर्ची पर यह व्यवस्था नहीं होती है। पर्ची पर डिबेट अलाउ नहीं करते हैं। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): राजस्थान की सरकार बच्चों का 2 करोड़ 13 लाख का पोषाहार खा जाए और उनमें एक अधिकारी को भी आज तक यह चिह्नित नहीं कर पाये और मंत्रीजी खड़े होकर यह कहें कि कार्यवाही हो रही है।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप आसन की अवज्ञा कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): क्या?

श्री अध्यक्ष: आप आसन की अवज्ञा कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, अवज्ञा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सुनिये, पर्ची पर इस प्रकार की कोई डिबेट नहीं होती। आपने अपनी बात कह दी, मंत्रीजी ने अपनी बात कह दी, बात खतम।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, मैं डिबेट नहीं कर रहा। मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं ... (व्यवधान) नहीं, बात खतम तो हो गयी लेकिन क्या यह सही है कि मैं तो इतना ही कहकर आपसे निवेदन करता हूं कि क्या सरकार इस पर तुरन्त ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: और क्या? आज डिमांड है इस पर, बोल देना आप अपनी, तब बोल देना। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): पोषाहार की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पोषाहार की नहीं है। समाज कल्याण विभाग की है। पोषाहार जो बच्चों को दिया जाता है, जिसमें 2 करोड़ मंत्रीजी ने खुद ने स्वीकार किया है कि 2 करोड़ 13 लाख का घोटाला है, 50 हजार की रिकवरी की है। किसी एक कर्मचारी को आज तक, अकेले ठेकेदार की हिम्मत नहीं है कि वह अधिकारी के मिले बगैर घोटाला कर दे।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस अब ठीक है। श्री खुशवीर सिंह जोजावर।

खारची विधान सभा क्षेत्र में अकाल की स्थिति

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान का जब नाम लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क पटल पर एक सोच पैदा होती है और वह जो पर्याय बन चुका है राजस्थान का वह है अकाल।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल और राजस्थान का अटूट रिश्ता है और इस वर्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र में और पाली जिले में, राजस्थान में कई विधान सभा क्षेत्रों में अकाल की स्थिति है। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक अपील की थी सभी माननीय सदस्यों से ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो कमेंट्स। हां, प्लीज।

निलम्बन निरस्तीकरण

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। पिछले दो-चार दिन से इस विधान सभा में कुछ गतिरोध पैदा हुआ। उसकी वजह से कई महत्वपूर्ण मांगों पर, डिमांड पर बहस नहीं हो सकी। राजस्थान की जनता का नुकसान भी हुआ है परन्तु इस सदन में अमर्यादित शब्दों के उपयोग की वजह से जो तनाव पैदा हुआ था, मुझे इस

बात का बहुत अफसोस है और मैं यह चाहूंगा, सभी तरफ की तरफ से यह प्रयास रहे कि इस सदन को अच्छी परम्पराओं का पालन करते हुए, निर्वहन करते हुए और आप में पूरी तरह हम विश्वास रखेंगे और आइन्दा भी विश्वास रखेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह जोजावर ।

सदन की नेता आप कुछ कहना चाहेंगी? पहले लीडर आफ द अपोजिशन।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप सदन की नेता हैं, उसमें सबका आ जाएगा। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी का मामला है इसलिए आप कह दें। नेता प्रतिपक्ष, चूंकि आपकी पार्टी का मामला है, आप कहें पहले। फिर वह। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदया, पिछले तीन-चार दिन से मामूली सी बात के ऊपर जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, उससे सभी माननीय सदस्यों को दु:ख है और अध्यक्ष महोदय, आपको भी पीड़ा हुई, इसका भी मुझे दु:ख है। सदन के नेता को भी दो-तीन दिन से, वे कल इस सारे मामले को सुलझाने में आपकी भूमिका रही ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण भूमिका।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अहम भूमिका रही, उसके लिए हम आपके और अध्यक्ष महोदय के बहुत आभारी हैं कि आपने सल्टा दिया।

श्री अमराराम (धोद): उलझा हुआ था।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उलझा हुआ था और उलझ सकता था। यद्यपि, हमारी संख्या कम है लेकिन मान्यवर, आपको सदन के नेता की हैसियत से थोड़ा बड़ा दिल रखने की आवश्यकता है। यह पार्लियामैंट्री प्रेक्टिस है। जहां से पार्लियामैंट चली है ब्रिटेन से । ब्रिटेन में दो बड़े पार्लियामेंटेरियन हुए हैं- ग्लेडेस्टन और डिजायरी। ग्लेडेस्टन और डिजायरी को आप पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पार्लियामैंट्री प्रेक्टिस क्या है? तो इसमें धैर्य लेकर काम चलाना पड़ता है पार्लियामैंट्री प्रेक्टिस में। वन-वे ट्रेफिक नहीं होता। हमारी भावनाओं की भी आपको कद्र करनी चाहिए। आप राज कर रहे हैं, हम प्रतिपक्ष में अपनी आवाज बुलन्द करें। यह तो होना ही चाहिए। हमारी बात

(श्री रामनारायण चौधरी)

सुनिये और उसके बाद में फैसला आपके और अध्यक्षजी के हाथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात की प्रसन्नता जाहिर करता हूं कि सारे मामले को संतोषजनक ढंग से हल कर लिया गया। जय हिन्द।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बहुत अफसोस है कि फिर से सदन की कार्यवाही चार दिन के लिए व्यवधान में ही निकल गयी। मैं समझती हूं कि यह छोटी-छोटी बातों के अन्दर हम लोग, सब लोग उलझकर हाउस में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है और बारबार ऐसी समस्या इस सदन के कार्यकाल में अब मैं समझती हूं कि तीसरी-चौथी बार होने जा रही है। माननीय सदस्य को आपने भी अध्यक्ष महोदय, हम लोग सबने भी बारबार याद दिलायी है। और खुद प्रतिपक्ष ने नेता भी इस बात को कहते हैं कि हमारे यहां की बहुत गौरवमयी परम्पराएं हैं और आप देश के अंदर देख लीजिये, विधान सभाओं के अंदर देख लीजिये क्या होता है, परन्तु एक उदाहरण राजस्थान असेम्बली ने दिखाया है और यह बात तो अपन कर लेते हैं परन्तु फिर भी कुछ न कुछ, कहीं न कहीं हम लोग डिरेल हो जाते हैं। विकास के बारे में हम बात करते हैं, जनता के बारे में भी हम सब लोग बात करते हैं परन्तु वाकई में अगर हम लोगों को अन्दर से यह फिलिंग है तो थोड़ा-सा हम लोगों को इस के ऊपर काम करना पड़ेगा। थोड़ा-सा और परिश्रम करके यह देखना पड़ेगा कि वाकई में ऐसे इम्पोर्टेन्ट समय के अंदर जो जनता की ज्वलन्त समस्याएं हैं उनके बारे में डिस्कस करें, बात करें और उनको सुलझाने की कोशिश करें न कि इस तरह से अपन टाइम निकालें। मैं जो-जो भी अच्छे सुझाव आये, प्रतिपक्ष के नेताजी भी बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव देते हैं, मैं तो हमेशा उनके सामने नतमस्तक हूं और मैं यह कहना चाहूंगी कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कितने दिनों से हमको यह सुझाव देते रहे हैं कि सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिये। जब इतने दिन से सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स की बात करते आ रहे हैं तो मैं आप लोगों से प्रतिपक्ष के नेता द्वारा इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि यह सिस्टम जिसमें लगातार हर जब ही एक मिनट के अंदर वैल में आ जाने वाली जो बात है, इस सिस्टम को आप लोगों को कभी बैठकर निपटाना पड़ेगा। रोज-रोज हम लोग वैल में आकर बैठ जायेंगे और रोज-रोज पूरे हाउस को गिरवी रख देंगे तो मैं समझती हूं कि यह अच्छी बात नहीं है। बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको अपन पहले सुधारने में लगे ताकि जो दूसरे सिस्ट्म्स हैं अगर हाउस चलेगा तो दूसरे सिस्ट्म्स को भी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अपन ठीक कर सकेंगे, इसलिये आज के दिन मेरी सबसे ज्यादा पीड़ा तो यह है कि चेयर की गरिमा को हम सब लोगों को, बार-बार आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कुर्सी की गरिमा को हमको बनाये रखने की जरूरत है। आपकी गरिमा, वह हम सबकी, हाउस की गरिमा है और इसलिये मैं तो यह कहना चाहूंगी कि इसके सम्मान और जो भी परम्पराएं हैं, उनको हमें पूरी तरह से ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, इस विषय को हम लोग यही समाप्त कर दें, इसमें इफ्स एण्ड बट्स नहीं हो, क्योंकि इफ्स एण्ड बट्स् से ही बात चालू हो जाती है और फिर बाद में सुलझती है नहीं। इस इफ्स एण्ड बट्स को अपन यहीं छोड़ दें और जो अपनी अच्छी-अच्छी परम्पराएं हैं, जो स्वस्थ परम्पराएं हैं, उनको एक दफा अपनाने में हम सब मिलकर सहयोग करें और मैं आपको भी और आसन को भी यह नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि आपने बहुत उदार हृदय दिखाकर इस प्रकरण को यहां समाप्त किया है उसके लिये हाउस की और से, हम सबकी ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशबीर सिंह, कन्टीन्यू रखें।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि राजस्थान और अकाल का रिश्ता अटूट है और हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सभी विधायकों से अपील की थी कि अकाल राहत के तहत विधायक अपने विधायक कोष से अधिक से अधिक पैसा लगाकर इसमें हाथ बंटायें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे ख्याल से सदन में सभी माननीय सदस्य बिराजे हैं और सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में यही बात होगी और मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अपील की कि अधिक से अधिक पैसा दें और पक्की परिसम्पत्तियां बनें। अकाल के तहत हर बार की तरह मिट्टी को इधर से उधर डालकर और काम कराने से अच्छा परिसम्पत्तियां बनें तो मैंने उसी आधार पर सत्तर लाख रुपये मेरे विधायक कोष से इस अकाल राहत के तहत दिये, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हाल ही में फरवरी माह में अकाल राहत के जो कार्य सम्पन्न हुए, उन अकाल राहत कार्यो के तहत कुशल मजदूर और कारीगर को मजदूरी में गिना गया श्रम के मद में, लेकिन अब जो हमने सत्तर लाख रुपये इस अकाल के तहत हमने जो कार्य स्वीकृत कराये हैं, मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके

माध्यम से कि जो पैसा हमने विधायक कोष से दिया है अकाल के तहत, उसमें कुशल मजदूर और कारीगर को श्रम मद में गिना जाये जिससे विधायक कोष का पैसा अधिक से अधिक कार्यों में लग सके और जो स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं उसमें तकनीकी बाधा आ रही है तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से उसी को कन्टीन्यू करते हुए इन कुशल मजदूर और कारीगरों को श्रम मद में गिना जाये, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी पूर्व में तो डवटेल होता रहा है विधायक कोष, अब क्या व्यवस्था है?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसमें भारत सरकार के दिशा-निर्देश अभी आये हैं और मैटेरियल कम्पोनेन्ट में पहले लेबर का पैसा देते थे, अब चूंकि भारत सरकार के नये दिशा-निर्देश आ गये इसलिए कुशल श्रमिक या कारीगर के लिये अब लेबर कम्पोनेन्ट अलाऊ नहीं है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपने राज्य कोष से तो दे सकते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं केन्द्रीय सरकार इतना दे रही है, हर बात भारत सरकार, हम यह चाहेंगे कि राज्य सरकार कुछ इसके लिये करे।

श्री अध्यक्ष: पैसे का डवटेल कर रहे हैं ना आप इन पैसों के लिये ? विधायक कोष तो अकाल राहत में डवटेल पहले होता रहा है तो अब डवटेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां कर रहे हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र तगारी उठाने वाले मजदूर को ही गिना है इन्होंने। कुशल श्रमिक और कारीगर को इन्होंने नहीं माना है।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सर्राफ। (व्यवधान).. बात खत्म हुई। मैंने दूसरा नाम पुकार लिया।

सदन की बैठक के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय के सिंडीकेट की बैठक

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जो परिपत्र निकाला गया है, उसकी अवहेलना राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपतिजी द्वारा की जा रही है, इसके

(श्री कालीचरण सर्राफ)

बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 फरवरी, 2006 को राजस्थान सरकार संसदीय कार्य विभाग ने एक परिपत्र निकाला प.17(2)संसद/10 पार्ट उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उक्त स्थिति को देखते हुए इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय समितियों, जिनमें माननीय सदस्यों को भाग लेना पड़ता है, की बैठक आयोजित नहीं की जाए व विशेष परिस्थितिवश बैठक का आयोजन करना है तो माननीय सदस्यों की पूर्व सहमति लेवें। यदि भविष्य में बिना माननीय सदस्य की सहमति के बैठक बुलाई जायेगी तो वह माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन माना जावेगा और विधान सभा की विशेषाधिकार समिति उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस परिपत्र के बाद आने वाली 26 तारीख को यानि कल राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने सिंडिकेट की बैठक आहूत की है। मैं और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य, दोनों सिंडिकेट के सदस्य हैं। हमने उनको अनुरोध किया कि अभी सत्रकाल के दौरान सिंडिकेट की मीटिंग नहीं होनी चाहिये परन्तु उन्होंने किसी बात को नहीं माना और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने तो जब उनको यह कहा कि यह मीटिंग आप सत्रकाल के बाद रखें तो उन्होंने कहा कि मैंने सोच-समझकर सिंडिकेट की बैठक रखी है आपको आना है तो आयें अन्यथा आपको जो करना है, करें। मैं बैठक को किसी भी हालत में स्थगित नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब विधान सभा में कोई बात का आश्वासन मिल जाता है और संसदीय कार्य मंत्रीजी के यहां से परिपत्र जारी हो जाता है उसके बाद भी उसकी निरन्तर अवहेलना होती रहती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा नहीं हो सकता और यह माननीय सदस्यों का विशेषाधिकार का मामला है । मैं यह चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप निर्देशित करें राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति जी और अन्य विभागों को, कि वह इस प्रकार जब विधान सभा का सत्र चलता हो उस समय मीटिंग आयोजित नहीं करें। माननीय मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है, उसके बारे में बतायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आपने निर्देशित किया था कि विधान सभा का सत्र आहूत होने के पश्चात् न तो जिला स्तर पर इस तरह की कोई बैठक हो जिसमें माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्य उसके सदस्य हों, न ही कोई अन्य सरकारी विभागों में, जिसमें विधान सभा के माननीय सदस्य हों, उनकी बैठक हो। आपकी आज्ञा अनुसार 13 फरवरी को, यह माननीय सदस्य सही कह रहे हैं, हमने एक परिपत्र जारी किया था और उस परिपत्र में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि विधान सभा सत्र काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं अन्य समिति, जिनमें माननीय सदस्य को भाग लेना है, बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा और मैंने व्यक्तिश: शिक्षा मंत्रीजी से भी प्रार्थना कर ली थी जब यह बात ध्यान में आई और उनको कहा था कि कल की जो बैठक है। चूंकि यह बैठक, राजस्थान विश्वविद्यालय की बैठक सामान्य बैठक है जब जानकारी प्राप्त की तो यह कहा कि इसमें बजट का प्रावधान, बजटीय बैठक भी है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर बजट के प्रोविजन के कारण आवश्यक है तो दूसरी बात है वरना शिक्षा मंत्रीजी से भी मैंने चर्चा की है और बैठक को इस तरह स्थगित किया जाय, आइन्दा इस तरह की व्यवस्था नहीं हो इसके लिए दोबारा एक परिपत्र जारी करेंगे और इसके मामले में शिक्षा मंत्रीजी और मैंने चर्चा की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है कि यह इस पूरे मामले को स्वयं दिखवायेंगे और मैं यह चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): कल की बैठक के बारे में तो बताएं, साहब, कि कल की बैठक के बारे में क्या होगा? यह तो बताएं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल की बैठक के बारे में बताएं क्या होगा? ...(व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): एम.एल.ए. की बात नहीं मानी जाए ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि यह परिपत्र इस सरकार के वक्त में जारी हुए आपके निर्देशानुसार, पूर्व में भी इस प्रकार के परिपत्र जारी किये हुए हैं, समय-समय पर जारी होते रहे हैं लेकिन उसके बावजूद यह मीटिंग कन्वीन की गयी, फिर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, सबसे इसके अन्दर गलत बात जो हुई है, जिस प्रकार की भाषा, जो जौहरी

बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने पढ़कर बतायी है मुझे सख्त एतराज है इसके ऊपर।

श्री अध्यक्ष: हाइली आब्जैक्शनेबल है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हाइली आब्जैक्शनेबल है। मुझे सख्त एतराज है। वाइस चांसलर साहब हैं तो कोई लाट साहब नहीं हैं वो। इस सदन की, जो अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार निकलते हैं निर्देश उनकी इस प्रकार से अवहेलना करना और इस मामले पर जहां तक माननीय सदस्यों के अधिकार का सवाल है, इस सदन के सभी माननीय सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के एक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रिविलेज है, वह तो विशेषाधिकार है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह सदन की परम्परा रही है, सदन के अन्दर सारे के सारे सदस्य एक रहते हैं और आपको इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए, कम से कम उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते you must convey your pleasure to the Vice-Chancellor.

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं अब वो मंत्रीजी को बोल लेने दो, आप क्या बोलोगे, बात तो आ गयी आपकी। मंत्रीजी को बोलने दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): He has no right and no authority to use this type of abusive and derogatory language against the MLAs.

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य की बात से मैं सहमत हूं। मेरे सामने यह विषय लाया गया था तीन-चार दिन पहले और उन्होंने सचिव महोदय के माध्यम से, अब मुझे सदन में कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, मैं कह ही देता हूं, सचिव महोदय के माध्यम से अपना, सरकार का यह उनको कन्वे भी कराया कि भाई, जब माननीय सदस्य उसके मैम्बर हैं और हमने प्रावधान किया तो आप नहीं रखें। उसके एवज में उन्होंने वापस अपने एडवोकेट से राय लेकर, अजीत कुमार शर्मा कोई उनके एडवोकेट हैं, उनकी राय लेकर कह दिया कि

विश्वविद्यालय जो है वह संसदीय कार्य के जो सर्कुलर निकलते हैं उनसे हम बाध्य नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: ऑटोनोमी, केवल पाठ्यक्रम के लिए है उनको स्वायत्तता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सुनिये, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खतम करता हूं।

यह बात बिलकुल अनुचित थी और उनको इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए था और इसलिए जब यह सारा मामला आया तो फिर मैंने दोबारा उनसे बात करायी तो उन्होंने कहा कि यह बजट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो मैंने कहा, बजट आपको जरूरी था लेकिन इस प्रकार एडवोकेट की राय लेकर इस प्रकार से करना बिलकुल अनुचित है। यह सदन सर्वोच्च है और इस सदन के माननीय सदस्यों का जो विशेषाधिकार है वह सर्वोच्च है और मैं समझता हूं राजस्थान विश्वविद्यालय ने इस सम्बन्ध में गलती की है और मैं सदन की भावनाएं महामहिम तक भी पहुंचा दूंगा और कुलपति महोदय को भी इससे अवगत करा दूंगा और कल की बैठक के बारे में भी राज्य सरकार जो कर सकती है वह निश्चित रूप से करेगी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक बड़ी विचित्र बात है कि केबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी विधान सभा के अन्दर लेजिस्लेटर के जो राइट्स और ड्यूटीज हैं वह इस्तेमाल करनी पड़ती है। यह आज तक कभी नहीं हुआ कि मंत्रिमण्डल का सदस्य, जो केबिनेट में बैठते हैं वो खड़े होकर लेजिस्लेटर का जो हिस्सा है उसको, ग्रिवेंन्सेज को वेन्टीलेट करते हैं हाउस के अन्दर।

माननीय पार्लियामेंटी अफेयर्स मिनिस्टर के कथन पर मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन उनको जो प्रिविलेज प्राप्त है वह प्रिविलेज उनको पहले ही यूटिलाइज करनी चाहिए थी, अब वो सदन में वेन्टीलेट कर के यह जो परम्परा बनती जा रही है यह, मान्यवर, स्वस्थ, हैल्दी ट्रेडिशन नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने निर्देश दिये थे पिछली बार भी, हम तो जब भी सदन आहूत होता है एक परिपत्र राजस्थान के सभी जिला कलक्टर्स, विभागीय आयोग, सारे शासन सचिवों को, सब को भेजते हैं तो इसी सन्दर्भ में यह जो 13 फरवरी का जिसका उल्लेख किया है आपने यह रुटीन का है और आपका यह पत्र भी मुझे पहले मिल चुका था इसलिए मैंने तो उसके आदेश के अनुसार किया था यह।

श्री अध्यक्ष: उनका संकेत समझिये आप। ...(व्यवधान) आपका संकेत कुछ और है। उनका संकेत है कि आप कमजोर हो। यह है संकेत उनका, आप समझे नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तय होना चाहिए, यह कहना वाइस चांसलर का कि राजस्थान यूनिवर्सिटी आटोनोमस बॉडी है, अपने वकील की राय लेकर के कि हम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब के परिपत्र को मानने के लिए...

श्री अध्यक्ष: बाध्य नहीं हैं, बाध्य नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मतलब मजबूर नहीं हैं, इस बात का सख्त एतराज है। जैसा अभी उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने कहा है, यह चीज एक दफे के लिए क्या हमेशा के लिए तय होनी चाहिए यहां पर, राजस्थान यूनिवर्सिटी दो दिन नहीं चलेगी लेकिन चूंकि छात्रों के हित का सवाल है, कल आप ग्रांट इन एड बंद कर दें, सरकार ग्रांट इन एड देती है, उस ग्रांट इन एड के ऊपर राजस्थान यूनिवर्सिटी चल रही है लेकिन चूंकि छात्रों के हितों का सर्वोपरी सवाल है, आप यह कदम नहीं उठा सकते लेकिन at least you can reprimand him. You can convey the displeasure of the Government. यह तो आप करने में बिलकुल सक्षम हैं और आपको कर देना चाहिए। यह मेरा आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से नम्र निवेदन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आश्वस्त किया है, में इस बात को फिर कह रहा हूं, सदन में एक बार पहले भी मुझे ध्यान है वहां जब सदन था, माननीय चन्दनमलजी थे, उस समय भी राजस्थान विश्वविद्यालय के इस प्रकार के प्रकरण के बारे में सारे सदन ने, ललित किशोरजी चतुर्वेदी उस समय मंत्री थे, सारे सदन की भावनाएं और प्रोसिडिंग हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित की थी और उनको, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से फिर कह रहा हूं राजस्थान विश्वविद्यालय या सारे विश्वविद्यालयय, उनकी शैक्षणिक स्वायत्तता के हम पक्षधर हैं, उनके हम पक्षधर रहेंगे लेकिन सरकार के जो कानून-कायदे हैं कि सरकार उनको पैसा देती है और यू.जी.सी. उनको पैसा देती है लेकिन सारी शक्तियां महामहिम में निहित हैं, मैं आज की सदन की भावना को महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिलकर उनको अवगत कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल, कुलाधिपति को कहें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): और सरकार सदन की जो भावनाएं हैं, डिस्प्लेजर हैं वो भी मैं कार्यवाहक जो कुलपति हैं उनको निश्चित रूप से गम्भीरता पूर्वक अवगत करा दूंगा। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कुलाधिपति का डिस्प्लेजर कन्वे करायें आप।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा-सीधा विशेषाधिकारों का हनन है यह माननीय सदस्यों का। यह सदन सर्वोच्च है, सदन को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, आप कुलाधिपति का डिस्प्लेजर कन्वे कराइये उन्हें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जी हां, मैं आज ही करा दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो यह है कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप कल की मीटिंग स्थगित करने के निर्देश दीजिए और उन्होंने दो माननीय सदस्यों को जिस तरह की प्रताड़ना रूप की भाषा यूज की है ...(व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): विशेषाधिकार का हनन करते हैं वो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उनके खिलाफ, माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): उसको कीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन यह मामला वाईस चांसलर के खिलाफ बनाया जाना चाहिए, यह है मामला। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हां, यह बात ठीक है।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): वाइस चांसलर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एम मिनट, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो यह है कि वह यह रिक्वेस्ट भी कर सकते थे कि, साहब, बजट का मामला है, फरवरी में विधान सभा चल रही है, यह मीटिंग जरूरी है, प्लीज, संडे है आप आ जाएं लेकिन यह कहने का मतलब कि मीटिंग होगी, हम संसदीय कार्य मंत्री और राजस्थान सरकार के

परिपत्र को मानने के लिए बाध्य नहीं है और एक वो वकील जिसको वह खुद तनख्वाह देते हैं, उसकी राय के आधार पर मीटिंग लेंगे और इनको कह दिया आना हो तो आओ नहीं तो मीटिंग होगी। यह बहुत गम्भीर मामला है, इसको आप गम्भीरता से लें और, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कल की मीटिंग स्थगित करने के आप निश्चित रूप से निर्देश दें और उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो मैं जौहरी बाजार से आने वाले सदस्य से कहूंगा कि आप विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मूव कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विशेषाधिकार का प्रस्ताव उन्होंने आलरेडी सब्मिट कर दिया है, मैंने सरकार को भेजा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बहुत बढ़िया।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की सिंडिकेट का मैम्बर हूं और यह समस्या अक्सर वहां भी आती रही है और उस अनुभव के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को कि कॉमन एक्ट लाकर ...

श्री अध्यक्ष: यहां तो वही मामला है, एक ही मामला पर्ची पर है और पर्ची पर एक ही यूनिवर्सिटी का मामला ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सिर्फ एक वाक्य, सिर्फ एक सैंटेन्स बोलूंगा मैं। एक कॉमन एक्ट लाकर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को पुर्नपरिभाषित करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि वह कॉमन एक्ट लायें और सदन में पास कराये और इन रोज-रोज आने वाली समस्याओं का निराकरण करें। धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बिलकुल संक्षेप में साफ करना चाहता हूं कि बहुत बार बहुत से विश्वविद्यालयों से माननीय सदस्य, जिनको अपन ने सिंडिकेट में या उनको मैम्बर बनाया है उनकी शिकायत आती रहती है, यहां तक कि उच्च शिक्षा विभाग के पास शिकायत भी आती है कि हमारे सेक्रेटीज की बात को भी स्वायत्तता के आधार पर वह मना करते हैं।

जो सुझाव दिया है, माननीय जोगेश्वर गर्ग ने, राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से विचार-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विमर्श करने के पश्चात् अगर कॉमन बिल की आवश्यकता महसूस की जायेगी। तो निश्चित रूप से सरकार एक बिल लाकर इन सारी बातों को पुन: परिभाषित करने का प्रयत्न करेगी।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): कल की मीटिंग निरस्त हो जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अब कल की मीटिंग के बारे में मैंने कह दिया कि सदन की भावनाओं से हम अवगत करायेंगे, जो सरकार कर सकती है जरूर करेगी।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिला परिषद की मीटिंग आज भी हो रही है हम भी उस जिला परिषद के मैम्बर हैं।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री रमेश खींची, श्री रामचन्द्र जारोड़ा, मोहम्मद माहिर आजाद ...(व्यवधान) ध्यान आकर्षित करेंगे श्री मोहम्मद माहिर आजाद, ध्यान आकर्षित करेंगे ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय,, मीटिंग अभी भी चल रही है जबकि ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ में जिला परिषद की मीटिंग अभी भी चल रही है, इस समय भी चल रही है ...(व्यवधान) और कांग्रेस के जिला प्रमुख की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नगर से आने वाले माननीय सदस्य एक बार आप स्थान ग्रहण करें ...(व्यवधान) नाम बोल दिया ना।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): चित्तौड़गढ़ में आज भी जिला परिषद की मीटिंग चल रही है, हाउस चल रहा है यहां पर, चित्तौड़गढ़ में जिला परिषद की मीटिंग इस समय भी चल रही है, उस मीटिंग को भी स्थगित करिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है कि चित्तौड़गढ़ में जिला परिषद की बैठक अभी हो रही है, निश्चित तौर पर इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें जो भी कार्यवाही आवश्यक कर सकेंगे वह कार्यवाही भी करेंगे और मैं आपके माध्यम से पुन: आश्वस्त करना चाहूंगा। एक और सख्त पत्र लिख कर सबको फिर सूचित करेंगे। हमने पहले सूचित कर रखा है, इस मामले में आवश्यकता पड़ी तो मुख्य मंत्रीजी की तरफ से भी निर्देशित करेंगे उनको।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आज की मीटिंग तो स्थगित कराएं आदरणीय मंत्री महोदय।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): वर्तमान में जो हो रही है मीटिंग उसको स्थगित कराओ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): अध्यक्ष महोदय, मीटिंग स्थगित होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें, मैं आप ही के बारे में कह रही हूं। माननीय मंत्रीजी, आपके जिला कलक्टर आपके अन्य अधिकारी जो मीटिंग रखते हैं वह तो आपके निर्देश का पालन कर लेंगे लेकिन जो जिला परिषद की मीटिंग है और जिला प्रमुख हैं वह आपका कैसे मानेंगे कहना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें भी मुख्य जिला कार्यकारी अधिकारी उस बैठक का सचिव वह है और एक अगर परिपत्र जारी कर दिया हमने तो उसकी पालना तो सबको ही करनी पड़ेगी। वह तो कोई जिला परिषद की मीटिंग के अन्दर जिला अध्यक्ष जब चाहे जब थोड़े ही मीटिंग बुला सकता है...(व्यवधान) वह तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बुलाएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जिला प्रमुख स्वयं थोड़े ही मीटिंग बुलाता है सी.ई.ओ. बुलाता है।

श्री अध्यक्ष: सी.ई.ओ. उसी के निर्देश से बुलाता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह निर्देश मानने के लिए बाध्य नहीं है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की तरफ से, राजस्थान विधान सभा के सैक्रेटेरियट की तरफ से पत्र जाना चाहिए विभाग को।

श्री अध्यक्ष: हमने तो कई बार भेजा है। वह तो पी ए डी को भेजते हैं हम तो पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को भेजते हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): और सरकार की तरफ से भी जाना चाहिए, राजस्थान सरकार की तरफ से सैक्रेटेरियट से पत्र जाने के बाद जिला परिषद की या यूनिवर्सिटी की यह हिम्मत नहीं है कि वह किसी प्रकार का एक्शन ले और किसी प्रकार की मीटिंग काल कर ले। यह भी सदन की अवमानना मानी जानी चाहिए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के अधीन जो विभाग हैं उनमें भी इस तरह से मीटिंगें बुलाई जा रही हैं तो फिर कुलपति के बारे में तो हमें यहां चर्चा ही नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: भविष्य में नहीं बुलाई जाएगी।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात रख रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सब तहसील चेचट के मुख्यालय पर सरसों का तुलाई केन्द्र खोलने की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। कल से उन्होंने आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सो तो नहीं रहे आप? सुन ली क्या बात आपने?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं सब सुन रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इनकी आंखें ही ऐसी हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री माहिर आजाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद एक तिथि से प्रारम्भ नहीं करने बाबत

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य के सभी स्थानों पर कथित समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद एक तिथि से प्रारम्भ नहीं करने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसका जवाब 3 मार्च को आपके कार्यालय में भिजवाया था और आज 25 तारीख हो गई है और इसलिए उसमें काफी परिवर्तन हो गया है इसलिए मैं लैटेस्ट स्थिति माननीय सदन को बताना चाहता हूं क्योंकि जो मैंने पहले लिखकर दिया है उससे शायद आंकड़े मेल नहीं खाएं। मैं लेटेस्ट स्थिति का निवेदन कर रहा हूं।

राजस्थान में रबी में सरसों की भरपूर फसल होती है तथा देश में सरसों उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। रबी सीजन 2006 में राज्य में लगभग चालीस लाख मैट्रिक टन सरसों उत्पादन की आशा है। वर्ष 2005 में देश में समर्थन मूल्य पर लगभग इक्कीस लाख मैट्रिक टन सरसों की खरीद हुई थी इसमें अकेले राजस्थान में चौदह लाख मैट्रिक टन रिकार्ड खरीद की गई है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए राज्य सरकार सजग एवं प्रतिबद्ध है। भारत सरकार द्वारा रबी 2006 के लिए समर्थन मूल्य दिनांक 1.4.06 से घोषित किए गए थे । चूंकि राजस्थान में सरसों की फसल फरवरी माह में आना प्रारम्भ हो जाती है अत: माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किसानों के हित में भारत सरकार से प्रयास करके समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद दिनांक 1 मार्च, 2006 से शुरू करवाने का निर्णय करवाया गया है। दिनांक 22.3.06 तक राजफैड के द्वारा 6.82483 बोरी लगभग 58000 मैट्रिक टन 99.49 करोड़ रुपए की तथा तिलम संघ द्वारा 4.42343 बोरी 37000 मैट्रिक टन लगभग कुल लगभग 163 करोड़ की खरीद सरसों की अभी तक की जा चुकी है। इस वर्ष सरसों की बम्पर फसल को देखते हुए राज्य सरकार और राजफैड द्वारा बीस लाख मैट्रिक टन सरसों की खरीद के लिए 2.35 करोड़ बोरी बारदाना, भण्डारण स्थान एवं किसानों को समय पर भुगतान की व्यवस्था हेतु 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था हेतु भारत सरकार एवं नेफेड से अनुरोध किया गया है। नेफेड द्वारा अब तक की राजफैड की खरीद राशि 99.49 करोड़ एवं तिलम संघ की खरीद राशि 64.48 करोड़ रुपए कुल 163.97 करोड़ के विपरीत मात्र छह करोड़ रुपए राजफैड को एवं चार करोड़ रुपए तिलम संघ को उपलब्ध कराए गए हैं। गत वर्ष के भी बकाया लगभग नौ करोड़ रुपए नैफेड द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं जो अभी शेष हैं। राजफैड के द्वारा किसानों के हित को दृष्टि में रखते हुए बैंक से लिमिट लेकर अपने स्तर से ही 69.50 करोड़ रुपए एवं तिलम संघ द्वारा 1.17 करोड़ रुपए की राशि दिनांक 22.3.2006 को किसानों को भुगतान करने के लिए क्रय

(श्री मदन दिलावर)

केन्द्रों को स्थानान्तरित कर दी गई थी। राज्य के भण्डार गृहों में भारी मात्रा में वर्ष 2005 की खरीदी हुई सरसों रखी हुई होने के कारण इस वर्ष भण्डारण स्थान की विकट समस्या है। जिसके निराकरण के लिए राज्य सरकार एवं राजफैड निरन्तर भारत सरकार एवं नैफेड से सम्पर्क में हैं। नैफेड के द्वारा राज्य से बाहर पुरानी सरसों के लदान निकटवर्ती राज्यों में लगभग भण्डारण क्षमता नयी एवं पुरानी सरसों के भण्डारण हेतु आरक्षण तथा जिला प्रशासन के माध्यम से खाली गोदामों की तलाश करवाकर भण्डारण क्षमता के सृजन का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में राजफेड द्वारा 207 केन्द्रों में तिलम संघ द्वारा 55 केन्द्रों पर सरसों की खरीद प्रारम्भ करने की व्यवस्था की गई है।

राजफेड द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समितियों को खरीद व्यवस्था के क्रम में विस्तृत दिशा निर्देश दिनांक 16.2.06 को जारी किए जा चुके हैं और यह तैयारियां पूरे प्रदेश को ध्यान में रखते हुए की गई हैं न कि मात्र किसी क्षेत्र विशेष के हिसाब से। यह सर्वविदित है कि राज्य में सरसों की आवक एक ही समय में न होकर अलग-अलग समय में होती है। कोटा संभाग में सरसों की बुवाई जल्दी होने के कारण फरवरी माह में ही सरसों की कटाई होने के कारण सरसों की आवक सबसे पहले होती है। अत: कोटा संभाग में किसानों के हित में 1 मार्च, 2006 से सरसों की खरीद करने की व्यवस्था की गई है। भरतपुर खण्ड से भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर एवं सवाई माधोपुर और जयपुर खण्ड से जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनूं एवं टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा पाली जिले की मण्डियों में सरसों आने से दिनांक 25.3.06 यानि आज से राजफेड एवं तिलम संघ के खरीद केन्द्रों पर खरीद के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त शेष 15 जिलों पर दिनांक 1 अप्रैल से खरीद प्रारम्भ करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं । इस प्रकार राज्य सरकार का पूरे राज्य में 1 अप्रैल से सरसों खरीदने का कार्यक्रम है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने अपना संशोधित वक्तव्य यहां दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्रीजी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पहला तो क्या आपने कोटा संभाग में सरसों की खरीद 1 मार्च से प्रारम्भ की? और राजस्थान के दूसरे राज्यों में, दूसरे हिस्सों में जिलों में एक अप्रैल से खरीद की घोषणा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

की है और अब आज आप कह रहे हैं कि 25 तारीख से, यानि आज से ही खरीद शुरू होगी। यह राजस्थान में ही अंतर आपने क्यों किया ? क्या यह सही नहीं है कि सरसों की फसल की बुवाई अगेती और पिछेती दोनों तरीके की प्रदेश में हर जिलों में होती है और भरतपुर संभाग, चाहे जयपुर संभाग, चाहे और दूसरे संभाग, वहां भी आधी से ज्यादा सरसों व्यापारी वर्ग खरीद चुका है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, केवल आप प्रश्न ही कर सकते हैं। उनसे, बाकी भाषण नहीं दे सकते।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैंने यह पूछा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख लें..

श्री अध्यक्ष: स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण ले सकते हैं आपको कह रही हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने पूछा है कि आपने कोटा संभाग में तो पहले करने की कर दी और आप अब दूसरी जगह लेट क्यों कर रहे हैं? दूसरा मेरा सवाल यह है कि आज आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे पास पिछले वर्ष की सरसों खरीदी हुई गोदामों में भरी हुई है और हमारे पास रखने के लिये गोदाम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या काश्तकारों का कोई दोष है? आपने तो कहा था कि हमने भण्डारण की व्यवस्था कर ली है। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि हमारा पिछला 9 करोड़ रुपया बकाया है, इसमें काश्तकारों का कोई दोष नहीं है। काश्तकार के जिस दिन खेत में फसल पैदा होती है, खड़ी होती है, कटाई नहीं होती है, बोहरे उसके पास पैसे मांगने आ जाते है कि कब क्रेशर मंगवाकर सरसों निकलवा रहा है, हमारा भुगतान कब कर रहा है? क्या सही नहीं है कि आज राजस्थान का आधे से ज्यादा किसान अपनी सरसों मजबूरी के कारण कर्जे की अदायगी के लिये व्यापारी वर्ग को बेच चुका है और अब आप एक अप्रैल से सरसों की खरीद शुरू कर रहे हैं। यह इनडायरेक्ट रूप से आप व्यापारियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। किसानों को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं क्या आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं आप कितनी सरसों, आप जून तक के कूपन दे रहे है कि जून में आपकी लेंगे। जुलाई की आपके पास पर्याप्त व्यवस्था है। आपने जयपुर जिले के अन्दर मात्र क्या यह सही नहीं है 13 केन्द्र, इतना बड़ा जिला है और 13 केन्द्र आप सरसों की खरीद

(मोहम्मद माहिर आजाद)

के लिये खोल रहे हैं? क्या यह पर्याप्त है मेरा आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप भंडार की व्यवस्था कह कर, या पिछला भुगतान आपको केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ यह कह कर किसानों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। किसान के साथ तो न्याय यह है कि आप तुरन्त जल्दी से जल्दी तोल केन्द्र और खरीद केन्द्र स्थापित करके, अभी रामगंजमंडी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे है उनके यहां ही नहीं खोला, यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। सवाल और किसी का नहीं है। हम व्यापारी वर्ग के हितों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, क्या हम किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? जो समर्थन मूल्य घोषित कर दिया उस समर्थन मूल्य के ऊपर आप नहीं खरीदेंगे, वह मजबूरी में दूसरे को बेच देगा। इसलिये आपकी क्या नीति है और आप कितनी तारीख तक कितने मैक्सिमम टाइम, आप निर्देश यह दें कि इस पीरियड के अन्दर-अन्दर जो भी किसान आपके जो निर्धारित मापदंड हैं, जमाबंदी उसके पास होनी चाहिये, खसरा, गिरदावर होनी चाहिये, इतना उसमें वह सब पूरा रखता हो तो क्या आप राजस्थान के किसान जो सरसों आपके तुलाई केन्द्र पर ले आयेगा उसको पूरा खरीद कर सही तरीके से आप उसके साथ न्याय करने का इरादा रखते हैं या नहीं? आपसे मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, आपने कह दिया कि तिलम संघ...

श्री अध्यक्ष: निवेदन नहीं करो, आप स्पष्टीकरण ले लो। स्पष्टीकरण लो, उनसे निवेदन मत करो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं क्या आज जो उस वक्त आपका वक्तव्य था उसमें और आज के वक्तव्य में कुछ परिवर्तन आपने किया है ? आपने कुल मिलाकर अपने वक्तव्य में केन्द्र सरकार के ऊपर ढोलने की कोशिश की है कि उसने हमको पिछले बकाया का भुगतान नहीं दिया, बम्पर सरसों की पैदावार होती है। तो जहां पानी नहीं होता है पैदावार तो रबी की फसल में सरसों की होगी। गेहूं तो गिने चुने लोग जहां पानी है, वह करते हैं इसलिये जो भी, झुंझुनूं में भी हुई है और दूसरी जगह भी अच्छी हुई है इसलिये आप यह सारी सरसों उसकी खरीदें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो सरसों के आपके खरीद केन्द्र नहीं चले और व्यापारी के पास चली गयी, क्या आप व्यापारी से तो नहीं खरीद लेंगे उसे? यह भी आप स्पष्टीकरण दे दें। होता यह है, मैं आपको सही निवेदन कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: अब आप तो भाषण देने लगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं, किसान की पीड़ा बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोट कर लें। आज हमारे कठूमर से आने वाले माननीय सदस्य उनके परिवार में कोई गमी होने की वजह से नहीं आये, मैं जब नगर से आता हूं तो रास्ते में खेड़ली मंडी पड़ती है और खेड़ली मंडी के अन्दर सैकड़ों ट्रेक्टर लिये हुये किसान सरसों के वहां खड़ा रहता है और यह कहा जाता है उसको कि आज तो हमारा तोलने वाला नहीं आया, आज हमारा बाबू नहीं आया, आज कैशियर नहीं आया और मजबूरी में जो किसान ट्रेक्टर लेकर आ गया वह फिर व्यापारी को देकर चला जाता है और फिर व्यापारी उसकी पटवारी से जमाबंदी निकलवा लेता हैं और वह आपके केन्द्र खरीद रहे है। इस तरीके का भ्रष्टाचार और करप्शन सरसों की खरीद में नहीं होगा, इसके लिये भी आपको सदन के माध्यम से राजस्थान के किसानों को आश्वस्त करना चाहिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: माथुर साहब खड़े हैं, उन्हें बोलने दें।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): मुझे मेरे क्षेत्र से आज फोन पर इत्तला मिली है कि दो तरह के मापदंड सरसों की खरीद में अपनाये जा रहे हैं। कोटा जिले के अंदर एक हैक्टेयर पर चार क्विंटल और हमारे क्षेत्र में एक हैक्टेयर पर दो क्विंटल खरीद के आर्डर दिये जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि... (व्यवधान) एकड़ समझ लीजिये। मंत्री महोदय यह भेदभाव करने की अभी क्या जरूरत पड़ गयी और क्यों किया?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं बता दूंगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: मिस्टर जारोड़ा, मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य, यह पूछेंगे। इनका दिया हुआ है, यह पूछेंगे।... (व्यवधान) आपका दिया हुआ नहीं है, यह पूछेंगे पहले।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं भी पुनर्जीवित हो गया हूं। निवेदन कर रहा हूं कि आदेश से मैं पुनर्जीवित हो गया हूं। मेरे दस्तखत थे उसमें।

श्री अध्यक्ष: बोलने तो दीजिये। उन्हें पूछने तो दीजिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी किसान हूं..

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जो सही समय पर सरसों की खरीद नहीं हुई है इसमें जो किसानों को नुकसान हुआ है, सरसों का जो मंडी में चौदह सौ रुपये में किसानों ने बेची है और एक तरफ सरकार जबरन बिजली के बिलों की वसूली कर रही है, ट्रांसफार्मर उतार रही है, बैंकों के जो ऋण हैं उनकी वसूली कर रही है तो सही समय पर जो आपने सही सरसों की खरीद नहीं की है उसके बारे में किसानों को जो नुकसान हुआ है उसके लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर मीणा, वह बोलें। वह खड़े हुए थे। मिस्टर मीणा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): वह चले गये।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ रहे थे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछ रहा हूं। यह आपने अख़बार में दिया था कि हम बैंकों से पैसा लेकर के चुकायेंगे। यदि ऐसा प्रोसीजर आप करते हो तो किसान को बचाने की फालतू की जिस तरह की यह भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, बाद में भारत सरकार से पैसा आ जायेगा, बहुत अच्छा डिसीजन है लेकिन अभी माननीय माथुर साहब ने फरमाया कि एक बीघा में चार क्विंटल, मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी, एक बीघा में साढ़े पांच क्विंटल सरसों ... (व्यवधान) आप कृपा करके ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इन्होंने हैक्टेयर के लिये कहा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): वह बीघा में है। कह गये तो क्या बात है ? आप काश्तकार बड़े हो। एक बीघा में ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): काश्तकारों ने ही चुना है मुझे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): एक बीघा में साढ़े पांच क्विंटल मेरे खेत में पैदा हुई है। आप चार बीघा दे रहे हो, बाकी सरसों बाजार में करेंगे तो कृपा करके पांच क्विंटल प्रति बीघा यह रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

दूसरा मेरा अनुरोध है राजस्थान में चूंकि अब भी ऐसे सेण्टर से सब डिवीजनल हैड क्वार्टर, आप कृपा करके तहसील हैड क्वार्टर, सब डिवीजनल हैड क्वार्टर जहां-जहां बचे हुए हैं उन सब जगह पर यदि आप सरसों क्रय केन्द्र खोल दोगे बाकी शेष तो यह जो झंझट पैदा हो रहा है कि हमारे यहां केन्द्र, सेण्टर नहीं खुला व कम खुला, उस समस्या से निजात पा पायेंगे। इसलिये उसमें जिलाधीश जहां बैठता है, एस.डी.ओ. जहां बैठता है, वहां जहां बचे हुए राजस्थान में 10-15 जगह कृपा करके आप इमीजियेट, जैसे मेरे नैनवां में है, ठीक है आप शायद उसको खोलने जा रहे हो लेकिन नैनवां क्षेत्र में बीस पंचायत तो एक साइड में पड़ गयीं और बीस पंचायत में क्रय केन्द्र नहीं होने से, दूसरी जगह भीड़ होने से स्थितियां पैदा हो रही थीं, राजस्थान की यह स्थिति है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस-बस।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उसके बारे में करेंगे और पांच क्विंटल पर बीघा आप कर दोगे तो ठीक रहेगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मुझे अनुमति दी है। तगारामजी एक मिनट।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की बात आ रही है, मैं भी आपकी अनुमति से..

श्री अध्यक्ष: उन्होंने दिया है इसलिये पहले उन्हें पूछने दीजिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मेरा अनुरोध माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से है कि मेरे खंडार क्षेत्र में पांच पंचायत ऐसी हैं जो बनास नदी के इस पार रहती हैं। सिवाड़, सारस्वत, महापुरा, टापूर, ईसरदा, इन पांचों पंचायतों की जो फसल है सरसों की वह बनास पार करके बरवाड़ा जानी पड़ती है। किसानों को बहुत तकलीफ है और यह महावीर प्रसाद जी, जो टोंक से आते हैं, इनके व्यापारी वहां जाकर बड़ा कब्जा जमा लेते हैं और हमारे किसानों को वहां पर वह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बिराजिये आप तो।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): वह खरीद लेते हैं। तो मेरा निवेदन है कि टोंक के व्यापारियों से मुक्ति दिलाने के लिये ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरा कोई संबंध नहीं है किसी से...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): टौंक के व्यापारियों से मुक्ति दिलाने के लिए खण्डार क्षेत्र की पांचों पंचायतों की खरीद का या तो सरसों केन्द्र सिवाड़ में खोलें या पास में निवाई पड़ता है वह हमें सुगम रहता है । इसका समाधान आप करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): निवाई आयेंगे तो फिर आप कहेंगे कि यह महावीरजी की निवाई हैं ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): नहीं, हीरालालजी ठीक-ठाक आदमी हैं ... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं किजिन जिलों में खरीद पहले शुरू की गयी और जिन 15 जिलों को अभी भी इन्होंने बाकी छोड़ रखा है, हमारे जिले नागौर में फरवरी लास्ट में सरसों आनी शुरू हो गयी तो यह दोहरे मापदण्ड यह किसानों को क्या देना चाहते हैं? जबकि कई जिलों में फरवरी में सरसों आ गयी और अब भी यह कह रहे हैं कि 15 जिलों की खरीद हम एक अप्रैल से शुरू करेंगे। किसानों का 50 प्रतिशत से अधिक माल मंडियों में जाकर बिक गया। अब आप किसानों को इससे क्या संदेश देना चाहते हैं इसको आप स्पष्ट करें। यह दोहरे मापदण्ड सरसों की खरीद में आपने क्यों अपनाये।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) ।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि तहसील मुख्यालय राश्मी इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी एक भी सरसों का तौल केन्द्र नहीं है और लगभग पूरा क्षेत्र ही काश्त का है और मैंने कई बार सरकार से निवेदन किया है और यह किसानों की हितैषी सरकार है। इसलिए मंत्री महोदय सदाशयता दिखायें मेरी बात पर ।

श्री अध्यक्ष: आप क्वेश्चन पूछ लें, मेहरबानी करके क्वेश्चन पूछ लीजिये ।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): मेरा प्रश्न है कि राश्मी तहसील मुख्यालय पर सरसों का तौल केन्द्र खोलकर किसानों को राहत दिलाने का प्रयास करें, धन्यवाद ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। जालौर जिले को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। जालौर तो सरसों के उत्पादन का

बहुत बड़ा केन्द्र है और उसमें तोल का एक भी केन्द्र सरकार ने अभी तक स्वीकृत नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उसमें कब शुरू करेंगे।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में अभी तक एक भी केन्द्र तय नहीं किया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह कनफ्युज हो जायेंगे।(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उदयपुर में आप कब कृपा करेंगे? (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): बीकानेर और चूरू में दोनों जगह अभी तक इन्होंने शुरू नहीं किया है । आप कब खरीद चालू करेंगे ।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): दूसरा, गिलुण्ड में गये वर्ष कांटा था और अब की बार वहां कांटा नहीं खोला गया है तो आप गिलुण्ड में जो राजसमंद जिले में है उस कांटे को खोलने की मंशा रखते हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष: प्लीज, मेरी बात सुनिये आप। मेरी बात सुनिये, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो होते हैं...(व्यवधान) नो, नो आप स्थान ग्रहण करिये... (व्यवधान) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब होता है ध्यान खींच दिया जिसने प्रस्ताव दिया था उसने, उसके बाद स्पष्टीकरण मांगते हैं कि कोई आपको उनके वक्तव्य में चीज स्पष्ट नहीं हुई है तो उसका स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। आपने तो प्रश्नों की बौछार लगा दी। एक के बाद एक, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इतना बड़ा स्कोप नहीं है कि उसमें सारे के सारे माननीय सदस्य बोलने लग जायें । जिन लोगों ने दिया है वह लोग स्पष्टीकरण मांग सकते हैं । श्री बुलाकीदास कल्ला...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन इसके लिए चिंतित है ।

श्री अध्यक्ष: मैंने बुलाकीदास कल्ला का नाम पुकारा है । मैंने बुलाकीदास कल्ला का नाम पुकारा है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अब तक कितनी सरसों खरीदी है और क्या टार्गेट हैं और दूसरा, मानदंड क्या अपनाये जाने वाले हैं इसके

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

साथ ही किसानों को जो वहां पर सरसों लेकर के आते हैं वह चार-चार, पांच-पांच दिन और हफ्ते-हफ्ते इंतजार करना पड़ता है और आप नहीं खरीदते हैं तो वह बिचौलियों को और व्यापारियों को बेच देता है । इसके लिये आप क्या उपाय करने वाले हैं । मैं कहूंगा कि जिस दिन किसान आये उसी दिन उसकी सरसों की खरीद हो इसके लिए आप क्या उपाय करने वाले हैं और आपने राज्य हित में इसके लिए क्या प्रावधान कर रखे हैं ।

श्री अध्यक्ष: बस अब बहुत प्रश्न पूछ लिये ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में अभी तक आपने खरीद केन्द्र नहीं खोले हैं । वहां सरसों आने लग गयी है बाजार हैं । एक हफ़्ता हो गया है । कब तक खोलने का विचार रखते हैं ।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ से राजस्थान को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से बिना सहायता मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने किसानों के हित में कदम उठाये हैं लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि गत वर्ष सरसों का रिकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ था, उसमें भी इस वर्ष किसानों के भगवान की कृपा से बंपर उत्पादन हुआ है। गत वर्ष चित्तौड़ में प्रति हैक्टेयर 1420 केजी. आयी थी और अब के लगभग अनुमान 2000 से 2200 के हैं। इसलिए राजस्थान सरकार को प्रति हैक्टेयर औसत किसानों के हित में अगर कोई प्रति बीघा पांच बोरी हुई है, उसमें से यदि हमने तीन-साढ़े तीन बोरी ले ली तो उसकी डेढ़ बोरी घर में रह जायेगी, न तो किसान उसको सरसों के समर्थन मूल्य केन्द्र पर दे पायेगा और न वह घर पर रख पायेगा और वह बिचौलियों के मार्फत से अपनी सरसों बेचेगा तो यह जो किसानों की कल्याणकारी सरकार है उसके बारे में विचार करे। मेरे क्षेत्र में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो केन्द्र खोला है उसके लिए तहेदिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन किसानों की थोड़ी-सी पीड़ा है कि पंचायत हैडक्वार्टर भोपाल सागर होने के बावजूद भी वहां तौल केन्द्र नहीं है । आकोला कृषि उपज मंडी है वहां भी तौल केन्द्र है। निश्चित रूप से आकोला और भोपाल सागर और सिंहपुर में तौल केन्द्र खोलकर के अनुग्रहित करें ।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी खड़े हो गये हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है ।

श्री अध्यक्ष: बहुत पूछ लिये हैं । नहीं, अब बहुत हो गया है । नॉट अलाऊ, नॉट अलाऊ ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मेरा भी एक सवाल है ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): भाषण नहीं, सवाल है । आप एक बात का स्पष्टीकरण कर दें...(व्यवधान) एक किसान का नम्बर कितने दिनों में क्रय सेंटर पर आ जायेगा । सात मार्च वाला किसान जो वहां लेने के लिए गया उसको सात मई दी गयी है । दो महिने के बाद एक किसान का नम्बर, क्रय सेंटर पर कितने दिनों में आप ले लेगें । दो महिने का तो बहुत अधिक हो जायेगा। इसकी आप व्यवस्था करें ।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): माननीय मंत्री महोदय, जालौर जिले को आप क्यों नहीं इनक्लूड कर रहे हैं ...(व्यवधान) आपने पाली का कर लिया, बाड़मेर को कर लिया । जालौर को बीच में छोड़ने की क्या वजह रही है ...(व्यवधान) 25 तारीख को आपने जो किया है उसमें जालौर का है ही नहीं ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिले के किसानों ने मुरब्बे लिये हैं जैसलमेर में और उनको रियायतें दी है, मैं मुख्य मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं कि उनकी किश्तें ली और ब्याज माफ किया है, उसकी आखिरी तिथि है 31 मार्च, 2006 तक उससे पहले वहां पर यदि सरसों खरीदी जाती है, मैं पहले भी यह निवेदन कर चुका हूं नियम 295 के तहत और पुन: कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी वहां पर सरसों की खरीद की जायेगी तो सरकार के खजाने में भी पैसा आयेगा और किसान को जो राहत दी है उनको भी मदद मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष: खरीदनी होगी तो खरीद लेंगे।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब नहीं, अब कोई क्वेश्चन नहीं।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): जयपुर जिले में वर्तमान में किसानों को साढ़े 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ले रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): एक महीना हो गया जयपुर जिले में सरसों को आये हुए, आप वहां पर सरसों क्रय केन्द्र खोलने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: जयपुर के बारे में नहीं है । यह केवल चार जिलों के बारे में हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनूं, सीकर, सवाई माधोपुर, करौली इसके बारे में ही है । आप फालतू के अंदर यूं ही...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पाली जिले को सम्मिलित किया । जालौर को भी जल्दी करें । इसके लिए आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष: बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सरसों की फसल बहुत ज्यद्रा लोगों ने बोयी है पानी की कमी की वजह से ।

श्री अध्यक्ष: आपके तो अभी पकी ही नहीं है ।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): नहीं, पक गयी है ।

श्री अध्यक्ष: आपके तो अभी नहीं पकी है ।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): नहीं पक गयी है, हम काटकर के आये हैं, पकी क्यों नहीं है। इन्होंने जो मानदंड रखे हैं उसके एवरेज में एक बीघा में चार बोरी होंगी या पांच बोरी होंगी । मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने किस तरीके से मापदंड तय कराये हैं, एक बीघा के हिसाब से चार क्विंटल होगी या पांच क्विंटल है। अभी सरसों तो 6-6 क्विंटल निकलने वाली भी है। कोई सरसों ऐसी है कि वह तीन क्विंटल भी निकलेगी तो जिसके ज्यादा बोरी सरसों होगी उस पर ध्यान रखना चाहिये। जो कमी है उसको भी देखना चाहिए। मेरा ख्याल है इनके पास कोई अंदाज नहीं है कि ऐसा क्यों किया, मेरा यही सुझाव है ।

श्री अध्यक्ष: हो गया माननीय सदस्य, मंत्री महोदय।

श्री मदन दिलावर (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के कई माननीय सदस्य इस बात से चिंतित हैं। नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उन्होंने कहा है कि आपने राजस्थान में विभिन्न तारीखों में, केन्द्रों पर सरसों को खरीदने में ऐसा अन्तर क्यों रखा है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और यहां की जलवायु के बारे में, आप सब परिचित हैं कि भौगोलिक स्थिति भी भिन्न है। यहां की जलवायु की स्थिति भी भिन्न है और भौगोलिक स्थिति भी भिन्न है। मैं आपको पहले भी मेरे जवाब में बता चुका हूं कि चूंकि हाड़ौती में सरसों

(श्री मदन दिलावर)

की बुवाई पहले होती है और जब बुवाई पहले होती है तो कटाई भी पहले होती है और कटाई पहले होती है तो फिर मण्डियों में भी पहले आएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हाड़ौती में खरीद प्रारम्भ की है, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। दूसरा, लास्ट में इन्होंने कहा, गंगानगर वगैरह से आने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सरसों की खरीद प्रारम्भ क्यों नहीं की? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि क्योंकि वहां अभी सरसों आनी प्रारम्भ नहीं हुई है मण्डियों में, मैंने मण्डी शब्द इसलिए जोड़ा है कि कटाई शायद प्रारम्भ हो गई हो लेकिन जब कटाई प्रारम्भ होती है तब उस सरसों में मोइश्चर होता है, हम जो खरीद कर रहे हैं, यदि हम पहले ही केन्द्र खोल देंगे और किसान अधिक मोइश्चर की सरसों लेकर हमारे केन्द्रों पर आएंगे, तब हमारे अधिकारी और कर्मचारी मना करेंगे तो फिर किसानों को नाराजगी होगी इसलिए हमने यह सोचकर वैज्ञानिक तरीके से सोच कर खरीद केन्द्रों पर, विभिन्न केन्द्रों में विभिन्न समय पर इस प्रकार की तिथियां तय करके खरीदने का तय किया है। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि गोदामों में सरसों भरी हुई है, हम चिन्तित है कि हमारे गोदाम अभी भरे हुए हैं। हम नेफेड और भारत सरकार से लगातार निवेदन कर रहे हैं कि राजस्थान के गोदामों में जो सरसों भरी है पिछले साल की, उसको तुरन्त खाली किया जाए। हमारे निवेदन को उन्होंने आंशिक रूप से स्वीकार करके, काफी स्लोली, वह इसको खाली कर रहे हैं। .फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि हम उनसे पुन: निवेदन करेंगे कि वह काफी तीव्र गति से इन भण्डारों को खाली करें। ताकि नई आने वाली सरसों को उसमें भरा जा सके।

यह भी कहा गया है कि जयपुर जिले में 13 केन्द्र ही क्यों खोले गए? माननीय सदस्यों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि नेफेड भारत सरकार के अधीनस्थ सहकारी संस्था है, उसने हमको लिखकर दिया है, क्योंकि भारत सरकार ने ही खरीदने का समर्थन मूल्य तय किया है और भारत सरकार ही तय समर्थन मूल्य पर हमें खरीदने का आदेश देती है। वही इस बात को तय करती है कि कहां-कहां केन्द्र खोले जाएं, वही इस बात को तय करती है कि बारदाना हमको भेजना है, वही भण्डारों की व्यवस्था को तय करती है तो उन्होंने हमको यह कहा कि पिछले साल आपने जितने केन्द्र खोले हैं उससे ज्यादा नहीं खोलें। यह तो उन्होंने हमको लिखकर दिया है और मौखिक रूप से उन्होंने कह दिया कि आपने ज्यादा केन्द्र खोले तो हम सरसों का भुगतान नहीं

(श्री मदन दिलावर)

करेंगे उन केन्द्रों पर जहां हमने उनको अनुमोदित नहीं किया है। मैं भी चिन्तित हूं इस बात से कि कुछ केन्द्र होने चाहिए, बहुत परेशानी है कुछ केन्द्रों की, कुछ तहसील मुख्यालय हैं जहां केन्द्र नहीं है, कहीं काफी दूर तक केन्द्र नहीं है और मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा क्योंकि नेफेड भारत सरकार के अधीनस्थ है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप इसमें मेरा सहयोग करें ताकि हम अधिक से अधिक राहत किसानों को दिला सकें ताकि अधिक से अधिक केन्द्र खोलकर आसानी से सरसों की खरीद हो सके।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि व्यापारी सरसों खरीद रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापारी सरसों वह खरीद रहे हैं जो अधिक मोइश्चर की आ रही है या वह खरीद रहे हैं जिनके पास गिरदावरी का रेकार्ड नहीं है, जैसे अतिक्रमण, ट्रेंसपास करके जिन्होंने सरसों बोई हुई है या अधिक मोइश्चर की है या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो अधिक दिनों तक इन्तजार नहीं कर सकते पैसों का कि मुझे तो आज ही देना है, वह भी काश्तकार बेच रहे हैं। यह सच है कि हमें भुगतान में देरी हुई है। हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि हम एक महीने से पहले भुगतान नहीं कर पाएंगे इसके कारण से किसानों को कष्ट हो रहा होगा तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं चिन्तित हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी चिन्तित हैं इसलिए हम केन्द्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि तुरन्त हमको जो 3600 करोड़ रुपये मांगे हैं उसकी पहली किश्त के रूप में, अग्रिम के रूप में 900 करोड़ रुपये हमें उपलब्ध करा दिए जाएं ताकि किसानों को इस प्रकार से अधिक देर से भुगतान न करना पड़े और किसानों को कहीं जाकर के सरसों नहीं बेचनी पड़े। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मैंने अभी जो तीसरा कारण बताया है, पैसों में देरी का कि काश्तकार जाकर मण्डी में सरसों बेच रहा होगा, इस प्रकार की बात कहीं से नहीं आई है। आज भी हमारे केन्द्रों पर सरसों बेचने आ रहे हैं उन सबकी सरसों हम खरीद रहे हैं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कल्लाजी और अन्य ने यह भी कहा है कि काफी देरी से नम्बर आ रहा है, 5-5, 7-7 दिन तक केन्द्र पर किसान खड़े रहते हैं, मैं इस बात का खण्डन कर रहा हूं और इसलिए खण्ड्न कर रहा हूं कि हमने ऐसी व्यवस्था की है, हमने टोकन जारी किए हैं कि इतने काश्तकार को, इतनी तारीख को, इस खरीद केन्द्र पर आना है और उसी हिसाब से

(श्री मदन दिलावर)

किसान हमारे खरीद केन्द्रों पर आ रहे हैं और जिस दिन हमने किसान को बुलाया था उस दिन जो किसान आ रहा है सबकी सरसों तौली जा रही है इसलिए किसी भी किसान को चार-चार, पांच-पांच, सात-सात दिन तक केन्द्र पर नहीं रहना पड़ रहा है, बल्कि उसी दिन हम सरसों खरीद रहे हैं। इसलिए बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कल्लाजी को शायद सूचना ठीक नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक-एक महीने से लिए खड़े हैं, इन्तजार कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर: नहीं, गलत सूचना है, मैं पुरजोर शब्दों में आपकी बात का खण्डन कर रहा हूं। आप सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अभी हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यही आरोप लगाया था।

श्री मदन दिलावर: सदन को गुमराह न करें भगवान के नाम पर।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कोई गुमराह नहीं किया है।

श्री मदन दिलावर: माननीय सदस्य, आप नेता हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिए गलत नहीं कहें।

श्री अध्यक्ष: No debate is allowed.

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नैनवां में टोकन बन्द कर दिए गए, क्योंकि मई तक टोकन दिए जा चुके हैं। यह मैं आपको आथेंटिक कह रहा हूं1 इसलिए नैनवां के लिए अर्ज किया था मैंने।

श्री मदन दिलावर: अभी मैं जवाब दे रहा हूं माननीय सदस्य।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय मंत्रीजी, आप अभी जवाब दे रहे थे कि कोटा में एक महीने पहले सरसों मण्डियों में आ चुकी है। मैं कहता हूं कि डेढ़ महीने पहले सवाई माधोपुर और करौली में सरसों मण्डियों में आई है और आपने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की।

श्री अध्यक्ष: डिबेट अलाउ नहीं है। केवल वही सदस्य स्पष्टीकरण ले सकते हैं जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, बाकी डिबेट अलाउ नहीं होगी।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम किसानों की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: किसानों की बात करते हैं तो नियमों में आओ।

श्री सुरेश मीणा (करौली): किसानों की बात तो करनी पड़ती है, किसानों की बात नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष: यह सदन तो नियमों से चलेगा, किसानों की बात ठीक है, नियम से चलेगा सदन। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर: माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह चिंता जाहिर की है...।

श्री अध्यक्ष: कोई आवश्यकता नहीं है, जिन लोगों ने आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, केवल उन्हीं को स्पष्टीकरण देंगे बाकी को नहीं।

श्री सुरेश मीणा (करौली): सदन में यदि असत्य बोलें तो फिर क्या फायदा है?

श्री मदन दिलावर: माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर तो मैं दे चुका हूं। आपने निर्देश दिया है कि जिन्होंने यह कहा है, आप हुकुम करें तो, मैं तो जवाब दे चुका हूं जिन्होंने ध्यानाकर्षित किया था, उनको लिखित रूप में।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज तो करवा दीजिए। जब ये एक महीने से पेमेण्ट नहीं कर रहे हैं तथा बैंक किसानों की कुर्की कर रहे हैं, उसको तो आप रुकवा दीजिए, जब सरकार को किसान ने अपनी सरसों बेची और यदि बैंक वाले उसकी रिकवरी में कुर्की कर रहे हैं तो एक महीने का टाइम कम से आप उन्हें दिलवाएं ताकि किसान का पैसा जब आएगा तो बैंक को दे देगा।

श्री अध्यक्ष: इससे उसका क्या ताल्लुक है, यह तो को-आपरेटिव से सम्बन्धित है, यह अलग बात है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय मंत्रीजी किसान ने सरसों अपनी बेच दी, किसान को पैसा देना है ट्रैक्टर का, किसान क्रेडिट कार्ड का, आप यह तो व्यवस्था करवा दें कि जब तक किसान को पैसा नहीं मिलता उसकी कुर्की रोक दी जाए। हमारे अलवर में तो रोजाना कुर्कियां हो रही है। आप इसकी व्यवस्था करवा दीजिए क्योंकि आप सरसों उनसे ले रहे हैं, पैसा दे नहीं रहे, उनकी मदद करवाइए।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्तिलाल चपलोत।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-दो छोटे छोटे स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपने पूछ लिया, आपकी सारी बात का तो जवाब आ गया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक-दो रह गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने दो बातों का जवाब नहीं दिया। पहला तो यह कि आपने कितनी सीमा निर्धारित की है फी हैक्टेयर, फी एकड़ या फी बीघा कि हमें काश्तकार से इतनी खरीदनी है। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं और मैं भी किसान हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नियम हैं आलरेडी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरे खुद का आप देख लें, 15-20 मण के बीच एक बीघा में सरसों पैदा होती है, मेरा सवाल यह है कि आप इसको बढ़ाने का विचार रखते हैं क्या? दूसरा आप यह बता दें कि आपने कितनी तारीख तक के टोकन या कूपन जारी कर दिए, अब जो काश्तकार आएंगे उनका क्या होगा, यह दो बातें हैं।

श्री मदन दिलावर: माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य ने यह कहा कि आपने किस आधार पर यह तय किया कि अमुक जगह पर इतने क्विंटल या बोरी सरसों खरीदेंगे, पर बीघा खरीदेंगे। हम यह जानकारी कृषि विभाग से लेते हैं, कृषि विभाग ही यह तय करता है कि इस जिले में या अमुक क्षेत्र में औसतन कितना उत्पादन हुआ है और उसी आधार पर यह तय करके खरीदते हैं कि पर बीघा हमें कितनी सरसों खरीदनी है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्री शान्तिलाल चपलोत।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने कहा था कि कूपन दे दिए। आगे का क्या होगा यह बताओ आप। आपने कितनी तारीख तक कूपन दे दिए। अब बाकी के आएंगे उनको कब तक दे देंगे, इसका तो जवाब दें, मई तक, जून तक दे दिए, क्या स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका तो जवाब दिलवाओ।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति (संख्या 39 से 42)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम

(श्री शांतिलाल चपलोत)

समिति, 2005-2006 समिति के निम्नांकित चार प्रतिवदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2000-2001) से संबंधित समिति का 39वां प्रतिवेदन।
2. राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-99) से संबंधित समिति का 40वां प्रतिवेदन।
3. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001) से संबंधित समिति का 41वां प्रतिवेदन।
4. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1997-98 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2002-2003 के 63वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 42वां प्रतिवेदन।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मंत्रीजी, इसका जवाब तो आप कम से कम दें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। अब आगे चलें।

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति (संख्या 5 से 8)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2005-2006 समिति के निम्नांकित चार प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं:-

1. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2002-2003 के पंचम् प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का पंचम् प्रतिवेदन।

2. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2005-2006 का षष्ठम् प्रतिवेदन।

3. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2005-2006 का सप्तम् प्रतिवेदन।

4. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के वर्ष 2003 2004 के षष्ठम् प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर कियान्विति विषयक समिति का अष्ठम् प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-2007, द्वितीय अवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री कनकमल कटारा। अनुदान की मांग रखें।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,78,39,68,000/- (सात अरब अठहत्तर करोड़ उनचालीस लाख अड़सठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की प्रस्तुति

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को रुपये 6,79,42,18,000/- (छह अरब उनासी करोड़ बियालिस लाख अठारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष: एक और है मांग संख्या-51.

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना की प्रस्तुति

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति

(श्री मदन दिलावर)

के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को रुपये 2,23,52,56,000/- (दो अरब तेईस करोड़ बावन लाख छप्पन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन माह से जोधपुर संभाग के पांच जिलों जालौर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर और सिरोही में राजस्थान के बाहर के लोगों के द्वारा, बाहर की कंपनियों के द्वारा गरीब किसान, जो विशेषकर एस.सी., एस.टी. से जुड़े हुए हैं उनकी हजारों बीघा जमीन बहुत सस्ते दाम पर खरीदी जा रही है और बड़ी संख्या में रजिस्ट्री हो रही है।

श्री अध्यक्ष: कल प्रस्ताव ले आना। आपको इस विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। अब तो चूंकि वे पेश कर चुके हैं इसलिए अब तो आप इस पर बोलने दीजिए। अनुदान की मांग पर श्री जोगेश्वर गर्ग। ..(व्यवधान).. कल स्थगन प्रस्ताव या उसके जरिये ले आना आप।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

मांग संख्या-30, 33 व 51 पर विचार

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, आज चार दिन के गतिरोध के बाद सदन वापस जुटा है और अनुदान की 30, 31 और 51 इन तीन मांगों पर चर्चा करने के लिए आपने सर्वप्रथम मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीन मांगों के माध्यम से आज सदन चर्चा करेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, वृद्ध, अनाथ, इस प्रकार के समाज के जो ऐसे वर्ग हैं जो या तो पीड़ित हैं प्राकृतिक रूप से या पीड़ित हैं समाज के कारण या पीड़ित हैं आर्थिक कारणों से, और जो दुःखी हैं उन सब लोगों के बारे में चर्चा, उनके कल्याण के बारे में आज इस सदन में चर्चा होने वाली है। ये ऐसे लोग हैं जिनको मदद की आवश्यकता है।

(समय 13.23 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ये ऐसे लोग हैं जिनको हमारी सहानुभूति की आवश्यकता है, ये ऐसे लोग हैं जिनको सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन अक्सर उन तक जो सहयोग पहुंचना चाहिए वह पहुंच नहीं पाता।

उपाध्यक्ष महोदय, एक कवि ने कहा है ''यहां तक आते-आते सूख जाती है सभी नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। पानी चलता है उनके लिए जो प्यासा है, पानी चलता है उसके लिए जो पीड़ित है और रोक लेता है वो पहले से जिसके पास बहुत पानी है, जिसके पास बहुत साधन है।'' वह बीच में कहीं रोक लेता है और उस वास्तविक प्यासे तक पानी नहीं पहुंच पाता। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस समाज में बनी और उस स्थिति से उबारने के लिए समाज कल्याण विभाग और जनजाति कल्याण विभाग जैसे विभागों का निर्माण सरकार ने किया है, सब सरकारों ने किया है, अपनी राजस्थान सरकार ने भी किया है। राजस्थान सरकार इन विभागों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर इन सब वर्गों को संबल देने का प्रयास कर रही है, इन सब वर्गों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, उन सब वर्गों के दुखों को बांटने का प्रयास कर रही है और उन सब वर्गों की शक्ति को, सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ योजनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा जो पिछले दो वर्षों में हमारी संवेदनशील और यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी और हमारे अति संवेदनशील और अति सक्रिय मंत्री आदरणीय मदन दिलावर जी और कनक मल जी कटारा ने अपने प्रयासों से, अपनी सूझबूझ से जो योजनाएं राजस्थान में नये सिरे से लागू की हैं और जिनका लाभ जन-जन को मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अक्सर ऐसी स्थितियां कभी-कभी बनती हैं दुर्घटनाओं में बन जाती हैं, प्राकृतिक आपदाओं में बन जाती हैं, सड़क दुर्घटनाओं में या और किसी तरह से कामकाज करते हुए दुर्घटना हो जाती है, किसी बालक के माता-पिता दोनों का एक साथ देहावसान हो जाए और वह बालक बिलकुल निराश्रित हो जाता है और आगे-पीछे उसको संभालने वाला कोई नहीं होता है, फिर उस बालक के माता-पिता यदि कोई छोटी-मोटी सम्पत्ति छोड़कर गये हों तब तो उसके आसपास मंडराने वाले रिश्तेदार भी बहुत हो जाते हैं, परन्तु यदि सम्पत्ति भी नहीं है, खेतीबाड़ी भी नहीं है ..(व्यवधान)..

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, एससी और एसी में कोई फर्क है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: एसी और एससी में फर्क है थोड़ा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): एस और ए का फर्क हे।

श्री उपाध्यक्ष: फर्क बहुत ज्यादा है, बहुत दूरी तय करनी पड़ती है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): बहुत गम्भीर मामला आज चल रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कांग्रेस के माननीय सदस्य, एससी, एसटी के लिए गम्भीर नहीं है, उनको तो बुला दीजिए, इनका कहना यह है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसको लाइटली न लें। आप सम्पन्न वर्ग से आते हैं, लेकिन गरीबों के बारे में कोई बात हो रही है तो इसको लाइटली न लें। ..(व्यवधान)..

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): सभी चले गये हैं, वे भी इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहते।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप और हम ही काफी हैं गरीबों के लिए बात करने के लिए। जिसको इच्छा हो वह सदन में रहे इस पक्ष का या उस पक्ष का। गम्भीर मामला है, इस मामले को राजनीति से न लें और आज का दिन गम्भीरता से लें, मेरा यही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है। ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपका सुझाव तो बहुत बढ़िया है, पर आपके साथी नहीं हैं। ..(व्यवधान)..

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरे साथी तो आप भी हैं, आप मदद करोगे तब ही भला होगा। हम सब मिलकर ..(व्यवधान)..

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): एससी, एसटी में सिर्फ आप अकेले ही बचे हैं, बाकी पूरे सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक भी सदस्य आपके अलावा कोई है तो आप बता दो। ..(व्यवधान).. एक भी नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ये बैठे हैं, दिख नहीं रहा है आपको? बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं, महीपाल यादव जी बैठे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): जुबेर खान जी, आप एससी में नहीं आते हैं और अभी डोलकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपकी विचाराधारा का कोई भी सदस्य आपके साथ नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप कहते हो एससी, एसटी के वोट लेकर सदन में आते हो और यह बात करते हो हम अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए राजस्थान का कल्याण का काम करेंगे। क्या करेंगे आप तो खुद ही सदन में नहीं रहते।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं यही निवेदन कर रहा हूं इसको पार्टी स्तर पर नहीं लें। शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी आपको भी वोट दे सकते हैं, कब किसको दें, हमें तो गरीबों के पक्ष में पार्टी स्तर से हटकर करना होगा। पार्टी स्तर से हटकर मदद करेंगे उसी का अहसान मानेंगे। ..(व्यवधान)..

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप गरीबों के लिए बुलाओ तो सही।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपकी भावना बहुत अच्छी है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सदन में आपकी पार्टी के लोगों ने पूरे सदन का बहिष्कार किया है। देखें, आपके अलावा कोई नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): एक अकेला ही काफी है। चिन्ता मत करो, सब बैठे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपकी भावनाएं बहुत अच्छी है, पर आपकी भावनाओं के साथ जो दुहाई देते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए वे आज मौका आया तो सदन छोड़कर चले गये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप तो सब हो? आप 120 में कितने हैं, 40 भी नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हमारे तो सब बैंचें भरी हुई हैं। आप दुहाई देते हैं हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए करते हैं। ..(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की स्कालरशिप आपने बंद कर दी। ..(व्यवधान)..तमाम विद्यार्थियों की स्कलारशिप बंद कर दी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय कल्लाजी, आपकी बारी आये तब बोलना अभी मुझे बोलने दीजिए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप विपक्ष के नेता रहे हैं, आप ही इस मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी बारी आये तब बोलिएगा, अभी मुझे बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरे सदन की भावना है। ..(व्यवधान)..

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आपकी बारी आएगी और नहीं आए तो आप व्यवस्था करिए, मुझे चिंता नहीं है, अभी मैं बोल रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। मुझे लगता है कि सदन...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप शुरू कीजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जब गरीबों की चर्चा आती है, मैंने पहले ही निवेदन किया था यहां तक आते-आते सूख जाती हैं नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा, ये इस तरह के लोग चर्चा तक नहीं होने देते, हमारी तकलीफों की चर्चा तक नहीं होने देना चाहते, हमारे दुःख का किसी भी तरह से मामला उलझ जाए, लटक जाए और इस बारे में चर्चा नहीं हो, चर्चा ही नहीं होगी तो परिणाम कहां से निकलेगा, यह दुखद माहौल यह पीड़ित लोग ये दलित लोग भुगत रहे हैं पिछले कई दशकों से और उसके कारण से जो कुछ इन्हें मिलना चाहिए था जिसका इनको अधिकार था जो इन्हें देना भी चाहती थी सरकारें वह सब उन तक नहीं पहुंच पाया और बीच में ही वह कहीं रूक गया। मैं निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक नई योजना चालू की उन अनाथ बच्चों के लिए जिनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया अचानक, छोटे-छोटे बच्चे हैं और उनको दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गये, कोई संभालने वाला नहीं, उनके लिए सरकार ने चिंता की, उनको चिन्हित किया, सूचियां बनवाई और उनके निकटतम रिश्तेदार जो उनके लालन-पालन की जिम्मेदारी लें, उन लोगों को सरकार की तरफ से पांच सौ रुपये प्रति बालक देने की जो योजना बनाई निश्चित रूप से यह पालनहार योजना नाम से जो योजना बनी है, बहुत स्वागत योग्य कदम है सरकार का और पांच सौ रुपये तो तब तक जब तक वह स्कूल नहीं जाता, जिस दिन स्कूल जाने लगेगा तब उसको 675 रुपये प्रति माह मिलेगा, एक आदर्श और नवीन सोच वाली यह योजना है और निश्चित रूप से इसका लाभ गांवों में मिलना शुरू हुआ है, ऐसे बच्चे सामने आ रहे हैं और उसके बाद उसके अलावा 675 रुपये महीना उसको मिलेगा खाने के लिए, पहनने के लिए उसके अलावा और वार्षिक खर्चे जो उसके होते हैं होली दीवाली एवं कपड़े खरीदने हैं या सर्दी आ गई तो स्वेटर, कम्बल खरीदना है उसके लिए दो हजार रुपये प्रतिवर्ष एक और उसको अनुदान, यह अतिरिक्त सब जो व्यवस्था की है, एक नई सोच माननीय मंत्री जी की एक नई सोच माननीय मुख्य मंत्रीजी की जिसके कारण

उन अनाथ बच्चों को दर-दर की ठोकरें खाने से बचाने का एक प्रयास हुआ है, मैं आज आपके माध्यम से इस योजना का स्वागत करना चाहता हूं और भूरि भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं सरकार की जिसने मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने जिन्होंने यह योजना चालू की।

इसी प्रकार से विकलांगों के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माननीय वसुंधराजी ने पहली बार मुख्य मंत्री बनने के बाद पहली बार जो बजट पेश किया था उसमें विकलांगों की चर्चा करते हुए एक शब्द का प्रयोग किया था, वह शब्द आज तक भी मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, वह शब्द था उन्होंने, हर बार जब भी बजट पेश होते थे, शब्द प्रयोग होता था फिजीकली हैंडीकेप्ड, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शब्द प्रयोग किया फिजीकली चैलेंज्ड, एक शब्द का अंतर था पर हमारा नजरिया स्पष्ट हो गया कि हम विकलांगों को हम किस नजर से देखते हैं, वह फिजीकली हैंडीकेप्ड नहीं हैं, वह फिजीकली चैलेंज्ड हैं, प्रकृति ने उनको चैलेंज किया है, प्रकृति ने उनको चुनौती दी है और उस चुनौती को स्वीकार करने लायक उनको बनाने के लिए हम लोगों को सब को सहयोग करना चाहिए, सरकार को सहयोग करना चाहिए और उस दिशा में सरकार ने पिछले दो वर्षों में अनेक नई योजनाएं चालू की हैं जिनमें से एक है विश्वास योजना, विकलांग व्यक्ति उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए यदि कोई अपना निजी व्यवसाय करना चाहे उसको 50 हजार रुपये ऋण राशि और उसमें से 10 हजार का अनुदान इस प्रकार से एक तात्कालिक सहयोग उनको मिल जाए ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने आप अपनी रोजी रोटी कमा सके और किसी का गुलाम नहीं रहे, किसी का मोहताज नहीं रहे, यह भी एक बहुत स्वागत योग्य योजना है और इसी प्रकार से इससे आगे भी कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, एक विकलांग है, पुरूष विकलांग है और उसने शादी की और उसकी पत्नी भी विकलांग है, ऐसा कई बार होता है, कई बार विकलांग की औलाद भी विकलांग हो जाती है तो सरकार ने उनके लिए यह किया है कि एक से अधिक विकलांग जिस परिवार में होंगे उस परिवार को बीपीएल को देने योग्य जो सुविधाएं हैं, जो लाभ हैं वह सारे लाभ उस परिवार को मिलेंगे, इसके लिए भी उन्होंने आस्था नाम से एक नई योजना शुरू की है, यह भी निश्चित रूप से एक बहुत स्वागत योग्य है। फिर दूसरे जो अन्य प्रकार के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जैसे महिलाएं हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं और वह आगे पढ़ना

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

चाहती हैं, स्कूल से पढ़ लिये, 12वीं तक की शिक्षा तो उनकी वैसे ही सरकार ने निशुल्क में कर दी, किताबें सारी सरकार की तरफ से मिलती हैं, फीस भी नाम मात्र की लगती है लेकिन उसके बाद 12वीं के बाद यदि वह पढ़ना चाहते अनुसूचित जाति की बालिकाएं, जनजाति की बालिकाएं वह पढ़ना चाहें उनके मां-बाप में इतनी हिम्मत नहीं होती है, इतनी ताकत नहीं होती है वह अपने गांव से दूर कालेज में पढ़ने के लिए भेज सकें और वहां रहने का खर्चा बरदाश्त कर सकें तो उनके लिए छात्रावास की बहुत कमी थी, नहीं थे छात्रावास उनके लिए विशेषकर और सरकार ने इस बार नई योजना लेकर और संभागीय मुख्यालयों पर छह छात्रावास नये खोले और इसके लिए इस एक वित्तीय वर्ष में 193.5 लाख यानी 1 करोड़ और 95 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान किया और केवल प्रावधान ही नहीं किया, व्यय भी किये, उसके कारण छहों संभागीय मुख्यालयों पर अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतनी संवेदनशीलता इनके प्रति दर्शाई है और साथ में मैं निवेदन भी करना चाहता हूं संभागीय मुख्यालय आपने कवर कर लिये इन दो वर्षों में और आगे आने वाले तीन वर्षों में आप प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ऐसे छात्रावास बना सकें, ऐसे प्रयास आपको करने चाहिए।

मैं इस अवसर पर यह मांग भी करना चाहूंगा कि इसी प्रकार वृद्धजनों के लिए माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री बिराजते थे यहां उन्होंने वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की थी उस समय में सौ रुपये एक वृद्ध के लिए एक परिवार में दो वृद्ध हैं तो डेढ़ सौ रुपये होती थी उस समय के हिसाब से शायद ठीक रही होगी लेकिन बाद में जाकर यह महसूस हुआ कि महंगाई बढ़ रही है और यह सौ दो सौ रुपया कुछ नहीं होता है और तब इस बार हमने उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की है और उसको हमने दुगुना कर दिया है करीब, अब एक वृद्ध को चार सौ रुपया प्रतिमाह मिलती है, यह ठीक ठाक राशि है जिससे वह कम से कम अपना पेट तो भर सके आराम से। एक सरकार की तरफ से एक अच्छा सहयोग उनको मिला है और उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने उन वृद्धों की समस्या को मजबूरी को समझा है और इसके अलावा राज्य में वृद्धों के प्रति सम्मान की भावना वृद्धों को सहयोग की भावना उन सब के लिए समग्र विकास करने के लिए समग्रतापूर्वक विचार करने के लिए राज्य सरकार ने एक वृद्धजन नीति

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

की घोषणा की है जिसमें पेंशन की, उनके आवास की भी, उनमें मनोरंजन की भी, उनके कल्याण की सारी बातों की चिंता की गई है और उसके अनुसार सरकार आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम आएंगे।

ओल्ड एज होम्स वृद्धाश्रम जिसे कहना चाहिए सरकार ने शुरू किये हैं। संभागीय स्तर पर इसी वर्ष फरवरी, 2006 तक छहों संभागीय मुख्यालयों पर वृद्धाश्रम सरकार ने खोल दिये, यहां मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, एक अच्छा सराहनीय आपका कदम है लेकिन इसमें ध्यान रखने की, सावधानी रखने की बात है धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव होने के कारण यह एक परिणाम सामने आ रहा है कि आजकल के नौजवान अपने वृद्ध मां बाप को अपने घर में अपने साथ रखने में तकलीफ महसूस करते हैं उनकी सेवा करने में उनको तकलीफ होती है इसलिए ऐसे में उनको कपूत कहना चाहूंगा, ऐसे कपूतों की संख्या बढ़ रही है समाज में जो अपने मां बाप को ऐसे वृद्धाश्रमों में भेजना चाहते हैं, भले ही उनके लिए कोई पैसा देना पड़े, उसकी चिंता नहीं, पैसे देने को भी तैयार, भुगतान करने को तैयार पर सेवा कोई और करे, खुद नहीं करना चाहते, ऐसे कपूतों से सावधान रहने की आवश्यकता है, उनके मां बाप इन ओल्ड एज होम्स में नहीं पहुंच जाएं और इसकी सावधानी सरकार को रखनी चाहिए। वास्तव में ऐसे वृद्ध जिनके औलाद है नहीं या थी पर देहांत हो गया नहीं रही और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है वास्तव में ऐसे ही वृद्धों को इनमें रखना चाहिए, यह सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार बेरोजगार युवकों के स्वावलम्बन के लिए योजना शुरू की और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता हूं बीपीएल परिवार जो एससी, एसटी के हैं उन सब लोगों को एक बेरोजगारी भत्ता देने की जो नवीन योजना सरकार ने चालू की है वह अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है। बी.पी.एल. परिवारों के बेरोजगार युवकों को जब तक रोजगार नहीं मिल जाए तब तक उनको 300 रुपये प्रति माह की दर से दो वर्ष तक अथवा जब तक रोजगार नहीं मिले तब तक के लिए मासिक सहायता देने का प्रावधान जो सरकार ने किया है, निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। बी.पी.एल. परिवारों को सब को ठीक से लाभ मिल जाए इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। इस योजना को ठीक से लागू करें, ऐसी व्यवस्था हमको करनी चाहिए।

विधवाओं की स्थिति भी समाज में अक्सर बहुत दयनीय हो जाती है

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

और उन्हें हर तरफ से प्रताड़ना मिलती है। सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, हर तरफ से उनको प्रताड़ना मिलती है। उनको पेंशन देने की व्यवस्था सरकार ने की है। उसके साथ-साथ माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत का एक नवीन विचार था और उन्होंने एक नवीन योजना चालू की थी कि विधवा स्त्री अपनी पुत्री की शादी जब करे तो उनको पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाए। वह पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद का माननीय भैरोंसिंह जी के समय से प्रावधान चल रहा था। बीच में एक कार्यकाल ऐसा भी आया, ऐसी सरकार भी आई कि वह मदद मिलनी बन्द हो गई। कागजों में तो लिस्टें बनती रहीं पर हकीकत में मदद नहीं पहुंची। ऐसे अनेक उदाहरण मैं सदन के पटल पर रख सकता हूं कि जिनको मदद मिलनी चाहिए थी, उन्होंने आवेदन किया और मदद नहीं मिली। सरकार बदली, माननीय वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री बनी और इन्होंने तुरन्त उस बात पर ध्यान दिया और न केवल उस योजना को पुनर्स्थापित किया बल्कि उस राशि को दुगुना भी कर दिया। पांच हजार रुपये की जगह दस हजार रुपये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक उल्लेखनीय सहायता हो जाती है उस गरीब विधवा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सूक्ष्म अध्ययन किया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके कारण भी उन विधवाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और निश्चित रूप से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आ रहा है। लेकिन ऐसी और भी कई चीजें थीं जो अब तक की सरकारों के ध्यान में नहीं आई थी और इस वर्तमान सरकार ने और नई-नई बातें ढूंढ-ढूंढ कर कहां-कहां मदद कर सकते हैं, कहां-कहां मदद की आवश्यकता है, ढूंढ-ढूंढ कर उनकी मदद करना शुरू किया। जैसा कि मूक बधिर और नेत्रहीन लोगों के शिक्षण की व्यवस्था राजस्थान में नहीं के बराबर थी। जयपुर में एक-आध विद्यालय होगा, एक-आध विद्यालय और किसी शहर में होगा। बस इतना मात्र था, सब जगह उनकी व्यवस्था नहीं थी। तो एक साथ पहले ही बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि राजस्थान के 12 जिलों में मूक बधिरों के लिए विद्यालयों की स्थापना करेंगे। उन विद्यालयों की लगभग सारी स्थापना हो गई है और वहां पर मूक बधिर बालकों और बालिकाओं के शिक्षण की व्यवस्था भी हो रही है और मैं साधुवाद देना चाहूंगा उन स्वयं सेवी संस्थाओं को जिन्होंने आगे आकर इस योजना को हाथ में लेकर सरकार के सहयोग से उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

लेकिन यहां मैं थोड़ा सा उल्लेख भी करना चाहूंगा, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी का ध्यानाकर्षित भी करना चाहूंगा कि पिछले 7-8 महीने से जो ये विद्यालय चल रहे हैं उनको किसी तकनीकी कारण से जो भुगतान होना चाहिए था सरकार की तरफ से सहयोग राशि का, वह अभी तक नहीं हो पाया है। वह वित्त विभाग में शायद कहीं कुछ अड़चन लगी हुई है, उस वित्त विभाग की अड़चन को आप दूर करवायें और जल्दी से जल्दी उनको सहयोग राशि का भुगतान हो ताकि वो स्वयं सेवी संस्थाएं संकट में नहीं आ जाएं। 7-8 महीने से वो लोग निभा रहे हैं पर बहुत लम्बा निभाना उनके लिए भी शायद तकलीफदेह हो जाएगा इसलिए वो भुगतान जल्दी से जल्दी पहुंच जाए उसकी व्यवस्था माननीय मंत्री महोदय करवायें, सरकार करवाये, यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ आवासीय विद्यालय पहले केवल पूरे राजस्थान में 10 चल रहे थे और वो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी. के बालक-बालिकाओं के लिए। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद आवासीय विद्यालय की एक लम्बी शृंखला प्रारम्भ की अलग-अलग केटेगिरी के लिए, अलग-अलग तरह के विद्यालयों की। जैसे नि:शक्तजन बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय का अजमेर में निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। नि:शक्तजनों के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोल रहे हैं। इसी प्रकार से जो पशुपालक लोग हैं, जो अपने पशुओं, भेड़-बकरियों को लेकर के राजस्थान से बाहर जाते हैं, कभी गुजरात, कभी मध्य प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, अक्सर उनको दूर रहना पड़ता है और बड़े तो पशुओं को लेकर जाते हैं और बच्चों को वो कहां छोड़कर जाएं तो उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। वो घूमते रहते थे और उनके घूमने के साथ उनके बच्चे भी घूमते रहते थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। मैं साधुवाद देना चाहता हूं इस सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने उन बालकों के लिए, विशेष रूप से सरकार धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने उसके लिए जालौर जिले का चयन किया। जालौर जिले के अगवरी गांव में उसके लिए जमीन चिह्नित कर दी गई है। विद्यालय अन्य स्थान पर अन्य भवन में प्रारम्भ हो गया है और उसका भवन बनाने के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार ने किया है। वह भवन जालौर जिले के अगवरी गांव में बनेगा तो उसमें घुमक्कड़ परिवारों के बच्चों को

स्थायी रूप से वहां रहकर न केवल शिक्षा का अवसर मिलेगा अपितु उनकी शिक्षा के सारे खर्चे की व्यवस्था भी सरकार करेगी। किसी प्रकार का पैसा उन मां-बाप का नहीं देना पड़ेगा। यह भी एक बहुत ही उल्लेखनीय बात सरकार ने की है, यह भी एक स्वागत योग्य कदम है।

जब छात्रावास की बात आती है, आवासीय विद्यालयों की मैं बात कर रहा था तो जो लोग भिक्षावृत्ति करते हैं, सड़क पर बैठ कर भीख मांगते हैं, मंदिरों के बाहर बैठ कर भीख मांगते हैं, इसी प्रकार से जो जरायम पेशा जातियां भी हैं, लोग भी हैं जो दारू या वेश्यावृत्ति, इस प्रकार के धंधों में लिप्त रहती हैं उनके बच्चों को पढ़ने-लिखने का माहौल नहीं मिल पाता, उनके बच्चों को अवसर नहीं मिल पाता पढ़ने-लिखने का। उनके लिए भी आवासीय विद्यालय की सरकार ने स्थापना की है और उसके लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया है तो निश्चित रूप से यह भी स्वागत योग्य कदम है।

इसी प्रकार से जो छात्रावास अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए चल रहे हैं उनके सुधार की व्यवस्था सरकार ने की। उनके लिए एक छात्रावास संचालन नियम, 2004 नये सिरे से नये नियम बनाकर, नई परिभाषाएं देकर जहां कहीं भी उनमें समस्याएं थीं उन समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके निराकरण की व्यवस्था की है और 100 नये छात्रावास भी इसी बजट वर्ष में सरकार ने खोले हैं। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जी। उपाध्यक्ष महोदय, ये सब योजनाएं अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए लागू हो रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से लागू हो रही हैं और निश्चित रूप से उनका लाभ उनको मिल रहा है। लेकिन कुल-मिलाकर जो एक स्थायी और सम्मानजनक स्थिति बननी चाहिए, कहा है किसी शायर ने कि -

उम्र भर का सहारा बनो तो बनो।
दो घड़ी का सहारा, सहारा नहीं।।

ये सब योजनाएं दो घड़ी का सहारा है। उम्र भर का सहारा बनता है सम्मानजनक पद पर कोई सरकार नौकरी में आ जाए। उससे सम्मान तो मिलता ही है, उससे एक पहचान मिलती है, उससे एक अधिकार हाथ में आता

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

है और वह व्यक्ति उस अधिकार का इन कमजोर लोगों के हित में उपयोग कर सकता है। उसमें अक्सर यह देखने में आता था कि कमजोर वर्ग के परिवार का बालक, दलित परिवार का बालक प्रतिभा है, योग्यता है लेकिन आर्थिक कारणों से मजबूर होकर के वह ठीक तरह की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाता था। लेना चाहता है लेकिन जा नहीं पाता था। उसकी तैयारी के लिए कोचिंग की जरूरत पड़ती है। दूर-दूर कोचिंग के लिए जाना है, किसी को आई.ए.एस. बनना है दिल्ली में कोचिंग के लिए जाना है, आर.ए.एस. बनना है जयपुर में कोचिंग के लिए आना है, कोटा में कोचिंग के लिए जाना है, उसका खर्चा उसका परिवार वहन नहीं कर पाता था। एक बहुत ही उल्लेखनीय योजना जिसका उल्लेख किये बिना मेरा यह वक्तव्य शायद अधूरा रहे, वह है अनुप्रति योजना। आई.ए.एस. कोई बनना चाहता है उसके लिए एक लाख रुपये की व्यवस्था सरकार ने सहयोग के लिए की है और जो आर.ए.एस. बनना चाहता है उसके लिए 45 हजार रुपये की व्यवस्था सरकार ने सहयोग के रूप में की है। यह बहुत ही उल्लेखनीय योजना है और निश्चित रूप से इसके कारण इन उपेक्षित वर्ग के प्रतिभावान बच्चों को आगे आकर एक अवसर मिलेगा ताकि वो भी इस प्रकार की नौकरियों में जा सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन नौकरियों में जाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है और उस संविधान के आर्टिकल 16 के भाग 4 में यह भी व्यवस्था है कि उन आरक्षित पदों को तब तक खाली रखा जाए जब तक उनका योग्य उम्मीदवार नहीं मिल जाए चाहे वह नई भर्ती का हो चाहे वह प्रमोशन का हो। उस प्रावधान की पालना समय-समय पर सरकारों ने की है और सरकारों की तरफ से ऐसे सर्कुलर निकाले हैं कि इन प्रावधानों की ठीक-ठीक पालना हो सके। मुझे याद आ रहा है, मैं जब पहली बार विधायक बना, नवीं विधान सभा में और दसवीं विधान सभा में तब यह होता था कि एक बैच भर्ती का आया, उसमें पूरे पद नहीं भर पाये, कुछ खाली रह गये, उसको दूसरे बैच के लिए खाली छोड़ दिया। दूसरा बैच भर्ती हुआ, उसमें भरने की कोशिश की, उसमें भी कुछ पद खाली रह गये, उनको भी छोड़ दिया गया। लगातार तीन प्रयास करने के बाद भी यदि कुछ पद खाली छूट गये तो फिर एक विशेष भर्ती योजना आती थी एस.सी. एस.टी. वर्ग के लिए और उसमें उन सारे पदों को भरने का प्रयास किया जाता था। बीच में वह संशोधित हो गया और उसके बाद में यह आया कि तीसरे उस विशेष भर्ती अभियान की भी जरूरत नहीं, जब तक वह पद भरे नहीं जायें, तब

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

तक खाली रखें जायेंगे लेकिन मेरी जानकारी में आया है, अभी कुछ ऐसी चर्चा चली है, शायद आफिसर्स लेवल पर चली होगी या शायद कार्मिक विभाग के स्तर पर चली होगी, इन पदों पर यदि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो इन पदों को अनारक्षित करके और सामान्य वर्ग से उनको भर दिया जाये। यदि ऐसा किया जाता है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन वर्गों के हितों पर कुठाराघात होगा और यदि कहीं ऐसी हलचल हुई हो तो मैं माननीय मंत्री महोदय से भी और आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया से भी निवेदन करना चाहूंगा कि उस बारे में आप पता कर लें, यदि ऐसी कोई गतिविधि चल रही है तो उसको रोकें और यदि ऐसी गतिविधि हुई तो संविधान की भावना के अनुकूल नहीं होगी, विपरीत होगी और इसलिए उसको ध्यान देना आवश्यक है।

यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 1995 में एक घटना हुई, पंजाब हाई-कोर्ट का एक फैसला आया, कोई मिस्टर जुनेजा थे, उनको कुछ समस्या आई होगी, वह कोर्ट में गये, हाइकोर्ट में फैसला दिया और उस फैसले का प्रभाव सिर्फ मिस्टर जुनेजा को उसका लाभ मिलना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा पंजाब राज्य में वह फैसला लागू होना चाहिए था लेकिन कुछ लोगों ने मांग की कि उस फैसले को पूरे देश में लागू करना चाहिए। मांग कई जगह हुई, कई प्रांतों में हुई लेकिन पंजाब को छोड़कर अन्य किसी प्रांत ने उस फैसले के आधार पर कोई व्यवस्था लागू नहीं की, कोई संशोधन जारी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, एकमात्र अपवाद था राजस्थान जिसने उस फैसले को राजस्थान में भी लागू किया और उसके कारण से पदोन्नतियों में व्यवधान आया और न केवल होने वाली पदोन्नतियों में व्यवधान आया और जो गयी थी पदोन्नतियां, उनमें व्यवधान आया और जो पदोन्नति प्राप्त करके उच्च पद पर चले गये थे, कई-कई साल से, 5-5, 7-7, 10-10 सालों से जो लोग उच्च पदों पर कार्य कर रहे थे, उनको रिवर्ट किया गया। ऐसा शर्मनाक कृत्य भी राजस्थान की धरती पर हुआ और आठ एस.पीज. को और अनुसूचित जाति और जनजाति के आठ एस.पी. बने हुए व्यक्तियों को वापस से एडिशनल एस.पी. बनाकर बैठाया गया और कई यू.डी.सी. बने हुए एल.डी.सी. बन गये और कई ओ.ए. बने हुए वापस यू.डी.सी. बन गये। ऐसी शर्मनाक घटना भी राजस्थान की धरती पर हुई और आखिर में वह जो एस.पी. बने थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय के

रूप में जो आज दिल्ली की शोभा बढ़ा रहे हैं, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत जब मुख्य मंत्री थे, उन्होंने अपने दोनों कार्यकाल में, 1990 वाले में भी और 1993 वाले में भी, दोनों कार्यकाल में लीक से हटकर एक नया काम किया था। आर.ए.एस. से आई.ए.एस. जो प्रमोशन होते हैं, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य मंत्री की मर्जी पर है, वह जिसको चाहे उसको दे, जिसकी नहीं चाहे उसको नहीं दे। 1990 से पहले, 1952 से लेकर, राजस्थान के गठन से लेकर 1990 तक किसी मुख्य मंत्री ने, मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं, मैं खुश होऊंगा यदि कोई मुझे गलत सिद्ध करे, किसी भी मुख्य मंत्री ने अपने अनुग्रह के आधार पर आर.ए.एस. से आई.ए.एस. के प्रमोशन में अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को प्रमोशन नहीं दिया। एक भी उदाहरण नहीं राजस्थान की धरती पर, वह शेर-ए-राजस्थान भैरोंसिंह जी शेखावत ही थे जिन्होंने 1990 वाले कार्यकाल में 13 लोगों को और 1993 वाले कार्यकाल में सात लोगों को, ऐसे 20 लोगों को एक साथ प्रमोशन देकर आर.ए.एस. से आई.ए.एस. बनाया था और आर.पी.एस. से आई.पी.एस. बनाया था। बाद में ऐसी सरकार आई, नगर से आने वाले माननीय सदस्य, अब ताली बजा रहे हो भैरोंसिंहजी की बात पर, आपको धन्यवाद, लेकिन अब शेम-शेम भी आप बोलिये उस सरकार के लिए जिन्होंने उस एस.पी. को वापस एडिशनल एस.पी. बना दिया....

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उस समय हम आपके साथ थे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बनाने में हमारे साथ थे, हटाने में इनके साथ थे। बनाते समय हमारे साथ थे, हटाते समय इनके साथ थे आप। वह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सरकार की बनी थी राजस्थान में इस वर्ग की और उसको आखिर में जाकर उसका निराकरण बहुत ही मुश्किल से हुआ।

मैं एक और स्थिति का वर्णन, एक बिन्दु आखिर में मैं और लेना चाहूंगा, केन्द्र में सरकार थी संयुक्त मोर्चा की, जिसमें दो प्रधानमंत्री हुए, इन्द्रकुमार गुजराल साहब और एच. डी. देवेगोड़ा साहब, उन दोनों सरकारों को बाहर से समर्थन दे रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनके समर्थन के आधार पर दोनों सरकारें चलीं और उन दोनों सरकारों के समय में भारत सरकार की तरफ से पांच ओ.एम. आफिस मेमोरण्डम जारी हुए। उन पांच ओ.एम. के कारण जिनके सम्बन्ध में पंजाब हाइकोर्ट का फैसला भी है, उन पांच ओ.एम.

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रमोशन में बाधाएं आईं और वह जब ओ.एम. जारी हुए थे, तब ये लोग सत्ता में थे, इनके आधार पर वह सत्ता चल रही थी, वह ओ.एम. जारी हो गये, ये नहीं रूकवा पाये। उसके बाद मांग आई कि उन ओ.एम. को वापस लिया जाये, ये नहीं करवा पाये। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी को जिन्होंने प्रधानमंत्री बने और बनते ही पहला संविधान संशोधन लाकर, पहला संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, तीसरा संविधान संशोधन, लगातार तीन संशोधन करके उन पांच ओ.एम. में से तीन उन्होंने वापस कर लिये और उसके कारण से जो प्रमोशन में, जो पदोन्नति में एस.सी. एस.टी. वर्ग के लोगों को जो बाधा आ रही थी, उनको दूर किया और वह उस सरकार द्वारा किया गया, उन माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किया गया, जिनके बारे में ये लोग कहते थे कि यह मनुवादी सरकार है, जिसको ये एस.सी. एस.टी. विरोधी लोगों की सरकार मानते थे। उस सरकार ने तो हमारी समस्या को दूर किया और जो 50-55-56 सालों से एस.सी. एस.टी. के वोटों के आधार पर राज करती रही है और उनके मसीहा बनते रहे, उनके कार्यकाल में वह पांच ओ.एम. जारी हुए और हम लोगों के गले में फांसी लगी। यह सब ऐतिहासिक तथ्य हैं, यह सब प्रामाणिक तथ्य हैं, जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेंगे और जब कभी भी इस एस.सी. एस.टी. के कल्याण का इतिहास लिखा जायेगा, तब इनके द्वारा जो काम किये गये, उनको काले अक्षरों में लिखा जायेगा और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जो संविधान संशोधन लाकर हमारा जो हित किया गया उसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। मैं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से, आपने जो अवसर दिया है, उसके माध्यम से मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और नवीन योजनाओं के लिए, नवीन सोच के लिए, नवीन सहानुभूतिपूर्वक और संवेदनशील कार्यशैली के लिए माननीय समाज कल्याण मंत्री और यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धरा राजे जी को धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, धन्यवाद। आपने अवसर दिया, उसके लिए आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में शांतिपूर्वक मांग संख्या 30, 33, 51, 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास, 33

(श्री राकेश मेघवाल)

समाज कल्याण और सुरक्षा, 51-अनुसूचित जाति कल्याण पर राजस्थान के यशस्वी माननीय मंत्री कनकमल कटारा, राजस्थान के यशस्वी माननीय मंत्री मदनजी दिलावर और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी के राज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी वर्गों को आज जो लाभ मिला है, वह देश आजाद होने के बाद में पहली बार ऐसा गरीब को गणेश मानकर सेवा करने का जो लक्ष्य राजस्थान की मुख्य मंत्री ने एक आम जन तक, एक गरीब की झुग्गी-झोंपड़ी तक जो एक संदेश दिया है, यह बजट दिया है, इसका मैं तहे दिल से पूरे हमारे राजस्थान की जनता की ओर से, सदन की ओर से, राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री को साधुवाद, हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर बार बजट पेश होता है और बजट में जो योजनाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लागू की जाती है उनकी क्रियान्विति और वह बजट उस झुग्गी-झोंपड़ी तक जाये, उसके लिए भी पहली बार ऐसी पुख्ता व्यवस्था की है कि गरीब को गणेश मानकर, उस घर तक, उस विधवा तक और निशक्तजन तक बजट का लाभ मिले। प्रत्येक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को और प्रत्येक विधायक को यह अपना जो इस सरकार का बजट है, उस घर तक पहुंचाने का जो पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिया, वह ऐसा लगता है कि उस गरीब तक, उस अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार तक लाभ मिलेगा। ऐसी कई योजनाएं राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय मंत्रीजी ने लागू की हैं। उन योजनाओं में अनुसूचित जाति के छात्रावासों का निर्माण करना, उनके भवनों का निर्माण करना और उनके रखरखाव की पुख्ता व्यवस्था करना, अगर कोई भी छात्रावास बने हैं, आवासीय छात्रावास बने हैं तो पिछले कार्यकाल में राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री शेरे मुख्य मंत्री माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत और इन्हीं माननीय मदनजी दिलावर ने जब चार-चार करोड़ की लागत से आवासी छात्रावास बने थे और उनकी पुख्ता व्यवस्था की थी, पिछले पांच साल के कार्यकाल में उनकी मरम्मत तक नहीं हुई और उन छात्रावासों की सुध तक नहीं ली, खाली गरीब को यह कहा कि अनुसूचित जाति के लोग हमको वोट देंगे और इनको सत्ता सौंपी थी और इन्होंने कुछ नहीं किया जिस तरह आज इन्होंने सदन में भी पूरा बहिष्कार किया है और इतनी महत्वपूर्ण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की

(श्री राकेश मेघवाल)

मांग पर इन लोगों ने अभी सहयोग नहीं दिया है। यह कहने को तो बात है कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा करते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा करने वाली यह राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी हैं, तो आज राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर जीत कर आये हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के, इस भारतीय जनता पार्टी के राज में हैं और इस हां पक्ष में हैं और यह सत्ता की देन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधायक जीत कर आये, उसकी देन है कि आज राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री ने इन वर्गों का पूरा पुख्ता इंतजाम किया है, इनके जीवन यापन की पुख्ता व्यवस्था की है। (व्यवधान) सुनने वाले ज्यादा हैं, वह इधर ही रहते हैं, पहले भी मैं 1993 से, 1998 तक इस सदन का सदस्य था, उस समय भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी के साथ थे और उनमें हमेशा आस्था रही है और रहेगी। अब राज्य की माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी में आस्था है और रहेगी। यह पूरा वर्ग अनुसूचित जाति और जनजाति का, माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ में हैं, इसलिए इन योजनाओं का लाभ आज मिल रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा समान अवसर देने पर संतुलित अनुसूचित जाति संगठन योजना के तहत प्रचार-प्रसार होना चाहिए। एक, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे विभाग में योजनाएं अनेक हैं और वह इतनी योजनाएं हैं कि हर आदमी को, हर गरीब को और बल्कि कई विधायकों तक को यह पता नहीं है, आपने इतनी योजनाएं चालू की हैं, इसलिए इनका प्रचार-प्रसार हर ग्राम पंचायत की मीटिंग में, ग्राम सभा की मीटिंग में, पंचायत समिति की मीटिंग में और हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इन योजनाओं का आकार, इन योजनाओं का ब्लेक बोर्ड लगे ताकि ग्राम पंचायत में आने वाले गरीब उस योजना का लाभ लें और प्रचार-प्रसार इतना होना चाहिए कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए उस घर तक प्रचार-प्रसार होना चाहिए, इसलिए यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण की योजना का प्रचार-प्रसार गांव के गरीब आदमी तक पहुंचे, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तक वह पहुंचे और सभी जन प्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचे ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके। कई गरीब लोगों को उन योजनाओं का पता तक नहीं चलता है, यह भी कई बार सुनने को आता है।

(श्री राकेश मेघवाल)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संतुलित विकास वर्गों के व्यक्तियों के लिए समान अवसर हेतु, उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार ने पालनहार योजना, अनुप्रति योजना, सहयोग योजना, विश्वास, आस्था जैसी नवीन योजना को प्रारम्भ किया है। मैं इन योजनाओं के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी योजना आपने पहली बार चालू की है और इस योजना का गरीब तबके को लाभ मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005-06 में अनुप्रति योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो भारतीय सिविल सेवाओं में, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में जो साक्षात्कार होने वाले बच्चों को एक लाख रुपये, यह पहली बार प्रोत्साहन राशि राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री ने जो चालू की है उसके लिए हम तहेदिल से उनका, माननीय मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करते हैं कि एक लाख रुपये की लागत से अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए और अपना साक्षात्कार देने के लिए उसको लाभ मिलेगा। और 45 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि जो देने का प्रावधान रखा है, यह भी एक अच्छा कदम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक 170 अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को इसका लाभ मिला है। मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि इसका प्रचार-प्रसार और ज्यादा हो तो ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। एक मैं आपसे माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान में एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय खुले हैं और अभी 16 हजार राजीव गांधी पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने जा रहे हैं, क्यों नहीं इस विभाग के माध्यम से, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई और माननीय शिक्षा मंत्रीजी को भी बधाई देना चाहूंगा कि एक-एक किलोमीटर पर स्कूल खोल दिये और कोई भी स्कूल बिना भवन के नहीं हैं, साथ ही भवन बन रहे हैं। राजस्थान का शिक्षा जगत में अग्रणी कदम है उसके लिए मैं उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं और उनसे और माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी के इस कार्यकाल में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में एक समाज कल्याण छात्रावास हो। एक पंचायत मुख्यालय में पांच-सात गांव आते हैं, उन पांच-सात गांवों में अगर एक गांव के पांच बच्चे पढ़ेंगे तो पांच गांवों के पच्चीस बच्चे उस पंचायत मुख्यालय पर, चाहे छोटा समाज कल्याण भवन हो, जैसे स्कूल के भवन की

(श्री राकेश मेघवाल)

लागत होती है, चार लाख अड़सठ हजार में बिल्डिंग बनती है डीपीआईपी की उसी तरह पांच लाख रूपये की लागत से प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर समाज कल्याण छात्रावास खोला जाय और छात्रावास की बिल्डिंग भी बनाई जाय, ऐसा मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग में और अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को इसका लाभ मिले।(व्यवधान) यह बातें तो बाद में ही कर लेंगे, सदन में आप, माहिर आजाद साहब, प्लीज...

श्री मदन दिलावर: सुन रहा हूं, सुन रहा हूं।

श्री राकेश मेघवाल: अनुसूचित जाति के प्रति आप समर्पित रहें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राकेशजी, आपके संबंध में ही कर रहे हैं बात।

श्री राकेश मेघवाल: मेरे संबंध में तो क्या करेंगे, यह तो मेरा विरोध ही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद: रोस्टर प्रणाली के बारे में बात कर रहा था...

श्री राकेश मेघवाल: रोस्टर प्रणाली के बारे में थोड़ी देर बाद में कर लीजिये। (व्यवधान) राकेशजी को सुनने वाले एससी और एसटी के अलावा आप हैं न, आप हैं, ज्यादा हैं।

उससे, माननीय मंत्री महोदय, अगर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक 25 की स्ट्रेंथ वाला मिनी समाज कल्याण भवन बनाकर समाज कल्याण छात्रावास खोलेंगे तो पूरे राज्य में एक नई क्रांति आयेगी अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों में, उनके अभिभावकों में और उनके परिवार को लाभ मिलेगा जिससे कि कहीं अगर एक तहसील है उसमें दो या तीन समाज कल्याण छात्रावास हैं तो वहां उनके एडमीशन की भी दिक्कत आती है और बच्चे ज्यादा हैं, जगह कम है, आप चाहे अभी जिस तरह से अशोकजी गहलोत ने राजीव गांधी पाठशालाएं खोलकर वाहवाही लूटी उनको कन्वर्ट तो अपन कर रहे हैं तो उसी तरह आप एक-एक पंचायत समिति मुख्यालय पर समाज कल्याण छात्रावास खोलकर इस सरकार को राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग में एक ऐसा नया कदम उठाकर एक ऐसी नयी पहल कीजिये जिससे राजस्थान की अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जब तक सूरज चांद रहेगा राजस्थान की यशस्वी

(श्री राकेश मेघवाल)

माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे रहे ऐसी एक पहल कीजिये ऐसा एक कदम उठाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): घनश्यामजी और दूसरे लोग लाइन में लगे हुए हैं उनका क्या होगा?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): घनश्यामजी तो लाइन में लगे हुए नहीं हैं पर आपके तो गड़बड़ जरूर है। आप क्या हो कि विघ्न डालने का अपना खानदानी धन्धा है तो वो डालेंगे अपन। घनश्यामजी ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो देश में शायद पहले शिक्षा मंत्री होंगे कि पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों के अध्यक्ष बनकर और बाहर जाकर वहां से टैक्नालॉजी लाकर और आपकी सभी राजीव गांधी स्कूलों को क्रमोन्नत कर दी। ये पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिनको शायद गांव-गांव ढाणी-ढाणी लोग याद करते हैं और यह सरकार ऐसी है...।...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल (निवाई): मनमोहन सिंह जी ने बड़ाई की है यह तो कह दो। ...(व्यवधान)... मनमोहनसिंहजी माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार ने बडाई की है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हां, भारत सरकार तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई करती है । पहले एक बार 1993-94 में जब मैं इस सदन का सदस्य था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिंहारावजी मैं सोचा कि कांग्रेस वाले ही बता दें तो ठीक रहेगा। नरसिंहारावजी ने भी इस सदन में आकर भैरोंसिंहजी शेखावत की बड़ाई की थी तो लोगों ने कहा कि यह क्या है प्रधानमंत्री कांग्रेस का लेकिन भैरोंबाबा के पास वो मोहिनी मंत्र है जो चाहे जिस पर फेर देवे। हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जब जब भी सरकार बनी कांग्रेस के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के सभी मंत्री आते हैं और बड़ाई करके जाते हैं क्योंकि काम ही ऐसे बड़ाई के और अच्छे करते हैं इसलिए राजस्थान सरकार भूरि-भूरि प्रशंसा के लायक हैं और राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना जो सौ नये छात्रावास खोलने जा रहे हैं उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि यह बजट राजस्थान मातृशक्ति के लिए समर्पित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और राजस्थान की जनता के द्वारा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह

(श्री राकेश मेघवाल)

निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में सौ छात्रावास जो नये खोलने की घोषणा की है मेरा आपसे और अनुरोध है.... माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, क्या कर रहे हैं? यह महिला सशक्तिकरण के लिए बजट समर्पित किया है राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्मंत्री जी ने तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह बजट महिला सशक्तिकरण के लिए आपने समर्पित किया है तो क्यों नहीं अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए जो सौ छात्रावास आपने खोले हैं तो और सौ छात्रावास आप जब जवाब दें तो घोषणा कर दें कि इस बजट में सौ छात्रावास राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं के लिए और खोले जाएंगे। प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर एक बालिका छात्रावास खोलने का माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी घोषणा करें तब जाकर यह बजट महिला सशक्तिकरण को समर्पित पूर तरह से हो जाएगा। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद राकेश जी, समाप्त कीजिये ।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: बस इतनी बड़ी बात कह दी आपने तो वो पूरा ध्यान दे रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बधाई क्या ह्दय से आभार प्रकट करता हूं माननीय मंत्री महोदय ने मेरे विधान सभा क्षेत्र गच्छीपुरा में पिछले कार्यकाल में जब ये समाज कल्याण मंत्री थे और मैं आज की तरह विधायक ही था, इन्होंने एक छात्रावास खोला था। कांग्रेस का राज आया, किसी मास्टर का ट्रांसफर होते देखा होगा, किसी तहसीलदार, एसडीओ, बीडीओ का ट्रांसफर होते हुए देखा होगा लेकिन इनके राज में अशोक जी गहलोत मुख्य मंत्री थे और वो जो गच्छीपुरा छात्रावास खोला उसका ही ट्रांसफर कर दिया, जब मैं चुनाव हार गया तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने ज्यों ही जीतकर आया और ये समाज कल्याण मंत्री बने हाथों हाथ गच्छीपुरा में दूसरा छात्रावास खोला उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर तहसील मुख्यालय पर बालिकाओं के लिए नया छात्रावास खोला जाए यह आपसे अनुरोध करता हूं और एक पीलवा जो पचास गांवों के बीच का एरिया है, पीलवा पंचायत मुख्यालय है वहां भी नया

(श्री राकेश मेघवाल)

छात्रावास खोला जाए और मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर गरीबों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों और बच्चियों के लिए एक चाहे छोटे-छोटे पच्चीस-पच्चीस की स्ट्रेंथ के छात्रावास खोलें तो राजस्थान की यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक कल्याणकारी योजना है। यही मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धनयवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास, 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 51 अनसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठन योजना की जो आज की डिबेट हो रही है उसके ऊपर बोलना चाहता हूं। सही बात यह है कि हिन्दुस्तान में आज भी वर्ण भेद व्यवस्थाएं चालू हैं और मैं आप मनुवादी की बात करें वो भाषा तो बोलूंगा नहीं वो तो दूसरों के लिए आरक्षित रखता हूं लेकिन इतना जरूर है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें सोचना पड़ेगा कि इस देश को कैसे चलाया जाए, गरीब को बराबर कैसे लाया जाए, जो बड़े अपने आपको कहते हैं तथाकथित वो उन लोगों का कैसे ध्यान रखें, जिनका ध्यान रखने की आज भी आवश्यकता है ताकि समाज में विग्रह पैदा नहीं हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं यह बात तो नहीं कहूंगा कि धर्म के आधार पर राजनीति आज भी चलती है लेकिन जो आदमी भूखा मरेगा, जिस आदमी के पास अपना कोई संसाधन नहीं होगा, उसकी जो मदद करेगा वो किसी भी कौम का आदमी हो वो आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। मैं चूंकि थोड़ा हटकर बात करूंगा हम कहने को कुछ भी कह जाते हैं हम कभी वाद की तरफ करते हैं कभी किस तरफ करते हैं लेकिन जो हम कहते हैं उसकी देखभाल कैसे हो, हमारा गरीब दूसरों से बात नहीं करे, हमारा मवेशी कटने न जाए, उसके बाद में हम चारा पानी न करें। बहुत सी नगरपालिकाओं में आज है मवेशी क्या हम उनकी देखभाल ठीक ढंग से कर पाते हैं? इसलिए हमें उन तथ्यों पर जाना पडेगा जिनकी आज की तारीख में आवश्यकता है और वो सबसे बड़ी बात यह है वैदिक काल के अंत में जब छुआछूत प्रारंभ हुआ उसको कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद में माननीय

(श्री रामनारायण मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश शासन में भी 1930 में जब पिछड़ी जातियों की पहचान हुई लेकिन उनको कैसे बराबर लाया जाए यह ब्रिटिशर्स ने नहीं सोचा। वो चाहते थे कि यह तबके अलग-अलग चलें। लेकिन 1935 में जब गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट बना उस समय शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के बारे में सोचा गया और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 1950 में इस बारे में सोचा गया कि हमारे भाई जिनके पास कुछ भी नहीं है या जो हमसे बहुत नीचे हैं देश की एकता के लिए उनको किस तरह से सूचीबद्ध किया जाए? 1950 में सूचीबद्ध किया गया और उसके बाद में अमेंडमेंट होने करने की बातें आयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन जो मैं आपसे अर्ज करने जा रहा हूं आज हिन्दुस्तान के उन तबकों की आबादी बहुत ज्यादा है मैं जिस जिले से आता हूं बूंदी जिले से वहां आदिवासी हरिजनों की आबादी 24 प्रतिशत है। इसी तरह से हर जिले में हर स्थान पर आबादी का बड़ा तबका है। क्या हम उसके बराबर संसाधन मुहैया कराते हैं? एससी/एसटी के बारे में मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि हम रोजाना बोलते हैं क्या उस प्रतिशत में हम बजट उसके लिए खर्च करते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में तीस प्रतिशत आबादी 29.72 प्रतिशत आबादी उन तबकों की हैं जिनको हम आदिवासी हरिजन कहते हैं हमारी भाषा में और उसका राजस्व व्यय जो है उसके लिए वो 0.94 प्रतिशत है। एक प्रतिशत भी नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूंजीगत व्यय का जो 1.27 प्रतिशत है। कुल व्यय का केवल एक प्रतिशत ही इन लोगों को मिल पाता है । यह बहुत गम्भीर बात है इसके ऊपर हम नहीं सोचेंगे तो हम भाषा बोलते जायेंगे, समय निकलता जायेगा और इस सरकार ने यह नहीं किया, उस सरकार ने यह नहीं किया। मैं सरकार की बात नहीं करूंगा क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं हमें जनता चुनकर भेजती है। कौनसी सरकार काम करती है, नहीं करती है, उसके बारे में नहीं कहते हुए मैं यह कहना चाहूंगा यह सरकार का दायित्व है कि वह दिल्ली की सरकार हो या जयपुर की सरकार हो, यह सरकार का दायित्व है कि ऐसे लोगों के बारे में सब मिलकर ध्यान रखे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जो स्थितियां बनी हैं, अभी पिछले दिनों माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने एक बात का जवाब दिया था प्रश्न पूछा कि क्या इस यूनिवर्सिटी में इतने पद थे। जब मैंने उस प्रश्न को सुना चेयर इजाजत देती तो सरकार जो चाहती है वह करती

है मैं उसको नहीं पूछ पाया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत करना चाहूंगा कि जितने पद शिक्षा विभाग में थे चूंकि जोन आफ कंसीडरेशन में दूसरे लोग आ रहे थे, पदो की संख्या कम की गई, नौकरियां कम दी गई। इन्होंने विधवाओ, परित्यक्त महिलाओं को नौकरी दी। क्या किया उन महिलाओं को कम संख्या में लाया गया बाकी के पद भर दिये गये । आज चूंकि गृह मंत्री जी नहीं हैं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके बारे में आप ध्यान दें। कोटा जिले में आज अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की संख्या है, बूंदी जिले में है, पुलिस की जब भर्ती होती है तो जो माडाबावली गांव है उनमें इन लोगों की संख्या नहीं ली जाती। पुराने बैक लोग के आधार पर इस तबके के आदमी चूंकि पहले से नौकरी में ज्यादा है इसलिए उस जिले में उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। इससे गम्भीर चीज क्या हो सकती है, इससे घटिया स्तर क्या हो सकता है। कोई सरकार रही हो, पिछली सरकार के टाइम में भी मैंने इस बात को देखा। मैं कोई सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यह नहीं कहना चाहता कि इस आदमी ने क्या किया यह तो समय था जब हमारा कांस्टीट्यूशन बना, जब भारत का संविधान बना चूंकि इन लोगों के लिये तो भगवान ही थे बाबा साहब अंबेडकर जिनको हम सब याद करते हैं। आज जिस तरह से गांधी जी को याद करते हैं हम भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। लेकिन जो कांस्टीट्यूशन बना उस कमेटी के सदस्यों के हम आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रोविजन को जोड़ा। इस प्रोविजन को जोड़ने के बाद आज उन लोगों के प्रति कुछ न कुछ करने की भावना और विधान सभा में बोलने की स्थिति आई । जो स्थितियां बनी हैं उनके बारे में हमें सोचकर चलना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह मोबाइल जब्त किया जाये चेयर से यह निर्णय हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष: वह चले गये ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ट्राइबल वैलफेयर मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा जो योजनाएं इन लोगों को दी जाती हैं हम 10 हजार रुपये अधिकतम सहायता राशि देते हैं । कूप ब्लास्टिंग में दस हजार रुपये सहायता देते हैं। आज ऐसे-ऐसे गांव है जहां हम

(श्री रामनारायण मीणा)

ब्लास्टिंग करेंगे तो दस हजार में कोई चीज नहीं हो सकती जहां दो लाख रुपये का कुआ खुदता है हम दस हजार रुपये अधिकतम देते हैं । आटोरिक्शा हो चाहे कोई भी हो दस हजार रुपये देते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जो योजनाएं हैं उसमें क्या होता है यह सरकार की जानकारी में और हमारी जानकारी में जिला परिषद में, डीआरडीए में जब यह मामला आता है अनुदान का पैसा वहां स्वीकार करते हैं उसके बाद बैंकों में भेजते हैं । दस आदमियों को अनुदान किसी जिले में दिया जाता है तो उसकी संख्या 20 भेजते हैं । जो व्यक्ति बैंक को सम्पर्क कर लेता है उस व्यक्ति को अनुदान की राशि मिल जाती है, ऋण मिल जाता है। सरकार को यह करना चाहिये कि संख्या वाइज प्रथम को पहले लोन दे, फिर दूसरे को लोन दे। संख्या कुछ भी दी जाये लेकिन उस ढंग से करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम है । आज समाज कल्याण विभाग उन लोगों को सहायता देता है। कोई आदमी की हत्या हो जाती है और वह परिवार का मुखिया है या वही एक मात्र कमाने वाला है तो उसको एक लाख रुपये देने की योजना है। क्या समाज कल्याण विभाग पुलिस से ऐसे आंकडे इकट्ठा करता है, दरख्वास्त देने के बाद उन आदमियों को सहायता नहीं मिलती है । हम प्रचार करते हैं इतना पैसा दे दिया गया लेकिन वास्तविकता यह है कि यहां 378 का एक केस हुआ किसी बच्चे के साथ गुदा मैथुन करके और उसकी हत्या कर दी गई । जयपुर जिले का मामला है । वह मेरे विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला लड़का था । मैंने उसमें दरख्वास्त लिखी, चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री जी को दिया और विधान सभा में प्रश्न लगाया प्रश्न स्थगित होता रहा । आज की तारीख तक उसके बाप को एक लाख रुपये की राशि नहीं मिली । ऐसे केसेज को मानवीय दृष्टिकोण से हम नहीं लेंगे तो कैसे होगा । यह विभाग की जिम्मेदारी है जो व्यक्ति, सरकार का अधिकारी पुलिस से रिपोर्ट लेकर आदिवासी हरिजनों के व्यक्तियों को उचित सहायता जो कानून में निहित है, जो एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसके बारे में उसको सज़ा या प्रशासनिक कार्यवाही का कोई प्रावधान होना चाहिये माननीय कटारा साहब। नहीं तो यह कह कर कि हमारे ध्यान में नहीं लाया, हमें दरख्वास्त नहीं दी, हमारी जानकारी में नहीं है स्वत: जानकारी में आना चाहिये इस तरह का आप प्रोविजन कर सके तो निश्चित रूप से इसका कोई भला हो सकेगा।

(श्री रामनारायण मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, आज उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्रों को भर्ती करने का मामला था। मेरी जानकारी में आया है कि ऐसे छात्रों को रोका जा रहा है या सलेक्शन नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा किया जा रहा है तो यह लोगों के साथ अन्याय है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि समय पर लोगों को छात्रवृत्तियां नहीं मिलती है। समय पर छात्रवृत्तियां नहीं मिलने से परेशानियां आती हैं और अराजकता छात्रों में फैलती है । उसके बारे में भी माननीय मंत्रीजी सोचे समय पर पैसा हो, पैसा अगर भारत सरकार से आता हो तो समयबद्ध तरीके से कैसे आये। आपके बजट से आप पैसा देते हो तो समयबद्ध तरीके से कैसे आये। लेकिन साथ ही एक बात अर्ज करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, विशिष्ट योजना संगठन में आप छात्रावासों को लेते हैं। आज हम छात्रावासों में अख़बार देकर काम करते हैं। आज कम्प्यूटर का जमाना है। आज टेक्नोलोजी बदल चुकी। हम उन गरीब छात्रों को अख़बार पढाकर क्या शिक्षा दे सकते हैं। आई.टी. का जमाना है। छात्रावास आपने खोले, मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन चार साल पहले एक छात्रावास बना था समिति में। छात्रावास बनने के दूसरे साल से छात्रावास गिरना शुरू हो गया, छात्रावास की यह स्थिति है कि उन छात्रों को प्राइवेट बिल्डिंग में शिफ्ट करना पड़ा । मैंने मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, विधान सभा में प्रश्न किया, याचिका पेश की उसका नतीजा यह निकला कि आज की तारीख तक उस छात्रावास की न तो मरम्मत की गई न जो एजेंसी थी उस एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही की गई । जो अधिकारी दोषी थे उनके खिलाफ आज की तारीख तक कोई चार्जशीट इश्यू नहीं की गई । जब गवर्नमेंट के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग होगा तो आगे जाकर क्या स्थिति होगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हम बहुत प्रचार करते हैं कि हमने इन गरीबों को आगे बढ़ा दिया माननीय शिक्षा मंत्री जी कितने बीपीएल परिवार एपीएल में आये हैं। जांच करनी चाहिये यह सवाल शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब का नहीं है माननीय मंत्रीजी। बहुत से लोग जुड गये, गांव में जो गरीब आदमी हैं यदि राजपूत है वह चयनित है उसको भी हम देते हैं। बजट कोई सा भी दो नाम आदिवासी अर्जन गांव रखें। लेकिन चयनित आदमी को हम पैसा देते हैं यदि वह ब्राह्मण हो और वह चयनित है तो उसको भी औरत के नाम से जो सहायता मिलती है, कितने आदमी आगे बढ़े मैं आपके माध्यम से सरकार से

(श्री रामनारायण मीणा)

पूछना चाहता हूं। यह सवाल इस सरकार का नहीं है। जबसे हमारा यह रिजर्वेशन का चला है जब से भारत आजाद हुआ है कितने आदमियों को हम एपीएल में ला चुके इस बारे में कोई सर्वे होना चाहिये। हम एक बकरी देकर, दो भैंस देकर या दस हजार रुपये अनुदान देने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह इसलिए अर्ज कर रहा हूं एक हनुमान बैरवा नाम का लड़का है। उसका गांव अजेता है। बूंदी जिले का रहने वाला है, एडीएम, जिला कलेक्टर बूंदी ने फैमिली वैलफेयर में उसका आपरेशन करवाया। आपको इंदिरा आवास मंजूर किया जायेगा। पहले उसकी मां के नाम से, किसी नाम से दो तीन हजार रुपये उसको दे दिये गये। वह आदमी परेशान है, पागल टाइप हो गया उसको सहायता नहीं दे सके। बहुत गरीब आदमी है, किराये के पैसे नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में रिलेक्सेशन दी जाये कि यदि गरीब आदमी है और वह आदमी किसी भी तरह से उसका फायदा नहीं उठा सका और फायदा उसको मिलने के बाद यदि वह एपीएल की श्रेणी में नहीं आये तो एक्सप्शनल केसेज में उसको सहायता दी जाये, यह कोई एक प्रोविजन हमें जोड़ना पड़ेगा। ऐसा करते हैं तो जाकर हम ऐसे लोगों की भलाई की बात कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अर्ज करना चाहूंगा हमने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने भी आपको बहुत से परिपत्र यहां भेजे हैं और भारत सरकार में, जैसे अभी जालौर से आने वाले माननीय विधायक जी यहां नहीं है, उन्होंने भी जैसा फरमाया कि प्रमोशन में आदिवासी के मामले में विशेष ध्यान दिया जाए। परिपत्र भी है। आप भी जानते हैं। मैं चूंकि इस बात को इसलिए अर्ज कर रहा हूं पुलिस की भर्ती में इन लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनका कोटा फिक्स करने के बजाए पुराने कोटे में फिक्स किया जा रहा है। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी आप इसकी जांच करा लें। ऐसा जहां होगा वहां हम क्या कर सकेंगे?

एक सर्कूलर निकला था एफ 15(24) डीओपी ए-2/75-3 जयपुर 20.10.2000 को और दूसरा सर्क्यूलर है एफ-7(4) डीओपी/ ए-2/2002 जयपुर, 10.10.2002 को। यह दो सर्क्यूलर निकले हैं जिनमें इन लोगों के प्रमोशन का, जिस प्रकार इन्स्ट्रक्शंस हैं उनको देखकर स्टेडी करके राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया इन सर्क्यूलर के माध्यम से कि जिन लोगों को हम एपाइटमेन्ट देते हैं, प्रमोशन देते हैं उनकी सीट्स अगर खाली होती है तो उसी वर्ग के लोगों को उस सीट से भरा जाएगा। इसलिए मुझे मालूम पड़ा है

(श्री रामनारायण मीणा)

कि इस वर्ग के खिलाफ भावना रखने वाले अधिकारी, मैं किसी पर नामजद आरोप नहीं लगा रहा लेकिन ऐसा किसी ने किया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी की सरकार की जानकारी में लाये बिना, बिना केबिनेट की जानकारी में लाये बगैर, क्योंकि जैसा, मैं उसका क्लेम नहीं करता कि, इन लोगों की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इनके सदस्य यहां 60 के करीब हैं। इसमें कोई बवण्डर की बात नहीं करता। मैं शालीनता से अर्ज करना चाहूंगा, जिन लोगों ने, सरकार में बैठे किसी आदमी ने भी यदि कुत्सित प्रयास किया इन लोगों के खिलाफ, या अधिकारी ने इस बात को स्वत: किया है ऐसे सकूर्लर जो जारी है, कोई निर्णय किसी अधिकारी ने करवा लिया है, रूटिन में फाइल में दस्तखत सरकार से करवा लिये हो उसको वापस बदला जाए। और ऐसे लोगों के गरीब तबके के लोगों के, हितों के प्रतिकूल कुठाराघात हो रहा है, होने वाला है उसको रोकने के लिए सरकार मदद करे। ऐसे सर्कूलर हैं उनको कम से कम नहीं बदला जाए1

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन कर रहा हूं कि आप भारत सरकार में जाइये। अभी जैसा जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वहां प्रमोशन में जोन आफ कन्सीड्रेशन नहीं, काफी आगे से यदि कोई आदमी आता है, यदि वह एलीजिबल है तो उसको टेकअप किया जाता है, उसको प्रमोशन दिया जाता है। राजस्थान में जोन ऑफ कन्सीड्रेशन की बात है। चूंकि आज की तारीख में हम यह कहें कि शिडयूल कास्ट का आदमी लाइक नहीं करता, आज इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा जहां तक ख्याल है डबल एम.ए. मिल जाएंगे, सरकार में बैठे बड़े अधिकारी मिल जाएंगे। हम क्लेम करते हैं हमारी साक्षरता शत प्रतिशत होने जा रही है। जब हमारी साक्षरता बढ़ रही है, गांव में ऐसे आदमी है, हमें नहीं मिला होगा, ढूंढ नहीं पाये होंगे, प्रचार नहीं हो पाया होगा शिक्षा विभाग में। सिपाहियों में आज उल्टा दे रहे हैं, उनको रोका जा रहा है कि आप भर्ती में पहले हो। यदि ऐसा हिन्दुस्तान में हो रहा है तो वर्णभेद व्यवस्था जिसको हम खतम करने की बात करते हैं वह वर्णभेद व्यवस्था क्या हम वापस लाना चाहते हैं? मेरा विनम्र अनुरोध है, सरकार के मंत्री लोग यहां बैठे हैं। सवाल एक कोम का, एक पार्टी का, एक सरकार का नहीं है यह आम सवाल है, इन लोगों को आप कैसे करेंगे, इनका हित कैसे साधेगें?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा आज हम

(श्री रामनारायण मीणा)

चर्चा कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए छात्रावास बनाये जाए। माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत स्तर पर हो। मेरा अनुरोध करना है कि जो छात्रावास एग्जिस्ट करते हैं उन छात्रावासों में संसाधन कैसे दें? क्योंकि पैसे का डिवोलेशन हो गया है। आज हमारी क्रय शक्ति जिस तरह की बन गई है, जो हम संसाधन दे रहे हैं, जितना हम उनको पैसा दे रहे हैं, छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को यदि हम गुसलघर नहीं दे सकते, बूंदी में एक छात्रावास की बात कर रहा हूं, समाज कल्याण मंत्री जी, आप चाहे तो जांच करा लें क्योंकि बहुत जरूरी है। आदिवासी छात्रावास बूंदी में चलता है, आदिमजाति सेवा संघ चलाती है। मैं आदिमजाति सेवा संघ के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। उन लोगों के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन पैसे का अभाव, आज वहां गुसलघर नहीं है, स्नानघर नहीं है। सुबह-सुबह निवृत्त होने के लिए छात्र पहाड़ी पर चार-चार किलोमीटर जाए, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। हमने जिला कलक्टर को चिट्ठी लिखी, उनकी मदद नहीं हो सकी। ऐसे जहां-जहां छात्रावास हैं उनमें अगर सुविधा जुटा पायेंगे तो निश्चित तौर पर इस वर्ग के लिए कुछ करने की स्थिति में आयेंगे। उपसभापति महोदय, ऐसी बहुत सी बातें हैं उन पर नहीं जाते हुए मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा...

श्री हीरालाल (निवाई): उपाध्यक्ष है।(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): एक ही बात है, वह अमेंड कर लेंगे अपने आप ही। आप चिंता मत करिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): एमएलए कोटा का पैसा दे देते, चार-चार किलोमीटर पहाड़ पर जाने की कहां जरूरत थी, कहां कलक्टर साहब को चिट्ठी लिखने की जरूरत थी। आप एक चिट्ठी लिखते कि यह.....

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं आपसे कम पढ़ा लिखा हूं। जब समझ लूंगा, सीख लूंगा। वहां के सांसद महोदय को चिट्ठी भी लिख देंगे। मैं वहां नहीं हूं, दूसरी जगह से हूं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): चलो यह भी अच्छा है। आज के बाद आप जहां जहां भी ऐसी सुविधा चाहते हो सांसद महोदय और विधायक महोदय के द्वारा हो जाएगी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप खननपति हो। गरीब के बारे में

(श्री रामनारायण मीणा)

बात कर रहा हूं। टोको मत, मेरा लिंक टूट जाता है। आपसे हम खानें नहीं मांगने जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमें जिंदा रहने का अवसर दीजिए। उन गरीब लोगों को दो जिनको आज भी आवश्यकता है। हम कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहा है, वह क्यों नहीं बैठेगा? आज मुसलिम, मैं किसी धर्म की बडाई नहीं करता, आज मुसलिम परिवार के लोग, कृपया करके सुन लीजिए, 20 आदमी होंगे करोड़पति से लगाकर मजदूर एक थाली में खाना खायेगा। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? मंदिरों में हम, मैं मुम्बई में गया, वास्तविकता है हमें बात करनी पड़ेगी समाज टूटे नहीं हमारा समाज जुड़े इसके लिए कहना पड़ेगा कि वहां एक मंदिर है बालाजी का, भगवान विष्णु का जो रूप है वहां गया तो पता चला कि वहां जाति देखकर प्रवेश दिया जाता है। खैर, बहुत सी बातें हैं मैं उन पर नहीं जाना चाहता।

मैं अर्ज करना चाहता हूं पैसा बहुत कम है। ट्राइबल वैलफेयर मिनिस्ट्र से हम लड़े, कुछ भी करें मेरे यहां गुडखेड़ी एनीकट है, गुडखेड़ी गांव में खटकड पंचायत में बूंदी जिले में, मैं जब विधायक नहीं बन पाया था, सांसद के हारने के बाद एनीकट, गांव में गया मैंने अधूरा देखा। बहुत पहले मैंने चालू करवाया था, उसके लिए हम आपसे मांग रहे हैं। डिपार्टमेंट कह रहा है हमारे पास पैसा नहीं है। आखिर पैसा क्यों नहीं है?

मैं आपसे आज भी कहना चाहता हूं कि मांडा योजना में, भले ही जीतकर आये हो, सहायता की हो मांडा योजना में, माननीय शिक्षा मंत्री जी, बजट नहीं आ रहा इसकी जांच कर ली जाए। मांडा योजना में बजट बहुत कम आ रहा है। मांडा योजना में आपके आधे से ज्यादा राजस्थान के जिले आते हैं। पैसा क्यों कम आ रहा है? हमारे पास नहीं है, भारत सरकार से लें। सब मिलकर बात करें।

आज हमने पोंग बांध के पानी की बात करी, हमने उसका डिस्प्यूट नहीं उठाया क्योंकि ज्वलंत समस्या थी। डिस्प्यूट उठाते तो गांधी सागर की बात करते कि वहां हमने क्यों नहीं रिज्युलेशन किया। वहां आपकी सरकार है। हम पोलिटिकल बात पर नहीं जायेंगे लेकिन जिस प्रकार फण्ड्स कम आ रहे हैं, सरकार अपने से दें, एक प्रतिशत पैसा दे, जैसे-जैसे यह आगे बढ़ेगी।

शिक्षा मंत्रीजी मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे अर्ज करना चाहूंगा, वैसे आपको हम सीधा कहेंगे तो भी आप कोशिश करते हो एडजस्ट

करने की, गरीबों के पक्ष में काम करने की। एक फटूकड़ा गांव है, मैं मानसिकता बताता हूं अधिकारियों की, वहां ब्लाक एजुकेशन आफिसर है नैनवां में। उस व्यक्ति ने क्या किया, फटूकड़ा गांव जहां 350 की आबादी है, आगे बस गया, मास्टर को हटा लिया, किसी के मकान में बैठता है, बच्चे अनपढ़ हैं। 350 के गांव में ब्लाक शिक्षा अधिकारी मास्टर को हटा लेता है चाहे वह राजीव गांधी पाठशाला हो या कोई हो। हर बार लिखने के बाद भी मास्टर वहां नहीं लगाता है। इसलिए नहीं लगाता है कि वहां बैरवा जाति, ढोली जाति के लोग हैं, वहां गरीब तबके के लोग हैं। ऐसे आदमियों के प्रति जिनकी मानसिकता हो, किसी कोम का हो, कृपा करके ऐसे आदमियों के बारे में एक-दो जगह लेंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और लोगों में डर भी नहीं बैठ पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक गांव है कालामार। आप एक तरफ तो कहते हैं शिक्षा कर रहे हैं, एक मास्टर छोड दिया क्योंकि इंटीरियर गांव हैं। वहां गरीब तबके के लोग रहते हैं, शिडयूल कास्ट के लोग रहते हैं, वहां एक मास्टर छोड़ दिया....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप उस गांव में अभी तक गये ही नहीं हो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं नहीं गया तो कोई बात नहीं, चले चलेंगे अपन दोनों मिलकर। मैं अटरू से भी जानता हूं, आप कहोंगे उस गांव में चले चलेंगे। आप मेरे यहां चलिये। मुझे प्रसन्नता है आप चलेंगे तो। आप करना चाहते हो, मन में भावना रखने से काम नहीं चलता है। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी। आप तो धरती पर सोने वाले हो। अब धरती पर सोते हो या महलों में रहते हो मुझे इससे मतलब नहीं है। जब आपके पास विभाग है, आप गरीब के पक्ष में सोच रखोगे कुछ कर पाओगे तो निश्चित तौर पर हमें आपके ऊपर गर्व है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आप खाट पर सोते हैं, ये धरती पर सोते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मुझे पता है। वे कहां सोते हैं, सोने के पलंग पर भी सो सकते हैं। लेकिन मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा क्योंकि सरकार पर मैं इसलिये कोई आरोप की बात नहीं करता हूं, माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, क्योंकि मैं तो आपसे अर्ज करना चाहूंगा, ऐसे गांव में जान-

(श्री रामनारायण मीणा)

बूझ करके ऐसी मानसिकता के लोग, कालामाड़ में वहां विद्यार्थी नहीं हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हम उनका वह करेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अर्ज कर रहा था कि बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में....समाज कल्याण विभाग की योजनाएं हैं, मंत्रीजी, हम क्या कर रहे हैं, समाज कल्याण की योजनाओं का पैसा क्यों नहीं खर्च हो रहा है। ये सारी बातें हैं, इन बातों के अलावा भी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर कोई न कोई हल निकल जायेगा। अब मैं इसी के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस भावना के साथ, मैंने देखा है, गांवों में जिसके पास 2 बीघा जमीन है, समाज कल्याण मंत्रीजी, आप जानते हैं, 2 बीघा जमीन जिसके पास है उसको तो लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत 90 दिन की सज़ा दी जा रही है। 10 साल की सज़ा देने वाले जज भी 6 महीने की सज़ा देते हैं। जो सम्पन्न व्यक्ति है उस सम्पन्न व्यक्ति को 5 दिन की सज़ा नहीं दी जा रही है, जुर्माना करके छोड़ा जा रहा है। इसलिये आज जो भावना है हमारे मन में, ऐसी बात के लिये, मैं नहीं कहता, न मैं भैरोंसिंहजी की बड़ाई करता-बुराई करता, न मैं अशोक गहलोतजी के बारे में कहता हूं, न आज की मुख्य मंत्रीजी के बारे में कहता हूं। हमारी मानसिकता, गरीब कैसे आगे बढ़े, हमारे साथ कैसे जुटे, हम उसको कैसे आगे बढ़ा पायें, इतने बी.पी.एल. परिवारों को ए.पी.एल. बना पायें, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करूंगा, आज शिकायतें आती हैं, कांट-छांट कर मेरे समिधि गांव से बैरवाओं को रखा गया, दुकान लगाने वाले सैठ को, सरकारी कर्मचारी के भाई को, जिसके पक्का मकान नैनवां या बूंदी में है, उसको तो चयनित कर लिया गया। अब कहते हैं कि जांच कराओ। एक-एक दरवाजे पर विधायक जायेगा? न वह गरीब जाएगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसे बहुत से गांव हैं, मेरा एक ख्यावदा गांव है जहां पूरी बैरवा कालोनी में आज से नहीं, बल्कि दिनों से ऐसा पानी पी रहे हैं जो पीने योग्य नहीं है, उस गांव में दुर्भाग्य है, आप जो फण्ड देते हैं, न बिजली लग पाती है उससे, न ऐसी योजनाएं बन पाती हैं। (व्यवधान) आप भी मंत्री बनेंगे, तब भी गल्तियां आपसे होंगी। इसलिये ध्यान दें। ये जवाब दे सकते हैं, आपसे जवान हैं। इसलिये मैं इनसे अर्ज कर रहा हूं। नहीं तो नहीं करता। ऐसी बात है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अर्ज कर रहा हूं कि उनको रखें। एक मैं स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जो सरकार के आदेश भी हैं, कौनसी सरकार के हैं,

(श्री रामनारायण मीणा)

मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। भारत सरकार की जो मंशा है कि नौकरियों में प्रमोशन हो, जो पुलिस विभाग के सिपाहियों की भर्ती में आज 5 गुना पास करने की बात करते हैं, दूसरी कैटेगरिज के आदमियों को ज्यादा पास कर रहे हैं। 5 गुना से ज्यादा हम पास कैसे करेंगे। आप देखिये, पुलिस विभाग में भर्ती होती है राजस्थान पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस एक्ट, 1989 के द्वारा। आप उनके लोगों को परिणाम नहीं दे रहे हैं। आपकी मानसिकता सही नहीं है। जिन अधिकारियों को मानसिकता नहीं है, सरकार की मानसिकता की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन सरकार को जांच करके ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। अधिकारियों में डर नहीं है। क्या हम इतने कमजोर हैं, सरकार में बैठे लोग? मुझे तो नजर नहीं आता है। ठीक है, हमारे मन में क्या भावना है उसको सुदृढ करना पड़ेगा। प्रजातंत्र है, इसलिये मेरा आपसे अर्ज करना है, अभी भर्ती हो रही है, 5 गुना से ज्यादा और उसमें दूसरे लोगों को भर्ती किया जा रहा है। क्या सिपाही भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्या 5 गुना सिपाही नहीं मिल पा रहे हैं। आप जांच करिये, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप जो चाहें सज़ा दें मुझे। इसी तरह आप देखियेगा, लिखित परीक्षा में गड़बड़ियां हो रही हैं। लिखित परीक्षा में जिलेवाइज गड़बड़ियां हो रही हैं।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सदस्य, यह जो आप कह रहे हैं, जगह-जगह से जैसे, जैसेलमेर में, बाड़मेर में वहां देखते हैं कि हमारा नम्बर आ जाएगा तो लोग वहां भर देते हैं और वहां फिजीकली अब बहुत से लड़के और तैयार हो गये । भील कम्युनिटी थी, वह आपके ट्राइबल में अब आने लगी है, हमारे यहां। अब एक बार 17 बाड़मेर में भील लगे हैं और उसमें मीणा नहीं आ सके। कहने का मतलब यह है कि अब जगह-जगह क्या हो रहा है कि परीक्षा एक जगह ही दे सकता है जिले में, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नहीं, मंत्रीजी, आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा स्पष्ट अर्ज करना है बूंदी जिले में ट्राइबल की आबादी हो, भील हो, दूसरे हों, वहां ट्राइबल की आबादी है, आप शून्य दे रहे हो, वहां रिजर्वेशन में 70 सिपाही ले रहे हो और ट्राइबल्स के शून्य दे रहे हो। झालावाड़ में एस.सी. के आदमी कम दे रहे हो, जबकि आबादी 20 प्रतिशत है। आप दो प्रतिशत नहीं दे रहे हैं। इसको छानिये। आपके पुलिस हेड-क्वार्टर में एक एडिशनल डी.जी. को रूल्स चेंज करने का अधिकार है क्या1 उसने रूल्स चेंज

(श्री रामनारायण मीणा)

कर दिये और सरकार देख नहीं पायी। आपके हाथ में पावर्स हैं कि नहीं हैं, आप जांच करिये। मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझसे बात करिये। मैं भी आपका विधायक हूं, सम्मानित विधायक हूं, जैसे आप हैं, चांस से आप मंत्री हैं। ऐसा कुछ हो रहा है, मैं ओथेंटिक कह रहा हूं, रिकार्डेड कह रहा हूं। मैंने एडवर्टाइजमेंट देखे हैं। इसलिये मैं सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा। ज्यादा बात नहीं करते हुए, आज जो ये दो आर्डर्स हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप यहां विराजमान हैं। माननीय गृह मंत्रीजी, आप विराजमान हैं, दोनों मंत्री विराजमान हैं, दूसरे मंत्री विराजमान हैं। 20.10.2000 का आर्डर है, 10.10.2002 का आर्डर है, जिसका मैंने पढ़कर सुनाया है। एस.सी.,एस.टी. के लोगों के बारे में ऐसी भावना किस अधिकारी के मन में पनपी, आप उसे एफीशिएंट अधिकारी मानेंगे, निश्चित तौर पर मन में मैल होगा। यदि आप उसको एफीशिएंट अधिकारी नहीं मानेंगे, आप कार्यवाही करेंगे। एक एडीशनल डी.जी. सिपाही में भर्ती नहीं करता है। एक अधिकारी फाइल चलाता है और फिर कहा जाता है अधिकारी ने गलत कर दिया होगा, हमसे तो दस्तख्त हो गये। यह चीजें ज्यादा चलने वाली नहीं हैं। वोट किसी को दो, सरकार हमारी बने, आपकी बने, यह गौण चीज है। जनता जो चाहेगी जो करेगी, कोई कह दे, आप नहीं आओगे, जनता नहीं चाहेगी, नहीं आएंगे। कोई पता नहीं कौन जिन्दा रहता है, कौन मरता है। जब तक हम बैठे हैं, वास्तविकता से चलना पड़ेगा। मैं स्पष्ट आश्वासन सरकार से चाहूंगा, इन दोनों के बारे में यदि एक-दो दिन में सरकार नहीं चेती तो यह अधिकारी भट्ठा बैठा देंगे इस कौम का। यह चाहते हैं रिवर्ट हों अफसर, पहले किस अधिकार से किया था, उसका नतीजा हमें मिल गया। आज दूसरे ये लोग वहां ज्यादा बैठे हैं। इसलिये कृपा करके माननीय मुख्य मंत्रीजी की छवि को आप बिगाड़ना चाहें, अधिकारियों के माध्यम से, बिगाड़िये। उनको नौकरी जो मिल रही है, वर्ण व्यवस्था में वापस चले जाइये लेकिन घटनाएं वही होंगी। कहां पढ़ेंगे लोग, पैसा नहीं है, फिर आप कहेंगे, ये तो ये बन रहे हैं, धर्म चेंज कर रहे हैं। इसलिये कृपा करके मंदिरों में जाति का नाम लेकर के दर्शन को मत रोकिये। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं जो कह रहा हूं, बहुत से जिले जहां 20-20 प्रतिशत आबादी है वहां शून्य रिजर्वेशन दिया जा रहा है। कहीं न कहीं मैल है। इसलिये मेरा इसी भावना के साथ, इस बात का हमें जवाब मिलेगा सदन में, और मैं आशा करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, यह सरकार इसका जवाब देगी और जो हमारे साथ

(श्री रामनारायण मीणा)

बे-ईमानी हो रही है, इस तबके के साथ जो बे-ईमानी हो रही है उसको ठीक किया जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ, सरकार से इस भावना के साथ कि लोगों को मार्च में सब्सिडी जारी न हो, अनुदान जारी न हो, अप्रैल-मई में जारी हो, बैंकों में जिस तरह से लोगों को चक्कर काटना पड़ता है, वे चक्कर नहीं काटें, अधिकारी जो दुर्भावना रखते हैं वह दुर्भावना न हो, परमिशन टाइमली हो और जो इस तरह से पुराने सर्किल्स हैं उनको काटकर, सरकार के मुखिया की छवि धूमिल करने वाले जो लोग यहां बैठे हैं वह सरकार के मुखिया की छवि धूमिल नहीं करें, छवि अच्छी और बुरी, नम्बर-एक भी हार जाते हैं, नम्बर-दो भी जीत जाते हैं, इसलिये मेरा तो अर्ज करना है, सरकार सोच करके संयत भाषा में, जातिवाद को आधार मानकर के गरीब लोगों के प्रति मन में दुर्भावना रखकर नहीं चले। यही मैं आपसे विश्वास करता हूं, यही आपके माध्यम से सरकार से आशा करता हूं, इसी भावना के साथ, ज्यादा नहीं कहते हुए आज जो मेरा मुख्य मुद्दा है क्योंकि तकलीफ मन में है इन लोगों को हम अपनायेंगे नहीं तो फिर कहेंगे, ये तो भागकर जा रहे हैं। यह तो इमानुएल में पड़ रहे हैं, ये तो भारतीय विकास परिषद में पढ़ रहे हैं। सरकार इस चीज को कैसे तोड़ेगी, काटेगी, इसलिये माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी और कटारा साहब, आप दोनों उस तबके से हो, सरकार में मूक बैठेंगे, ईश्वर माफ नहीं करेगा और सरकार को सचेत करके ठीक काम कराएंगे, हम सब आपको दुआएं देंगे, गरीब आदमी आपके पक्ष में बोलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, श्री सुशील कटारा।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव, मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना, उपाध्यक्ष महोदय, उम्र छोटी है इसलिये अनुभव भी कम है। सरकार के 2 वर्ष 2 महीने और 25 दिन आज पूरे हो गये हैं। इन दो वर्षों में जो जनजाति क्षेत्र का राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, हमारे जनजाति मंत्री महोदय और समाज कल्याण मंत्री महोदय ने जो ध्यान रखा है, उनको मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो दो साल के कार्यकाल में विकास हुआ है वह पिछले पचास साल के कार्यकाल में, 58 साल के कार्यकाल में, देश आजाद हुआ उसके बाद जितना कभी नहीं हुआ,

(श्री सुशील कटारा)

इतना दो वर्षों के कार्यकाल में हुआ है। मैं जनजाति क्षेत्र में आश्रम छात्रावासों पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिलाना चाहूंगा और माननीय जनजाति मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले दो वर्षों के कार्यकाल में माननीय शिक्षा मंत्री घनश्यामजी तिवाड़ी साहब ने आशा के अनुरूप, बल्कि ज्यादा नये प्राथमिक विद्यालय, 25 प्राथमिक विद्यालय के लगभग खोले, 22 के आस-पास उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों में चार विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया और कई सारी राजीव गांधी पाठशालाएं, उनको प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया।

जनजाति विकास में पूरे जनजाति क्षेत्र में सात आवासीय विद्यालय जहां खोले गये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी माननीय जनजाति मंत्री महोदय ने एक आवासीय विद्यालय खोला जिसमें 250 बच्चे अध्ययनरत हैं पर मुझे थोड़ा सा दु:ख है कि वहां पर अध्यापकों की थोड़ी कमी है। इस वजह से उसमें काफी बच्चों को पढ़ने में असुविधा हो रही है और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय जनजाति मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें अध्यापकों की भर्ती करें, भले ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में या किसी भी तरह से व्यवस्था करके उसमें लगायें तो वहां पर पूरे राजस्थान के बच्चे, 250 बच्चे हैं और उनको अधिक से अधिक पढ़ने में सुविधा मिलेगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो कस्तूरबा छात्रावास खुले हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मैंने जहां सेंक्शन हुए हैं, उसी स्थान पर बालिका कस्तूरबा छात्रावास के लिए मैंने कहा था। काफी समय से सेंक्शन हो गया है और उसमें अभी तक भवन नहीं बना है। भवन का पैसा भी आपने सेंक्शन कर दिया है पर विभागीय अधिकारियों की टालमटोल के कारण कस्तूरबा छात्रावास जहां बनना चाहिए वहां न बनाकर दूसरी जगह इसकी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्र है और बड़े कस्बों में तो समाज कल्याण के और जनजाति के छात्रावास हैं ही पर वहां जो छात्रावास जहां प्रस्तावित है, वहाँ बने, ऐसा मेरा आपसे निवेदन करना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण में जहां मेरे विधान सभा

(श्री सुशील कटारा)

क्षेत्र और जिले में कई जगहों पर भवन नहीं है इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां भी भवनों का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान करें। हमारे वहां पर एक कुआं है जहां माननीय जनजाति मंत्री महोदय का विधान सभा क्षेत्र भी पड़ता है। काफी समय से समाज कल्याण का छात्रावास है वह किराये के भवन में चल रहा है और अभी तक उस भवन का पैसा सेंक्शन नहीं हुआ है। माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी इसे स्वीकृत कराने का कष्ट करें।

जहां तक खेल छात्रावास की बात है, खैरवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा में खेल छात्रावास है। डूंगरपुर जिले में खेल छात्रावास नहीं है। हमारे जिले के कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो तिरंदाजी में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को निखार चुके हैं और उनको अभी तक वह सुविधा डूंगरपुर जिले या सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं हो पायी है इसलिए मैं भी सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि तीरंदाजी में जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीत कर आये हैं उनको वैसी सुविधा उपलब्ध करायें। ऐसी व्यवस्था करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं इसलिए अटक-अटक कर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बोले जाओ तसल्ली से। ... (व्यवधान)

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र में पिछले दो वर्ष के कार्यकाल में जनजाति विभाग से हमारे माननीय मंत्री महोदय ने हमारे क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिए बहुत सारी ऐसी शैक्षणिक व्यवस्थाएं की हैं जिससे उस क्षेत्र के जितने भी जनजाति छात्र-छात्राएं हैं उनको आगे बढ़ने में काफी सुविधाएं मिल रही हैं और जहां तक आरक्षण का सवाल है, 1 से 6 पे-स्केल में जहां जनजाति के बालक-बालिकाओं को आरक्षण मिल रहा है, उसमें काफी लड़के-लड़कियों ने, ए.एन.एम. हो, शिक्षा में हो, शारीरिक शिक्षक हो, विभिन्न प्रकार की जो भी छोटी-मोटी नौकरियां हैं, उनमें उन्होंने बढ़-चढ़कर भाग लिया है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आया है पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा पूरा एरिया पहाड़ी एरिया है और पूरा जनजाति क्षेत्र दूर-दूर तक बसा हुआ है। हमारे वहां पर इतनी आने-जाने की सुविधा नहीं है पर जहां भी स्कूलों की आवश्यकता है, जहां भी

(श्री सुशील कटारा)

छात्रावासों की आवश्यकता है, जहां भी प्राथमिक विद्यालयों की, उच्च प्राथमिक या जहां पर भी सड़कों की आवश्यकता है, विद्युत की आवश्यकता है, जब तक बिजली, पानी और जहां बड़ी-बड़ी जो दो-तीन चीजें हैं, उनको उन लोगों को उपयोग करने के लिए नहीं देंगे तब तक जनजाति क्षेत्रीय विकास का, उस एरिया का विकास नहीं हो पायेगा।

हमारे जनजाति मंत्री महोदय ने महाराष्ट्र पैटर्न से काफी रुपया उपलब्ध होने के बाद में बहुत सारा उस एरिये में जनजाति के लोगों को ऊपर उठाने के लिए जिस तरह व्यवस्था की है, उससे लोग काफी संतुष्ट हैं और अभी इसी सत्र में बालिकाओं को जहां नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं में बालिकाएं पढ़ती थीं, लगभग 2 करोड़ 2 लाख रुपये के आस-पास की साइकिलें वितरित की हैं, 12000 के आस-पास जहां बच्चियां स्कूल लेकर जाती है और बच्चियों के लिए यह एक हर्ष का विषय हो गया है। जिन बच्चियों ने आठवीं पढ़ाई करने के बाद छोड़ दी थी उन बच्चियों ने वापस स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। ऐसी स्थिति हो गयी है और इस एवज में अभी लड़कियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि साइकिलों की व्यवस्था करने में भी हमारे को थोड़ी कठिनाई महसूस हुई क्योंकि एक साथ बहुत सारी लड़कियों ने स्कूलों में एडमिशन ले लिया और जो भी बच्ची 75 परसेंट के ऊपर अंक प्राप्त करेगी उसको सरकार की तरफ से स्कूटी मिलेगी इसलिए ऐसी योजनाएं सरकार ने और जनजाति मंत्री महोदय ने निकाली हैं तो निश्चित रूप से उस एरिये के छात्र-छात्राओं को पढ़ने में काफी सुविधा मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मेडिकल प्री-टैस्ट में 5 परसेंट का आरक्षण, बीच में कहीं कोई व्यवधान आया था और इसको माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय जनजाति मंत्री महोदय के प्रयास से वापस प्री-टैस्ट में जो छूट मिली है, इसी तरह दूसरे जो भी आई.ए.एस., आई.पी.एस., आर.जे.एस. और आर.पी.एस. में जहां भी एस.सी., एस.टी. की भर्तियां होती हैं, मैं आपसे और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जैसे बहुत सारे छात्र-छात्राएं हैं जो बी.ए., एम.ए. और एलएल.बी. करने के बाद में सरकार में इतनी सारी नौकरियों की व्यवस्था नहीं हो सकती फिर भी प्रयास ऐसा करते हैं कि वह बड़ी पोस्टों में, आगे पढ़ने में उनको काफी असुविधा होती है पर उनको आरक्षण में सुविधा दी जाए तो इस पूरे एरिये में हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को और

(श्री सुशील कटारा)

माननीय जनजाति मंत्री महोदय को हमेशा उस क्षेत्र की जनता याद रखेगी। माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी साहब ने 36 हजार के आस-पास शिक्षकों की भर्ती की है। पिछले पाँच-सात साल से जब से मैं भी समझदार हुआ हूं, कॉलेज में पढ़ने के बाद जब भी मुझे अनुभव करने का मौका मिला है, पिछले समय में राजीव गांधी पाठशालाओं में जहां शिक्षकों की भर्ती की, जहां पर वह ट्रेनिंगशुदा नहीं थे और आठवीं पास और दसवीं पास लगा दिये, उसी तरह जिस तरह पैराटीचर लगा दिये, उसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स में पैरा मेडिकल और पैरा इंजीनियर और पैरा मुंशी लगा दिये अगर पाँच साल और शासन इनका रह जाता, तो शायद पैरा मम्मी, पैरा डैडी, पैरा बेटा और पैरा बेटी भी हो जाते । मैं माननीय शिक्षा मंत्री घनश्याम जी तिवाड़ी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितने भी पैरा शब्द लगे हुए थे उनको हटाने में और उन 16 हजार का इस बजट सत्र में रखा है कि जितनी भी राजीव गांधी पाठशालाएं जो बची हुई हैं उनको वापस प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कराने का जो बीड़ा उठाया है उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक सफल कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये एक प्रशासनिक संगठन की आवश्यकता होती है और जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग का उदयपुर में जहां कार्यालय है, उस कार्यालय में मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस ट्राइबल बैल्ट में लोग किस तरह रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसके लिये वहां के ही सक्षम अधिकारियों को लगाया जाये तो उस एरिये के लोगों को समझ पायेंगे, वहां की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में वह देख पायेंगे तो निश्चित रूप से उस एरिये का जो अब तक विकास नहीं हो पाया है वह विकास अधिक से अधिक हो पायेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुनलाल जीनगर (अनुपस्थित) श्री सुंदर लाल (अनुपस्थित) श्री हीरालाल (निवाई) (अनुपस्थित) श्री रणधीर सिंह भिण्डर (अनुपस्थित) श्री अशोक कुमार नवलखा (अनुपस्थित) श्री पुष्पेन्द्र सिंह (अनुपस्थित) श्री अर्जुन लाल मीणा।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-30 जनजातिय क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या-33

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

सामाजिक सुरक्षा, मांग संख्या-51 जनजाति कल्याण के संबंध में चर्चा में भाग लेते हुए माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय, माननीय जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि सबसे पहले सन् 1975 में राजस्थान सरकार ने जनजातियों के चहुंमुखी विकास के लिये, जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये उदयपुर संभाग में एक जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय कटारा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले पाँच साल के शासन काल में, पूर्ववर्ती सरकार के पाँच साल के कार्यकाल में योजना मद में 262 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था, इन तीन वर्षों में 364 करोड़ रुपये का प्रावधान रखकर माननीय जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनजातियों के चहुंमुखी विकास के लिये बजट का जो प्रावधान रखा है निश्चित रूप से मैं इस मौके पर उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्रीय विकास जो 23 पंचायत समितियों से मिलकर एक टी.एस.पी. एरिया, शिड्युल्ड ट्राइब एरिया घोषित किया गया है। उस क्षेत्र की जनता के लिये, उस क्षेत्र की जनता के चहुंमुखी विकास के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास की स्थापना उदयपुर संभाग लेवल पर की गयी है जिसके अन्तर्गत 23 पंचायत समितियां आती हैं। उनके चहुंमुखी विकास के लिये पिछली सरकार ने मात्र पाँच करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, पिछले सत्र में, मैं माननीय जनजाति विकास मंत्री, कनकमलजी कटारा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रथम बजट सत्र में 30 करोड़ का प्रावधान किया और अब 30 करोड़ से 75 करोड़ का प्रावधान करके जनजाति क्षेत्रीय विकास के बजट का जो प्रावधान रखा है निश्चित रूप से उन लोगों के चहुंमुखी विकास के लिये बहुत बड़ा कदम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में पूरे राजस्थान की 12.57 प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों की हैं उसमें से 68.57 प्रतिशत जनसंख्या केवल उस ट्राइबल एरिये में निवास करती है।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं पिछले दो-ढाई साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, राजस्थान में जनजातियों के चहुंमुखी विकास के लिये शिक्षा के जगत में नौ

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किये और आवासीय विद्यालयों में जितने भी शिक्षकों के रिक्त पद थे, आवासीय विद्यालयों में आज पढ़ने वाले बालक-बालिकाएं हैं उनमें 80 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत जिनके अंक आते हैं उन बच्चों का एडमिशन वहां होता है, और उनमें पढ़ाने वाले फर्स्ट ग्रेड, सैकिण्ड ग्रेड के अध्यापक होने चाहिये लेकिन वहां वह अध्यापक नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप या तो ऐसी व्यवस्था करें कि आपके विभाग से उनको पढ़ाने के लिये जनजाति मद से उनकी भर्ती की जाए या कैडर बनाया जाए। कैडर बनाकर उन आवासीय विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती की जाए जिससे वहां के पढ़ने वाले बालक, जो अच्छे मार्क्स से वहां पढ़ रहे हैं, एडमिशन हुआ है तो उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि हमें वहां पर अतिथि शिक्षक के रूप में लेने पड़ रहे हैं, डेपुटेशन के रूप में विभाग में भर्ती करनी पड़ रही है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा आवासीय विद्यालय के बारे में कि विभाग अपने स्तर पर अध्यापकों की भर्ती करके उन आवासीय विद्यालयों में अध्यापक लगाने का प्रयास करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो टी.एस.पी. एरिया है एक, दूसरा माडा क्षेत्र है । टी.एस.पी. क्षेत्र के अलावा और भी जिले हैं हमारे इस राजस्थान में जैसे राजसमन्द जिले की कुम्भलगढ़, सिरोही जिले की पिण्डवाड़ा, पाली जिले की बाली और चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी और छोटी सादड़ी । इन क्षेत्रों में, इन पंचायत समितियों में रहने वाले जो बहुतायत में आदिवासी बाहुल्य है, उन लोगों के लिये, उन ग्राम पंचायतों के लिये मैं माननीय कनकमल जी कटारा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रयास करके भारत सरकार से कहकर टी.एस.पी. क्षेत्र को जोड़ने के लिये जो आपका प्रयास रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि भारत सरकार को यह प्रस्ताव भेजे हैं इसके लिये मैं समझता हूं कि जल्दी ही भारत सरकार से अनुमोदित होकर राजस्थान को प्राप्त हो जायेंगे। उस क्षेत्र की जनता के टी.एस.पी. एरिये में जुड़ जाने से जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, उन लोगों को निश्चित रूप से टी.एस.पी. एरिया का पूरा पूरा लाभ मिल पाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों की एक और समस्या है। मैं

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आदिवासी क्षेत्र में जो आदिवासी लोग बरसों से अपने जंगल में निवास कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अपना कब्जा जमाए हुए हैं लेकिन आज तक उनको खातेदारी हक नहीं मिला है। आज तक उनको पट्टे नहीं मिले हैं और बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हमारे पूर्व प्रधान मंत्रीजी श्री अटल बिहारी बाजपेयी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके समय में एक कानून पास करके 1980 के पहले से जिनका भी वन क्षेत्र में कब्जा था, उनको पट्टा दिलवाने की, नियमन की कार्यवाही की थी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत दिनांक 23.11.2001 से नियमन पर रोक लगाई है। मैं आपके माध्यम से माननीय कटारा साहब से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय उच्चतम न्यायालय में जो रोक लगी हुई है, मैं निश्चित रूप से उन आदिवासियों को जो बरसों से अपना कब्जा जमाये हुए बैठे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, मकान बने हुए हैं और उसका सब कुछ उसी पर आधारित है, उन लोगों को वन क्षेत्र में अपना अधिकार दिलाने का प्रयास किया जाये, यह मेरा निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन यह करना चाहता हूं और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो जनजाति और एस.सी., एस.टी. और जो दस्तकार लोग हैं, उनको अपने व्यवसाय करने के लिये, उनके द्वारा ऋण लेने के लिये जो दस्तावेज पेश किये जाते हैं पंजीयन और मुद्रांक में जो नि:शुल्क प्रावधान किया है, मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन एस.सी., एस.टी. और गरीब लोगों को जो मुद्रांक में और पंजीयन में नि:शुल्क का प्रावधान रखा है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कटारा साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, इनके विभाग के माध्यम से जनजाति क्षेत्र में अनेकों-अनेक योजनाएं जो चल रही हैं और वह योजनाएं जो प्रोपर रूप से क्रियान्वित हो रही हैं और जनजाति के लोगों को आज जो उसका लाभ मिल रहा है, मैं निश्चित रूप से यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को और माननीय कटारा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह सरकार आते ही जनजाति क्षेत्रों में जो खैरवाड़ा में उदयपुर जिले में राजकीय महाविद्यालय खोल कर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं।

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस बजट सत्र में जनजातिय लोगों को, जिनके कच्चे मकान बने हुए हैं उनको पक्के मकान बनाने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने 30 हजार रुपये का जो अनुदान देने का प्रावधान रखा है, निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी ने एक पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का जो इस बजट सत्र में प्रावधान रखा है उसके माध्यम से जो प्रीमियम की राशि है वह राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी और उससे दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस बीमित परिवार को 50 हजार रुपये के लाभ देने का जो प्रावधान रखा है,...

(समय 15.12 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, सभापति, पदासीन)

प्राकृतिक मृत्यु होने पर 20 हजार का जो प्रावधान रखा है और शारीरिक क्षति होने पर 50 हजार का जो प्रावधान रखा है और सामान्य क्षति होने पर 25 हजार का जो प्रावधान रखा है, निश्चित रूप से में समाज कल्याण मंत्रीजी का हार्दिक आभार प्रेषित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा, माननीय मदन दिलावरजी द्वारा बी.पी.एल. परिवार के नवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक और बालिकाओं के लिए बीमा कम्पनी सालाना 1200 रुपये जो राज्य सरकार का अंशदान दिया जा रहा है और राज्य सरकार ने 22 करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा है, निश्चित रूप से माननीय दिलावर साहब को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो वृद्धावस्था पेन्शन को 200 से बढ़ाकर 400 रु. का प्रावधान किया है, निश्चित रूप से मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं।

सभापति महोदय, शिड्यूल्ड एरिया में ट्राइबल क्षेत्र के उन जनजातिय लोगों की जो एक जायज मांग है, जो वर्षों से इस क्षेत्र की जनता के लिए लाभकारी नहीं रही है, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश आजाद हुए आज 57-58 साल हो गये लेकिन राजस्थान की प्रशासनिक सर्विस में आर.ए.एस. में मात्र दो अधिकारी टी.एस.पी. एरिया से बन कर आये

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

हैं और मात्र चार और पाँच तहसीलदार बने हैं, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से स्केल नम्बर एक से छः तक तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए, कम्पाउण्डर के लिए, नर्स के लिए शिड्यूल्ड एरिया में जो 45 परसेंट रिजर्वेशन का, जो आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार ने कर रखा है, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले दो-तीन साल से राजस्थान की प्री-मेडिकल टेस्ट में और सी.वी.सी. में पाँच परसेंट का आरक्षण का प्रावधान था, मैं यह कहना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के एक निर्णय के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, वह एस.सी. कैटेगिरी का निर्णय था, एस.सी. के लोगों के लिए निर्णय था और यह राजस्थान में कतई लागू नहीं होता था लेकिन मैं राजस्थान की यशस्वी माननीय मंत्री महोदय को, माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी को और माननीय कटारा साहब को इस सदन के माध्यम से यह हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुप्रिम कोर्ट का जो आर्डर आया था उसको वापस लेकर और उन जनजातिय बालक और बालिकाओं के लिए जो पी.एम.टी. में, एम.बी.बी.एस. में प्रवेश लेना चाहते हैं, एम.बी.बी.एस. की परीक्षा, पी.एम.टी. की परीक्षा पास कर के एम.बी.बी.एस. का कोर्स करना चाहते हैं और प्रति वर्ष 26 डाक्टर्स टी.एस.पी. एरिया से चुनकर वहां प्रवेश लेते हैं, उन लोगों को लाभ देने का आपने जो काम किया है, माननीय मंत्री महोदय को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से पी.एम.टी., पी.वी.टी. और स्केल नम्बर एक से छः अध्यापक और नर्स का जो आरक्षण का प्रावधान रखा गया है उसी तरह का प्रावधान उस शिड्यूल्ड एरिया में राजस्थान प्रशासनिक सर्विसेज में और राजस्थान के अन्य सर्विसेज में भी लागू किया जाए। यह मेरी मांग है आपसे।

मंत्री महोदय जवाब देंगे, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान की जो एस.टी. परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई थी माउंटआबू में और उस बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था, एडवाइजरी कमेटी के प्रस्ताव में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि जिस तरह से एक से छः तक स्केल में, जिस तरह से पी.एम.टी. और पी.वी.टी. में जिस तरह से आरक्षण का लाभ मिल रहा है उस तरह का लाभ आर.ए.एस. और आर.टी.एस.

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

और राजस्थान की सभी सर्विसेज में उस शिड्यूल्ड एरिया के लोगों को मिलना चाहिए। उस बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है, जब आप जवाब दें तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, यह बात निश्चित रूप से रखी जाए।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह से हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति, श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के शासन काल में यह जो टी.एस.पी. एरिया में 45 परसेंट का रिजर्वेशन का लाभ का उन्होंने जो प्रावधान किया था और उनके प्रयास से ही यह हमें आज लाभ मिल रहा है। मैं इस मौके पर निश्चित रूप से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके अथक प्रयास से आदिवासी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आपने जो इस रिजर्वेशन का प्रावधान कर जो इस संविधान में प्रावधान कर के लाभ दिलाने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं।

मैं एक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस अनुसूचित क्षेत्र में, शिड्यूल्ड एरिया में जो माइनिंग में, माईंस अलाटमेंट में जो रोक लगी हुई है उस रोक को क्या आप हटाने का प्रावधान कर रहे हैं या क्या विचार है? आप जब अपना जवाब दें तो इसका भी जवाब आना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपके विभाग ने भेड़ पालने के लिए, बकरी पालने के लिए, आवास के लिए, लिफ्ट योजना के लिए, विद्युतीकरण के लिए अनेकों योजनाएं आपके विभाग में संचालित हैं लेकिन इस बजट में क्या जो दो बड़े गांव, जो दो बड़े रेवेन्यु विलेज सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं क्या आपके इस टी.ए.डी. विभाग द्वारा सड़कों को जोड़ने का प्रावधान, दोनों गांवों को जोड़ने का प्रावधान रखेंगे? यह भी मैं आपसे मांग करता हूं।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में जो एक टी.आर.आई., ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अशोक नगर में चल रहा है वह विभाग का करीब 40 साल से उदयपुर में चल रहा है, वहां पर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए, जनजाति के रीति-रिवाज के लिए, जनजाति के लोगों के खानपान के लिए, रहन-सहन, आर्थिक और सामाजिक पर शोध कार्यकर्ता है, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शोध कार्य है, आज 57 साल तक उसका रिजल्ट हमें नहीं मिला है, उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

हूं कि उसमें स्थाई रूप से हमारे वहां के टी.एस.पी. क्षेत्र के लड़कों के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाए। वहां के बालक और बालिकाओं के लिए, आर.ए.एस., आर.टी.एस. के लिए, प्री-मेडिकल के लिए, पी.एम.टी. के लिए और पी.टी.ई.टी. के लिए एक स्थाई प्रशिक्षण की व्यवस्था वहां प्रारम्भ की जाए ताकि वहां के लोगों के लिए प्रशिक्षण लेकर बैंक एवं अन्य सेवाओं में व अन्य काम्पीटिशन में भाग लेकर और उन लड़कों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले ताकि वहां प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाए। यह मेरी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी मांग करना चाहता हूं कि आपने डिवीजनल हैडक्वार्टर पर इस सत्र में और पिछले सत्र में जनजातीय बालकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए अनेक इंस्टीट्यूट्स में कम्प्यूटर की सीटें आपने आवंटित करी हैं, मैं मांग करना चाहता हूं कि मेरे सलूम्बर एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और वहां कॉलेज, महाविद्यालय है और अन्य शिक्षा संस्थाएं चलती हैं और उदयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, वहां पर मात्र 15 स्टुडेंट्स के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

वहां पर मात्र पन्द्रह स्टूडेण्ट्स के लिए कम्प्यूटर के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। आपके आने वाले सत्र में इस बजट में मेरे वहां के सलूम्बर के लिए कम से कम पचास छात्रों के कम्प्यूटर के प्रशिक्षण के लिए आप प्रावधान करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, आपकी कृपा दृष्टि रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात को यहीं समाप्त करते हुए आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रघुवीर मीणा।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय सभापतिजी, मैंने भी कटमोशन्स दे रखे हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): सभापति महोदय, सदन में आज मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या 33 सामाजिक शिक्षा एवं कल्याण, मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संगठन योजनाओं पर चर्चा हो रही है। मैं भी अपने आपको इसमें शामिल करता हुआ कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सरकार के कुछ कदमों की तो मैं तारीफ भी करूंगा परन्तु कुछ कदम ऐसे हैं सरकार के जाने अनजाने में जनजातियों के

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

खिलाफ या पिछड़े लोगों के खिलाफ कदम उठाए जाते हैं उनके बारे में भी मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग वैसे तो 1975 में जनजाति विकास विभाग की स्थापना हुई और उसके तहत राजस्थान के सभी क्षेत्र की जनजातियों के विकास का काम प्रारम्भ हुआ। आगे जाकर इस विभाग को दो चार भागों में बांटा। जिसमें शिड्यूल एरिया, जो दक्षिणी राजस्थान की 23 पंचायत समितियों से बना हुआ क्षेत्र है जिसे टाडा कहते हैं उप योजना क्षेत्र, दूसरा माडा क्षेत्र, तीसरा माडा क्लस्टर और चौथा सहरिया क्षेत्र। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों को बांटकर विकास के काम शुरू किए। इनके विकास के लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार और अन्य योजना केन्द्र प्रवृर्तित योजना जो आती हैं उनके तहत पैसा आता है और आने के बाद अलग अलग तरीके से खर्च करके इनके विकास का काम किया जाता है।

सभापति महोदय, चूंकि आज जनजाति विकास मंत्रीजी जवाब देंगे। मैं निश्चित तौर पर कुछ सवालों का जवाब उनसे चाहूंगा। मौटे तौर पर जनजातियों के विकास के लिए मैं विशेषकर पहले जनजाति उप योजना क्षेत्र के बारे में ही चर्चा करूंगा क्योंकि समय पता नहीं सभापति महोदय कितना देंगे। जनजाति विकास विभाग आपके अण्डर में है। आपके सहयोग के लिए परामर्शदात्री की स्थापना की गई है, गठन किया गया है। मैं चाहूंगा कि पहले दो-सवा दो साल के कार्यकाल में आपकी कितनी बार तो परामर्शदात्री की बैठक हुई है, कृपया बताएं। दूसरा महाराष्ट्र पैटर्न का जो पैसा है, पहले महाराष्ट्र पैटर्न की मंशा क्या है यह आप कृपया स्पष्ट करें। चूंकि महाराष्ट्र पैटर्न की मूल मंशा जो थी मेरे ख्याल से उप योजना क्षेत्र के जितने प्रतिशत लोग हैं उनके हिसाब से प्लान का पैसा दिया जाना चाहिए। पहले बारह पाइंट समथिंग प्रतिशत की मांग थी परन्तु आठ प्रतिशत से शुरुआत की और पिछली सरकार हो चाहे यह सरकार हो, परसण्टेज के हिसाब से तो पैसा नहीं दिया पर टोकन मनी के रूप में पाँच करोड़ दे दिया, फिर आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया। परन्तु मैं समझता हूं महाराष्ट्र पैटर्न की मूल मंशा यह है कि उस क्षेत्र की जितनी पापुलेशन है, जितना परसण्टेज है उसके आधार पर प्लान का पैसा बजट का पैसा देना चाहिए। योजना जो है, योजना मेरे ख्याल से परामर्शदात्री के निर्णय के अनुसार योजना बननी चाहिए जबकि यहां अमूमन आपकी इस किताब में पढ़ने को आया है ए. एन. एम. की सैलेरी और अन्य दूसरे काम में नोन प्लान में पैसा लगाकर उस पैसे की इतिश्री की है।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

महाराष्ट्र पैटर्न के बारे में आपने बजट बढ़ाया उसके लिए तो धन्यवाद दूंगा ही दूंगा पर इसकी मूल मंशा क्या है उस पर आप निश्चित तौर पर प्रकाश डालेंगे तो हम आश्वस्त हो पायेंगे कि क्या सरकार की मंशा है। सभापति महोदय, चूंकि राजस्थान में जनजाति की आबादी 71 लाख के करीब है और उप योजना क्षेत्र में करीब करीब 31 लाख जनजाति के हैं वैसे तो 43-44 लाख के करीब हैं उप योजना क्षेत्र में परन्तु 31 लाख वहां के ट्राइबल हैं जो उस क्षेत्र के 68.52 प्रतिशत हैं उनके कल्याण के लिए जो स्कीम्स बनी हैं, जो अधिसूचना जारी हुई महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा और संविधान के आर्टिकल 244(1) के अन्तर्गत पांचवीं अनुसूची के अनुसार तो वहां की स्पेशल सुविधाएं हैं, वहां के लोगों की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन के उत्थान के लिए अलग से जो सुविधाएं प्रदत्त की गई हैं उन सुविधाओं में कहीं न कहीं खण्डित करने का जो प्रयास किया जा रहा है इसको रोकने की आवश्यकता है।

पिछले दिनों की घटना है, आप भी जानते हैं, आप यहां विराज रहे थे, सदन में मामला उठा भी था, सरकार ने उसके लिए आश्वासन भी दिया। मैं उसके लिए तो उनको धन्यवाद देना ही चाह रहा हूं परन्तु मैं इस बात का विरोध भी करना चाह रहा हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे राजस्थान सरकार को जो पी.एम.टी. और पी.ई.टी. में रिजर्वेशन विथड्रा करने का आपने यह तो यहां कह दिया, माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी टेक्निकल शिक्षा मंत्रीजी ने कह दिया कि हम उसको वापस करेंगे। मैं यह कहना चाह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला था तो आप वापस कैसे ले लोगे? 31.12 को आपने यहां से, राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी अजमेर को एम.डी.एच. को निर्देश भेजे हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विथड्रा कर लिया जाएगा और आपने सदन में आकर कह दिया कि हम वापस विथड्रा कर लेंगे हमारे आदेश को। यह भ्रामक बातें कैसे की जा रही हैं? हमने अभी पता किया एम.डी.एच के वी.सी. से उनका अभी भी यह कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा लिखित में आदेश आएगा तभी इस साल हम बच्चों को इसका फायदा दे पायेंगे तो हम यह स्पष्टीकरण भी चाहेंगे, मंत्रीजी चाहें तो आपस में बात कर लें, जनजाति मंत्रीजी आप इस विभाग से जुड़े हुए हैं, इस कौम से जुड़े हुए हैं इसलिए आप निश्चित तौर पर इसको स्पष्ट करें कि क्या अभी काउन्सिलिंग होगी इस वर्ष में जुलाई में काउन्सिलिंग होगी इस काउन्सिलिंग में ट्राइबल सब प्लान इलाके के बच्चों को बारह प्रतिशत में से पैंतालीस प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

पी.एम.टी, पी.ई.टी में क्या यह फायदा देंगे? यदि मिलेगा तो वह आदेश जारी करने की कहां आवश्यकता पड़ गयी जिसके तहत इस रिजर्वेशन को विथड्रा करने की आवश्यकता पड़े। दूसरा हमें तो दूध से मतलब है अगर आप कर देंगे तो अच्छी बात है। मैं और निवेदन करना चाह रहा हूं ऐसा नहीं है एक और अभी-अभी जो माननीय सदस्य ने प्रकाश भी डाला था 20.10.2000 व 10.10.2002 को एस.सी व एस.टी. के पदों की सीधी भर्ती प्रमोशन से सामान्य वर्ग से कभी नहीं भरा जा सकता है। जो सर्कूलर थे उसको विथड्रा करने की कार्यवाही क्यों चल रही है, कौन चला रहा है? सरकार अगर यह कह देती है मैंने अभी यह बोला उसमें भी यह कहा कि सरकार की जानकारी में नहीं है तो क्या अधिकारी अपने आप ही सुओ मोटो वहां से वहां कर देते हैं। अगर ऐसा राज चल रहा है तो हम क्या उम्मीद करेंगे? आप इस पर यह बताने की कृपा करें कि यह जो आदेश विथड्रा करने की कार्यवाही चल रही है यह कौन कर रहा है, मंत्रिमंडल की जानकारी में है या फिर कोई अधिकारी सीधे कर रहे हैं यह मुख्य मंत्रीजी की जानकारी में नहीं आ रहा है। यह निश्चित तौर पर इस पर प्रकाश डालेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे साथ जो बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है वह पूरा हो पाएगा।

तीसरा आज जो बैकलाग है एस.सी. एस.टी. का करीब सत्तर हजार के लगभग है तो क्या इस बैकलाग को भरने के लिए कोई आपकी मंशा, कोई नीति या कोई ऐसा प्लान है क्या? या ये खतम ही कर दिए जायेंगे आने वाले समय में? इस पर निश्चित तौर पर आप प्रकाश डालेंगे तो इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा और आपकी पीठ थपथपाएगी राजस्थान की जनता। अभी एक माननीय सदस्य बहुत तारीफ भी कर रहे थे, निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के हैं तो करनी भी चाहिए परन्तु जनजाति उप योजना क्षेत्र बल्कि पूरे राजस्थान में आपने आवासीय विद्यालय खोल रखे हैं। जनजातियों की शिक्षा का स्तर है, मैं कह सकता हूं कि उप योजना क्षेत्र में इतना बुरा अभी इसलिए नहीं है कि पिछले समय में पुरानी बातें और आज की तुलना करें। मैं थोड़ा तुलनात्मक रिपोर्ट पढ़कर यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान में 2001 में सामान्य वर्ग का परसेंटेज था 60.4; परसेंट। उसमें से एस.सी. का 44.7; परसेंट, ठीक-ठीक कह सकते हैं। 2001 में ट्राइबल सब प्लान इलाके में 39.19 परसेंट, 44 में से 39 परसेंट, इसका मतलब पढ़ाई का स्तर ठीक है वहां। यह बात इसलिये कह रहा हूं, मैं बाद में बताने जा रहा हूं महिलाओं का स्तर है राजस्थान में 26.50 और

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

ट्राइबल सब प्लान इलाके में 22.14 परसेंट। इसका मतलब परसेंटेज राजस्थान के एवरेज में ठीक है। दूसरा मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कभी-कभी यह कहते हैं कम्पीटीटर मिलते नहीं है इसलिये रिजर्वेशन विथड्रा कर रहे हैं इस तरह और इतना रिजर्वेशन तो है ही कि कम से कम डाक्टर बन सकता है, चपरासी बन सकता है, बाबू बन सकता है। परन्तु इसका इंटरप्रिटेशन अलग तरह से करके और वहां लोगों के साथ अन्याय नहीं हो जाये इसके लिये निश्चित तौर पर आप एश्योर करेंगे।

शिक्षा के लिये आवासीय विद्यालय खोल रखे हैं 9 राजस्थान में और उसमें ट्राइबल सब प्लान इलाके में भी है, इधर भी है, हाड़ौती में भी है और अन्य जगह भी है, वहां की स्थिति क्या है ? वहां की स्थिति मैं एक-एक बताऊं- सलूम्बर में सेकिंड ग्रेड के 7 पद थे, दो भरे हुए हैं, एक अधीक्षक, वह भी खाली है आज की तारीख में। कोटड़ा में सेकिंड ग्रेड के 7 पद थे आवासीय विद्यालयों में, दो भरे हुए हैं, अधीक्षक एक, वह भी खाली है। खैरवाड़ा में 7 पद स्वीकृत थे, भरे हुए हैं 4, 3 रिक्त हैं, अधीक्षक का पद एक, वह भी रिक्त है। प्रतापगढ़ में 7 पद थे सेकिंड ग्रेड टीचर के और 4 पद भरे और 3 खाली हैं और अधीक्षक एक, भरा हुआ है। कुशलगढ़ में 7 पद थे, 3 भरे हुए, समय खराब नहीं करके मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सेकिंड ग्रेड के 63 पदों में से 30 भरे हुए हैं और 33 खाली हैं। शारीरिक शिक्षकों में टोटल 9 पद आवासीय विद्यालयों में से 6 भरे हुए और 3 खाली हैं। 72 अध्यापक हैं, 366 भरे और 36 खाली हैं। अधीक्षक 9 में से 4 भरे हुए हैं, 5 खाली हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद करें। चार-चार करोड़ रुपये खर्च करके आपने हास्टल की बढ़िया बिल्डिंग बना दी, बच्चों को भर्ती कर दिया। दो-दो सौ बच्चों को भर्ती कर दिया और वहां अधीक्षक नहीं, सेकिड ग्रेड टीचर, सब्जेक्ट टीचर नहीं, वहां किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में वहां का बच्चा कैसे आगे निकल पायेगा? मैं यह भी सरकार से जानना चाहूंगा सरकार ऐसा विचार नहीं कर सकती क्या कि यह सेंट पाल, शहरों में तो अच्छी पढ़ाई करा सकते है, गांवों में जाकर करायें तो देखें। इनको निश्चित तौर पर यह सहायता जो लेते है, इनको सरकार नहीं कह सकती कि आपका स्टाफ लेकर आपको देते हैं, यहां शिक्षा दीजिये आप। सेंट पाल है, आपके जितने भी रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, इनसे बात करके आप नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी व्यवस्था के अनुसार तो इनकी हालत ऐसी हो रही है इसलिये निश्चित तौर पर आप इस पर विचार

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

करें ताकि आदिवासी बच्चा आगे निकल कर कम्पीटीशन में आगे आ सकता है और आज जैसी हम उम्मीद कर सकते हैं उस उम्मीद के अनुरूप वह बन सके।

माननीय सभापति महोदय, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में काम देखते हैं संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त के पास इतना काम होता है पाँच पाँच जिलों का, वह कलेक्टर्स को संभालें या जनजाति विभाग को संभालें। इसलिये प्रशासनिक काम में वह इतने व्यस्त रहते हैं कि विकास के काम में ध्यान दे नहीं पाते। बहुत लम्बे समय से हम यह बात उठाते भी आ रहे हैं, आज भी मैं यहां पर आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि जनजाति के विकास के लिये ट्राइबल कमिश्नर अलग से लगाया जाये ताकि कम से कम करोड़ों रुपयों की जो स्कीम्स हैं, जो एड भारत सरकार से भी आती है, राजस्थान सरकार भी कई योजनाओं से खर्च करती है, तो कम से कम उसका मानीटरिंग तो प्रोपर हो सके। मानीटरिंग हो सके, विकास के काम की गति बिलकुल व्यवस्थित रूप से बढ़ सके। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको क्योंकि उनके लिये सबसे बड़ी चीज है और सरकार की मंशा पर भी यह करता है। अनुसूचित क्षेत्र में 685.39 करोड़ का पूरा प्रावधान था जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी है, केन्द्रीय सहायता का भी है, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना भी है और दिसम्बर, 2005 तक 215.28 करोड़ रुपये व्यय किये, क्यों? मार्च, अप्रैल से लेकर दिसम्बर तक आपने आधा तो छोड़ो एक चौथाई रुपया खर्च क्यों किया? या तो आपकी काम करने की मंशा सही नहीं है, या फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनकी लापरवाही है, या हमारा मानीटरिंग प्रोपर नहीं है, या लाभ लेने वाला लेना नहीं चाहता है, इसके बारे में क्या है?

कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिये बजट में राज्य योजना का 2726.15 लाख का प्रावधान था और व्यय किया 818.5 लाख। 2726 था और खर्च किया 818 लाख, तो इसके पीछे क्या मंशा है ? केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता थी 792.78 लाख और खर्च किया 191.71 लाख, इसके पीछे क्या है ? केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में 1852.96 लाख का प्रावधान था, 620.27 लाख खर्च किया। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं का ही उदाहरण है।

आप देखेंगे सिंचाई में 9666.98 लाख का प्रावधान था, खर्च किया 4731.90 लाख। मतलब आधा भी नहीं, इसका मतलब यह है कि हम काम करना नहीं चाहते हैं और पूरा सेण्टर का और सारा मिलाकर 10658.78 लाख के प्रावधान के अंगैस्ट में 5134.9 लाख रुपये खर्च किये। इसका मतलब हम

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

प्रावधान तो कर रहे हैं बड़े-बड़े वाहवाही लेने के लिये परन्तु मौके पर उसका अचीवमेंट हमारा पूअर है, 50 प्रतिशत भी नहीं है। सिंचाई के लिये मैं निवेदन कर रहा हूं, एक उदाहरण दूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमने पिछली सरकार के समय 1 करोड़ 38 लाख का एक एनीकट था वह 1 करोड़ में बन गया। परन्तु अधिकारियों की यह सोच थी यह एम.एल.ए. और यह लोग तो यूं ही जिद कर रहे हैं, फिजिबल तो है नहीं। हमने जैसे तैसे करके जिद करके वह बनवाया एक करोड़ में और हमने किया क्या ? एनीकट को बरसात का पानी टर्न करके छोटे-छोटे दूसरे तालाबों में डाल दिया, आज उस एक साल में एक करोड़ से ज्यादा इन्कम उस अकेले एनीकट से है। जो लोग ट्राइबल जहां दस रुपये नहीं कमाते थे वह 45,000 रुपये के टिंडे बेचकर आते हैं, सब्जी बेचकर आते हैं, तो ऐसी छोटी-छोटी योजनाएं हम बनावें और यह सिंचाई का पैसा जो सरप्लस हो रहा है, सरप्लस का लैप्स् हो रहा है, या जो भी है, 50 प्रतिशत पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, इन पैसों को इसमें खर्च करना चाहिये ताकि हमारा पैसा बराबर उपयोग में आए।

विद्युत में पता नहीं हम क्यों काम करना नहीं चाहते हैं। विद्युत में राज्य सरकार का प्रावधान था 3250.58 लाख, खर्च हुआ 593.97 लाख। मतलब इसको क्या मानें? आधा क्या, यह पता नहीं कितना-कितना हो गया। जहां हजारों से सैंकड़ों में आ गया तो और आगे बढ़ें।

उद्योग एवं खनिज इसमें 1851.97 लाख का प्रावधान था और खर्य हमने किया 161.58 का । हम किसी भी तरह से ट्राइबल के आदमी को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं । अगर हमारी नीयत ठीक है तो ट्राइबल को हम खानें अलाट करें और यह पैसे का जो प्रावधान किया है उनको वह पैसा दें, लोन दें । मदद करें, सहायता करें, आगे बढ़ायें । यह जो फैसला एज्युम करके आपने हमारे ऊपर लाद दिया है चेन्निया बनाम आंध्र प्रदेश का जो फैसला था वह एस.सी. कम्युनिटी का था वह यहां एस.टी. पर लागू किया है । किसी भी तरह का ट्राइबल सब प्लान एरिये का उसमें ना कोई हवाला था फिर भी उसे लागू कर दिया और छुपा-छुपाकर, वी.सी. ने प्रेस कांफ्रेंस भी की तो खाली राष्ट्रदूत और दैनिक नवज्योति की, राजस्थान के बाकी लीडिंग पेपर्स को नहीं बुलाया । इसका मतलब हमारी नीयत में खोट है । इसी तरह से 1996 में समता बनाम आंध्र का फैसला हुआ था, क्या आज तक इस सरकार ने लागू किया है । चाहे पिछली सरकार हो या यह सरकार हो, क्यों इसमें तो कोर्ट

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

कंटेम्प्ट नहीं लग रहा है और इसमें कोर्ट कंटेम्प्ट लग रहा था । हमारी नीयत ठीक नहीं है । आदिवासी को हम आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं । उनको हम शिक्षित नहीं करना चाहते हैं । हम यह भी नहीं चाहते हैं कि वह पैसे वाले बन जायें । यह है हमारी नीयत ।

सभापति महोदय, मेरे ख्याल से मंत्रीजी इस और भी ध्यान दें, आप आश्वस्त करें, सभापति महोदय, आपने घंटी तो बजा दी है, एक-आध विषय और लूंगा...(व्यवधान) ट्राइब्ल सब प्लान एरिये में आबकारी नीति आपने लागू की है । वहां के आदिवासियों को आप मारने का काम कर रहे हैं । पुलिस से तो वह मरेगा क्योंकि पुलिस जितने भी केस बना रही है, आदिवासियों को पकड़-पकड़ करके कि इतनी बोतल शराब पकड़ी, इतनी बोतल पकड़ी है । उसमें बरबाद कर रही है । दूसरा जो गंगानगर शुगर मिल चालीस दुकानों के माध्यम से पूरे ट्राइब्ल सब प्लान इलाके में 12 रुपये का तो क्वार्टर, 24 रुपये का अद्दा और 48 की बोतल देती थी, वह आपने रेट डबल कर दी, 12 की जगह 24 कर दी, 24 की जगह 48 कर दिया और 48 की जगह 100 कर दिया तो पीने वाले तो पियेंगे ही पियेंगे...(व्यवधान) पीने वाला तो पियेगा ही नागर साहब, वह तो आप कितना ही छुपायें वह नहीं छुटेगी । एक तो उसकी जेबखाली हो रही है । दिन भर मजदूरी करके आयेगा फिर शराब पी जायेगा...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आपके हिसाब से पीता है...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): बैठकर बात कर लेंगे...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो पूर्व में थी वही रख दो न । आप दिमाग ही मत लगायें इसमें । बिना दिमाग का काम करो । पूर्व में ही थी वही रख दें ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप तो वैसे ही ले आना (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सरकार का जो कमीशन है वह काटकर कम दें तो हो जायेगा ।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): पिछले सत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ हमारी बैठक भी हुई। उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया था। भारत

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

सरकार का टैम्फरेंस प्रक्रिया है उसका उल्लंघन हो रहा है। हमने निवेदन किया था कि आप ठेकेदार के द्वारा बेचने से वहां के आदिवासियों को मार रहे हो और उनको और गरीबी में ले जा रहे हो और इस पर विचार करें। उन्होंने कहा कि जैसे-तैसे इस साल तो चला गया । लेकिन अब यह वापिस आ गया । अब क्या किया? आपने कुछ नहीं किया । आप तो ठेकेदारों को मजबूत करना चाह रहे हो ।

सभापति महोदय, यही नहीं जयसमंद जैसी झील है जहां 13-13 सोसायटियां हैं आदिवासियों की, जिन सोसायटियों को राजस्थान सरकार मदद करती थी नाव, जाल और औजार खरीदने के लिए पैसे देती थी। उनसे वापस निकाली हुई मछलियां खरीदती थी । वह आपने इस साल प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया। इस तरह वह लोग मर गये । उनके साथ अन्याय हुआ। वह जितनी फेसेलिटी मिल रही थी उन्हें मकान बनाने के लिए पैसा मिलता था, अनुदान मिलता था, व जाल खरीदने के लिए अनुदान मिलता था वह सारा का सारा बंद कर दिया और ठेकेदार तो अपना फायदा कमाने के लिए आदिवासियों की कोई मदद नहीं करेगा और अपना कमाया हुआ पैसा उनको दान में नहीं देगा। इसलिए यह जो जितने निर्णय हो रहे हैं यह आदिवासियों के खिलाफ हो रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में राजस्थान में 11 हजार के करीब बच्चे सलेक्ट होते थे रेपुटेटेड स्कूलों के लिए, जो प्रतिभावान छात्र थे उनको अलग-अलग जितने भी स्कूल थे उनमें रखते थे लेकिन इस सरकार के आने के बाद वह भी बंद हो गये । यही नहीं आपने छात्रवृति भी बंद कर दी । ताकि वह बच्चे आगे नहीं बढ़ पायें । यह आप विचार करें ।

सभापति महोदय, समाज कल्याण के लिए आप कहते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं परन्तु शिशु गृह और बालिका गृह जैसी जगहों में भी आप ध्यान नहीं देगे और वैसे भी आप कम खर्च करने जा रहे हैं । पहले वहां बजट प्रोविजन होता था लाखों में 2005-06 में तो 31.68 लाख था और उसके पहले 36.98 लाख और उसके पहले 30 तो आपने घटा दिया और उसमे खर्च कितना किया आपने...(व्यवधान) एक साल पहले तो 37 था और उस पर वापिस कम कर दिया ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): सभापति महोदय, हम तो चाहते हैं कि जीरो हो जाये । कम नहीं जीरो हो जाये । ताकि बच्चों को मां-बाप छोड़कर नहीं जाये और स्वयं पालें तो ठीक रहेगा । मैं तो यही भगवान से कामना करता हूं कि बजट जीरो हो जाये (व्यवधान) मां-बाप बच्चों को खुद पालें तो यह प्रश्न नहीं होगा ।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): शिशु गृह में यही थोड़े ही है कि बच्चे जिनके मां-बाप छोड़ जाते हैं...(व्यवधान) अगर आपकी यही मंशा है तो फिर आपसे ज्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं है । बालिका गृह में भी यही चाहते हैं क्या आप । बालिका गृह में आपने 2005-06 में पिछली बार तो 32.31 था अब 15.63 हो गया और लाभान्वित पिछली बार 112 थे अब 95 हो गयी । इसमें भी यही चाहते हैं क्या?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): हां, इसलिए चाहता हूं कि यह बालिकाएं जो आती हैं, खो जाती हैं वह बालिकाएं आती हैं । हम चाहते हैं कि अपचारी बालिकाएं ना हों, हम चाहते हैं कि किसी की बालिका गुम ना हो। यह बजट कम होता जाये। हमारे यहां बालिका-बालक ना आयें तो ठीक रहेगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): एक और निवेदन करूंगा। उसमें भी यही चाहते हैं क्या ? विश्वास योजना थी, विकलांगों को स्वरोजगार देने की एक योजना थी । उसमें आपने एक करोड़ का प्रोविजन रखा था उसके विरूद्व आपने 22.44 लाख व्यय किये हैं । यही चाहते हैं कि इसमें भी कम हो जायें । इसमें भी यही चाहते हैं ना। यह सब बातें मिलाकर के सरकार सही तरीके से इन वर्गों का कल्याण नहीं करना चाहती है और हम चाहेंगे आप इस पर ध्यान दें और मंत्री महोदय आप अपने जवाब में जो-जो हमने बातें उठायी हैं तो उसका जवाब देने का प्रयास भी करें । आगे इनके विकास के लिए कोई और योजना आये उसको लागू करें। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के 13 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25 मार्च,2006 को मध्याह्न पूर्व 10.15 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई । समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 30 मार्च, 2006 से 7 अप्रैल, 2006 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

गुरूवार, दिनांक 30 मार्च, 2006	बैठक नहीं होगी
शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 2006	गैर सरकारी कार्य दिवस
शनिवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2006 रविवार, दिनांक 2 अप्रैल,2006	बैठक नहीं होगी
सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल, 2006	1. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 2. राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण
मंगलवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2006	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, 2006 पर विचार एवं पारण
बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2006	अकाल एवं बिजली पर चर्चा
गुरूवार, दिनांक 6 अप्रैल, 2006	बैठक नहीं होगी
शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल, 2006	1. राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006 2. राजस्थान सूचना का अधिकार (निरसन) विधयेक, 2006 -पर विचार एवं पारण

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शासकीय विधेयक यदि कोई हों, तो उनके लिए भी समय नियतन हेतु कार्य सलाहकार समिति ने माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सहमति प्रदान की गई।

मांग संख्या-30, 33 व 51 पर विचार

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, इधर से और उधर के काफी माननीय सदस्य बोल लिए...।

श्री सभापति: एक के बाद आपका नाम आ सकता है अभी। श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में बहुत गम्भीर समस्या है। इस प्रान्त की आबादी का आठ प्रतिशत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आता है, उसमें से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, ये जिले प्रमुखत: आते हैं। माननीय सभापति महोदय, सन् 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और तब से हम अनुसूचित जनजाति विकास की बात कर रहे हैं, पर यह विकास कोई विशेष नजर नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1975 में इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई और कमिश्नर भी बनाया गया, सब किया गया। आज इसको 30 साल से ऊपर हो गए, इनके लिए अभी तक क्या किया गया? यह हमारे लिए गम्भीर चुनौती भी है और गम्भीर समस्या भी है। वे आज भी उन्हीं हालात में हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप जिस क्षेत्र से हैं वह सम्पन्न है, पर हम जिस क्षेत्र से हैं वहां के आदिवासी आज भी घास-फूस की छोटी सी झोपड़ी बनाकर, उसमें दो गिलट के बरतन, दो छोटे-मोटे चूल्हे, तीन-चार बरतन से ज्यादा कुछ होता नहीं। मैं किताबों-विताबों से कोई बात नहीं कहूंगा। ताले के नाम पर उनके पास कुछ नहीं, केवल एक डण्डा रखते हैं और उसको लगाकर वे चले जाते हैं कि कोई मोटा जानवर उसमें न घुसे। वरना ले जाने को तो ले जाएगा भी क्या। इस प्रकार की हालत है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे उदयपुर जिले के कोटड़ा और झाड़ौल में खूब पानी बरसता है, लेकिन आज भी वहां पर जितने एनीकट बनने चाहिए वह नहीं बने, यह कौन बनाएगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने माननीय

(श्री शांतिलाल चपलोत)

मुख्य मंत्रीजी से भी पहले निवेदन किया है और माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आदिवासी आबादी आठ प्रतिशत है हमारे इस प्रान्त में, उस हिसाब से क्यों नहीं आप बजट देते? मैं चाहूंगा कि यदि आज आपका सात हजार करोड़ का बजट है या आठ हजार करोड़ का बजट है या पांच हजार करोड़ का बजट है, जितना भी है उसका आठ प्रतिशत उसकी आबादी के हिसाब से उसको दो। वास्तव में यदि हम उनका उत्थान करना चाहते हैं, वास्तव में यदि हम देश के विकास की होड़ में उनको आगे नहीं लाएंगे तो यह सब हमारी करी-कराई बातें धरी की धरी ही रह जाएगी। यदि हम पर भार पड़ेगा तो कोई मतलब नहीं है। आज भी यदि हम उनकी आबादी के हिसाब से देखें, उनकी आमदनी की हिसाब से देखें तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ट्राइबल की आमदनी दस रुपए प्रतिदिन भी नहीं है। किस तरक्की की बात हम करना चाहते हैं, किस विकास की बात हम करना चाहते हैं, किस ऊंचाई की बात हम करना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि गत समय, अशोकजी गहलोत की सरकार के समय इस सारे ट्राइबल एरिया के लिए पांच करोड़ का बजट प्रावधान था। हम आए तो तीस करोड़ हो गया और अब बार मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि कुछ सुन-सुनाकर कुल बजट 75 करोड़ किया। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या इतना ही काफी है? चतुराई से घुमा-फिराकर माननीय मंत्रीजी ने कह दिया सात अरब का बजट पास कराओ, भैया, सात अरब का तो सब हो गया आपके, पर यह सही नहीं है उसके लिए आपको पूरे प्रयत्न करने पड़ेंगे। आपने तो वहां कोई अध्यापक लगाए हैं तो वह भी सारा उसमें मिल मिलाकर कर दिया। उसके डवलपमेण्ट के लिए आपने क्या राशि आवंटित की है, यह थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। हमारा एरिया तो डवलप हो जाएगा पर आदिवासी एरिया कब डवलप होगा?

माननीय सभापति महोदय, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वन वहां की सम्पदा है और सारा आदिवासी समाज उसमें रहता है, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि उन वनों को यदि कोई सुरक्षित रख सकता है तो वह आदिवासी ही रख सकता है, उन वनों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अधिकार दिए जाएं कि यह पांच बीघा के वन आप ही इनको पालो, आप ही इनको पोसो, आप ही इनको बड़ा करो, आप को हम थोड़ी बहुत राशि

(श्री शांतिलाल चपलोत)

दे देंगे। उस ट्राइबल को ही आप पैसा दो कि यह सुरक्षा आप करें, आपको हम देंगे पांच सौ रुपए महीने एक बीघे का या पांच सौ रुपया पांच बीघे का देंगे, सौ रुपए बीघे का देंगे। कुछ न कुछ राशि फिक्स करके आप उनको पैसा दो तो वे वन सुरक्षित रखेंगे।

आज ओजोन परत में छेद से सारा विश्व घबरा रहा है और सारा का सारा विश्व पर्यावरण से दु:खी है। आज पर्यावरण यदि कोई सुरक्षित रख सकता है तो वह आदिवासी का लड़का ही रख सकता है जो उस क्षेत्र में रहता है, वही उसको बचा सकता है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे आदिवासी समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं पर उनको आज तक निखारा नहीं गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने अभी पांच-सात दिन पहले भी मेरी बात उठाई थी कि लिम्बाराम, जिसने बहुत ही अच्छा ओलम्पिक में नाम किया है, हमारे झाड़ौल का आदिवासी बच्चा है। नरेश कटारा, नरेश डामोर, ये इतने अच्छे तीरंदाज हैं, पर उनको क्या मिल रहा है? बहुत मुश्किल से चपड़ासगिरी की नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। मैं खेल मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं और जनजाति मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उनके लिए आप अलग से कोई प्लान बनाएं। उनकी तीरंदाजी के लिए जो धनुष होते हैं वह सवा-सवा लाख में आते हैं। अभी यहां हमारे ट्राइबल से सम्बन्धित अधिकारी भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनके लिए कम से कम कोई प्लान तो बनाएं। करीब सवा लाख रुपए में एक धनुष आता है और पांच-सात हजार रुपए में एक तीर आता है, उसकी व्यवस्था हो तब जाकर वे अंतराष्ट्रीय स्तर पर ठहर सकते हैं। उनके लिए कोई प्लान थोड़ा-बहुत बनाएं, उन लोगों के बारे में आप कुछ न कुछ सोचने का प्रयत्न करें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, जितनी अनुसूचित जनजाति की आबादी है उसका एक तिहाई छितरी हुई आबादी है। जिसमें मैं भी हूं, सी पी साहब भी हैं, उनका सारा एरिया है, हमारे एरिया में 32-32 हजार ट्राइबल की आबादी है, कुम्भलगढ़ में भी है, उनके लिए आपके पास क्या प्लान है? उनके लिए कोई प्लान नहीं है। जबकि सबसे पिछड़ी हुई आज की तारीख में अनुसूचित जनजाति है वह हमारे क्षेत्र में है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान)... मैं जानकारी के लिए बता दूं, जॉब रिजर्वेशन का फायदा उनको नहीं मिल रहा एक से छह कैटेगिरी में। दो तरह के आदिवासी हैं, एक तो जो शिड्यूल एरिया के आदिवासी हैं उनके लिए तो रिजर्वेशन है लेकिन वही आदिवासी कुम्भलगढ़, गोगुन्दा, नाथद्वारा या बावली में रह रहा है, उसको जाब रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। इसलिए यह तो कम से कम आप अमेण्डमेण्ट करो जिससे उनको भी फायदा मिले।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): हां, यही मैं कह रहा था। मैं बहुत आभारी हूं नाथद्वारा से आने वाले मेरे मित्र का, उन्होंने सही बात कही। उस एरिया में एक से छह तक या एक से नौ तक की कैटेगिरी में उनको दे दिया। हम आपको रिजर्वेशन देते हैं 45 परसेंट का, पर हमारे आदिवासी को तो वो भी नहीं है। कम से कम जॉब में किसी प्रकार का रिजर्वेशन होगा, यह तो आप करें। उसकी क्या आर्थिक दशा बिगड़ी हुई है मैं उसका वर्णन अपने मुंह से कर नहीं सकता, कोई शब्द नहीं है उसके वर्णन के लिए। हमारी आजादी, हमारी ऊंची-ऊंची बातें, ये इमारतें, यह विधान सभा और विधान सभा की गगनचुंबी बिल्डिंग, ये सब मिथ्या हो जाएंगी यदि हमने उसको वक्त रहते सम्भाला नहीं, उसके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उस गरीब के लिए कोई न कोई व्यवस्था की जाए जो छितरी हुई आबादी में है। अनुसूचित जाति के लिए तो है, पर अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है। यह हमारी बड़ी कंसर्न है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसके बारे में सोचें।

आज की तारीख में हमारे यहां जितने आदिवासी हैं उसमें से 40 प्रतिशत से ज्यादा टीबी के मरीज होंगे। यह मैं कोई मिथ्या बात नहीं कह रहा हूं, मैं ट्राइबल मिनिस्टर साहब से, स्वास्थ्य मंत्रीजी से, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के एक-एक व्यक्ति का आप परीक्षण एक बार करवाएं। गरीब व्यक्ति का परीक्षण कराएं, किस प्रकार से किस हालत में वह रह रहा है? उसके पास न्यूट्रेटिव वेल्यू की कोई न कोई चीज, उन्हें विटामिन्स के लिए कोई न कोई साधन उपलब्ध कराएं जिससे उनके शरीर में प्रोटीन जाएं, इस प्रकार की कोई व्यवस्था उनके लिए हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज की तारीख में इतने ज्यादा टीबी के मरीज वहां मिल जाएंगे, इसलिए इस बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

माननीय सभापतिजी, यह ट्राइबल का थोड़ा सा रिजर्वेशन मेडिकल और इनमें था वह भी खतम हो गया। अच्छा था कि सरकार सुप्रिम कोर्ट में वापस जा रही है और किसी न किसी प्रकार का कर रही है, माननीय मंत्रीजी भी प्रयत्न कर रहे हैं। यदि उसको रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो हमारे एरिया का आदिवासी कभी अपनी जिंदगी में डाक्टर नहीं बन सकता, हमारे यहां का एक आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हमारे यहां का एक आदमी बड़ा अफसर नहीं बन सकता। जैसा कि हमारे भाई अर्जुनजी बता रहे थे, एक-दो तहसीलदार हैं, हमारे यहां कुल आबादी का 80 प्रतिशत आदिवासियों का हम लेकर बैठे हैं, दो तो तहसीलदार हैं, एक नाममात्र का कोई एसडीओ हो गए होंगे, इसके अलावा कोई अफसर नहीं है। हां, यह जरूर है कि छोटा-मोटा चपरासी जैसी नौकरी में जरूर भर्ती कर लिये होंगे, उससे कोई उनका हल नहीं होने वाला है। जब तक कम्पीटिशन की दौड़ में, इस रेस में हम उनको आगे नहीं लेंगे तब तक हम किसी प्रकार से सफलीभूत नहीं होंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आईटीआई जैसे छोटे-छोटे स्कूल इस आदिवासी इलाके में आप खोलें। आज उच्च शिक्षा मंत्रीजी अभी नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं आपने प्राइवेट रूप में आईटीआई खोलने के लिए सहभागिता से आईटीआई खोलने के लिए कहा है। माननीय जनजाति मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कम से कम आप आईटीआई खोलें। क्या झाड़ौल, सराड़ा, गोगुंदा में आईटीआई है? नहीं है। किस विकास की बात हम करेंगे। एक-एक आईटीआई किसी भी हालत में अबकी बार इस बजट में जब आप अपने भाषण में घोषणा करें तो आप वहां खोलिए और 50-50, 60-60 सीटें करिए ताकि कम से कम वह बच्चा टेक्नीशियन बनकर एक अच्छा हुनर प्राप्त करेगा। आपके वहां तो फैक्ट्रियां नहीं होंगी, पर जहां फैक्ट्री मिलेगी वह जाएगा, उसको हुनर मिलेगा तब तो जाकर वह काम करेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मैं कोचिंग के लिए कहना चाहता हूं। दो बातें हैं, एक तो इन बच्चों को कोचिंग दीजिए। उदयपुर शहर में ट्राइबल बच्चों की कोचिंग के लिए अलग कोई न कोई व्यवस्था की जाए। जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए अलग से कोचिंग होगी, नहीं तो वह कभी भी कम्पीटिशन में नहीं आ सकता, यह मेरा आपसे अनुरोध है कि उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था हो। जो बच्चियां गांव से शहर में नौकरी करने आयी हैं या और कहीं

से आयी हैं वे कहां रहेंगी? उनके लिए वर्किंग वीमेन्स होस्टल हों। सोशल महिलाओं का एक होस्टल बनाया जाए जिससे वे उसमें सुरक्षित रह सकें और अपने काम पर जा सकें, नर्सिंग का काम है, और कई काम हैं इस तरीके का कोई न कोई प्लान आपको बनाना पड़ेगा। नई-नई चीजें आज की तारीख में इन आदिवासियों के विकास के बारे में सोचनी पड़ेगी। आप महाराष्ट्र पैटर्न कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और पहले से कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी जो वन संपदा है उस आदिवासी इलाके में, माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां पधारी थीं गोगुंदा, झाड़ौल, कोटड़ा में 300 प्रकार की औषधियां हैं, आदिवासी उसका इलाज जानते हैं। सांप काट गया, उसकी कोई जड़ी-बूटी पिलाते हैं, सांप का जहर कम हो जाता है और कुछ ऐसी-ऐसी अनोखी-अनोखी दवाइयां हैं, हड्डियां टूट गईं और उसको बूटियां पिलाते हैं और उससे ठीक हो जाता है .. (व्यवधान).. आप रामदेवजी वाली बात कह रहे हैं वह मैं नहीं कह रहा हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं रामदेवजी वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं कि सांप की दवाई की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। 95 per cent snakes are non-poisonous. जो लोग बचते हैं वे नॉन पोइजनस के खाने की वजह से बचते हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हम उस भरोसे में नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उनको आप एक तरह से लीगल जामा नहीं पहनाएं तो ही अच्छा है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैं दूसरी बात कह रहा हूं। सांप काटता है तो आपके यहां भी होस्पिटल में इलाज होता है, वह इलाज वहां भी उनकी जड़ी-बूटियों से हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आप बैठे हैं आयुर्वेद मंत्री के रूप में और दूसरे मंत्री के रूप में भी, आप उन जड़ी-बूटियों का अध्ययन कराएं, उसका रिसर्च कराएं कि वो कितनी कारगर हैं। इतनी प्रकार की दवाइयां वहां मिल जाएंगी उन दवाइयों का छोटा-मोटा कारखाना वहां लग सकता है, उनका एनेलेसिस कराया जा सकता है, किस-किस रोग में क्षय में किस प्रकार की दवा काम आ सकती है, ताकत के लिए किस प्रकार की दवा काम आ सकती है उसको अनुसंधान तो कराएं। क्या आज की तारीख में

(श्री शांतिलाल चपलोत)

आयुर्वेद में कोई बहुत भारी अनुसंधान हो रहा है? एलोपैथिक में तो हो रहा है, पर आयुर्वेद में नहीं हो रहा है। इसीलिए आज की तारीख में आयुर्वेद पिछड़ रहा है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उन जड़ी-बूटियों का परीक्षण कराकर आयुर्वेदिक परीक्षण कराकर, एनेलेसिस कराकर कराएं और वहां छोटा-मोटा कारखाना लगाएं।

झाड़ौल में अदरक बहुत होती है। झाड़ौल में छोटा-मोटा कारखाना लग सकता है, अदरक पर आधारित बहुत अच्छा कारखाना लग सकता है। हमारे जयसमंद में बहुत ज्यादा मात्रा में टमाटर होते हैं, रघुवीरजी, वहां पर कैचअप का कारखाना हो सकता है, टमाटर का कारखाना हो सकता है। क्या हम कोई इनोवेटिव आइड़िया ला रहे हैं, कोई बात सोच रहे हैं उसके बारे में? यह ट्राइबल के हमारे एमएलए साहब हैं, कभी आपने सोचा भी है कि मुझे कुछ यहां लाना चाहिए, सिद्ध करके लाना पड़ता है, दौड़-भाग करनी पड़ती है, केवल कहने से काम चलने वाला नहीं है। उस गरीब व्यक्ति का हमदर्द, उसके साथ रहकर, दौड़भाग करके उसको किसी न किसी तरीके से रोजगार हम लगाएं तब जाकर काम चलेगा। केवल बातें कर लेने से उसकी गरीबी दूर नहीं होने वाली है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा बातें आपको ट्राइबल्स के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा कह दी हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप वर्किंग वीमेन्स होस्टल जरूर बनाएं। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपने 600-700 समाज कल्याण के छात्रावास बना रखे हैं, पर उनमें से आधी संख्या ऐसी हैं जो निर्मित नहीं हैं उनकी बिल्डिंग बनाने का पूरा प्रयत्न करें, उनके रख-रखाव का प्रयत्न करें, उनके खाने-पीने का क्या स्टेण्डर्ड है उसको करें। मैं किसी एक होस्टल की बात नहीं करता, वहां दरियां नहीं हैं, फटी हुई हैं और उनके होस्टल का इंचार्ज जो वार्डन है वह पता नहीं कहां गायब है।

कई कई महीनों से कई जगह गायब है, एक चपरासी हास्टल चला रहा है, इस तरह की व्यवस्था को थोड़ा आप सुधारें, यद्यपि आपने बहुत कुछ काम किया है लोगों को स्कालरशिप भी दे रहे हैं, काफी किये हैं, इन्होंने भी 12,13 हजार ट्राइबल बच्चियों को साइकिलें दी हैं, मैं उनके लिए दोनों को बधाई देना चाहता हूं, काम अच्छा कर रहे हैं पर आज फिर भी अच्छे सवार की

(श्री शांतिलाल चपलोत)

आवश्यकता है और अच्छा सवार वही होता है जो घोड़े की सवारी और घोड़े पर बैठकर लगाम कसकर और उस पर अंकुश लगाये और निरंकुश हाथी पर थोड़ा अंकुश लगाने की आज आवश्यकता है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि इनको न्याय कैसे मिले, न्याय कैसे मिले इन गरीबों को, हमारे एरिया के लोगों को न्याय कैसे मिले, आज की तारीख में उदयपुर आता है कोटड़ा से आदमी 170 किलोमीटर है, बड़ी मुश्किल पड़ती है। बस खतम कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच उदयपुर में गरीब लोगों के लिए बनाई जानी नितांत आवश्यक है, ट्राइबल एरिया है, महाराष्ट्र पैटर्न में हो सकती है, मध्य प्रदेश में हो सकती है, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट का बाइफ्रकेशन हो सकता है तो राजस्थान आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रांत है, वहां क्यों नहीं हो सकता, वास्तव में आदिवासियों की स्थिति को सुधारना चाहते हैं जो वहां से जाता है पूरा कुशलगढ़ से जोधपुर 600 किलोमीटर पड़ता है और 160 और छोटे छोटे मुकदमे में लोग कई वर्षों तक जेलों में रह जाते हैं उनको पता ही नहीं लगता, कोई पैरवी करने वाला ही नहीं मिलता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह चपलोत साहब, निरंकुश हाथी कौन है, मंत्रीजी या कोई अधिकारी, यह तो साफ करो थोड़ा।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): इसके बारे में मेरे को अवसर मिलेगा तब आपको बताऊंगा।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): हरिमोहनजी, इस प्रपंच में मैं नहीं पड़ना चाहता, कौन है इसकी व्याख्या आप कृपया अच्छी तरह से हमेशा ही करते रहते हो और उसी से चार दिन तक यह स्टेलमेट रहा।

श्री सभापति: माननीय श्री अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 30, 33 और 51 दलित और आदिवासियों के बारे में जो मांग है उनके बारे में चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको शामिल करते हुए जिन दलितों और आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है और जो समाज कल्याण विभाग प्रमुख रूप से दलितों के लिए है

(श्री अमराराम)

उसका सभापति महोदय, नमूना यह है कि आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे सीकर जिले में समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक कार्यालय में आफिस ऑवर्स में एक बजे जहां शराब, कबाब और ...(व्यवधान) ताश नहीं जुआ, जहां दिन में आफिस ऑवर्स में इनके समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में किस तरह समाज का विकास कर रहा है कि एक बजे जहां शराब के प्याले छलकाए जाएं, कबाब बनाए जाएं, जहां जुआ खेले जाएं।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): नहीं, मेरा इसमें यह आब्जेक्शन है कि जब आप यह व्यवस्था दे चुके हैं कि पूर्व में अख़बार की कोई बयानबाजी हो, वह कृपया सदन में नहीं उठाएं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह अख़बार में नहीं, टीवी में था।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): यह अख़बार के माध्यम से माननीय सदस्य बता रहे हैं न, कोई इनके पास रिटन है तो बताएं न, सदन में रिटन में दें ऐसा कुछ।

श्री अमराराम (धोद): आपके पास क्या है वह बता दें। सभापति महोदय, हालात यह है कि उनके कार्यालय में ई.टी.वी. ने जाकर पूरी टीम ने कैमरे में कैद कर लिया और जिला कलक्टर महोदय को दिखाया जो सीकर में ही उप निदेशक कार्यालय है उसकी यह हालत है इनके समाज कल्याण विभाग की जो समाज के दलित को, आदिवासी को समाज में बराबरी पर लाने का जो नतीजा है और यही कारण है कि हम केवल घोषणाएं करते रहे हैं, बजट आते रहे हैं, आधी शताब्दी आजादी की गुजरने के बाद आज हमारे प्रदेश के दलित और आदिवासियों की क्या हालत है, वह अगर सामाजिक रूप से बराबरी की बात करें, शैक्षिक रूप से बराबरी की बात करें, हम केवल कुछ 5 प्रतिशत लोग निश्चित रूप से जो नौकरियों में आए हैं उनमें भी बराबरी के रूप में नहीं आए हैं लेकिन बाकी जो 90 प्रतिशत लोग हैं उनके बारे में मैं समझता हूं कि हमारा विचार ही नहीं रहा राजस्थान की सरकार और उसी का नतीजा है कि ढाई साल पहले हमारी मुख्य मंत्रीजी जब राजस्थान का दौरा करती हैं, सहरिया आदिवासियों की भूख से मरने की बात करती हैं, उस समय सत्ता में बैठी हुई कांग्रेस कहती है कि राजस्थान में सहरियाओं की मौत भूख से नहीं हुई और ज्यों ही सत्ता में आ जाती हैं उसके बाद सहरियाओं की भूख से मौत होना सरकार में आती ही बंद हो जाता है। अब सवा दो साल में भारतीय जनता

(श्री अमराराम)

पार्टी के मुख्य मंत्री और नेता कहते हैं कि सहरियाओं की भूख से मौत नहीं होती और कांग्रेस कहती है कि भूख से मौत होती है। अब सवा दो साला में आपने कौन इंतजाम सहरियाओं के लिए कर दिया, उन गरीब लोगों के लिए कर दिया जिससे कोई भी काम चाहने वाले को हर परिवार से काम मिल जाएगा और वह अपनी रोजी रोटी चला सकेगा और भूख से नहीं मरेगा जब भी इस सदन में यह सवाल आता है, एक ही बात कही जाती है भूख से कोई नहीं मरता क्योंकि जो खाते पीते लोग हैं उनको भूख का अहसास ही नहीं हो सकता, हम 56-57 साल की आजादी के बाद 2 जून खाने का इंतजाम नहीं कर सके उनको रोजगार नहीं दे सके और कितनी ही यहां वाहवाही ले लें, जब तक हम भूख को मिटाने का काम नहीं करेंगे, भूख जिसके घर में है उसको मिटाने का काम नहीं करेंगे, मैं समझता हूं यह बजट यह सब हमारी कवायदें व्यर्थ होंगी क्योंकि आज राजस्थान में सबसे पहले जो दलित है आज उसकी सामाजिक स्थिति यह है कि वह शादी में बराबरी के नाम से घोड़ी से चढ़ने की बात करें तो उसको घोड़ी से नीचे उतार दिया जाता है, जिस तालाब में राजस्थान में पशु नहा सकता है लेकिन अगर दलित नहा लेगा तो उस पर जुर्माना करने का काम राजस्थान में ही होता है, हमारे विकास के लिए राजस्थान में यह है कि उसको बराबरी में लाने में हमने बड़ी वाहवाही की, फलां सरकार ने, फलां मुख्य मंत्री ने लेकिन आज क्या हम बराबरी पर लाने का काम कर पाए हैं? आज राजस्थान में 70 प्रतिशत लोग जो खेती पर निर्भर हैं, उनकी आज क्या हालत है, आज भी हजारों बीघा जमीन राजा और रानियों के पास है, आज भी जिस खेती पर पसीना बहाने वाला खेत मजदूर के रूप में, हम 57 साल में उसके लिए कानून नहीं बना पाए हैं। ...(व्यवधान)... आज भी मैं कह रहा हूं इस सदन में सरकार के उत्तर से ...(व्यवधान)...

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): आपके और श्योपतसिंहजी के पास कितनी है, यह बता दें आप तो पहले।

श्री अमराराम (धोद): निकाल लो, आप सरकार में बैठे हो।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): वह पहले भी प्रस्ताव आया था, हम यहीं विधान सभा में थे।

श्री अमराराम (धोद): आज भी मैं इसी सरकार के उत्तर के लिए कह रहा हूं, जोधपुर के पूर्व नरेश के पास सिलिंग से ज्यादा 74 हजार बीघा जमीन है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): नहीं है, तो करेक्ट करा दें आपके राजस्व मंत्रीजी से। ...(व्यवधान)... हां, जांच कराई जाए मैं कह रहा हूं हमारे भी किसी नेता के सिलिंग से ज्यादा है तो निश्चित रूप से काटिए और उन गरीबों को दीजिए, मैं यहां सदन में कह रहा हूं, मेरा ही नहीं राजस्थान में किसी की भी अगर सिलिंग से ज्यादा जमीन है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): हरिकिशन सुरजीत की प्रापर्टी बता दें, आपके नेता हैं, आप उनकी कितनी है ? ...(व्यवधान)... वह बता दें आप तो।

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, अलवर के राजघराने के पास 600 एकड़ जमीन है, इसका 1974 में निर्णय हुआ कि 30 एकड़ बता दें। आज तक 2006 तक नहीं बताया और 600 एकड़ जमीन आज भी उनके कब्जे में है, मेरे कहने का मतलब है कि जो पसीना बहा रहा है जमीन पर, आज राजस्थान में हर ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब है, दलित है, आदिवासी है, हमने पेड़ के लिए कानून बना दिया, हमने जानवर के लिए कानून बना दिया लेकिन उस गरीब के लिए जो खेत में पसीना बहाता है जो हाळी के रूप में हाड़ोती में काम करता है, राजस्थान में पसीना बहाता है उसके लिए कानून राजस्थान की विधान सभा ने आज तक न इधर से बना और न उधर से बना। हम उनके वोट के लिए बात करते हैं, उनकी नौकरियों की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं लेकिन उन दलित और आदिवासियों की 90 प्रतिशत आबादी तो खेत में पसीना बहाती है उसको कानून के रूप में अपनी मजदूरी लेने का हक आज की तारीख में कोई कानूनी रूप नहीं है। उसको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उसके लिए कानून बनाने के लिए हम तैयार नहीं हैं, वोट लेने के लिए हम तैयार हैं। हम बराबरी की बात जरूर करते हैं....

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): पश्चिमी बंगाल में बन गया क्या? आपकी वहां है उपलब्धि, वहां बन गया क्या ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा सीलिंग कानून में भूमि का वितरण हुआ तो पश्चिमी बंगाल में हुआ है। न केवल भूमि का वितरण हुआ है बल्कि वहां जो शेयर क्रोपर हैं, जो सीरी हैं उनको भी अधिकार है कि जमीन का मालिक उन शेयर क्रोपर को नहीं हटा

सकता, अपना हिस्सा ले सकता है कानूनी रूप से, कानून है। आप भी बनाइये, सरकार में हो, 120 हो। (व्यवधान) आपको लेना देना नहीं है।

श्री सभापति: माननीय अमरा रामजी, यह श्रम विभाग की नहीं है, यह समाज कल्याण की, ट्राइबल वेलफेयर की मांग है। आप यहां तक रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। वैसे डिस्टर्ब नहीं करें, जो कह रहे हैं, इनको अपनी भावनाएं व्यक्त करने दें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सीलिंग का समाज कल्याण से क्या लेना देना ? (व्यवधान) रेवेन्यू सीलिंग का श्रम विभाग से क्या लेना-देना ?

श्री अमराराम (धोद): श्रम विभाग की नहीं है। सभापति महोदय, राजस्थान में 17 और 12, कुल 29 प्रतिशत आबादी है उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं है। राजस्थान में जो खेत मजदूर है, 90 प्रतिशत उन्हीं जातियों, दलित और आदिवासियों से हैं। उनके लिए कानून नहीं हो और हम केवल बात करते रहें तो मैं समझता हूं कि यह बात ही आगे रहेगी इसलिए आने वाले समय में निश्चित रूप से जब तक उनके बारे में नहीं कहेंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम कितनी ही स्कूलें खोल दें, उनका भला नहीं कर सकते। क्या हालत है आज राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में ? हमने हर एक किलोमीटर पर स्कूल खोल दीं लेकिन क्या हालत है हरियाणा और पंजाब में, वो दलित जिसका पूरा परिवार बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भट्टा मजदूर के रूप में जा रहा है। हमने पशुपालकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवासीय विद्यालय खोल दिये लेकिन वो दलित जो राजस्थान से बाहर पलायन करके अपनी रोजी-रोटी के लिए जा रहा है, हम कितने ही स्कूल खोल दें जब तक उसकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का काम हम नहीं करेंगे, न वह स्कूल में जा सकता, न वह इलाज करा सकता और यह सब इसी का नतीजा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बात को निश्चित रूप से आगे लाया जाए। अभी इन्होंने योजना दी है, क्या हालत है वृद्धावस्था पेंशन में ? उसमें 2000-01 से जो बेनेफिशरीज हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। 2000-01 में 565557 थी उसके बाद में 2002-03 में 4 लाख 55 हजार हो गई। यह निरन्तर घटती जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि वृद्धावस्था और विधवाओं की संख्या है, वृद्धावस्था की तो नहीं घट सकती है। लेकिन क्योंकि नियम और कायदे इतने सख्त बना दिये गये

(श्री अमराराम)

कि 2000-01 से बेनेफिशरीज की संख्या घटती जा रही है। जो गाडिया लुहार हैं, आपने कहा कि शहर में 50 वर्ग गज का होगा, ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग गज का होगा। उनको स्थायी रूप से बसाने के लिए, उनके घर निर्माण के लिए 17 हजार रुपये की स्कीम है लेकिन नागौर में जहां भी एक साल पहले पहली किश्त 7 हजार की दी, दूसरी और तीसरी किस्त एक साल के बाद में आज तक नहीं दी। तो मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है कि निश्चित रूप से गरीब के प्रति हम कितने ही आंसू बहा लें उसकी जब तक मदद नहीं करेंगे और विशेष रूप से आदिवासियों का, जब तक उनको खुद को निर्णय करने का अधिकार नहीं देंगे, जितना भी हम पैसा देते हैं और जिसमें उत्पादन बढ़ सकता है, जिस तरह से माननीय सदस्य ने कहा, जिस तरह से सिंचाई के लिए जितना पानी आदिवासी क्षेत्र में नहीं देंगे, जंगल का अधिकार और उस पानी के लिए जितना अधिकतम हम कर सकते हैं, मैं समझता हूं उस आदिवासी को जंगल का अधिकार और वहां के पानी को रोक कर के हमारी प्रायोरिटी हो कि बरसात के पानी को रोक कर के हम खेती को और वहां के आदिवासी को विकसित कर सकते हैं तो ही मैं समझता हूं कि वह सही रूप से होगा। वह जब तक नहीं होगा, जब तक उनको अपना निर्णय करने का अधिकार उनकी चुनी हुई संस्थाओं को नहीं देंगे, जब तक हम अधिकारियों के पास में रखेंगे तो कितना ही पैसा हम दे दें, उसका सदुपयोग नहीं होगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस सामाजिक सुरक्षा की जो मांग है, इसमें उस अंतिम छोर पर बैठे हुए उन दलित और आदिवासियों को हम सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जब तक बराबर नहीं लायेंगे, मैं समझता हूं अपन, यह सदन और सरकार उनके साथ न्याय नहीं करेगी। इसलिए उन अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से बराबरी में आने में निश्चित रूप से कार्य करेंगे। आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जालम सिंह रावलोत। (अनुपस्थित) श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित मांगों पर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मौजूदा सरकार के दो वर्ष के शासन को देखने के बाद यह कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं लगता कि इस सरकार की सोच, इस सरकार की प्रतिबद्धता समाज के उस कमजोर वर्ग के उत्थान के किसी स्तर पर भी

(श्री संयम लोढ़ा)

है। माननीय सभापति महोदय, हमारे सत्ता पक्ष के साथी बजट के प्रावधान के लम्बे-चौड़े आंकड़े तो गिना सकते हैं लेकिन उन पर खर्चा कितना हुआ और इसका सरकार का कामकाज किस रूप में चला है, यह मैं आपके सामने रखूंगा तो इस सरकार की असली तस्वीर और इसकी वास्तविकता बिलकुल सामने आ जाएगी।

जो मांग रखी गई है, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2004-05 में बजट अनुमान था 187 करोड़, संशोधित अनुमान था 202.59 करोड़ रुपये और 202 के प्रावधान की तुलना में आपने खर्च कितना किया ? 176 करोड़ रुपये। मतलब जो आपका बजट अनुमान था उसकी तुलना में 26 करोड़ रुपये आपने कम खर्च किये। सभापति महोदय, अब मैं 2005-06 और आज के सन्दर्भ में आपको ले जाना चाहूंगा कि 2005-06 की तुलना में इन्होंने आयोजना भिन्न व्यय ज्यादा नहीं बढ़ाया, एक करोड़ रुपया बढ़ाया। बहुत अच्छा होता, आप नान प्लान के इस खर्चे को कम करते लेकिन आपने यह तो किया नहीं, 2005-06 की तुलना में 2006-07 में प्लान एक्सपेंडिचर को आपने घटाया है। इसका सीधा असर अगर किसी पर पड़ेगा तो वह राजस्थान के दलित और आदिवासी पर पड़ेगा। 2005-06 के संशोधित बजट में प्लान एक्सपेंडिचर 93 करोड़ 4 लाख रुपये रखा गया था और 2006-07 के बजट अनुमान में आयोजना व्यय में 7 करोड़ 44 लाख रुपये घटाकर मात्र 85.60 करोड़ रुपये रखा गया है। मैं खासतौर से मावली से आने वाले माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि यह प्लान के प्रावधान में पैसा कम करने से और नान प्लान में एक करोड़ रुपया बढ़ाने से राजस्थान के दलित और आदिवासी का भला करना चाहती है यह सरकार?

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत दिलचस्प तथ्य की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। अंतरजातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन योजना, बहुत अच्छी बात है, अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। समाज में जातिवाद की खाई को पाटने का इससे बेहतरीन रास्ता नहीं हो सकता और राजस्थान की सरकार अगर इस दिशा में सोचती है तो इसकी निश्चित रूप से सराहना करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि यह सरकार सवर्ण जाति के युवक-युवती अगर किसी दलित से और दलित की किसी सवर्ण से शादी करते हैं तो पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देना

(श्री संयम लोढ़ा)

चाहती है और इस योजना के अन्दर 2004-05 में इस सरकार ने प्रावधान कितना किया ? दस हजार रुपये। एक मैरीज पर पांच हजार और प्रावधान कितना किया राजस्थान के लिए ? दस हजार।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप आओ तो सही। आप शादी करके आओ तो सही लेने, हम तो बहुत कर देंगे। वह जे डी ए में से आ जाओ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2005-06 में बजट बढ़ाकर रखा 20 हजार। थोड़ी सदबुद्धि आई होगी लेकिन फिर पता नहीं किसने बुद्धि का हरण कर लिया कि 2006-07 में प्रावधान एक हजार रुपया। यह इस सरकार की हालत है। एक अंतरजातीय शादी करने के लिए प्रावधान 5 हजार और पूरे राजस्थान में बजट प्रावधान एक हजार और माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 44 विधायक अनुसूचित जाति और जनजाति के जिताकर दिये हैं, राजस्थान की मुख्य मंत्री आज जिस 120 सीटों के बहुमत का जनादेश का दावा करती है, उसकी बुनियाद राजस्थान के दलितों, आदिवासियों के मतों पर रखी गई है। माननीय सभापति महोदय, लेकिन यह सरकार सम्बल गांवों का विकास किस रूप में करना चाहती है? सम्बल गांव कौनसे हैं? जिस गांव में अनुसूचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा हो, वह सम्बल गांव है और 2001 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में 2463 सम्बल गांव हैं और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री, राजस्थान की तेजस्वी मुख्य मंत्री और राजस्थान की मनस्वी मुख्य मंत्री ने अमर रहे, ज्योति रहे और पता नहीं, क्या-क्या रहे, उस मुख्य मंत्री ने प्रावधान क्या रखा है? 2005-2006 के बजट में प्रावधान रखा था सात करोड़ चार लाख रुपये, मतलब हर सम्बल गांव को एक साल में 28,601 रुपये का प्रावधान रखा था संशोधित बजट में और इस साल इस सरकार ने क्या किया है? 2006-2007 के बजट में जो पिछली बार सात करोड़ रुपये का प्रावधान था, उसको घटाकर 50 लाख रुपये का प्रावधान किया है जिसमें हर गांव के हिस्से में आएगा 2030 रुपये। करा लो तरक्की? हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। आपके जयपुर की पुलियाओं पर हाथी-घोड़ों के चित्र बनाये जा रहे हैं, सामंतशाही की याद दिलाई जा रही है, सामंतशाही की ग्रंथावली लिखी जा रही है। 39 करोड़ रुपये जयपुर की

(श्री संयम लोढ़ा)

पुलियाओं पर पेंटिंग के अन्दर खर्च कर दिये माननीय सभापति महोदय और गरीब समुदाय के 2463 गांवों के लिए राजस्थान की मुख्य मंत्री से कितना पैसा मिला, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, यह इस सरकार के द्वारा जारी की गई 2005-2006 की आर्थिक समीक्षा है। यह सरकार किस रूप में आदिवासियों का कल्याण कर रही है? सामाजिक सुरक्षा, विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाओं की प्रगति, जो इस सरकार ने स्वयं जारी की है, बैंकिंग योजनाएं, शहरी पोप, लक्ष्य-8800, उपलब्धि-4127। आटो-रिक्शा 100-लक्ष्य, 17-उपलब्धि। व्यक्तिगत पम्पसैट, लक्ष्य-1500, उपलब्धि-302, गैर बैंकिंग योजना, कूप ब्लास्टिंग लक्ष्य-6900, उपलब्धि-896 और कुटीर ज्योति में इस सरकार ने लक्ष्य रखा था 2005-2006 में 45000 और उपलब्धिहै इनकी 23000, यह इस सरकार की प्रगति है? मैं इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने इस वर्ष में जो प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए था, राज्य आयोजना मद में प्रावधान था 549.54 करोड़ रुपये और खर्चा कितना किया, 174 करोड़ रुपये। 549 करोड़ की तुलना में 174 करोड़ का खर्चा किया। विशेष केन्द्रीय सहायता मद में इनके पास था 32.84 करोड़ रुपये और खर्चा कितना किया, 7.89 करोड़ रुपये। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में इनके पास पैसा था 78.18 करोड़ रुपये और खर्चा कितना किया, 19 करोड़ रुपये। अब आपके बजट प्रावधानों को मैं कहां लेकर घूमूं और राजस्थान की जनता इस बजट में दिये गये आपके पुलिंदे को और बजट अनुमानों का क्या करे? पैसा रोककर बैठे हुए हो और यह मैं नहीं कहता, यह जो कन्ट्रोलर एण्ड एकाउंटेंट जनरल आफ इण्डिया है, इन्होंने क्या कहा है आपकी सरकार के कामकाज के बारे में? आपने 2003-2004 का समापन किया, 2004-2005 का काम आपने चलाया और 2004-2005 के क्रियाकलापों के बाद में यह जो 2004-2005 की रिपोर्ट आई, वह क्या कहती है? इसमें रेवेन्यू ग्रांट का अमाउंट सरेण्डर किया है मार्च 2005 को 15.75 लाख रुपये और केपिटल वोटेड में आपने 15.45 लाख रुपये का अमाउंट सरेण्डर किया है। (व्यवधान) फिर मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, एलीमेंट्री एजुकेशन में महालेखाकार की क्या टिप्पणी है- "Entire provision of Rs. 58,92.00 lakh under the above three heads was re-appropriated to other heads on 31 March 2005 due to non payment of pay …"

(श्री संयम लोढ़ा)

यह आपकी उपलब्धि है? बधाई देनी चाहिए मुख्य मंत्री को, कितने शानदार ढंग से राजस्थान की सरकार चला रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं और इसके अलावा ट्राइबल एरिया सब प्लान में, एस्टेब्लिश आफ आश्रम स्कूल में 58.71 लाख रुपये का आपका जो प्रावधान था 2004-2005 में, वह अगस्त, 2005 तक आपने यूज नहीं किया और आप कारण नहीं बता सके कि आपने यूज क्यों नहीं किया? यह तो हालत है, पैसों की कमी नहीं है पर आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास योजना नहीं है, आपके पास सोच नहीं है, आपके पास दृष्टि नहीं है, आपके पास पैसा खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है।

इसी के साथ माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा मंत्री बिराजमान हैं, मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ, प्राइमरी हैल्थ सेंटर में महालेखाकार की क्या टिप्पणी है-"Supplementary grant of Rs. 4,53.15 lakh obtained in March, 2005 mainly for distribution of drugs and medicines was excessive as there was anticipated saving of Rs. 1,54.06 lakh which was due mainly to less purchase of drugs and medicines than estimated." मतलब गरीब आदमी को दवा भी नहीं देना चाहते? खुद पढ़ लेना, हंस रहे हो आप। अगर आप इस बात को नोटिस नहीं लेना चाहते तो बन्द कर दो इस विधान सभा को, ताला लगा दो आप।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): हमें तो आपके ऊपर दया आ रही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या हालत है आपकी? आपके पास पैसा है और आप उस गरीब आदमी को दवा नहीं देना चाहते, यह तो आपकी हालत है और यह मैं नहीं कहता, आपकी सरकार के द्वारा जारी भारत के महालेखाकार की रिपोर्ट कह रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही, आज बहस का मुद्दा दूसरा था, आपने चिकित्सा विभाग की बात भी रखी, क्योंकि चिकित्सा पर जिस दिन....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं ट्राइबल एरिया डवलपमेंट के पैसों की बात कर रहा हूं, इस चिकित्सा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे पता है यह।

श्री सभापति: आप जवाब सुन लीजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिनट, टोटल बजट कितना है, आपको इसका अंदाजा है और उसमें से कितने की सेविंग है? आप एक बार देख लीजिये, आप इसी में से देख लीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): टोटल बजट तो मैंने बता दिया आपको कि आपके पास कितने करोड़ रुपये थे और आपने कितना खर्च किया? और आप कहो तो आपकी इस आर्थिक समीक्षा को वापस पढ़कर सुना दूं कि आपके पास राज्य आयोजना मद में कितना पैसा था, विशिष्ट योजनाओं में कितना पैसा था, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में कितना पैसा था? अगर आपने नहीं सुना हो और माननीय सभापति महोदय कहें तो मैं वापस पढ़कर सुना दूं।

श्री सभापति: कोई बात नहीं, आप चालू रखो। क्योंकि 13-14 मिनट हो गये आपको बोलते हुए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मामला यह है कि दो-तीन दिन का बफारा भी तो है ना।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अगर सत्ता पक्ष को अजीर्ण हो रहा है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति: आप बोलिये, अपनी बात रखिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको सौगन्ध है, आपको बोलना पड़ेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जो सीकर में समाज कल्याण विभाग का कार्यालय है, ई-टीवी पर शराब चल रही थी और मीट बन रहा था, वह बाकी है उधर। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारे मुख्य सचेतकजी की इजाजत से 15 मिनट का टाइम ले रहा हूं आपसे, हमारी पार्टी का जो टाइम है, उसमें से दे दें आप।

अब सभापति महोदय, ट्राइबल एरिया सब प्लान में Multipurpose Health Worker Scheme -"In view of total saving of Rs. 89.84 lakh, supplementary grant of Rs. 1,25.00 lakh obtained in March 2005 for payment of pay and allowances was excessive. Anticipated saving of Rs. 25.58 lakh was attributed mainly to less expenditure on pay and allowances."

मतलब मल्टीपरपज वर्कर्स को आदिवासी क्षेत्र में काम करने का दायित्व देने का काम भी आप नहीं करना चाहते, आपकी यह प्लानिंग भी नहीं थी कि आपको कितना पैसा चाहिए और जितना पैसा मिला आपको, उसको खर्च करने में भी आप असमर्थ रहे और उसके बाद हम अगर यह कहना चाहते हैं कि हमने इतने बजट का प्रावधान कर दिया, उस बजट के प्रावधान का राज्य के दलित आदिवासी को कितना लाभ मिला, यह माननीय सभापति महोदय...

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके मार्फत यह बताना चाहूंगा कि एमपीडब्लू स्कीम आपकी सरकार ने, केन्द्र सरकार ने बंद की हुई है और मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि हमारे नये मल्टीपरपज वर्कर्स भर्ती हों तो हमारे अस्पताल का कुछ काम चले। हमारे एक सब सेंटर पर जहां दो वर्कर्स हुआ करते थे, एक फिमेल, एक मेल,आज केवल एक वर्कर रह गया। आप एमपीडब्लूज की बात कर रहे हैं, आप केन्द्र सरकार से कोई बात करके एमपीडब्लू की हमारी ट्रेनिंग वापिस शुरू करवाइये तो विभाग का कुछ काम चले और एक लाख की सेविंग की बात आप कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक लाख नहीं, एक करोड़ की। आप पढ़ लो फीगर, एक करोड़ 25 लाख है। क्या बात कर रहे हो आप और यह ट्राइबल इनके सब प्लान का पैसा है मंत्रीजी, आपका लेना-देना नहीं है, आप बीच में यों ही फुदक रहे हैं बिना मतलब।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लेना-देना है, क्यों नहीं है। आपका लेना-देना है, आप तो फुदकते हो एक मिनट के अंदर, मेरा क्यों नहीं लेना-देना है। आप मेरे विभाग की बात कर रहे हैं, आपने एमपीडब्लू स्कीम की बात करी है। मल्टीपरपज वर्कर्स की बात आपने की है, क्यों नहीं लेना-देना है मेरा। आज मेरे विभाग के मेरे जो सब सेंटर्स हैं, आज केवल एक एएनएम वहां पर पोस्टेड है क्योंकि आपकी केन्द्र में जो सरकार है उसने यह स्कीम ही बंद करके रख दी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, और इन्होंने ट्राइबल एरिया सब प्लान में – ''Reasons for the final saving of Rs. 64.26 lakh have not been intimated." मतलब 31 मार्च, 2005 तक जो फेमिली वेलफेयर में आपको पैसा मिला था और जो पैसा बच गया, उसके छह महीने बाद तक भी आप यह बताने की हालत में नहीं थे कि उस पैसे की स्थिति क्या है। यह इस सरकार की शासन व्यवस्था का एक उदाहरण है माननीय सभापति महोदय और मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, इसके अलावा ग्रांट इन एड जो ट्राइबल एरिया सब प्लान माडा और सहरिया में है- "Enhancement of funds by Rs. 3,58.45 lakh …" मतलब 3 करोड़ 58 लाख रूपये ''… through reappropriation on 31st March was for utilization of unspent amount of Special Central Assistance." और क्या बताऊ मैं। यह भारत के महालेखाकार, इस सरकार के 2004-05 के जो क्रियाकर्म हैं उसके ऊपर भारत के महालेखाकार

(श्री संयम लोढ़ा)

की टिप्पणी है। करोड़ों रूपये राजस्थान की सरकार के पास भारत सरकार के और राज्य आयोजना मद के पड़े रहे और यह खर्चा नहीं कर पाये। माननीय सभापति महोदय और मैं निवेदन करना चाहूंगा वाटर सप्लाई का, 2 करोड़ 75 लाख का जो यह अमाउंट था, वाटर सप्लाई, ट्राइबल एरिया सब-प्लान, रूरल वाटर सप्लाई स्कीम में "Provision of Rs. 2.75.00 lakh was surrendered on 31 March, 2005 due to reduction in annual plan outlay." आपने पैसा कम कर दिया प्लान में से और उस कारण सरेण्डर करना पडा। क्या आप बजट प्रस्ताव लाते हो, क्या संशोधित अनुमान लाते हो, क्या एक्चुअल एक्सपेंडीचर है आपका, यह सारी रिपोर्ट आपकी, एससी, एसटी के लिए आपने क्या किया है इस सरकार में आने के बाद में, उसकी कलई खोलने वाली है, उसकी तस्वीर हमारे सामने रखती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामले में भी जो ट्राइबल गर्ल्स होस्टल के लिए सेंटर स्पोंसर्ड का जो पैसा था, "Entire provision of Rs. 2,83.70 lakh was surrendered (Rs.56.41lakh)/ reappropriated to other heads (Rs. 2,27.29 lakh) on 31 March 2005 due to non releance of funds by the State Government." 2 करोड़ 27 लाख रूपये 31 मार्च, 2005 को आपने स्टेट गवर्नमैंट के द्वारा फंड्स रिलीज नहीं करने के कारण सरेण्डर किये। जो एससी, एसटी के होस्टल बनाने के बारे में था। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से जो यह बायोलाजिकल एण्ड फारेस्टरी प्रोजेक्ट है इसमें भी 5 लाख 39 हजार रूपये इन्होंने सरेण्डर किये।

माननीय सभापति महोदय, Minor Irrigation Construction Works. "Anticipated saving of Rs. 1,19.85 lakh ..." माइनर इर्रिगेशन में, "... was attributed to (i) late starting of work due to Panchayat Elections, (ii) amount directly provided by Tribal Area Development Department as per the Maharashtra pattern and (iii) non passing of award of compensation. Reasons for the final saving of Rs. 6.78 lakh have not been intimated." मतलब माइनर इर्रिगेशन में भी आपकी उपलब्धि है उसके बारे में यह टिप्पणी है और इसी तरीके से शिड्यूल्ड कास्ट एरिया डवलपमेंट में भी आपने फंड सरेण्डर करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, सोशियल सिक्योरिटी एण्ड वेलफेयर, इसमें इन्होंने रेवेन्यू वोटेड में, यह दूसरी मद है, अब तक मैं जो बता रहा हूं वह ट्राइबल एरिया डवलपमेंट का था, और अब सोशियल सिक्योरिटी एण्ड वेलफेयर , 52 लाख रूपये का अमाउंट सरेण्डर किया मार्च, 2005 में। रेवेन्यू वोटेड में और केपिटल वोटेड में 56 लाख रुपये सरेण्डर

(श्री संयम लोढ़ा)

किये। और यह भारत के महालेखाकार कह रहे हैं। इसी तरीक से वेलफेयर आफ शिड्यूल्ड ट्राइब्स में, मद नम्बर 33 में– "Provison of Rs. 89.48 lakh was surrendered on 31 March 2005 due to receipt of less demand from District Collectors."

अब मैं अपने इश्यू पर आता हूं। "...less demand from District Collectors." मैंने जब बजट अभिभाषण पर चर्चा की थी, जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा की थी, तब एक बिंदु सरकार के सामने रखने की चेष्टा की थी और मैं चाहता था कि राजस्थान की मुख्य मंत्री इस बात का जवाब देती। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर खाली 2005 के शुरूआत के आठ महीने के अंदर जो शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड ट्राइब्स की महिलाओं से बलात्कार हुए, 69 मामलों के अंदर इस सरकार ने बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को फूटी कौड़ी नहीं दी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड ट्राइब्स के लोगों का जनरल कास्ट के द्वारा मर्डर हुआ, एक जनवरी से 2005 अगस्त तक, उन 59 लोगों को मर्डर के बारे में जिला कलक्टर ने फूटी कौड़ी की सहायता नहीं दी है, उनकी रिपोर्ट तक नहीं भेजी गई और यह जो बचत, यह जो टिप्पणी आज आ रही है, यह उसी का नतीजा है। यह सरकार किसी भी रूप में समाज के उस कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विधान सभा में प्रश्न लगा लिया, मंत्री के माध्यम से जवाब ले लिया, पूरे फीगर्स रिकार्ड पर आ गये, उसके बाद भी आज तक इस सरकार की नींद नहीं उड़ी है और उन बलात्कार पीड़ित और हत्या के पीड़ित उन मजलूम, दलित आदिवासी परिवारों को सहायता देने का काम इस सरकार ने, माननीय सभापति महोदय, नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं Special Organisational Scheme for welfare of Scheduled Castes, इसके अंदर, यह जो तीस नम्बर आज की डिमांड चर्चा में है, amount surrendered during the year ending March, 2005 दस लाख रूपये रेवेन्यू वोटेड में और केपिटल वोटेड में 4 लाख 71 हजार रूपये, मतलब कोई मद ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर इस सरकार ने, जो धन इनको मिला है, उस धन का पूरा उपयोग किया हो। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि क्या प्रोवीजन्स यह होस्टल के लिए कर रहे हैं, कितना इन्होंने प्रावधान किया और कितना खर्चा किया है, यह जो छात्रावास सुविधा है, 2001-02 में 2.90

(श्री संयम लोढ़ा)

लाख का प्रोवीजन किया था और 2004-05 में और 2003-04 में जो आवंटन किया है, 2003-04 में खर्चा किया 1 लाख 41 हजार और 2004-05 में आवंटन किया 1 लाख 15 हजार। मतलब इसमें भी आपने कटौती की। और यह मैं नहीं कह रहा, यह आपका निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, इसकी जारी की हुई यह रिपोर्ट कह रही है। इसी तरह, माननीय सभापति महोदय, यह जो खेलकूद प्रतियोगिता जिला स्तर पर आयोजित करने का और छात्रावास अधीक्षक, प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत करने की जो योजना है, 2001-02 में 72 हजार रूपये का प्रोवीजन था उसको घटा करके 2004-05 में आपने 35 हजार किया और 2005-06 में भी 35 हजार किया। मतलब आप किन-किन मद में पैसा घटा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस रूप में राज्य के दलित को आगे बढ़ाना चाहते हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हो, समाज में उसको बराबरी की राह पर लाकर खड़ा करना चाहते हो। अब यह छात्रावासों में ज्ञानवर्ध्दक पुस्तकें उपलब्ध कराना, माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस तो बहुत बुरी थी, दलित, आदिवासियों का खाली वोट लेती थी......

उनका शोषण करते थे लेकिन इसमें 2001-02 में 72 हजार का प्रावधान था, 2002-03 में 81 हजार का प्रावधान था और आपने 2004-05 और 2005-06 में क्या किया आकर के घटा कर उसको 41 हजार करने का काम किया। यह मैं नहीं कह रहा हूं आपका प्रतिवेदन कह रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनजाति स्वरोजगार योजना की क्या स्थिति है इसमें 2002-03 में तत्कालीन सरकार द्वारा 4967 लोगों को स्वरोजगार योजना में और आपने 2004-05 में कितनों को दिलाया 1700 को। 2005-06 में कितनों को दिलाया 900 को, यह उपलब्धि आपका विभाग बता रहा है और इसके अलावा जो संचालित योजनाएं हैं निगम के द्वारा राष्ट्रीय निगम के द्वारा उसमें जो उपलब्धि है आपकी, जो उपलब्धि 2002-03 में 58257 थी आज वो मात्र 27228 है। यह आपकी उपलब्धि है।

माननीय सभापति महोदय, मैं भी समझ रहा हूं इस बात को कि देर-सबेर यह स्थिति आ जाएगी कि मुझे बैठने पर विवश होना पड़ेगा। लेकिन दो तीन बिन्दु मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं जो समाज कल्याण प्रवृत्ति है, शिशु गृह..।

श्री सभापति: आपको बोलते हुए 26 मिनट हो गये हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी इजाजत कितने टाइम की है? यह बताओ न आप।

श्री सभापति: नहीं इजाजत तो आप बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं सदन को लेकिन 26 मिनट हो गये हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ठीक है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के दलित आदिवासियों का मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, कुछ भला ही होगा, इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आपको। ये शिशु गृह, शिशु गृह में आपका बजट आबंटन था 31 लाख 68 हजार रुपये का और आपने खर्चा कितना किया 17 लाख रुपये। यह उपलब्धि है आपकी। इसी तरीके से आपके यह बालिका गृह में क्या उपलब्धि है आपकी। 2004-05 में जो 32 लाख रुपये खर्च हुए 2005-06 में आ गये आप 15 लाख में। यह भी उपलब्धि है आपकी। निराश्रित बालगृह एवं अनाथालय 2003-04 में एक करोड़ दस लाख रुपये खर्च हुए और इस साल छियासठ लाख रुपये। यह भी उपलब्धि है आपकी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं संपोषण एवं किशोरगृह 2004-05 में 98 लाख रुपये और इस बार 60 लाख रुपये । कौन सी ऐसी मद है माननीय सभापति महोदय, जिसमें यह सरकार यह कह सकती है कि यह किसी भी रूप में बेहतर सुविधाएं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को प्रदान कर रही है और विधवाओं की पुत्रियों पर सहायता योजना 2004-05 में आपका प्रोविजन था 1 करोड़ 5 लाख रुपये, 2005-06 में आपने क्या किया 80 लाख रुपये । इसलिए घटाया 1600 विधवा पुत्रियों की शादी के आवेदन लंबित पड़े हुए हैं पूरे राजस्थान में लेकिन इस सरकार ने यह पैसा कटौती करके जिन विधवाओं ने अपनी बच्चियों की शादी कर दी आज 6-6,8-8 महीने गुजर गये उसके बाद भी इस सरकार से 10 हजार रुपये प्राप्त करने के लिए वो विधवाएं दर-दर की ठोकरें खा रही हैं और इसका एकमात्र कारण है इस सरकार के द्वारा पिछले साल की तुलना में 25 लाख रुपये का बजट विधवा की पुत्रियों की सहायता में कम कर देना और यह बात मैं नहीं आपका समाज कल्याण विभाग कह रहा है और माननीय सभापति महोदय, आपकी भी जानकारी में होगा जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी तो एक अभूतपूर्व आंदोलन पूरे राजस्थान में चला था कि जिनके साथ परमात्मा ने अन्याय किया, हम किस रूप में उनके दुःख में भागीदार बन सकते हैं। नैसर्गिक तौर पर किस रूप में

(श्री संयम लोढ़ा)

उनके सहयोगी बन सकते हैं और इसलिए निराश्रित जन आयुक्त जैसे पद को कायम किया गया और प्रभावी रूप से विकलांगों की नौकरियों के लिए, आरक्षण के लिए प्रभावी कार्यवाही करने की चेष्टा की गई। पूरे राजस्थान के लोगों को उस आन्दोलन से जोड़ने की चेष्टा की गयी और इस सरकार की हालत देखो आप नि:शक्तों को छात्रवृत्ति में जहां तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2002-03 में 1 करोड़ 21 लाख रुपये इस पर खर्च किये थे, आपकी सरकार ने पिछले साल 2004-05 में 94 लाख रुपये खर्च किये और इस साल मात्र 81 लाख रुपये। यह तो विकलांगों के प्रति आपकी सोच है। अब कृत्रिम अंग स्वरोजगार हेतु विश्वास उपकरण हेतु आर्थिक सहायता की क्या हालत है आपकी। कांग्रेस सरकार ने 2000-01 में 70 लाख रुपये इस मद पर खर्च किये थे और आपने पिछले साल 29 लाख किये, इस साल आपने 30 लाख किये। क्या लड़ाई है? माननीय सभापति महोदय, उस गरीब, उस कमजोर आदमी के साथ जिसके साथ कुदरत ने भी न्याय नहीं किया ...।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप ये भी बता दें कि ये जनवरी तक के आंकड़े हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं 2004-05 का एक्चुअल बोल रहा हूं माननीय सभापति महोदय।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): गुमराह नहीं करें। यहां इस वक्त जो बता रहे हैं वो जनवरी तक के हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): विराजें। 2004-05 का एक्चुअल एक्पंडीचर क्या है? खड़े होकर बता दें आप। बता दो 2004-05 का एक्चुअल एक्सपंडीचर क्या है।

श्री सभापति: कृपया आपस में बात न करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 2004-05 में मात्र 29 लाख 99 हजार रुपये आपने खर्च किये हैं कोई जवाब है आपके पास? और माननीय सभापति महोदय, राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना ये जो नि:शक्त लोगों के लिए पुरस्कार योजना थी उसमें कांग्रेस सरकार ने 2001-02 में 76 हजार रुपये का प्रावधान रखा था और आपने कितना रखा इस साल 22 हजार रुपये का, क्यों किसी विकलांग से कोई दिक्कत हो गयी थी क्या? तो ये हालात राजस्थान के बने हुए हैं । अब मैं एक फीगर और कोट करना चाहता हूं पोलियो करेक्शन कैम्प का। 2001-02 में पोलियो करेक्शन में प्रावधान किया था 450 लाख रुपये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): प्रावधान और खर्च में फर्क है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और खर्च किया था 2 करोड़ 48 लाख रुपये माननीय सभापति महोदय और इस सरकार ने मात्र 24 लाख रुपये खर्च किये पोलियो करेक्शन ऑपरेशन कैम्प पर तो यह दलित आदिवासियों की स्थिति है। अब माननीय सभापति महादेय, मैं अपने अंतिम इश्यू पर आता हूं। राजस्थान की जनता ने वसुन्धराजी को बहुत आशीर्वाद दिया राजस्थान का तख्त सौंपा, इससे भी बड़ा ...।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आपकी सरकार ने भी बहुत सराहना की है पुरस्कार दिया है उसको क्या करोगे?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके ज्ञान के आगे मैं तो नतमस्तक हूं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मेरा ज्ञान नहीं मैं हकीकत बोल रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नतमस्तक से काम नहीं चलेगा साष्टांग ...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): साष्टांग करा ही दिया संयम जी को तगाराम जी ने।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस झालावाड़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने 1989 से लेकर 2003 तक माननीय वसुन्धरा राजेजी को पांच बार भारत की लोकसभा में पहुंचने का अवसर दिया और आज उन्हीं की दी हुई इस ताकत की बदौलत क्योंकि राजनीतिक कद बढ़ाने में सबसे बड़ा अगर किसी का सहयोग रहा है तो झालावाड़ संसदीय क्षेत्र की जनता का रहा है और इस सरकार में आने के बाद, वसुन्धराजी के राजस्थान का नेतृत्व संभालने के बाद वहां के लोगों को भी यह लगा था कि हमारे जीवन में भी कोई परिवर्तन आएगा लेकिन माननीय सभापति महोदय, क्या हालत है उन सहरिया आदिवासियों की, मैं भाषण नहीं देना चाहता हूं कि भूख से मर गये या यह हो गया मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार और राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे उन गरीब लोगों के प्रति कितनी संवेदनशील है यह इसका उदाहरण है। वर्ष 2005-06 में विशेष केन्द्रीय सहायता मद में 1 करोड़ 2 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया और दिसम्बर, 2005 में माननीय सभापति महोदय, मात्र 9 लाख रुपये इस सरकार ने खर्च किये 1 करोड़ 2 लाख रुपये की तुलना में मात्र 9 लाख रुपये, या तो वहां का प्रशासन निकम्मा है।

(समय : 16.58 बजे)

(श्री रामनायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और इसी तरह 2004-05 में महाराष्ट्र प्रणाली में वहां के लिए 98 लाख रुपये का प्रावधान था उन सहरिया आदिवासियों के लिए और इस सरकार ने खर्चा कितना किया मात्र 39 लाख रुपये। वर्ष 2005-06 में महाराष्ट्र प्रणाली मद के लिए 1 करोड़ 77 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 05 तक 81 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं तथा धारा 275 (1) के अन्तर्गत 58 लाख रुपये व्यय किये। मतलब उन सहरिया आदिवासियों के लिए भी जो पैसा मिला उसका 30 से 40 प्रतिशत ज्यादा पैसा यह सरकार खर्च नहीं कर पायी और अब वहां के सहरिया आदिवासियों के लिए जो होस्टल बनाने का काम था 46 लाख रुपये का प्रावधान था और खर्चा कितना किया 15 लाख रुपये। इसी तरीके से प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति योजना, 1989 से लेकर जिस महिला को वहां का रिप्रजेन्टेशन करने का मौका मिला वहां के आदिवासियों की हालत कैसी रही, इस प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना में खाली 6 छात्र वहां पात्र मिले 6 छात्र। 17-18 साल के राजनीतिक जीवन में वहां के आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा लाने का कोई काम राजस्थान की मुख्यमंत्री ने नहीं किया और वो ही वजह है कि आज अगर प्रतिभावान छात्रवृत्ति के लिए भी सहरिया आदिवासियों से खाली 6 बच्चे मिले। इससे बड़ी खेद की बात कोई नहीं हो सकती । मैं निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य समाप्त कीजिए काफी टाइम ले लिया आपने ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जो ट्राइबल एरिया डवलपमेंट है इसमें विभागीय योजना का एक दो विवरण मैं आपको सुना दूं । 2005-06 में क्या प्रावधान था। विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित क्षेत्र में 14 करोड का प्रावधान, खर्चा कितना 7 करोड । माडा क्षेत्र में 7 करोड 53 लाख का प्रावधान, खर्चा कितना 1 करोड 25 लाख । माडा क्लस्टर में 27 लाख का प्रावधान, 1 लाख 42 हजार का खर्चा । बिखरी जनजाति में 960 लाख का प्रावधान, 55 लाख का खर्चा । सहरिया विकास में 102 लाख का प्रावधान, 19 लाख का खर्चा। उपाध्यक्ष महोदय, 20-20 परसेंट, 25-25 परसेंट पैसा खर्च करके राजस्थान के कौन से दलित आदिवासी को गुमराह करने का काम यह सरकार कर रही है

(श्री संयम लोढ़ा)

और संविधान की धारा 275 'ए' के तहत जो पैसा मिलता है अनुसूचित क्षेत्र में 1980 लाख पैसा मिला, खर्चा किया मात्र 966 लाख और उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिए टीएडी में 29 लाख का प्रावधान खर्चा 2 लाख का। मास्टर पैटर्न पर अनुसूचित क्षेत्र में 6643 लाख का प्रावधान और खर्चा मात्र 2200 लाख का मतलब 1/3 पैसा आपने खर्चा किया है । माड़ा क्षेत्र में 679 लाख का प्रावधान, खर्चा 162 का । सहरिया क्षेत्र में 4 करोड 18 लाख का प्रावधान और खर्चा 85 लाख का किया । यह हालात राजस्थान के बने हुए हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार राजस्थान के उस दलित आदिवासी को किसी भी रूप में कोई आगे लाने का काम नहीं करना चाहती और अगर मैं एक सिलसिलेवार इनके आंकडे दूंगा तो इस सरकार की पूरी पोल खुल जायेगी। मुझे बहुत खेद है कि राजस्थान के समाज कल्याण मंत्री अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं पर यह विभाग के आंकडे यह प्रमाणित करते हैं ..

श्री तगाराम चौधरी: विपक्ष के दिये हुए आंकड़ों का कोई औचित्य नहीं होता, कुछ भी बोल दें ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आंकड़े यह साबित करते हैं, बहुत अच्छा होता उपाध्यक्ष महोदय, कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ या उस वर्ग में जो काम कर रहे हैं माननीय समाज कल्याण मंत्री उनके खिलाफ घृणा फैलाने के काम में लगने के बजाय, उनके खिलाफ लोगों को भडकाने के काम में लगने के बजाय, उनकी शिक्षण संस्थाओं पर हमला कराने के काम में लगने के बजाय, अपने समाजकंटकों के माध्यम से टोंक और निवाई के उस हैड मास्टर पर हमला कराने के काम में लगने के बजाय अपने विभाग के काम पर ध्यान दें और गणतंत्र दिवस जैसे गौरवशाली दिन पर देश की तरक्की को, देश को आगे बढाने का आह्वान लोगों को करने के बजाय अपने साम्प्रदायिक भाषण देने में ज्यादा ध्यान देते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, उसी का नतीजा है कि आज यह हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति का तबका इस रूप में अनवरत शोषण का शिकार हो रहा है और सरकार की योजनाओं का लाभ भी उसे समुचित नहीं मिल पा रहा है । आपने मुझे मौका दिया उसके लिये धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राम किशोर मीणा ।

श्री हीरालाल (निवाई): बार बार निवाई का नाम लेते हो कुछ भी नहीं हुआ निवाई में ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमला किया है आप लोगों ने उन पर । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो । माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: देख ली जायेगी ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 30, 33 तथा 51 जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग कहलाया जाता है उसके ऊपर बजट में जो प्रावधान किये गये हैं उनके ऊपर विचार करने के लिये हम चर्चा कर रहे हैं । जब तक कि इन वर्गों का उत्थान नहीं होगा तब तक कोई भी राज्य अपने नागरिकों का विकास की गति में जो उनका योगदान होना चाहिये वह पूरी तरह से नहीं ले पाता। इसके कारण किसी राज्य की उन्नति में इन वर्गों के ऊपर कितना ज्यादा पैसा खर्च किया गया तथा उनकी किस प्रकार से मानिटरिंग कर और वास्तव में जो बजट में प्रावधान किया गया है उसको कितना लागू किया है और जो हमने लक्ष्य रखा है उसकी कितनी हमने प्राप्ति की और उसके क्या परिणाम निकले इसके ऊपर उसका सारा ध्यान केन्द्रित करके सरकार बजट मद में प्रावधान करती है और उसके आधार पर आंकलन करती है कि इन वर्गों का हमने कितना उत्थान किया है ।

(श्री रामकिशोर मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, लंबे समय तक बजट में खूब प्रावधान किये गये लेकिन कथनी और करनी में अंतर होने की वजह से जो समाज के अत्यन्त पिछडे वर्ग थे उनको उनका पूरा लाभ नहीं मिलने की वजह से यह व्यवस्थाएं लगातार आगे तक जारी रही । माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने लगातार इस तीसरे बजट में इन वर्गों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देकर बजट में प्रावधान किया है और उसके फलस्वरूप आज इन वर्गों में एक बड़ा उत्साह का वातावरण बना है, विकास में योगदान करने का उनका मानस बना है । जहां तक बजट प्रावधानों का सवाल है पिछले पांच सालों में कांग्रेस शासन में उसमें जितने बजट प्रावधान किये गये थे उसमें कुल बजट का 262 करोड था जबकि पिछले तीन बजटों में, इन तीन वर्षों में ही हमने 364 करोड रुपये का प्रावधान कर इन वर्गों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया है । उसका बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। इसी के तहत चाहे वह आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे समाज कल्याण से संबंधित अन्य क्रियाकलाप हो उनमें लगातार इन वर्गों को ज्यादा से ज्यादा जोड़कर आगे भी उत्थान करने का प्रयास किया है । इस वर्ष 500 विद्यार्थियों का आवासीय उप योजना के अन्तर्गत 10 छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव किया है। उसकी बदौलत यहां पर विद्यार्थियों में जो उसमें अध्ययन करेंगे वह अपने आपको विकास में आगे बढायेंगे । 9 विद्यालय जो आवासीय हैं उसमें कम्प्यूटर की व्यवस्था करने का प्रावधान भी किया गया है । जनजाति उप योजना के अन्तर्गत जो छूटी हुई जनजातियां थीं और जिन पंचायत समितियों में इसका प्रावधान किया गया है उसमें उदयपुर की बडगांवा, मावली, गोगुन्दा, भिण्डर और राजसमंद जिले की कुम्भलगढ, सिरोही, पिण्डवाडा,पाली जिले की बाली और चित्तौड़गढ़ जिले की बडी सादडी, छोटी सादडी पंचायत समितियां जो जनजाति बाहुल्य की ग्राम पंचायते हैं उन्हें जन जाति उप योजना में शामिल करने का जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है इस प्रस्ताव के ऊपर जितनी जल्दी कार्यवाही होगी इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको भी उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकेगा।

इसी प्रकार से मांडा क्षेत्र का जो गठन किया गया है, 253 गांवों का 1991 की जनसंख्या के हिसाब से किया गया था लेकिन 2001 की जनगणना अभी तक पूरी तरह प्रकाशित नहीं हुई है1 उनका मानचित्र भी नहीं आ पाया है। इसके कारण से आज नये क्षेत्र के पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी प्रयास करके इनका पुनर्गठन किया जाए, तो उसके कारण से हमको बहुत बड़ा लाभ इसका मिल पायेगा।

(श्री रामकिशोर मीणा)

महाराष्ट्र प्रणाली की पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने घोषणा की थी। आज मांडा क्षेत्र के अंदर तथा उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत 12.56 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या हैं लेकिन जो बजट का आवंटन है वह 8 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। दूसरे प्रान्तों में भी, महाराष्ट्र में इस प्रकार की व्यवस्था है कि वहां पर पूरी आयोजना राशि का, चाहे वो डिविजवल है या नोन डिविजवल है उसमें एक मुश्त जनजाति विकास हेतु राशि आंवटित की जाती है जबकि राजस्थान में केवल डिविजवल आउट ले, उसका करीब आठ प्रतिशत के करीब आता है। इसको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है कि इस राशि को बढ़ाया जाए। पैसा अब तक हमारा बहुत खर्च किया गया है लेकिन लगातार इसमें सर्वेक्षण और इसके ऊपर हमने कितना विकास किया इसके ऊपर लगातार ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आश्रम छात्रावास हो चाहे दूसरे छात्रावास हो खोले खूब है। व्यवस्था भी खूब कर रहे हैं। उसमें जो संख्या आज छात्रों की हैं उसको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। पूरे छात्र उसमें नहीं आ पाते। जिनको भी जरूरत है, जो प्रवेश लेना चाहते हैं उनको प्रवेश नहीं मिल पाता। उनको और प्रवेश दिये जाने की आवश्यकता है। बजट आबंटन बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी इस बजट में जो छात्रवृति, जो राशि छात्रों को दी जा रही थी उसमें 75 रूपये की जो राशि बढ़ाई वह भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत हम बच्चों को अच्छी सुविधाएं देकर उनको उन्नति में आगे बढ़ा सकेंगे। जो हमारा 20 प्रतिशत के करीब आता है हर वर्ष आदिवासी क्षेत्र में, बजट के प्रावधान में जो वृद्धि की गई है इसको और भी आगे लगातार बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की, जनजाति क्षेत्र में जो वन क्षेत्र थे उसमें लगातार, आजादी के पहले भी लगातार हमारे काश्तकार धारा 90 और 91 के तहत उनके ऊपर अतिक्रमण करके, उनके लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अधिकार क्षेत्र में थे लेकिन उनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये थे। मुख्य मंत्री महोदय ने विशेष प्रयास करके और माननीय राजस्व मंत्री जी ने करीब 21,000 से ज्यादा काश्ताकरों को उनके जो

(श्री रामकिशोर मीणा)

अधिकार दिये गये हैं एक बहुत ही अच्छा कदम है, नहीं तो लगातार उनको वन विभाग वाले परेशन करते रहते थे। उनके कैसेज में बहुत ज्यादा बढ़ौतरी रहती थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और बार-बार कही जाती है, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का जो पैसा आता है उसको पूरा खर्च नहीं किया जाता है लेकिन आप देखें, बजट प्रावधानों को देखे तो दिसम्बर में, मार्च तक बजट का आवंटन वहां केन्द्र सरकार से होता है और उसके कारण से बजट के खर्च करने के अंदर एक तरह से खानापूर्ति की जाती है। वास्तविक तौर पर उसको हम जल्दबाजी में करते हैं यदि केन्द्र सरकार से समय पर वह बजट आता रहे तो उसके कारण इन वर्गों को बहुत अच्छी, समय पर रहकर समय सीमा बांधकर, उन योजनाओं को पूरी कर पाते हैं अन्यथा ज्यादा लंबी योजना होने की वजह से उस पर खर्च भी बढ़ जाता है और उसका जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामाजिक सुरक्षा के तहत यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मुख्य मंत्री महोदय ने मिड डे मिल के तहत गरीब और छोटे बच्चों को, एक योजना बनाकर उनको पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था की गई इसी प्रकार से जो अग्नि दुर्घटनाएं हो जाती है या प्राकृतिक आपदाएं अचानक हो जाती हैं उसमें कई परिवार बरबाद हो जाते हैं, उनको जो राशि उपलब्ध करा दी जाती है, अग्नि दुर्घटनाएं वगैरह में, पूरे-पूरे खलियान, 100-100 क्विण्टल के खतम हो जाते हैं लेकिन 500-1000 रूपये उनको उपलब्ध कराते हैं वह बहुत अपर्याप्त रहता है। इसी प्रकार की कोई योजना बनाई जाए धारा 80 के इनकम टैक्स के तहत उनको छूट प्रदान करके इस प्रकार का कोष बनाया जाए ताकि उसके तहत इस प्रकार जो आपदाएं आती है उनमें हम उनको तुरन्त राहत प्रदान करा सकें।

इस अवसर पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी हमारे आवासीय विद्यालय हैं उन आदिवासी विद्यालयों में पहले केन्द्र सरकार सारा का सारा पैसा देती थी। खर्चा चलाने के लिए भी देती थी लेकिन अब भारत सरकार ने केवल भवन निर्माण तक ही अपने आपको सीमित कर दिया है। इसके कारण से राज्य सरकार के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा आ गया है ना तो वह पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की व्यवस्था कर पाती है और बच्चों को जो

सुविधाएं दी जानी चाहिये वह सुविधा भी नहीं दे पाते। निवेदन है कि इस प्रकार के जो आवासीय विद्यालय, जिनको बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ चालू किया गया था लेकिन आज उसमें जिस विद्यार्थी ने एडमिशन ले लिया लेकिन उनको वहां पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है,उनको दूसरी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, तो अपने आपको वह इस प्रकार से अयोग्य समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो इसमें एडमिशन ले लिया।

मेरा इसमें मंत्री महोदय को सुझाव है कि जो बच्चे वास्तव में बहुत इटेंलीजेंट है, आगे पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे पब्लिक स्कूल हैं उसके तहत उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन दिलाकर और उनके ऊपर खर्चा होता है उसको यदि डिपार्टमेंट दे तो उन बच्चों को हम कम्पीटिशन की सीमा में भी ला सकते हैं, दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ-साथ उनकी योग्यतानुसार उनको आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। इसमें विभाग में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। जितने भी पिछड़े तबके के व्यक्ति हैं उनको आगे उठाने की योजना का इसमें सबसे ज्यादा सवाल है। बार-बार समय-समय पर हर सरकार इनके उत्थान के लिए योजना बनाती है लेकिन जितने लक्ष्य रखे जाते हैं उसकी वास्तविक रूप में परिणति नहीं हो पाती, उनकी प्राप्ति नहीं हो पाती, इसके कारण लक्ष्य केवल आंकड़ों तक ही सीमित रह जाते हैं। उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। इस अवसर पर इतना ही निवेदन करके, आपने जो बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवनीत नीनामा। श्री ओ.पी.महेन्द्रा।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास एवम मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर सदन में चर्चा चल रही है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इन विषयों पर बोलने का अवसर उपलब्ध करवाया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जो प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों का विषय रहा है। जब भी चुनाव होते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों और उनके कल्याण पर बहुत सारी बातें की जाती है लेकिन इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ग का

जितना कल्याण पिछले सवा दो वर्षों में हमारे राज्य की लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजेजी के समय में हुआ उतना कल्याण पूर्व में नहीं हुआ था।

मैं इस सदन के माध्यम से समाज कल्याण मंत्रीजी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, कटारा साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और माननीय घनश्यामजी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस समाज के कमजोर और जो पिछड़ा तबका है जिसमें विशेष रूप से विधवा, परिव्यक्ता महिलाओं को, चार हजार से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति आपके माध्यम से हुई है इसलिए आपका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो प्रस्तावित बजट है, इसमें यह बजट मूल रूप से सामाजिक कल्याण को ही समर्पित है। सामाजिक कल्याण के इस बजट में न केवल महिलाओं का ध्यान रखा गया बल्कि....(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष कितना सावचेत है एस.टी, एस.सी. के प्रति यह स्थिति देख लीजिए आप, खाली दो और एस.टी., एस.सी. के घडियाली आंसू बहाये जाते हैं। यह देख लीजिए आप। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: हम दो हमारे दो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इस हिसाब से ये एस.सी., एस.टी. के लिये कहते हैं, खाली दो बैठे हैं क्या साथ देंगे एस.सी.,एस.टी. का ये लोग।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2006-07 के बजट के नवीन प्रावधानों में कुछ प्रावधान ऐसे किये हैं जिनमें सामाजिक कल्याण की अवधारणा को बहुत बल मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन 200 से बढ़ाकर 400 रुपये की गयी है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिये, उनके स्वरोजगार के लिये स्वयं-सिद्धा योजना को आरम्भ किया जाएगा। इसके लिये सम्भागीय स्तर पर इस योजना को लागू किया जा रहा है। मैं इसमें सुझाव देना चाहता हूं कि इस योजना का विस्तार जिला स्तर पर भी किया जाए। विधवाओं की पुत्रियों की शादी के लिये 5000 से बढ़ाकर 10000 रुपये, बी.पी.एल. परिवार की पुत्रियों की शादी के लिये, एस.सी. के लिये 5000 रुपये की राशि। नशा-मुक्ति केन्द्र, यह एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है इस बजट में

(डा. ओ. पी. महेन्द्रा)

कि नशा जो हमारे समाज को जकड़ता जा रहा है, इसलिये नशा-मुक्ति केन्द्रों की स्थापना होगी। एस.सी.,एस.टी. के छात्रावास में रहने वाले बालकों को महीने में मिलने वाली राशि को बढ़ाया गया है। ओल्ड-एज-होम्स में भी वृद्धि की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के साथ जिन योजनाओं की बात कर रहे थे, जिन बजट प्रावधानों के ऊपर अपना उदबोधन दे रहे थे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की गयी हैं, जैसे अनुप्रति योजना, इसमें एस.सी.,एस.टी. के ऐसे युवक जो आई.ए.एस. का एक्जाम पास कर लेते हैं उन्हें एक लाख रुपये की राशि और जो आर.ए.एस. का एक्जाम पास कर लेते हैं उनके लिये 45000 रुपये का प्रावधान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं, आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं, आर.ए.एस. पास करने वालों में एस.सी. के बालकों को तो यह सहायता दी जाती है लेकिन एस.टी. के बालकों को या उनके युवाओं को यह सुविधा नहीं मिलती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एस.टी. के विद्यार्थियों को भी यह सहायता प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पालनहार योजना, जिसमें 500 रुपये प्रति माह का अनुदान और स्कूल में दाखिले के बाद 675 रुपये प्रतिमाह अनुदान और इसी प्रकार से विश्वास योजना, बहुत अच्छी योजना विकलांग व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिये, 50 हजार रुपये ऋण देने पर 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, आस्था योजना, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति विकलांग हों, ऐसे परिवारों को बी.पी.एल. में शामिल किया गया है। उसी प्रकार से महाविद्यालय स्तर पर महिला अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों के लिये सम्भाग स्तर पर जो छात्रावासों के भवन निर्माण की स्वीकृति इसके अन्तर्गत हो चुकी है उसी प्रकार से एक नयी योजना, बहुत ही नवीन योजना पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय स्थापित करने का इस सरकार ने निर्णय लिया है, यह बहुत अच्छा कदम है। इसी प्रकार से भिक्षा-वृत्ति एवं अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के व्यक्तियों को आवासीय विद्यालय सुविधा, इसके लिये भी 5000 रुपये का प्रोविजन पूर्व में किया जा चुका है। इसी प्रकार से राज्य में वृद्धजन नीति की घोषणा, यह भी एक नवीन कदम है इस सरकार का । ओल्ड-एज-होम, स्वालम्बन योजना और इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु सौ नवीन छात्रावास भी पिछले 2 सालों

(डा. ओ. पी. महेन्द्रा)

में, राजस्थान राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन, इसके अन्तर्गत राज्य में 602 राजकीय एवं 95 अनुदानित छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं और 28 हजार विद्यार्थियों के रहने, भोजन, पुस्तक, गणवेश आदि की व्यवस्था सरकार कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार नवीन योजनाओं में राजस्थान राज्य भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम योजना, यह बहुत ही एक कल्याणकारी योजना इस सरकार ने शुरू की है। इसी प्रकार से राजकीय छात्रावासों में सामान की आपूर्ति के लिये भी बहुत बढ़िया कार्य समाज कल्याण विभाग ने किया है।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन किया है । जैसा मुझे मालूम पड़ा है, यह पहली बार हुआ है और कल इस सरकार ने इसमें राज्य मंत्री का दर्जा भी उपलब्ध करवाया है। यह बहुत ही बढ़िया, पहली बार हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का इसमें आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस प्रकार से आवासीय निशक्तजन शिक्षण संस्थान के लिये इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर के सम्भागीय मुख्यालय पर स्वयं सेवी संस्थानों के माध्यम से निशक्त विद्यार्थियों के लिये आवासीय विद्यालय संचालित करने की योजना है। मूक-बधिर, नेत्रहीन बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं, निशक्त बच्चों के लिये आवासीय विद्यालय, 5 नारी निकेतनों की स्थापना1 इसी प्रकार से 5 अपचारी बालिका गृहों की स्थापना, बी.पी.एल. परिवारों के बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता योजना, वृद्ध, विधवा, विकलांग पेशन की योजनाएं। वृद्धावस्था हेतु गृह कर पंजीकरण में 50 प्रतिशत की छूट। इस प्रकार से ये प्रतिपक्ष के लोग क्या बताना चाहते हैं। हमारी सरकार आने के बाद इस क्षेत्र में अनेक कल्याणकारी कार्य हुए हैं और अनेक कल्याणकारी कार्य जारी हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह अनुसूचित जाति-जनजाति की योजनाएं ऐसी हैं, इसमें कितना भी कार्य करा लिया जाए लेकिन फिर भी इसमें कार्य करने की गुंजाइश रहती है। मैं हमारी सरकार से निवेदन करना चाहूगा, इसमें सम्बन्धित मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करते हुए कुछ अपने सुझाव इसमें देना चाहता हूं। अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याण से सम्बन्धित

(डा. ओ. पी. महेन्द्रा)

अनेक योजनाएं स्वयं-सेवी संस्थाओं के माध्यम से, एन.जी.ओ. के माध्यम से जो योजनाएं संचालित होती हैं, बहुत अच्छे-अच्छे एन.जी.ओ. हैं जो कार्य कर रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा गबन-घोटाले भी एन.जी.ओ. के माध्यम से ही होते हैं। इसमें मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कठोर समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसमें आप कठोर समीक्षा करवायें ताकि इन योजनाओं का लाभ नीचे स्तर तक पहुंचे। इसी प्रकार से हमारे गाडिया लुहार हैं। इन गाडिया लुहारों के लिये राशन कार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय दिलावर साहब ने इसमें व्यवस्था की है। गाडिया लुहारों के लिये प्लाट देने की योजना पहले से है, इन्होंने चालू कर रखी है। लेकिन इसमें इनके राशन कार्ड बनाने की योजना हो तो बहुत अच्छा हो। क्योंकि घुमक्कड़ रूप से घूमते रहते हैं। इसी प्रकार से जो घुमक्कड़ जातियां हैं उन घुमक्कड़ जातियों के कल्याण की कोई विशेष योजनाएं नहीं हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो घुमक्कड़ जातियां हैं उन घुमक्कड़ जातियों के कल्याण की अनेक योजनाएं बननी चाहिए, कारगर योजना इसके अन्तर्गत बनानी चाहिए। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण के माध्यम से जो छात्रवृतियां शिक्षण संस्थाओं को दी जाती हैं वे शिक्षण संस्थाएं उस राशि में से अधिकांश राशि अपने पास रखकर, छात्र तक वह पैसा बहुत कम पहुंचता है। इसमें मेरा अनुरोध है कि जो छात्रवृत्ति दी जाए वह छात्र के अकाउण्ट में जमा होनी चाहिए, उसके खाते में जमा हो ताकि संस्थाए उसका दुरुपयोग नहीं कर सकें। इसी प्रकार से समाज कल्याण विभाग में देखने में आया है, माननीय मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि छात्रवृत्ति से जुडे हुए जिलों में, जो एल.डी.सी., यू.डी.सी. और जो अधिकारी हैं या फिर एन.जी.ओ. से जुड़े हुए कार्य करने वाले अधिकारी हैं, उनकी बदलियां नहीं होतीं, वे ही लोग रहते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती है। जो इन योजनाओं को देखें, उनको 2 साल से ज्यादा उस पद पर नहीं रखा जाना चाहिए। यह मेरा इसके अन्तर्गत सुझाव है। इसी प्रकार से योजनाओं को लागू करने के लिये एस.सी.एस.टी. निगम बना हुआ है। एस.सी. वित्त एवं विकास निगम है अब साल-सवा साल से एम.डी. का पद रिक्त है। अब एम.डी. का पद रिक्त है तो उन योजनाओं का कार्यान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, जिलों में जो इसमें परियोजना अधिकारी लगे हुए हैं तो पूरे जिलों में एस.सी.,एस.टी. योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिये पूरे राजस्थान में मेरे ख्याल से 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इसके अन्तर्गत मेरा

(डा. ओ. पी. महेन्द्रा)

सरकार से निवेदन है कि उन पदों को भरा जाना चाहिए और इसमें सक्षम अधिकारियों को लगाया जाना चाहिए।

जो वास्तव में फील्ड से जुड़े हुए अधिकारी हो उनको इसके अन्तर्गत लगाया जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो योजनाएं केन्द्र से राज्य सरकार में आती हैं और राज्य सरकार से उन योजनाओं को हम निचले स्तर पर लागू करते हैं और निचले स्तर पर उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी पंचायत समिति और उससे नीचे के स्तर पर है। इससे ग्राम सेवक, पटवारी और इस तरह के अधिकारी जुड़े रहते हैं तो मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि जैसे कोई पेंशन अगर दी जानी है तो एक पंचायत में बार-बार अपन अभियान चलाते हैं बल्कि उस ग्राम सेवक से यह प्रमाण-पत्र लेना चाहिए कि उस दायरे में आने वाले लोग वृद्धावस्था के रूप में, विधवा के रूप में या अन्य जो लोग हैं, जो पेंशन के पात्र हैं, एक भी व्यक्ति ग्राम पंचायत में अगर छूट गया तो उसको तुरन्त सस्पैण्ड कर दिया जाएगा तो इस तरह की कोई व्यवस्था इसके अन्तर्गत माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं होती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अपने एस.सी., एस.टी. निगम है। इसके माध्यम से जो ऋण मिलता है अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को, अब उसमें एक बाध्यता है कि दो व्यक्तियों की, दो सरकारी कर्मचारियों की गारंटी होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो बहुत ही गरीब है। शिड्यूल्ड कॉस्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति है और उसके पास दो सरकारी व्यक्तियों की गारंटी अगर नहीं है तो उसको वह ऋण नहीं मिल सकता तो सरकारी कर्मचारी गारंटी देने को तैयार नहीं होते हैं तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है।

इसी प्रकार से हमारे जो छात्रावास हैं, उन छात्रावासों में वर्तमान में 315 पद अधीक्षकों के रिक्त हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 600 से कुछ अधिक अपने विद्यालय हैं और 315 पद अधीक्षकों के रिक्त हैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इन पदों को सतत् भरने की आवश्यकता है। एक बार विशेष अभियान चलाकर और उसके बाद निरन्तर इन पदों को सतत् भरने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से जो आवासीय विद्यालय हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। जो आवासीय विद्यालय अपने अभी चल रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि सभी जिलों में आवासीय विद्यालय खोले जाने चाहिए। गंगानगर जिला, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शिड्यूल्ड कॉस्ट की आबादी सबसे ज्यादा गंगानगर जिले में है। पूरे राजस्थान में शिड्यूल्ड कॉस्ट की आबादी, जो जनसंख्या है वह 17.16 परसेंट है। केवल गंगानगर जिले में, अकेले गंगानगर जिले में 34 परसेंट के लगभग शिड्यूल्ड कॉस्ट की आबादी है तो इसमें सबसे ज्यादा आबादी मेरे विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर में है तो मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि केसरीसिंहपुर में एक आवासीय विद्यालय आप खोलने की कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

उसी प्रकार से हमारा जो समाज कल्याण बोर्ड है, राज्य स्तर पर तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। राज्य मंत्री का दर्जा भी है लेकिन जिला स्तर पर समाज कल्याण बोर्ड जो है, यह पिछले काफी लम्बे समय से देख रहे हैं कि इनका ढांचा जिले स्तर पर बहुत बढ़िया तरीके से नहीं है तो जिला स्तर पर भी समाज कल्याण बोर्ड सही तरीके से गठित किये जाने चाहिए और मूल रूप से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि इस समुदाय से हम लोग आये हैं, इस समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति, चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, सबने एक बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि शिड्यूल्ड कॉस्ट का प्रत्येक विभाग में बेकलॉग जो है वह समाप्त होना चाहिए तो इसके लिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि विभिन्न विभागों में शिड्यूल्ड कॉस्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब का जो बैकलॉग विशेष पैकेज के द्वारा, विशेष योजना निकाल कर इसको पूरा किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आर.पी.एस.सी. के माध्यम से

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): आर.पी.एस.सी. के माध्यम से जितनी रिक्तियां आपने भेजी थीं, 1800 से ज्यादा ऐसी रिक्तियां हैं, जिनको अभी भरा गया है तो मेरे दृष्टिकोण से वह शिड्यूल्ड कॉस्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की है तो उसमें जो एप्लाई करने वाले लोग भी बी.एड. हैं, पात्र है, तो ऐसे

लोगों की अधिक से अधिक नियुक्ति हो इसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और एक अन्तिम बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एस.सी. के लोगों को जो रीको से प्लाट्स मिलते थे, उन प्लाट्स में पहले पचास परसेंट राशि लेकर उनको देने का प्रावधान था लेकिन उसमें एक परिवर्तन किया गया है कि अब शिड्यूल्ड कॉस्ट के लोगों को जो रीको का इण्डस्ट्रियल एरिया है, इसमें प्लाट मिलेंगे उसमें सम्पूर्ण राशि ली जाती है और यूनिट लगाने के बाद उनको पचास परसेंट की छूट दी जाती है तो यह प्रावधान भी उचित नहीं है अगर इनके पास इतना ही पैसा हो तो बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति बन सकते हैं तो इसके बारे में भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-30, 33 और 51 पर बहस हो रही है, मैं भी अपने आपको इसमें शरीक करता हूं। खास कर जनजाति विभाग में जो काम हो रहे हैं, वह काम मेरी दृष्टि से नहीं के बराबर है। जैसे विद्युतीकरण, आज अविद्युतीकृत ग्राम इतने हैं कि लोग बहुत परेशान हो गये और डिमांड नोटिस इतनी आती है, पचास हजार, एक लाख, इस तरह की डिमांड नोटिस आती है जबकि हमारे एस.टी. विभाग में जो हमारे कमिश्नर के यहां इसका काफी पैसा होता है लेकिन इस पैसे को इस काम में नहीं लिया जाता है और दूसरी योजनाएं हैं जैसे बेणेश्वर पर पुलिया बनाना, क्या मतलब है उस पुलिया का? आदिवासी को क्या मतलब है उस पुलिया का? एनीकट, इस तरह से जो करोड़ों रुपये हम बरबाद करते हैं जबकि आदिवासी के घर में एक लट्टू नहीं है। आदिवासी के घर में वह व्यवस्था नहीं है तो फिर हमारा यह काम करना, हमारी आजादी का कोई मतलब ही नहीं रहा है।

इसके अलावा आदिवासी एरिया डूंगरपुर का बिलकुल विभिन्न तरह का है। वहां पर जमीन बहुत कम है, जोत कम है और जहां भी पहाड़ों में भले ही एक बीघा, आधा बीघा कोई जमीन मिल जाती है तो लोग वहां पर अपनी झोंपड़ी बना लेते हैं और बनाने के बाद वहां रह जाते हैं। वहां न तो हैण्डपम्प की व्यवस्था है और न बिजली की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है तो मैं

(श्री नाथूराम अहारी)

समझता हूं कि अभी जिस हिसाब से जिस गति से हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सौ साल के बाद भी यह काम पूरा नहीं होगा तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि आप जितनी भी मूलभूत आवश्यकता हैं, उसके लिए आप पैसा खर्च करें, दूसरी योजनाओं में जो नॉन प्लान में और अन्य प्लान में पैसा खर्च करके पैसे को बरबाद नहीं करें और भविष्य में उसके बारे में, रिजर्वेशन के बारे में तो काफी शंकायें हो रही हैं। काफी लोग लड़ाई-झगड़े कर रहे हैं और यह भविष्य में रिजर्वेशन खतम हो जाएगा तब हम रोएंगे कि हमारा काम, हमारे पास था और हमने किया नहीं तो खास करके हमारे मंत्रीजी उदयपुर डिविजन के हैं और जानकार हैं तो इनको मैं सलाह देता हूं कि आप यह जो पैसा बेकार, आप जो हर जगह देकर बड़े भाई बनने की कोशिश नहीं करें, अपने भाइयों की सेवा करने के लिए आप करेंगे तो ठीक रहेगा।

इसके अलावा सरकार ने अभी जो स्कूलें खोली हैं, दवाखाने खोले हैं, डिस्पेंसरी खोली है उसमें काफी पक्षपात हुआ है। ... (व्यवधान) एक मिनट, आप बाद में कह देना। आपका जवाब आएगा न। यह जो खोले हैं वह पक्षपातपूर्ण है। मेरे यहां शिक्षा विभाग से और मुख्य मंत्री महोदय के यहां से मेरे पास कोटा में टेलीफोन आया कि आप अपना प्रस्ताव भेजो । मैंने कहा कि मैं दो प्रस्ताव दे चुका हूं। कितने प्रस्ताव दूं? तो मैंने वहां से प्रस्ताव भेजे। तीन बार मैंने प्रस्ताव दिये उसमें से एक भी स्कूल नहीं आया । एक अभी मुश्किल से आया तो कलालघाटा की जगह हलालघाटा कर दिया। कलालघाटा की जगह हलालघाटा कर दिया। एक महीने तक परेशान हो गया तब जाकर वह कलालघाटा हुआ। कलालघाटा की जगह हलालघाटा कर दिया तो अभी जाकर स्कूल खोली है। अच्छी खोली है। दवाखाने भी खोले हैं, सब कुछ खोले हैं। मेरे अभी इस साल बलोत में सैकण्डरी स्कूल खोली है वहां की भौगोलिक स्थिति मंत्रीजी जान रहे हैं कि एक तरफ तो हैं तीन पालें। बड़ी-बड़ी तीन पालें पड़ी हुई हैं और वह एक कोने में लेकर खोल दिया तो वह तीन पालों का सारा मामला, उनका विकास मर गया और वह तीनों पालें जो हैं वह विकास के नाम से बरबाद हो गयी।

तो हमको थोड़ा बीच में भी देखना चाहिये, थोड़ा एरिया भी देखना चाहिये और सब गांवों में समान व्यवस्था हो तो ठीक रहेगा। अभी हमारे मंत्रीजी उठ रहे थे, मैं कहूंगा आपने विद्युतिकरण के बारे में गांव दिये। आपने सागवाड़ा के सारे गांव दिये, डूंगरपुर के केवल दो-तीन गांव दिये तो क्या सागवाड़ा

(श्री नाथूराम अहारी)

का ही आप इस तरह करेंगे तो आपके लिये आज के समय में मुश्किल हो जाएगा। आप यूं नहीं समझें मैंने तीस साल गुजारे हैं उसको आप हल्का नहीं लें, यह बहुत गलत बात है और आपने हमारे टाइम में चार-पांच रोड मजूंर किये थे उन पांच रोडों को आपने कैंसिल करके सागवाड़ा में कर दिया। लोग पागल थोड़े ही हैं, लोग नहीं जानते हैं क्या कि यह काम मजूंर हुए थे और इनको सागवाड़ा में कर दिया। आप बहुत सोच-समझकर जो भी काम करें बहुत अच्छा करें। हम यूं नहीं कह रहे हैं कि विकास मत करो, विकास करो लेकिन समानान्तर करो, बराबर करो, जहां भी आवश्यकता है वहां करो।

बड़ी उत्सुकता से मेरे प्रस्ताव मांगे उसके अनुसार मुझे एक भी स्कूल नहीं दी है। अभी भी दो-तीन स्कूलें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं, हालांकि स्कूल बहुत खोले हैं लेकिन ऐरा-गैरा के यहां खोले हैं तो वहां उसका कोई प्रभाव नहीं है ऐसे लोगों के खोले तो यह अच्छा नहीं है।

इसके अलावा निजी कुओं के बारे में मैं समझता हूं जब से मैं हूं तब से निजी कुए खोदे जा रहे हैं । कभी 250 हॉल देते हैं, कभी 100 हॉल देते हैं, इस तरह से आदिवासी का कुआ हमारे डूंगरपुर की स्थिति को देखते हुए एक लाख रूपये हो तो भी कुआ ठीक नहीं होता है। इस तरह कतीरे तोड़ने से काम नहीं होता है, ऐसे ही विकास नहीं होता है। आज तो मैं उदाहरण देता हूं जहां भी जाता हूं इतने कुंए खोदे हैं कि आंख मींचकर किसी भी दिशा में चले जाओ कुए में पड़ोगे, किसी भी दिशा में चले जाओ। इतने कुए खुदे हैं, लेकिन किसी काम के नहीं, क्योंकि उनमें पानी ही नहीं है। जो-जो कुए हैं, जहां भी पानी की व्यवस्था है उस जगह हमको ज्यादा से ज्यादा सहयोग करके उनकी मदद करनी चाहिये।

इसके अलावा इन दो सालों में इंदिरा आवास के जो भवन बनते थे उनको कैंसिल किया है, यह बहुत गलत बात है। बड़ी मुश्किल से गरीब को हम इंदिरा आवास देते थे, वह भी नहीं । पहले तो पांच-सात देते थे अब की बार एक-एक किया है और अब बिलकुल ही खतम कर दिया। चाहे ट्राइबल फण्ड से देना पड़े तो डूंगरपुर में तो कम से कम आप इंदिरा आवास जरूर दें तभी जाकर इसका सही उपयोग होगा।

इसके अलावा पेंशन के बारे में कहूंगा। पैंशन बढ़ाई इसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कई ऐसी योजनाएं हैं, पेंशन में भी एक बार मेरी

(श्री नाथूराम अहारी)

मीटिंग हुई तो एक आदमी ने कहा कि ऐसा कैसा राज है, मैं वागड़ी में बोल रहा हूं–मेरे बेटे को तो पेंशन मिल रही है और मैं घूमता फिर रहा हूं। मेरे बेटे को तो पेंशन मिलती है और मैं वैसे ही घूमता फिर रहा हूं तो इस तरह का हुआ है मतलब नहीं मिलनी चाहिये ऐसे लोगों का भी हमने चयन करके पेंशन दी है तो उसमें बीच में कट भी गये। बुड्ढ़ों को तो आजकल कोई सहयोग करता नहीं। हम बैठे हैं उसमें से आधे लोग तो शहर आकर बस गये हैं, हमारे माता-पिता को कोई देखता नहीं। माता-पिता बुड्ढे हो जाते हैं तो उनको पेंशन की जरूरत होती है, उनको जरूर देना चाहिये, यह मेरी विनती है।

कई जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अभी भी नहीं मिली है। हम दूसरे विकास की बात करते जाते हैं और पीछे से चौपट होता जाए तो यह अच्छी बात नहीं है। इसके बाद एक हमारे यहां पहले चलती थी आई.टी.आई.आसपुर में, मांडो की पाल, डूंगरपुर में तो अभी एक अभियान चला है कि उसको निजीकरण में देना चाहिये, क्या पागल कुत्ते ने काटा है। निजीकरण में दस हजार रुपये फीस लगेगी। अभी 380 रुपये फीस लगती है और फिर पहले साल में दस हजार रुपये फीस लेंगे और दूसरे साल में बीस हजार रुपये लगेंगे तो इससे क्या फायदा? आदिवासी बच्चा तो कर ही नहीं सकता है। मैं निवेदन करता हूं जो भी वन पड़ता है राज्य सरकार से और मंत्रीजी से कि इस आई.टी.आई. को बिलकुल बंद नहीं करना चाहिये और जो पहले दो-तीन जगह चलती थी उसको भी वापस चालू करना चाहिये। यही तो थोड़ा आसरा है। बहुत कम पैसे में ट्रेनिंग करें और जो सैण्टर है वह चालू रखें तो बढ़िया होगा। यह मेरा आपसे निवेदन है।

एक बात अभी जोरों से चल रही है माही का पानी जालौर ले जाने की। जालौर कहां और माही कहां? चैनल बनाकर ले जाएंगे। क्या दिमाग काम करता है? डूंगरपुर-बांसवाड़ा तो सूखा है और उसका पानी चैनल बनाकर जालौर ले जाएं, क्या मतलब हैं? ऐसे प्लान करना बिलकुल गलत है, कभी नहीं करना चाहिये । मैं सरकार और मंत्रीजी से निवेदन करता हूं यह पानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आसपुर और जहां भी जा सके, ऐसे एरियों में ले जाना चाहिये और इसके बाद आप वहां ले जाओ। पानी रहे तो ले जाओ, पानी नहीं है तो काहे को ले जाते हो आप। इस तरह से करोड़ों रूपये आप..(व्यवधान) ... आप बैठ जाओ। ..(व्यवधान) ... आप बैठ जाओ, आपके बस का रोग नहीं है यह। ..(व्यवधान) ... आप नहीं समझते। ..(व्यवधान) ...

श्री तगाराम चौधरी: माननीय अटलजी की योजना है यह।.. (व्यवधान) ...

श्री नाथूराम अहारी: आप बैठ जाओ, क्या योजना-योजना करते हो? नहीं, हम तो भूखे-प्यासे मरें और वहां पानी दे दें। क्या मतलब है यह इसलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप कभी भी उस पानी को जालौर नहीं ले जाएं। हमारी पूर्ति करने के बाद जालौर ले जाओ न, कौन मना करता है, लेकिन हम तो भूखे-प्यासे मरें और आप पानी जालौर ले जाओ, यह बिलकुल गलत तरीका है।

इसके अलावा आपकी आबकारी नीति। आबकारी नीति क्यों करते हो, क्या मतलब है यह, इसके करने से क्या मतलब है? हमारा आदिवासी तो वैसे ही उसको पी-पीकर मर रहे हैं। क्यों पिलाना चाहते हो, छूट किसलिये करना चाहते हो? गंगानगर शुगर मिल सस्ते में दे रही थी उसका काटकर कमीशन पर दे दिये, आपने उनको दे दिया, क्या मतलब है? कमीशन ही सब कुछ है या जनता की सेवा भी करनी है? मैं तो कहता हूं कि यह बहुत गलत तरीका है हमको यह नहीं करना चाहिये।

इसके अलावा बैकलॉग के बारे में हम काफी परेशान हो रहे हैं। अभी हर स्कूल में जगह तो है लेकिन जगह भरी हुई नहीं है। खाली पड़ी हुई है। उसमें दो साल तो निकल गये बिना मास्टरों के और अभी भी परीक्षाएं आ गयीं, आप नहीं करोगे तो क्या होगा? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है। आपने अच्छे काम किये हैं, कई काम अच्छे भी किये हैं, कर भी रहे हो, लेकिन मेरा मन यह नहीं मानता कि आप इस तरह आबकारी नीति लगाओ, माही का पानी जालौर ले जाओ। यह सरदर्दी की बात करना अच्छी नहीं है। आपने समय दिया इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। ..(व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़ । ..(व्यवधान) ...

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नहीं है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: अब मौका देंगे आपको।

श्री सुरेश मीणा (करौली): रोजाना कहना पड़ता है।श्री उपाध्यक्ष: आज देंगे मौका।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास,

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

मांग संख्या 51 जनजाति कल्याण हेतु विशिष्ट योजना संगठन में मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए सर्वप्रथम तो माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जो बजट भाषण रखा है, उस बजट भाषण में गरीब को गणेश मानकर और दरिद्र को नारायण मानकर समाज कल्याण विभाग में और जनजाति कल्याण विभाग में जो घोषणाएं की गयी हैं उसके लिये उनको साधुवाद, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा तथा सबसे पहले तो जो वृद्धावस्था पेंशन 200 रुपये मिल रही थी, उस 200 रुपये वृद्धावस्था पेंशन में 75 रुपये भारत सरकार का हिस्सा था और 125 रुपये राजस्थान सरकार दे रही थी। उसमें अभी केन्द्र सरकार ने अपना योगदान 125 रुपये बढ़ाया है और राज्य सरकार ने अपनी और से 200 रुपये का योगदान करते हुए 400 रुपये वृद्धावस्था पेंशन की। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जनजाति विकास के लिये पूर्व सरकार ने पांच वर्षों में योजनाओं में 262 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जबकि हमारी सरकार ने तीन वर्षों में 364 करोड़ रुपये का प्रावधान करके इस प्रकार का बजट हमारे सामने रखा। आगामी वर्षों में उदयपुर सम्भाग में अनुसूचित जनजाति के 500 विद्यार्थियों हेतु चार बालक, छह बालिका, कुल दस नवीन आश्रम छात्रावासों का संचालन प्रारम्भ किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त 9 आवासीय विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी। मैं सरकार से चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भी अनुसूचित जाति के लोग बहुतायत में रहते हैं और शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ मुख्यालय में भी आज दिन तक न तो अनुसूचित जनजाति का छात्रावास खुला, न अनुसूचित जाति का छात्रावास खुला। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशेष तौर से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय में एक शेरगढ़ ही बाकी होगा जिसके मुख्यालय पर इस प्रकार का छात्रावास नहीं है। मैं आपसे मांग करूंगा कि आप अनुसूचित जनजाति का छात्रावास जरूर खोलें, पहले अनुसूचित जाति का छात्रावास जरूर है लेकिन अनुसूचित जनजाति का छात्रावास नहीं है, शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय पर अनुसूचित जनजाति का छात्रावास खोलने की अगले समय में आप इजाजत दिलावें।

इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग बहुतायत में हैं, कुल आबादी के 30

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

परसेंट की आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी बालिका छात्रावास नहीं है, ग्राम पंचायत देसू में आवासीय बालिका छात्रावास खोलने का आपसे निवेदन रहेगा और अनुसूचित जनजाति का छात्रावास शेरगढ़ के लिए भी मैंने निवेदन किया है और ग्राम पंचायत नाथव में भी अनुसूचित जाति का छात्रावास अवश्य खोलें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन हमारे यहां पश्चिमी राजस्थान के अन्दर विशेष तौर से जो भील जाति रहती है वह भील जाति धोरों में, टीबों में, एकदम पिछड़े हुए क्षेत्र में रहती है और उनके हालात भी ऐसे हैं कि उनके यहां न तो पानी की व्यवस्था है न उनके मकान की व्यवस्था है न उनके धोरों में, टीबों में जाने के लिए अन्दर सड़क की व्यवस्था है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादातर आपका ध्यान आदिवासी क्षेत्रों में रहता है, वह तो रहना चाहिए लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जो धोरों की धरती का क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र में भी है जहां भील जाति के लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए और टाडा योजना में और माडा योजना में भी इस प्रकार का काम आपको हाथ में लेकर उनकी तरफ भी ध्यान देकर के उनका स्तर ऊँचा उठे, इसके लिए आपको सोचना चाहिए। आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति और जाति के खोल रहे हैं लेकिन हमारे क्षेत्र की तरफ, पश्चिमी राजस्थान की तरफ इस प्रकार का आवासीय बालिका छात्रावास आपने नहीं खोला है इसलिए भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल आबादी के 30 परसेंट की जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजाति की है, वहां भी आवासीय बालकों का छात्रावास खोलेंगे तो यह एक नया एतिहासिक काम होगा। जो ऐतिहासिक काम सारे मंत्रियों ने किया है अब आपसे भी यही निवेदन रहेगा कि, माननीय मंत्री महोदय, एक एतिहासिक काम तो आप भी इस विधान सभा क्षेत्र में कर दीजिए।

समाज कल्याण हेतु पूर्व सरकार ने पांच वर्ष के कार्यकाल या मद में किये गये कुल प्रावधान की तुलना में हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तीन वर्षों में ही 20 परसेंट की अधिक वृद्धि करते हुए 262 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 697 छात्रावास में निवास कर रहे विद्यार्थियों के लिए भोजन, वस्त्र एवं अन्य सुविधाओं के लिए

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

प्रति माह में प्रति विद्यार्थी जो 675 रुपये प्रति माह थे उसको बढ़ा कर के 725 रुपये किया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में यह बात सही है कि आज से पहले कभी समाज कल्याण के छात्रावासों में जाकर नहीं देखा न उनकी स्थिति को ढंग से देखा लेकिन आपने पहली बार महसूस किया, हमारी राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पहली बार महसूस किया और छात्रावासों के जो हालात थे उनको उन्होंने पता करवाया और जिस प्रकार की मांग चली आ रही थी उस मांग के अनुसार छात्रावासों में पहली बार छात्रों को जो मीडिया के समाचार हैं, दूसरी योजनाएं हैं, दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं उसके लिए 29 ईंच की बड़ी कलर टी.वी., हमारे यहां तो एल.जी. की बहुत अच्छी बड़ी टी.वी. आयी है और उस टी.वी. को देखकर छात्र बहुत खुश हुए और वह टी.वी. और दूसरा जो सामान आपने दिया है, गदरे भी दिये हैं, चद्दरें भी दी हैं, पहली बार, पहले तो तीन किलो का, दो किलो का, पांच किलो का घासिया मिलता था इस बार तो आपने बहुत अच्छा गदरा दस किलो का भरा कर के छात्रावासों के अन्दर दिया है। इसी प्रकार से आपने रजाइयां भी दी हैं, आपने कम्बल भी दिये हैं, आपने उनको बूट भी दिये हैं, जूते भी दिये हैं, अच्छी व्यवस्था भी की है और जब इतना सारा सामान हम को मिला, टी.वी. मिला है, टी.वी. स्टैंड मिला है, कुर्सियां मिली हैं वह सारा सामान लेकर पहली बार हम छात्रावासों में गये और छात्रों को दिया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि साहब, हम को पहली बार तो कोई संभालने आये। मैं हमेशा कहता रहता हूं, यहां जिक्र भी करता हूं कि वह कहते हैं कि जो पूर्व में लगातार वयोवृद्ध नेता और बड़े नेता रहे कभी भी कोई नहीं आये और उनके अनुयायी भी नहीं आये, उनका ब्लाक अध्यक्ष भी नहीं आया जब वहां आ गये तो विधायक जब ही जा सकते हैं कि सरकार कुछ करती । सरकार ने किया भी, सामान दिया भी, उसी सामान को हम लेकर गये। ऐसी व्यवस्थाएं आपने की हैं कि इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी प्रकार से जो 725 रुपये प्रति माह आपने किया है इससे 28,000 ...(व्यवधान)... वह मेरे दादोसा थे, मैं उनका पोता हूं और मेरे समय में काम ज्यादा हो रहे हैं।

28,000 से अधिक विद्यालयों को लाभ मिलेगा जिसके लिए एक करोड़ 40 लाख का प्रावधान किया जा रहा है, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। पहली बार इस प्रकार का सामान आपने दिया है।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

किराये के भवन में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 95 छात्रावासों के लिए राजकीय भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उस निर्माण कार्य पर प्रति छात्रावास 35 लाख रुपये की दर से अगले दो वर्षों में कुल 33 करोड़ 25 लाख का व्यय अनुमानित है, इसके लिए 8 करोड़ 32 लाख रुपये अगले वर्ष में उपलब्ध कराये जायेंगे। मेरा भी माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि आपने बजट प्रावधान किया है और अगले दो वर्षों में इतने सारे छात्रावास बनवा रहे हैं, वास्तव में इन्तजार कर रहे हैं यह छात्रावास जो किराये के भवनों में रहते हैं, किराये के भवन भी अच्छे नहीं हैं। मेरे यहां तो ग्राम पंचायत बेड़वा में 1992 को समाज कल्याण छात्रावास माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब के समय में खुला था और वह भवन आज दिन तक बनने का इन्तजार कर रहा है। ग्राम पंचायत बेड़वा ने भी भूमि आबंटित कर के समाज कल्याण विभाग के नाम से पट्टा भी जारी कर दिया है और अभी जो छात्र वहां रह रहे हैं उनकी दयनीय स्थिति है, अखबारों में भी कई बार छपा। वहां झोपे में बच्चे रह रहे हैं और एक छोटा सा क्वार्टर वहां बना हुआ है, उसके अन्दर किराये में भवन चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर 35 लाख रुपये का बेड़वा में छात्रावास भवन इस बार आप दे दें तो यह लम्बे समय से जो भवन निर्माण की मांग चली आ रही है वह समाप्त हो जायेगी। नम्बर एक।

नम्बर दो, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आपने अभी छात्रावास स्वीकृत किये हैं उसमें मेरे चामू पंचायत के अन्दर अनुसूचित जाति छात्रावास के लिए पहले बजट आया था, उस बजट में छात्रावास तो बन गया लेकिन छात्रावास बनने के बाद छात्रावास की स्वीकृति नहीं मिली और स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से वहां पर जो बिल्डिंग बनी थी लोग उसके दरवाजे, उसके खिड़कियां ले गये, उसकी दीवार टूट गयी, वह जर्जर अवस्था में हो गया। 18 साल पहले बना था, उसकी हालत खराब हो गयी अब आपने वहां चामू में छात्रावास की स्वीकृति दी, अब जो बहुत लम्बे समय से मांग थी वह मांग आपने पूरी की इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और जो अभी भवन है उस भवन में भी एम.पी. साहब ने हमारे माननीय मानवेन्द्र सिंहजी जसोल ने भी उसमें पांच लाख से ज्यादा राशि देकर मरम्मत के पैसे दिये हैं। वह भवन तो बन कर तैयार हो जायेगा (समय समाप्ति सूचक घण्टी) लेकिन 35 लाख जो और दे रहे हैं, उसमें भी आप 35 लाख

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

रुपये दे दें, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जल्दी से यह काम करवाएं। यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद 1

श्री उपाध्यक्ष: श्री जालम सिंह रावलोत।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने शुरू से ही समाज के कमजोर तबके, अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिए कई योजनाएं लागू कीं। आज जब तीसरा बजट प्रस्तुत हो चुका है और तीनों बजट में हम आंकलन करें और वार्षिक योजनाओं का मूल्यांकन करें तो इस सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में एस.सी., एस.टी. के लोगों के लिए बहुत काम किये हैं।

समाज कल्याण छात्रावासों की बात चल रही है, में स्वयं विद्यालय जीवन से ही इन छात्रावासों से जुड़ा रहा हूं और इनके लिए कई आन्दोलन किये हैं इसलिए समाज कल्याण छात्रावासों की सब समस्याओं से वाकिफ हूं। एक जमाना वो था कुछ समय पहले का जब समाज कल्याण छात्रावासों की स्थिति का जिक्र अभी शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, मैं डीटेल में नहीं जाते हुए वर्तमान सरकार ने जो समाज कल्याण छात्रावासों की स्थिति का सुधार किया है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

खास कर के जो यह राशि बढ़ायी गयी है 675 रुपये से बढ़ा कर 725 रुपये किये हैं इससे और स्थिति में सुधार होगा और हमारे जो विद्यार्थी एस.सी. और एस.टी. के हैं वह और लाभान्वित होंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खास कर के कमजोर तबके के लिए जो यह छात्रावास चल रहे हैं उसमें यह जो भोजन सामग्री का स्केल समाज कल्याण विभाग द्वारा तय किया गया है वह बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि उनके जैसे 25 छात्रों के लिए ढाई किलो सब्जी का प्रावधान, यह बहुत कम है और यह जो 675 रुपये राशि दी जाती है उनमें से अधिकांश राशि खर्च नहीं हो पाती है।

उनमें से अधिकांश राशि खर्च नहीं हो पाती है । यह स्केल बढ़ाया जाए। भोजन सामग्री के विभिन्न मदों पर तथा अन्य जो सुविधाएं हैं घी, फ्रूट्स वह भी दी जा सकती हैं यदि स्केल को बढ़ाया जाए तो । मैं माननीय

(डा. जालम सिंह रावलोत)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि तीन सौ वार्डन्स के पद खाली पड़े हैं उनको जल्दी पूरा किया जाए और रसोइयों तथा चौकीदार के लिए जो मात्र 600 रुपए दिए जाते हैं उसको बढ़ाया जाए ताकि वह अपना कर्तव्य ढंग से निभा सकें। वार्डन्स की ट्रेनिंग लम्बे समय से नहीं हो पा रही है खास तौर से जो अस्थाई वार्डन्स लग रहे हैं उनकी। उनकी वार्षिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।

भवन निर्माण समाज कल्याण छात्रावासों के लिए किया जा रहा है उसके लिए वास्तव में मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस ओर विशेष ध्यान दिया। मैं खास कर हमारे जैसलमेर जिला हैडक्वार्टर पर गर्ल्स हास्टल एस सी और एस.टी. की लड़कियों के लिए नहीं है। मैं, माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगली बार जब प्रावधान हो तो जैसलमेर में बालिकाओं के लिए एक समाज कल्याण छात्रावास जरूर चालू करें ताकि एस सी एसटी की प्रतिभाशाली बालिकाएं इस प्रतियोगिता के युग में आगे आ सकें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एस.सी., एस.टी. के लोगों का बाहुल्य है और एस.सी. एस.टी. के लोगों की बदौलत ही मुझे विधान सभा में आने का सौभाग्य मिला। मैंने जब चुनाव लड़ा था तो 95 प्रतिशत एस.सी. एस.टी. के लोग मेरे साथ खड़े हुए। उसके लिए मैं निश्चित रूप से सरकार से आह्वान करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में रामसर, असाणी, भियाण और सांगर जैसे स्थानों में समाज कल्याण छात्रावास खोलें।

कोचिंग की व्यवस्था जो एस सी एसटी के होस्टल्स के लिए दी जाती है उसमें दो सौ रुपए प्रतिमाह एक सब्जेक्ट के लिए दिए जाते हैं और दो माह के लिए दी जाती है साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए, वह बहुत कम हैं और प्रतियोगिता के इस जमाने में हमारे एस.सी., एस.टी. के लड़कों को आगे बढ़ाने की जो सरकार की नीति है उसके तहत यह 200 रुपए की बजाय एक हजार रुपए पर सब्जैक्ट और पर मंथ दिया जाए तब ही हमारे एस सी एसटी के पढ़ने वाले गरीब तबके के विद्यार्थियों का भला हो सकेगा।

सामाजिक समरसता भी हमारा सरकार का मुख्य ध्येय है । महात्मा गांधी जी ने, डाक्टर अम्बेडकर ने और हमारे संघ के सरसंचालक बाला साहबजी ने कहा था कि यदि जीवन में और कोई पाप है तो अस्पृश्यता सबसे बड़ा पाप है, छुआछूत सबसे बड़ा पाप है। हमारी सरकार छुआछूत को खतम

(डा. जालम सिंह रावलोत)

करने के लिए पूरी तरह से संकल्प लिए हुए है । इस हेतु मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि 6 दिसम्बर जो डाक्टर अम्बेडकरजी की पुण्य तिथि है और 14 को उनका जन्मदिन है। दोनों ही दिन सामाजिक समरसता के दिवस के रूप में संबंधित छात्रावासों में आयोजित किए जाएं। उसमें समाज के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया जाए, सह भोज किया जाए ताकि समाज में समरसता का भाव हमारी सरकार की नीति के तहत आगे बढ़ाया जाए।

अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम के द्वारा जो योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं उसमें दो योजनाओं के बारे में संक्षेप में मैं अपना निवेदन करना चाहता हूं, मुझे समय की सीमा का ध्यान है । क्राप लोन जो दिया जाता है उसमें दस हजार रुपये का क्राप लोन गरीब तबके के लिए दिया जाता है और दस हजार बैंक और देती है । यह सब्सिडी के रूप में मिलता है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं यह राशि बहुत कम है इसको बढ़ाकर बीस हजार रुपये किया जाए। मैं कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना करता हूं कि यहां प्रतिपक्ष के आने वाले माननीय सदस्य एस.सी. एस.टी. के कल्याण की बहुत बातें करते हैं लेकिन यह क्राप लोन जो एस.टी. के लोगों के लिए खास कर हमारे क्षेत्र में भील लोग हैं उनके लिए यह योजना पिछली सरकार ने अपने अन्तिम वर्ष में बंद की । मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय दोनों मंत्रियों को, समाज कल्याण मंत्रीजी को और माननीय जनजाति विकास मंत्रीजी को कि उन्होंने एस.टी. के लोगों के लिए क्राप लोन योजना शुरू की। लेकिन यह राशि बहुत कम है, जैसे जैसलमेर में यह केवल पन्द्रह के लिए है। जब कि एस सी के बंदों के लिए सौ है। बाड़मेर में एस.टी. के लिए 73 और एस सी के लिए 900 है । एस.सी. के लिए जो दी जा रही है उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन एस.टी. के लिए यह राशि अगले सत्र से बढ़ायी जाए, ऐसा निवेदन करना चाहता हूं। खास तौर पर वर्कशाप और कार्यशाला के लिए जो दस हजार रुपये का लोन एस सी के लोगों को दिया जाता है उसको बढ़ाकर बीस हजार रुपये किया जाए ताकि वह अपना व्यवसाय ढंग से चालू कर सके। एक भी एस.टी. के लोगों के लिए नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस.टी. के लोगों के लिए भी वर्कशाप का लोन दिया जाए।

मैं खासकर जैसा माननीय शेरगढ़ से आने वाले सदस्य ने जिक्र किया कि हमारे क्षेत्र में भील जाति बहुतायत में है। भील जाति हर हिसाब से गरीब

(डा. जालम सिंह रावलोत)

और पिछड़ी हुई है और स्वाभिमानी है। जो कहते हैं भील वो करते हैं। इस नाते मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय जनजाति मंत्रीजी से, एक तो हमारे क्षेत्र का दौरा करें, दोनों जिलों का दौरा नहीं हुआ है और भील जाति को आगे बढ़ाने के लिए वह उतना ही प्रयत्न करें जितना आदिवासी बंधुओं के लिए वह करते हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि वह करेंगे।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो दो सौ रुपये से बढ़ाकर चार सौ रुपये किये हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं सम्माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी की इस बात के लिए तारीफ करना चाहूंगा कि अनुकृति योजना जो हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लागू की है वह बहुत ही जोरदार कदम है। अनुकृति योजना के तहत जो एस.सी. एस.टी. के बंधु प्रिलिमिनरी परीक्षा आई.ए.एस. की पास करते हैं प्रत्येक विद्यार्थी को 75 हजार रुपये है । मेन की तैयारी के लिए जो मेन उत्तीर्ण करते हैं उनके इण्टरव्यू की तैयारी के लिए 25 हजार रुपये का प्रावधान आई ए एस के लिए और आर.ए.एस के लिए तीस हजार प्रिलिमिनरी पास विद्यार्थियों को दिया जाता है और मेन पास विद्यार्थियों को इण्टरव्यू के लिए 15 हजार का जो प्रावधान है वह निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। इससे हमारे एस. सी. एस.टी. को और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के एस. सी. एस.टी. के लड़के आगे आने लगे हैं । ऐसे लगभग 160 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं और एक करोड़ 17 लाख रुपये की राशि उनको दी गयी ।

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय जो प्रारम्भ किये हैं वे वास्तव में नवोदय विद्यालय के टाइप के हैं और वे हमारे क्षेत्र में उन्होंने विशेष रूप से खोले हैं जिससे निश्चित रूप से हमारे एस.सी. एस.टी. और अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी खासकर कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय चूंकि बालिकाओं के लिए है वह विशेषकर जो पिछड़े क्षेत्र में चालू किये हैं उसमें सारा खर्चा सरकार उठा रही है उसकी व्यवस्था इतनी सुन्दर है कि मेरे क्षेत्र में जो दो खुले हैं, जिले में मैं कल ही एक छात्रावास के अभिभावक सम्मेलन में जा रहा हूं साइथा चौहटन में, वह निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में एस सी एस टी और ओबीसी की बालिकाओं को आगे लाने की दिशा में एक जोरदार अभियान के रूप में काम करेगा । मैं जो मांगें रखी गयी हैं इन तीनों मांगों का प्रबल समर्थन करता हूं, धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेश मीणा।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज मांग संख्या 30,33 और 51 पर जो वाद विवाद इस राज्य की उन जातियों के ऊपर किया जा रहा है जो जाति सदियों से मोहताज रही हैं और आज भी वही स्थिति है। चाहे राजस्थान में सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार बी जे पी की हो बगैर इन जातियों के कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। बड़ी बड़ी बातें इन जातियों के बारे में माननीय सदस्य कहते हैं लेकिन जिस प्रकार बजट में इन एस.सी./एस.टी. के लोगों का जो प्रावधान रखा जाता है यदि यह पैसा इन पर बराबर खर्च होता चला जाता तो मैं तो जानता हूं कि अब तक तो इन जातियों की स्थिति कुछ और ही होती लेकिन यह सारा प्रावधान सिर्फ कागजों में होता है वास्तविकता कुछ और है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत से सदस्य कह रहे थे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर साहड इन जनजातियों के लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वह लोग कह रहे थे जिन लोगों ने इस राजस्थान में 45 साल राज किया है। मैं पूछना चाहता हूं उनको कि आप लोगों का जो राज रहा और आप उनके वोटों से जीतकर आते हैं जैसे कि वह कह रहे थे 36 हजार वोट मेरे क्षेत्र में हैं उनका ध्यान क्यों नहीं रखा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इन जातियों का बखान करने से, इन जातियों की बात करने से इनका उद्धार होता तो उनका उद्धार हो सकता था लेकिन मैं राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वास्तव में यदि समाज का विकास करना है, तो इस राज में एस.टी., एस.सी. जितनी संख्या में है उस संख्या के आधार पर पैसा उसके विकास पर लगाया जाये। क्योंकि केवल कागजों में तो कह दिया जाता है कि एस.टी., एस.सी. के ऊपर इतना पैसा लगा देंगे लेकिन उनके पास वह पैसा पहुंचता नहीं है। इसीलिये आज भी वह लोग भूख से मरते हैं, उनके साथ अत्याचार होते हैं, उनके साथ, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़े ही नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बी.जे.पी. में हमारे एस.टी., एस.सी. के 42-43 माननीय सदस्य हैं। यहां से ही, इसी सदन से हमारे साथ सौतेला व्यवहार स्टार्ट हो जाता है जो गांवों तक पहुंचता है। आज राजस्थान की सरकार एस.टी., एस.सी. के माननीय सदस्यों के ऊपर टिकी हुई है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को ऐसा कौनसा डिपार्टमैंट दे रखा है जो अपने

(श्री सुरेश मीणा)

समाज का भला कर सकें। इसलिये राजस्थान की मुख्य मंत्री, जिस प्रकार राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी जी थे उन्होंने कम से कम एक एस.सी. के माननीय कैलाश मेघवाल को राजस्थान का गृह मंत्री बना दिया। यह तो उनकी बहुत बड़ी बात थी लेकिन अब की बार तो भट्ठा ही बैठा दिया। दो-चार बेचारे मिनिस्टर तो यहां बैठे रहते हैं जिनको कोई काम नहीं है। उनको सिर्फ लाल बत्ती की गाड़ी दे रखी है और आराम करते हैं। वह कैसे इस समाज का भला कर सकते हैं इसलिये सबसे पहले तो मैं हमारे बीच में माननीय मुख्य मंत्री तो नहीं हैं लेकिन माननीय गृह मंत्रीजी बिराजे हुए हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि हमें भी यहां थोड़ा बहुत मसाला दिया जाये जिससे इस समाज का भला हो सके। जनसंख्या के आधार पर बात करते हैं। लेकिन हकीकत में यह दोष न तो माननीय मुख्य मंत्रीजी का है, न गृह मंत्रीजी का है, यह दोष तो एस.टी., एस.सी. के लोगों का है, जो लोग अपने भले की बात नहीं समझ सकते। जिन लोगों के साठ साल बाद अभी तक भूखा मरने की बात इस सदन में की जाती है, वह समाज क्या सौ साल बाद उन्नति करेगा ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देख रहे हैं राजस्थान में हमारे जितने भी अधिकारी हैं वह रोजाना रोजाना रोते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हमें अच्छी जगह कहीं लगाया नहीं गया। हमको बर्फ में लगा रखा है। हमारे कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार होता है। राजा-महाराजाओं के टाइम पर तो हमारे साथ होता ही था लेकिन आज इस प्रजातन्त्र में भी देश को आजाद हुए इतने दिन हो गये लेकिन आज भी हमारे लोग मोहताज हैं, क्यों ? ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है ? यह समाज, आजाद हुआ उससे पहले तो हमें पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं था। जब डाक्टर अम्बेड़कर ने हमको पढ़ने का अधिकार दिया, धीरे-धीरे हम कुछ रेंगने लगे तो कुछ लोगों की आंखों में किरकिरी हुई कि यह एस.टी., एस.सी. के लोग इतने अधिकारी, कर्मचारी कैसे बने ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेंगना शब्द अपलोपित किया जाये।

श्री सुरेश मीणा (करौली): अभी रेंगने ही लगे। यह कोई बुरा शब्द नहीं है। मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो मुझे बता दीजिये आप। दिलावरजी, जरूर घोड़े की दौड़ दौड़ रहे हैं। घोड़े की दौड़ दौड़ रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): कहने का मतलब स्लो स्पीड़ है।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान की सरकार बनी तो राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि हम एस.टी., एस.सी. का बैकलाग भरेंगे। एस.टी., एस.सी. का बैकलाग कांग्रेस ने नहीं भरा, अब की बार हम जरूर भरेंगे। यह बात राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने, राजस्थान के गृह मंत्रीजी ने, राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी ने, जितने भी मंत्री हैं, सबने वादा किया। मैं पूछना चाहता हूं कौनसे डिपार्टमैंट में इनका बैक लाग पूरा हुआ ? हम चाहते हैं कि राजस्थान में हमारा जो 70-80,000 का बैक लॉग है, विशेष भर्ती अभियान के तहत इसको भरा जाए। हम मान जायेंगे कि राजस्थान की सरकार ने इस एस.टी., एस.सी. के लिये कुछ किया है वरना थोथी बात करने से काम नहीं चलेगा। थोथी बात यदि की तो जो स्थिति उधर हुई है वह इधर भी हो जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बात चल रही थी कि जनजाति क्षेत्र में कांग्रेस के टाइम पर पांच करोड़ का प्रावधान था और जैसे ही बी.जे.पी. की सरकार आयी, पिचहत्तर करोड़ का प्रावधान कर दिया। लेकिन यह पैसा कागजों में ही रहेगा, या जनजाति के लोगों के पास जायेगा ? जो कहते हैं रोजाना भूख से मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं हम लोग। मेरा आपसे निवेदन है कि देश को आजाद हुए साठ साल तो हो चुके हैं और कब तक भूखा मारोगे इन लोगों को ? कब तक अपंग रखोगे इन लोगों को ? इन लोगों की सहायता करना बंद कर दो, आपसे मैं निवेदन करता हूं यह अपने पैरों पर चल-चल कर मंजिल पार करेंगे लेकिन जब तक आप बैसाखियों पर चलाओगे यह कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कितने सरकारी निगम और बोर्ड हैं, मैं पूछना चाहता हूं आज तक एस.टी., एस.सी. के कितने लोगों को अध्यक्ष बनाया होगा? अभी तक किसी को भी नहीं। ... (व्यवधान) यह कोई अहसान नहीं किया। अहसान नहीं किया। आप जिन लोगों की बदौलत राज में बैठे हो, अहसान नहीं किया, 42 हैं इसलिये कोई भी माननीय सदस्ययदि इस प्रकार की बात करता है कि हमने एस.टी., एस.सी. को भेज दिया, मतलब कोई अहसान नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें सबसे बड़ा दु:ख अब एक हुआ है कि

(श्री सुरेश मीणा)

राजस्थान में हमारे कार्मिक विभाग में एक बहुत बड़ा मामला हमारा है जो हमारे रिजर्वेशन पर बहुत बड़ा घात करने वाला है। हमारे जो प्रमोशन, हमारी जो भर्ती उन पर बहुत बड़ा आघात पहुंचाने वाला है इसलिये कार्मिक विभाग से ऐसे अधिकारियों को निकाल दो जो एस.टी., एस.सी. की खिलाफत करते हों, एस.टी., एस.सी. पर गलत नजर रखते हों। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं जिसने उस फाइल को चलाया है उससे एस.टी., एस.सी. के लोगों का भला नहीं, बुरा होगा। उस फाइल को रोक दिया जाये, माननीय गृह मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वरना इसका अच्छा परिणाम नहीं होगा, क्योंकि जब समाज हमसे कह रहा है कि आप राजस्थान की विधान सभा में बैठे हो और हमारे समाज की आप बात नहीं कर सकते हो, आप हमारे लिये क्या काम के हो? इसलिये ऐसे अधिकारी को जो एस.टी., एस.सी. को देखना नहीं चाहता, एस.टी., एस.सी. के अधिकारी/कर्मचारियों को देखना नहीं चाहता, उसको तुरन्त प्रभाव से हटाने का मैं निवेदन करता हूं आपसे। इससे उस अधिकारी की नहीं, आपकी सरकार की भी बदनामी होगी। जिन लोगों ने इतनी तादाद में वोट देकर आपकी सरकार बनायी है उन लोगों ने, गरीब लोगों ने, जिन गरीब लोगों के ऊपर आज तक अत्याचार हुए हैं, आज हमारा हर विभाग में बैक लॉग पड़ा हुआ है, हमारे पी.एच.ई.डी. में तो आज तक कोई पदोन्नति नहीं की। बिजली विभाग में भी यही मांग है। हम देखते हैं कि हमारे विश्व विद्यालयों में तो हमारा इतना बैक लॉग पड़ा हुआ है और हमारे मंत्रीजी कहते हैं कि आपका बैक लाग ही नहीं है।

विश्वविद्यालयों की स्थिति यह है कि इतना बैकलॉग पडा हुआ है और हमारे मंत्री जी कहते हैं कि बैकलॉग ही नहीं है । कहते-कहते बहुत दिन गये, वह भर कब जायेंगे । उसके बारे में बतायें तो सही, भर कब जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन एक बात और बीच में कहना चाहता हूं कि हमारे जो समाज कल्याण के हॉस्टल और दूसरे जो हॉस्टल हैं जिनमें एस.सी., एस.टी. के बच्चे पढ़ते हैं उनकी स्थिति जो है वह यह है कि एक रोज मैं करौली की जेल में निरीक्षण करने के लिए गया था । उनका भोजन मैंने जाकर के देखा तो उस जेल का भोजन उन हॉस्टलों के भोजन से बहुत अच्छा था। उनको बहुत अच्छा भोजन मिल रहा था। समाज कल्याण मंत्री जी हमारे यहां आये थे तो मैंने कहा था कि आपकी हॉस्टलों से अच्छी व्यवस्था

तो जेलो में हैं इसलिए इन एस.टी., एस.सी. के जो नौजवान बच्चे हैं यह क्या पढ़ेंगे। जेलों से भी बुरा खाना इनको न मिले यह मेरा निवेदन है। राजस्थान सरकार के माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से, माननीय जनजाति मंत्री बैठे हैं मेरा निवेदन है कि अपने पैरों पर चलें, जय भीम, जय भारत।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के चार माननीय सदस्य बैठे हैं और एस.टी., एस.सी. की मांगों पर चर्चा हो रही है । यह एस.टी., एस.सी. की मांग कितने करते हैं और यह कितने संवेदनशील हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बिराजें ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम चार ही बहुत हैं...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): चार ही आओगे ।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): चार ही नहीं आयेगे अब तो बहुत आ गये...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): शर्त लगा रहे हो क्या ?

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): शर्त ही नहीं कहो जो कर दें ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): शर्त लगा रहे हो क्या ?

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आपसे डरते हैं क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, लगाओ शर्त...(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): आप तो कांग्रेस में रहोगे ही नहीं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: रहने दें माननीय सदस्य। श्री अर्जुन सिंह ।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (दानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में एस.सी., एस.टी. और समाज कल्याण के सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है और सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार इस सदन में रखे हैं । पूरे प्रदेश की जनता इस पवित्र सदन की और निगाहें थामें हुए बैठी है । जिसमें राजस्थान प्रदेश के एस.टी., एस.सी. के भी लोग हैं । हमारे बीच में समाज कल्याण मंत्री जी जो अभी विराजमान नहीं हैं और जनजाति विकास मंत्री जी दोनों पर निगाहें थामी हुई हैं । जब राजस्थान प्रदेश की जनता की इच्छानुसार भारतीय जनता पार्टी को शासन सौंपा जिसमें हमारे बीच में दोनों मंत्री हैं मैं

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

निवेदन करना चाहूंगा कि इस राजस्थान प्रदेश की जनता ने आपको बहुत अच्छे पुण्य के पद पर बैठाया है और इस सदन में हमने शपथ ली है उसको ध्यान में रखते हुए आज जो विषय चल रहा है उसके बारे में आप सोचें ।

सभी वक्ताओं ने अपने-अपने वक्तव्य दिये हैं और सभी ने अपनी चिन्ताएं प्रकट की हैं। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी और जनजाति विकास मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में छात्रावासों की संख्या बढ़ी है, छात्रों के रहने की सुविधा भी बढ़ी है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। लेकिन कितने छात्रावासों में रिजल्ट बढ़ा है और कितने प्रतिशत छात्र या कितने प्रतिशत रिजल्ट आपका बढ़ा है। जिसमें से आप बतायें कि इस समाज कल्याण हास्टल में इस जनजाति के छात्रावास में इतना प्रतिशत रिजल्ट रहा है। कोई नहीं बता सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल छात्रावास खोलने से और बच्चों की व्यवस्था करने से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। पूरा सदन जानता है कि आज इस आधुनिक युग में कम्पीटिशन शिक्षा के युग में पढ़ाने के लिए काफी आवश्यकताएं हैं । जहां-जहां आपके सौ या डेढ़ सौ छात्र रहने की स्ट्रेंथ हैं । चाहे राजस्थान के बाड़मेर जिले में हो, चाहे बूंदी, कोटा में हो या बांसवाड़ा में हो, जिस स्थान पर छात्रावास है क्या उस स्कूल में सभी अध्यापकों के पद भरे हुए हैं और अगर नहीं हैं तो उस स्कूल का रिजल्ट क्या है ? आपने कोई अध्ययन नहीं किया होगा । हमें नये छात्रावास खोलने चाहिंए, लेकिन एक नया हॉस्टल बना देने से शिक्षा बढ़ नहीं जायेगी जब तक मूलत: इस एस.सी., एस.टी. की शिक्षा का पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा तब तक राजस्थान में चाहे कोई भी सरकार आ जाये विकास नहीं हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा बांसवाड़ा के आश्रम छात्रावास के बारे में, बांसवाड़ा के बरलीपाड़ा के आश्रम छात्रावास में सौ लड़कों की स्ट्रेंथ है, सौ लड़के वहां रहते हैं और वहां 350 बच्चों की स्कूल है और प्रारंभिक शिक्षा के मात्र तीन टीचर्स हैं । माननीय मंत्री जी उसका क्या रिजल्ट होगा । वहां रखने से उन बच्चों का भविष्य क्या होगा । आप बतायें । पूरे स्कूल में 750 बच्चे हैं, सौ बच्चे कलिंजरा में है और वहां का रिजल्ट क्या होगा । उसके मुकाबले का कोई रिजल्ट नहीं है । ऐसे स्कूल, ऐसे हॉस्टल जहां पूरे स्कूल में अध्यापक हो, जहां अच्छा रिजल्ट हो और उन स्कूलों में, उन हॉस्टलों में

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

बच्चों की संख्या बढ़ा देंगे ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को कुछ सहयोग मिल सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था बड़ौतिया होस्टल का जहां 25 लड़के रहते हैं और जहां 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत रिजल्ट रहता है । क्या वहां होस्टलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । कुशलगढ़ में जहां अच्छी स्कूल है, अच्छा स्टाफ है वहां बच्चों के लिए कोई स्ट्रेंथ नहीं है । इस तरह से अगर आप तत्काल काम नहीं करेंगे तो मात्र आदिवासियों के नाम से सरकार जो भी हो चलती रहेगी, बजट में कोई भी प्रावधान कर दें लेकिन उद्धार नहीं होगा । यह मैं अपने विचार रख रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी कड़ी में समाज कल्याण विभाग में भी मैं जानना चाहूंगा कि समाज कल्याण के भी कौनसे छात्रावास है जहां नये खोले दिये और वहां जो विलेज है स्कूल है, आज दिन तक कोई व्याख्याता नहीं है, सीनियर सैकण्डरी है, सैकण्ड ग्रेड के एकमात्र टीचर है, ऐसे में आप सौ बच्चे के होस्टल खोल रहे हैं। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा और कहां वह आदिवासी, कहां अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, किस तरह विकास होगा। सीनियर सैकण्डरी है, बच्चे कितने आयेंगे, कितने जायेंगे। इनका कोटा इस हिसाब से पूरा होता है कि जो सौ बच्चे हैं उन होस्टल का रिजल्ट 25 प्रतिशत या 30 प्रतिशत रहता है । फेल होने वाले छात्र चले जाते हैं और उसमें नये आ जाते हैं । उससे दिखता है कि हमारा होस्टल चल रहा है। इस तरह से माननीय मंत्रीजी इस आदिवासी समाज का, दलित समाज का कोई विकास होने वाला नहीं है। वह भले ही आप आंकड़े बताकर के बजट बताकर के खुश हो जायें। उसके लिए तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री जी बैठे हैं कि पूरे राजस्थान में और टीएसपी एरिया, उदयपुर में केवल स्कूल खोलने से, केवल होस्टल खोलने से आदिवासियों को विकास नहीं होगा ।

उसके पीछे कई कारण हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, आप अपने उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने आश्रम छात्रावासों में कितने अध्यापक हैं और वह अध्यापक आते हैं तो अन्य विभागों से आते हैं और आते हैं किसी अप्रोच से और जरूर भ्रष्टाचार करके वह छात्रों के प्रति ध्यान नहीं रखते और भ्रष्टाचार करने के बाद उन छात्रों का भविष्य बिगाड़ते हैं। माननीय मंत्रीजी

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

आपके विभाग के जितने भी आश्रम छात्रावास हैं उनमें विभाग की नियुक्तियां दें और उनकी पालना करें, उनकी सी आर बच्चों के रिजल्ट के आधार पर भरें। मैंने दो साल पूर्व भी आपको निवेदन किया था लेकिन आपने किया या नहीं किया, आप मंत्री हैं, मैं तो सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूं, सरकार आपकी है। राजस्थान की सारी एस सी और एस टी की जनता की निगाहें आप पर हैं।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी आ गए हैं, राजस्थान में ऐसे कितने छात्रावास हैं जहां कि आज दिन तक कोई वार्डन नहीं है, एक वार्डन के अण्डर में तीन-तीन, चार-चार छात्रावास हैं और वह सुबह-शाम एक घण्टा या सप्ताह में दो रोज उनको देखता है, उन बच्चों का क्या भविष्य होगा?

शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि दस-दस किलो का बिस्तर दिया है, आप दस किलो तो क्या बीस किलो के भी दे दो तो भी आदिवासियों, जनजाति और पिछड़ी जातियों का विकास नहीं होना। ...(व्यवधान)... मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर सच्चे दिल से विकास चाहते हैं तो उन होस्टलों में पहले वार्डन लगाएं, उन होस्टलों में परमानेण्ट अध्यापक लगाएं तो कुछ प्रतिशत आपका विकास होगा। मैं पूरे राजस्थान की बात न करके उदयपुर संभाग की बात जरूर कहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर अंचल की भौगोलिक दृष्टि से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सभी की परिस्थितियां अलग-अलग है। गांवों में जब तक कोई कर्मचारी अधिकृत रूप से डेली नहीं जाएगा तब तक उस एरिये का विकास नहीं होगा।

प्रधानमंत्री सड़क योजना में अभी कई सड़कें बनी भी हैं परन्तु फिर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां रोड से नहीं जुड़ने की खातिर उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। मैं उदाहरण निवेदन करना चाहूंगा। माननीय जनजाति विकास मंत्रीजी और मेरा सौभाग्य है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी भी विराजमान हैं, बांसवाड़ा जिले में तीन जगह ऐसी हैं जिनकी दूरी साठ-साठ, सत्तर-सत्तर किलोमीटर है, मात्र एक पुलिया, पांच किलोमीटर और दो किलोमीटर की रोड बनाने से उनकी दूरी में करीब तीस किलोमीटर का डिफरेंस आ सकता है, ऐसी स्थिति में जनजाति विकास मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि ऐसे एरियों को आप चिन्हित करें, वहां दूरी कम होने से हमारे बीच में अध्यापक जाएंगे, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, डाक्टर जाएंगे, क्षेत्र का विकास होगा। इस प्रकार से उदयपुर

से उदयपुर संभाग में आप हमारा अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा उद्धार होगा। मैं चाहता हूं कि इस मौके पर...।

एक माननीय सदस्य: कल तो नारे लगा रहे थे।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया: नारे तो लगते रहते हैं, हाय-हाय के भी लगते हैं तो जिन्दाबाद के भी लगते हैं, यह तो प्रजातंत्र का एक नियम है पर सरकार और जनता ने आपको बैठाया है और कुछ कसम भी आपने खाई है तो आपको इस मायने में थोड़ा दिल बड़ा रखकर काम करने की आवश्यकता है। मैं इस मौके पर ज्यादा नहीं कहना चाहता पर इतना कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में, कल ही कई अखबारों में छपा कि जालौर में पानी पहुंच जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, वह भी राजस्थान का एक हिस्सा है, वहां भी पानी मिलना चाहिए परन्तु हमारे बीच में हमारे पड़ोसी मंत्रीजी विराजमान है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माही का पानी डूंगरपुर में आया कि नहीं, छोड़ा था तो, यह भी मैं पूछना चाहता हूं। क्यों नहीं आया उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहूंगा। दोनों मंत्रीजी विराजमान हैं बांसवाड़ा के, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): आप लोगों की वजह से नहीं आया, भीखा भाई नहर का निर्माण तो हमारी सरकार ने करवाया है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (दानपुर): खुला कहलवाओगे तो कह भी दूंगा कि पानी छोड़ा कितना नदी में गया और कितना उस कैनाल में गया, क्यों छेड़ रहे हो मुझे?

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): मैडम छह हजार करोड़ रुपए दे रही है जालौर पानी पहुंचाने के लिए। उस प्रोजेक्ट को अगर डवलप करना है तो छह हजार करोड़ रुपए कम नहीं होते।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (दानपुर): माननीय मंत्रीजी साठ करोड़ रुपए भी दे दें, मैं मैडम को धन्यवाद देता हूं सदन में पर साठ करोड़ रुपए दे दिए तो भी ऐसी स्थिति में पानी आ जाए तो मैं जिन्दगी भर आपके घर पर काम करूंगा, यह मैं सदन में कह रहा हूं, मैं छाती ठोकर।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कहलवाना चाहते हैं तो जब सागवाड़ा के लिए पानी छोड़ा था तो कहां गया पानी यह आप बताएं? मैं इस मौके पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन पाइण्ट और है। राज्यपाल

महोदय के अभिभाषण में न इस साल और न गए साल माही नदी के पानी या माही के पानी को लेकर या डैम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी, आप फिर सुन लें दोनों, अगर नदी जोड़ने की योजनाओं में माही नदी से नर्मदा का पानी जोड़ा जाए तो जालौर क्या बाड़मेर पानी ले जाओ, राजस्थान का ही एक हिस्सा है और जितने भी बांध हैं, उन बांधों में सबसे कम खर्चे में, कम लागत में नर्मदा का पानी माही में आ सकता है, डैम में डालने के लिए आपको और बजट की आवश्यकता नहीं है। यह बात राज्यपाल के किसी अभिभाषण में मेंशन हुई हो तो बताएं। आप साठ करोड़ या छह करोड़ या छह सौ करोड़ दे दें पर पानी आएगा कहां, माही का पानी आएगा कहां, कुशलगढ़ में आपकी लेवल की जमीन है, वहां पानी नहीं जा रहा है तो किस स्थिति में बात करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा ही एरिया उदयपुर संभाग में है, जो कमाण्ड और नोन कमाण्ड है, कई एनीकट बनाए जा रहे हैं। मैं जनजाति विकास मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसा सर्वे कराए जहां छोटे-छोटे एनीकट बनाकर हमारे जनजाति, पिछड़े लोगों के बीच में पानी दे सके और कहीं पानी नहीं है और कहीं पर एनीकट डैम छोटे नहीं बना सकते, ऐसी स्थिति में गहरे कुओं के लिए, सार्वजनिक कुओं के लिए लम्बा बजट देकर आप कराएं।

माही डैम, बेणेश्वर में एनीकट के बारे में मैं खुद आपके बीच में चर्चा नहीं करना चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप एक स्पेशल डायरी में नोट कर लें, मैं सात साल बाद आपसे इस सम्बन्ध में चर्चा करूंगा। ...(व्यवधान)... चाहे पद पर रहूं या नहीं रहूं पर मैं चर्चा जरूर करूंगा उसके लिए। ...(व्यवधान)... ज्यादा जानना चाहें तो आप समय लेकर मिलना।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): सात साल में हमारा दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (दानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आबकारी नीति के तहत, राजस्थान सरकार बहुमत में है, आबकारी नीति कुछ भी बनाए पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, उदयपुर संभाग में आदिवासियों में टी बी पेशेंटों के आंकड़े आप आज लेकर रख लें, अगले सत्र में

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

फिर डिस्कस होगी फिर बताना। मैं कहना चाहूंगा और मैं आबकारी मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि गंगानगर शुगर मिल ने दारू पिछले सालों के बनिस्पत इन सालों में कितनी बेची। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी अंचल में एक रीति रिवाज है, शादी में और मरने के बाद के क्रिया कर्मों में दारू का उपयोग किया जाता है। जो दारू पिछले सत्र में मिली है आबकारी नीति के तहत गंगानगर शुगर मिल का उस पर सिम्बल लगा हुआ है और स्प्रिट की दारू बनी हुई है, उस आदिवासी इलाके में बिकी है जो हृदय पर आघात करती है जिससे लोगों में टी बी की बीमारी होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एम पी से हमारा बांसवाड़ा जिला, गुजरात से हमारा डूंगरपुर और उदयपुर का एरिया लगा हुआ है।

एमपी में किसी शादी-विवाह के लिए, किसी फंक्शन के लिए पांच किलो महुवा की दारू की छूट दी गई है। इसी तरह उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर संभाग के लिए अगर राज्य सरकार उस बात पर मंथन करती तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो दिन याद करो जब जीतकर आये उसके बाद में यहां शपथ ली। उस शपथ के कुछ अंश पर दिल पर हाथ रखकर काम करोगे तो भगवान आपको धन्यवाद देगा और आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। समय दिया उसके लिए, बात सुनी उसके लिए धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल मीणा। कन्हैया लालजी, शार्ट में।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 30 और 51 में अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मत्री महोदय ने टीएडी क्षेत्र में जो 10 छात्रावासों का इस बजट में प्रावधान किया है, चार बालकों के लिए, 6 बालिकाओं के लिए, उसके लिए तो मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। साथ ही मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो छात्रावास उदयपुर संभाग के किसी भी जिले में चले जाओ वहां पर बाउण्ड्रीवाल भी है तो वो भी टूटी हुई है। वहां पर बच्चों के स्नान के लिए बाल्टी भी नहीं है। वहां पर जब भी कमेटी गयी, कमेटी ने दौरा किया, दौरा करने पर मैंने देखा कि बालिकाओं के छात्रावास की बाउण्ड्रीवाल थी वह भी एकदम टूटी हुई थी, कोई भी व्यक्ति उसमें घुस सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो

बालिका छात्रावास हैं वहां पर वार्डन बहुत कम रहती है। वहां पर फोर्थ क्लास के ऊपर वे छात्रावास चलते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी जगह जहां पर वार्डन नहीं रहती है वहां पर पाबंद करें और एक महिला वार्डन की निश्चित रूप से व्यवस्था की जाए।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा आज भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारा टीएडी एरिया इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी जितना शिक्षित होना चाहिए उतना नहीं है, आज भी बहुत पीछे है। टीएडी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक अभियान चलाकर जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री महोदय नामांकन बढ़ाने के लिए गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में जाते हैं, मैं कहता हूं आपकी तरफ से ऐसा प्रयास होना चाहिए जिससे सारे बालक वहां पर पढ़ें। वहां पर कई स्कूलों में दो-दो अध्यापक हैं और वहां पर 4 ही बालक हैं, चार में से भी दो उपस्थित हैं। ऐसे स्थिति वहां स्कूलों की है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कांग्रेस के चार सदस्य ही बैठे हैं। आप इनको बालक कह रहे हो।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): उनकी जो स्थिति है वह आपके सामने है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आज स्थिति यही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बालक कैसे कहा? चार बालक क्यों कह रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बालक किस दृष्टि से कहा?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जनाजा उठाने के लिए चार ही काफी होते हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): हाण्डी ले जाने वाला भी तो एक चाहिए ना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उसके लिए विष्णु मोदीजी को साथ में ले लेंगे।

श्री हीरालाल (निवाई): विष्णु मोदीजी कहां है? हाण्डी उठाने वाला भी एक चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जनाजा कैसे याद आ रहा है, वह तो निकलने वाला है आने वाले समय में। ..(व्यवधान)..

श्री हीरालाल (निवाई): जनाजा तो आपके माहिर आजाद साहब निकाल रहे हैं।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ट्राइबल एरिया में टीएडी के तहत इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, अरबों रुपया केन्द्रीय सरकार से आता है उसके बावजूद भी आज सारे लोगों का आप देखें तो किसी भी गांव में यह देखा जाए, किसी भी व्यक्ति के पास जाकर देखा जाए, किसी के पुख्ता मकान आपको बहुत कम मिलेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके तहत एक प्रावधान करें, आप नियमानुसार गांवों को गोद लेकर इन गांवों में कम से कम पक्के मकान बनाएं। आज भी वे लोग झुग्गी-झौंपड़ी बनाकर उसमें रह रहे हैं। देश आजाद हुए आज 60 वर्ष हो गये उसके बावजूद भी यह स्थिति है। मैं चाहूंगा कि आपके समय में वहां के सारे लोगों की अच्छी व्यवस्था हो गई। साथ ही टीएडी एरिया में जो शिक्षा का स्तर है उसको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा, वहां की गरीबी को देखते हुए निवेदन करना चाहूंगा वहां हर जिले के स्तर पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जिसमें नि:शुल्क अनुसूचित जनजाति के बालक को कोचिंग, ट्रेनिंग दी जाए, चाहे बीएड की परीक्षा हो, चाहे आईएएस, आरएएस की परीक्षा में जाए तो वहां पर तैयारी उसको मिल सके ताकि वह व्यक्ति आरएएस, आईएएस या कोचिंग करके अन्य सर्विस में आगे आ सके, प्रशासनिक अधिकारी बन सके। वह नहीं हो सकता जब तक उसको सुविधा नहीं मिले। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके पास इतना बजट होते हुए भी, जिलेवार आपको इतना बजट मिलता है, तहसीलवार भी कोचिंग की व्यवस्था करें तो कोई कमी नहीं है। कम से कम जिलेवार कोचिंग इंस्टीट्यूट की नि:शुल्क व्यवस्था करनी चाहिए।

साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि कई लोग यहां से स्थानान्तरित होकर गये जो जनजाति विभाग में चले गए। गलती से जनजाति विभाग में जाने के बाद में दो दिन हुए और कहने लगे कि हमारा ट्रांसफर तो यहां वापस कराओ हम सीकर जिले में वापस आएंगे या जयपुर जिले में कहीं लगा दो। मैं आपको कहना चाहूंगा उन व्यक्तियों का ट्रांसफर हुआ नहीं और तीन महीने के बाद उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ट्रांसफर नहीं चाहिए। आज वो व्यक्ति जो एलडीसी या यूडीसी हैं उन व्यक्तियों ने अपने बड़े-बड़े फ्लेट्स उदयपुर के अंदर बना रखे हैं। आपके इस बजट के अंदर कितने लीकेज हैं। जो पैसा गरीबों के पास पहुंचना चाहिए उस पैसे के लीकेज को रोका जाना अति आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने जो लोग सर्विस में आ

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

गये उनकी आप अगर जांच करेंगे तो पता लगेगा उनके पास कितना पैसा इसमें से गया है, कितना लीकेज हुआ है। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) साथ ही मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूगा जो छात्रावास हैं और छात्रावासों के अंदर समाज कल्याण मंत्री महोदय, आज जो पैसा देते हैं आपने 50 रुपये बढ़ाकर 725 रुपये प्रति छात्र दे रहे हो, मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रति छात्र को दीजिए। उनको ड्रेसेज ठेके के अंदर दी जाती है, पैंट, नेकर, हाफपैंट होती है वह भी ठेके पर दी जाती है, सारा सामान उनका ठेके के अंदर आता है जिसकी वजह से उनको अच्छे कपड़े भी नहीं मिल पाते। मैं निवेदन करना चाहूंगा छात्रावास में रहने वाले प्रति छात्र को नकद देना चाहिए। साथ ही जो समाज कल्याण विभाग के छात्रावास हैं उन छात्रावासों में बालकों की स्थिति बहुत बुरी है। किसी भी छात्रावास को आप चैक कर लें वहां पर आपको न लेट्रीन, बाथरूम मिलेंगे, लेट्रीन, बाथरूम बंद पड़े हैं। आपको वहां पर नहाने के लिए बाल्टी भी नहीं मिलेगी, न पानी पीने के लिए रामझारा मिलेगा। छात्रावास बने हुए हैं तो खिड़कियां टूटी हुई हैं, उनके खिड़कियां भी नहीं लगी हुई हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): पंखे तो चालू होने का सवाल ही नहीं है। जैसे चाकसू, बस्सी में ट्यूबवैल भी लगे हुए हैं, ट्यूबवैल लगे हुए हैं तो वे खराब पड़े हैं। मेरा निवेदन है कि आप ऐसी स्थिति में इनकी ओर भी आप अपने अधिकारियों को ध्यान देने के लिए कहें, यही कहते हुए आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीलाल खटीक।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है मेरे प्रतिपक्ष के बंधु भी ताली बजा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक-ठीक बोलने के लिए।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30 जनजाति विकास, मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर आज चर्चा हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के इस संदर्भ में यदि सत्यता में हम अनुसूचित जाति, जनजाति का विकास करना चाहते हैं, यदि

(श्री बंशीलाल खटीक)

आत्मीयता से काम किया जाए तो उनके चार-पांच बिन्दुओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो उनकी शिक्षा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा।

दूसरा इनके रोजगार के संसाधनों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और तीसरा जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में जो नशे की प्रवृति है जो मेरे दानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने नशे को बढ़ावा देने के लिए हमारे जनजाति अनुसूचित जाति के लोगों को नशे की प्रवृति को और जो व्यसन है उसकी भावना व्यक्त की है मैं उस भावना का खण्डन करता हूं और मैं आगाह करना चाहता हूं कि यदि एससी, एसटी का भला करना चाहते हो तो व्यसन मुक्ति का अभियान चलाओ, व्यसन मुक्ति का अभियान चलाने से क्या फायदा होगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उस पैसे को उस दारू की दुकान पर सस्ते में वहां जाकर दारू पीकर इतिश्री कर लेते हैं और जहां के तहां रहकर वह अपनी स्थिति नहीं बढ़ा सकते हैं और वह व्यसन में रहकर अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं, यदि सरकार कहीं भी कितने भी संसाधन जुटा ले पर यदि नशे की प्रवृति है चाहे उसको संसाधनों का कहीं औचित्य नहीं रहेगा, यदि अपने आपको लोग सुधार लेंगे, यदि हम व्यसन मुक्ति की ओर चला लेंगे तो मैं समझता हूं कि विवेकशील होंगे, जब नशा करते हैं, दारू पीते हैं तो बुद्धि विकराल हो जाती है और विकराल बुद्धि से अनैतिक काम होते हैं, अनैतिक काम होने से हमारा समाज गर्त की ओर जाता है। इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जिन्होंने इस नशे का पक्ष लिया है, मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि समाज में जाएं और व्यसन मुक्ति का एक अभियान चलाएं और हमारा समाज व्यसन से मुक्त हो, दारू से मुक्त हो और अन्य नशे से मुक्त हो तो हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ है वह अग्रणी होगा, ऐसा मेरा मानना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राजस्थान प्रदेश में दो वर्ष दो महीने 25 दिन आज के दिन पूरे हो रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): घंटे कितने हो गये?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): घंटे तो होंगे देखिए 6.52

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आधी उम्र पूरी हो चुकी।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय हरिमोहनजी शर्मा आग मत लगाओ पानी में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में आज के चार दिन पूर्व जो इस पवित्र सदन में घटनाक्रम घटा, यदि उस घटनाक्रम का कोई दोषी है तो माननीय हरिमोहनजी शर्मा है।

श्री उपाध्यक्ष: वह चर्चा का विषय नहीं है अब।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जिस घटना पर आप क्षमा याचना कर चुके हो उसको दुबारा याद करोगे तो फिर क्षमा मंगवाएंगे ये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): मैं तैयार हूं। मैं पवित्र सदन मेंएक बार क्या क्षमा मांगूं, मैं बार बार क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं, मैं इस पवित्र सदन का। हम आसन का सम्मान करना जानते हैं, सम्मान तो आप नहीं करते हैं जिन्होंने तत्काल खेद व्यक्त नहीं किया, हमने तो आसन का सम्मान किया है तो तत्काल हमने खेद व्यक्त किया है। हमें क्या सिखाते हो आप?

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ी देर से किया।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र के हमारे आदिवासी अंचल में हमारे अनपढ़ लोगों को जिस प्रकार गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है उनको प्रलोभन देकर उनको कई सुविधाएं देकर उनको चिकित्सा के माध्यम से कपड़ों के माध्यम से हमारे जनजाति क्षेत्र में ईसाई मिशनरियां हैं, सेवा का लक्ष्य नहीं, धर्म परिवर्तन का, सेवा का ढोंग करते हैं और हमारे आदिवासी लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार ईसाई मिशनरिया हमारे आदिवासी क्षेत्र में जाकर प्रलोभन देकर ऐसे लोक लुभावन लाभ दिखाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं उसी प्रकार उनका मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार वह चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं ऐसे ही केन्द्र सरकार के माध्यम से यदि हमारे उस आदिवासी क्षेत्र में खोले जाएं तो मैं समझता हूं कि धर्म परिवर्तन भी रूकेगा, आदिवासी लोगों का जीवन भी सुधरेगा और उनके सर्वांगीण विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, यह काम हमारी सरकार को करना पड़ेगा, इन ईसाई मिशनरियों के मुकाबले के लिए चार दिन पूर्व जब यहां थॉमस का प्रकरण आया था, थॉमस ने हमारी हिन्दू देवी देवताओं का अपमान किया, कई ऐसे विवरण जो कि इस सदन में कह नहीं सकते, ऐसे-ऐसे अपमान किये गये पर मैं मेरे

(श्री बंशीलाल खटीक)

माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान में इस्लाम की आवाज होती है तो मुसलिम एक हो जाते हैं, हिन्दुस्तान में भी ऐसे हो जाएं तो लोग एक नहीं हो सकते क्या ? मैं साम्प्रदायिक सौहार्द की बात कर रहा हूं, साम्प्रदायिक सौहाद्र की बात इसलिए कर रहा हूं कि ...

श्री उपाध्यक्ष: मांग से संबंधित बोलो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते तो हमारे धर्म का विरोध भी हम सहन नहीं करेंगे। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, अपमान नहीं करते तो हमारे धर्म का हम अपमान नहीं होने देंगे, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप मांग से संबंधित बोलो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जनजाति का यदि विकास करना है तो उनको एक तो अंध विश्वासों से छुटकारा दिलवाना पड़ेगा, अंध विश्वास में हमारा जनजाति क्षेत्र का समाज चिकित्सालयों में न जाकर उनका इलाज कराने के लिए कई ऐसे अंध विश्वासों में पड़ जाता है और उनका इलाज सही तरह से नहीं हो पाता है। हमको जन जागरण करना चाहिए कि जनजाति क्षेत्र में जाकर उनको ऐसी ऐसी सीख दें कि इलाज कराना है तो चिकित्सालय में जाइए आपका इलाज होगा और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छुआछूत जो कि एक बीमारी है, इस छुआछूत को मिटाने के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो इस देश में एक तरह की पहल की है कि जनजाति क्षेत्र में कहते हैं कि आओ हम आपको गले लगाते हैं, यदि कांग्रेस का एक भी ब्राह्मण व्यक्ति एक ही नेता यदि अनुसूचित जाति के घर में भोजन करता है तो मैं समझता हूं कि वह छुआछूत को बढ़ावा नहीं देते हैं वरना मैं समझता हूं कि वह छुआछूत को बढ़ावा देते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हरिमोहनजी कल ही तैयार हैं कहां जाना है बता दें इनको पता।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आप क्यों नहीं ? हरिमोहनजी तो हैं उनको पानी में आग लगाना भी आता है, सब करना भी आता है, उनको ही झौंकते हैं आप, मन के भोले हैं पर जरूर वह आग लगाते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ब्राह्मण एक ही उपलब्ध हैं अभी हमारे पास। ब्राह्मण है नहीं इसलिए इन्हीं का नाम ले रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, घनश्यामजी को भी बुलवा लेना दो हो जाएंगे।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हां, वह तैयार हैं, वह तो तैयार हैं, आप अपने आपको देखो। हमारे तो संस्कार दिये जाते हैं सामाजिक समरसता का संस्कार दिया जाता है, वह आपमें नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी मूल धारा में आता हूं।

श्री हीरालाल (निवाई): आप इनके उकसाने से मत उकसो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): मैं न तो किसी के उकसाने से उकसता हूं, मैं पहले से ही उकसा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इस सदन में मैं आया था बड़े अनुशासन से इस सदन की प्रक्रियाओं को मैंने देखा और आपके सभी माननीय आसन के आदेशों की पालना की पर प्रतिपक्ष के सभी वरिष्ठ माननीय सदस्यों के उस आचरण से हमने प्रथम में देखा कि ऐसा ही होता है क्या फिर हमारे वालों से पूछा कि ऐसा नहीं होता है आचरण और सम्मान आसन का बहुत ही पवित्र होता है, मैं सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि मैं आज बहुत ही अच्छे दिल से इन सब को कहना चाहता हूं कि ...

श्री उपाध्यक्ष: इस बात को अभी रहने दो, माननीय सदस्य, मांग पर बोलो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छोड़ रहा हूं वह। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक पीपली आचारन है उसमें उस गांव में एक छात्रावास आपके द्वारा स्वीकृत किया गया है, अपने ही द्वारा अपने ही राज में, इसी राज में उसके लिए तो आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत आपको साधुवाद पर उसके लिए भवन नहीं है, मेरा आपसे निवेदन है कि पीपली आचारन में छात्रावास के लिए भवन निर्माण के लिए आप स्वीकृति दें ताकि हमारा भला होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं जनजाति विकास मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने आपको अभी लिखित में पत्र दिया है कि माडा योजना में मेरे विधान सभा क्षेत्र में कार्य प्रस्तावित हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माडा योजना में मेरे राजसमंद विधान सभा में जितने आपने कार्य दिये हैं, प्रस्तावित हैं उनको स्वीकृति कराने की कृपा करावें।

और आप सबने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए माननीय उपाध्यक्ष जी का मैं बहुत-बहुत आभारी हूं और मैं आप सबसे, पूरे सदन से निवेदन

करना चाहता हूं कि सामाजिक समरसता में आगे आयें और समाज को एक उन्नति की ओर अग्रसर करें। समाज ने हमें इस पवित्र सदन में भेजा है तो हम सब का भला करें, ऐसे किसी की छींटाकशी नहीं करें, यह समय बहुत ही कीमती है, न जाने कौन इस सदन में वापस आयेगा या नहीं आयेगा, यह तो अपन भाग्यशाली हैं जो यहां आये हैं। इस सदन का सदुपयोग करें ऐसा मेरा निवेदन है। इन्हीं मंगल भावनाओं से आप सब के उज्ज्वल भविष्य की कामना प्रभु से करता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो, प्रभु आपको सदबुद्धि दे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, व्यवधान नहीं डालें, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं। जय हिन्द। वन्दे मातरम्।

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा की बैठक का निर्धारित समय

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, समय पूरा हो गया और समय बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं आया है इसलिए अब यह सदन नहीं चल सकता, आप इसको यहीं बंद करिये। सात बज कर एक मिनट हो चुका है, सात बजे से पहले प्रस्ताव आना चाहिए था कि सदन की कार्यवाही को बढ़ाया जाएगा। कोई प्रस्ताव सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्य सचेतक की तरफ से नहीं आया इसलिए आप इसको एडजोर्न करिये, नहीं तो यह परम्पराओं के खिलाफ रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): इनको याद ही नहीं है, 10 बजे तक का समय है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बी ए सी के प्रस्ताव में 10 बजे तक का समय है। 10 बजे तक का समय है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह कब कहा ? कहां तय हुआ? कौनसा समय? सात बजे तक का समय तय है। यह परम्परा रही है, हमेशा सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्ताव लाया गया है कि सदन का समय फलां बजे तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: यह आ गया पहले। पहले से तय किया हुआ है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आज कोई प्रस्ताव नहीं आया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज कोई प्रस्ताव नहीं आया है और समय खतम हो चुका है। यह

(श्री जुबेर खान)

गलत परम्परा मत डालिये। मुख्य सचेतक महोदय को रहना चाहिए था मौजूद सात बजे से पहले और सात बजे से पहले प्रस्ताव लाना चाहिए था। अब यह प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनो तो सही। सात का प्रस्ताव कब आया था ? माननीय सदस्य, 10 बजे तक का है प्रस्ताव।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अपनी जो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें 10 बजे तक तय हुआ था कि डिमांड पर 10 बजे तक यह सदन चलेगा और यह अध्यक्ष की व्यवस्था हो चुकी है। अब आप पढ़ते तो हैं नहीं, आप जोश में आ जाते हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह सात बजे तक की हुई थी कि 10 बजे तक चला सकते हैं। (व्यवधान) आपने सदन से एप्रूव कराया है क्या यह ? (व्यवधान) वह एक ही समय हो गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सदन से एप्रूव कराया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: डिमांड के समय हो गया कि यह 10 बजे तक चलेगा जब डिमांड चलेगी। जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक सदन चलेगा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): सात बजे तक महामहिम के अभिभाषण पर था। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह फैसला हो गया था कि डिमांड जब चलेगी तब 10 बजे तक चलेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह कभी तय नहीं हुआ उपाध्यक्ष महोदय। आप स्वयं मीटिंग में उपस्थित थे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको कि बजट भाषण और राज्यपाल के अभिभाषण पर 7 बजे तक चलेगी और जो डिमांड पर चर्चा होगी वह 10 बजे तक होगी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लेकिन समय आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक बार माननीय अध्यक्ष जी ने पहले कह दिया था कि... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ... 10 बजे तक चला सकते हैं लेकिन सदन का समय तो बढ़ाना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब आप पढ़ते नहीं हो और अड़ते हो। एक तो पढ़ते नहीं हो और फिर आप कहते हो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं पढ़ रहा हूं इसलिए ही कह रहा हूं। हमेशा सदन की कार्यवाही बढ़ाने के लिए प्रस्ताव आया है। आज पहली बार आया है कि समय... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): समय बढ़ा दिया गया है। जब तक डिमाण्ड चलेगी, एक ही बार में बढ़ा दिया गया है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ऐसे नहीं बढ़ता है। एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपका याद होगा। एक मिनट सुनिये आप। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य और कांग्रेस के मुख्य सचेतक महोदय, आपको याद होगा कि पांच बजे के बाद समय बढ़ाने की अपने यहां की परम्परा है। उसके अन्तर्गत मैंने यहां पर निवेदन किया था कि समय बढ़ाया जाए और उस समय अध्यक्षजी ने कहा कि क्योंकि कार्य सूची में यह आ गया है कि सात बजे तक तो बजट और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर और डिमांड्स पर 10 बजे तक अपन ने बढ़ा दिया है इसलिए...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कार्य सूची दिखाइये न जिसमें 10 बजे का हवाला है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): फिर रोज-रोज माननीय अध्यक्षजी दूसरे दिन की मीटिंग की 11 बजे के लिए क्यों करते हैं? अगर एक ही समय बढ़ा देते उसमें तो यह भी है रोज 11 बजे मीटिंग होगी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को भी पता है कि 10 बजे तक का समय है। मैंने भी पढ़ लिया इतना तो जबकि मैं पूरा पढ़ना ही नहीं जानता। फिर भी मुझे पता है कि 10 बजे तक का समय है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कार्य सलाहकार समिति ने...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने तो सरकार चलाने के लिए सब पढ़ लिया है तीन साल के लिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप सुनो तो सही। कार्य सलाहकार समिति ने आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार हेतु अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को अवसर मिले इस हेतु सदन की बैठक रात्रि 10 बजे तक चले, इसकी अनुशंसा की है।

श्री उपाध्यक्ष: पांच से सात बजे का हो गया था फिर दस का भी हो गया था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): चले लेकिन हमेशा परम्परा रही है कि मुख्य सचेतक महोदय द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है कि समय सीमा बढ़ाई जाए। हर बार प्रस्ताव लाया जाता है, आप स्वयं प्रस्ताव लाते रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हर बार प्रस्ताव लाया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को हम सबने स्वीकार किया है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुझे दु:ख इस बात का है कि उस समय तो समय की सीमा पहले तय हो गई थी और जब हमने बढ़ाया तो अध्यक्षीय आदेश यह हो गया, यह रूलिंग हो गई कि 10 बजे....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप रूलिंग निकालकर बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां, बता दूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां बताओ, अभी बताओ आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अभी बता दूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पहले बताओ न। सदन चलाने से पहले बताओ न।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अगर बता दिया तो क्या होगा? यह बताओ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर रूलिंग हो गई, हम मानेंगे सदन चलाने के पहले प्रस्ताव बता दो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मानोगे तो सही?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप रूलिंग बता दो, हम मानेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): फिर तो इस्तीफा दोगे न? या तो मैं दे दूं या आप दे दो, कुछ तो स्वीकार करो। मुझे मुश्किल यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मुझे.... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह जब ही घर चले जाते हैं, ये रुकते नहीं हैं अंतिम समय तक इसलिए इनको मालूम नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): .... ये अच्छे वकील रहे हैं हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हर डिमाण्ड के साथ आपको पांच बजे के बाद यह इनका भाषण पूरा होने तक समय हर बार बढ़ाते हो, रोज क्यों बढ़ाते हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कहां बढ़ाया?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कैसे नहीं बढ़ाया? रोज बढ़ा रहे हो। कैसे नहीं बढ़ा रहे हो? यह कैसी बात कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं बढ़ाया, इस बार नहीं बढ़ाया।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं बढ़ाया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, हां, इस बार भी बढ़ाया है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यदि सात बजे के बाद और डिमांड में 10 बजे के बाद सदन चला है तो हमने समय बढ़ाया है लेकिन उसके पहले नहीं बढाया। आप रिकार्ड चैक कर लें। यदि आप इस पर करते हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, तय हो गया था।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह व्यवस्था नहीं हुई हो और इस सत्र में चली हो तो आप कहो जो करने के लिए तैयार हैं। आप भी बोलो, स्वीकार करते हो क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य को ध्यान नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब मुझे यह दिक्कत है कि ये ज्ञानी तो बहुत हैं, पढ़े-लिखे भी बहुत है पर आजकल पता नहीं क्या हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह पहले तय हो चुका था।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप अपनी गलती को तो स्वीकार करो और भले ही आप रोज गलतियां कर रहे हो, हमारी मान तो नहीं रह हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय माहिर आजाद।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): गलती स्वयं की है और दूसरों की गलती बता रहे हो। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पर्ची भी दे रखी है, कटमोशन भी है। नाम नहीं लिया गया है। एक भी निर्दलीय सदस्य नहीं बोला है। कटमोशन दिया गया है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): व्यवधान मत करो हरिमोहनजी शर्मा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ... आपकी प्रवृत्ति खतम नहीं हुई है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति में कभी सदन का समय निश्चित नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष: हो चुका इसमें तो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट। कार्य सलाहकार समिति में हमारे को सूचना नहीं दी गई है सदन में कि यह सदन इतनी बजे तक चलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया है अपन ने। कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन में स्वीकार किया है। (व्यवधान)

(समय : 19.00 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ... मुख्य सचेतक बराबर इस बात को यहां पर समय आपकी इजाजत से बढ़ाने का काम करेंगे। सात बजे तक का समय था तो उनको कहना चाहिए था कि आज की कार्यवाही समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए। ऐसा उन्होंने नहीं किया, यह गलत कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मुझे...

श्री अध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, मुझे कहने दीजिये। पहले सर्वदलीय मिटींग में तय हुआ फिर यह है बी ए सी की मीटिंग में कि जब तक मांग चलेगी तब तक सदन का समय 10 बजे तक होगा। इसलिए कोई आवश्यक नहीं है जब तय हो गया, स्वीकार कर लिया इस सदन ने कि 10 बजे तक होगा तो 10 बजे तक समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसमें लिखा है, आपके पास जो गया है।

श्री अध्यक्ष: आपके पास भी गया है, रिजोल्यूशन कर लिया था, बी ए सी में तय हो गया था तो फिर आवश्यकता नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, सदन की परम्परा यह रही है कि यहां पर सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री अध्यक्ष: समय तब बढ़ाया जाता है जब बी ए सी में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं होता है। बी ए सी में प्रस्ताव हो गया था।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पहली बार आया है यह प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष: बी ए सी में प्रस्ताव पास हुआ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब आपको ध्यान में आया, आप पढ़ते ही नहीं हो कागज जाते हैं जो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं सब कागज पढ़ता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको पूरे राजस्थान का दौरा करना पड़ता है। आपकी मजबूरी हम जानते हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मुख्य सचेतकजी, बी ए सी में समय तय करने का मामला पहली बार हुआ है। हमेशा मुख्य सचेतक बढ़ाते आये हैं रिक्वैस्ट करके।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, यह दो-दो पद वाली बात भी हिन्दुस्तान में पहली बार आई है, आज के पहले नहीं थी पर जब जागो तब सवेरा।

श्री अध्यक्ष: चाहे पहली बार हुआ हो, जब कर लिया तो वह बाध्यकारी हो गया न। हाउस ने एडॉप्ट कर लिया उस बी ए सी के प्रस्ताव को।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उसमें लिखा हुआ है, कापी इनके पास गई है, पढ़ो तो सही आप।

श्री अध्यक्ष: काहे का, अब इस बात पर क्यों करो। कौन बोल रहे हैं ? माहिर आजाद, कंटीन्यू करें।

मांग संख्या-30, 33 व 51 पर विचार

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय,यह सदन आज मांग संख्या 30, 33 और 51 जनजाति क्षेत्रीय विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संगठन योजना पर चर्चा कर रहा है। मैं सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश में सामाजिक समरूपता, छुआछूत को समाप्त कर गैर बराबरी को मिटाकर सामाजिक न्याय और सामाजिक सदभाव को कायम करने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा किया। यह बात सही है कि आजादी के पूर्व की जो स्थिति थी कि दलित वर्ग के व्यक्ति को मुंह पर हांडी, हाथ में थाली और कमर पर झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। हांडी इसलिए कि उसके मुंह से निकला हुआ सांस दूसरों को नहीं छू ले और थाली इसलिए कि सवर्ण वर्ग का व्यक्ति हट जाये कि दलित वर्ग का व्यक्ति आ रहा है और झाड़ू इसलिए बांधी जाती थी कि उसके खोज मिटते चले जायें और उस पर किसी दूसरे का पांव नहीं पड़े। यह बात आजादी के पूर्व की है लेकिन आजादी के बाद तो यह स्थिति नहीं रही लेकिन आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष: आजादी के बाद तो यह स्थिति नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको याद है इस तरह की व्यवस्था माननीय अध्यक्ष महोदय? आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों का समय देखा है आपने, आपको याद है कभी इस तरह की बात हो। ये किस तरह का चित्रण कर रहे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको याद है?

श्री अध्यक्ष: आजादी को 59 वर्ष बीत गये हैं। आजादी को भी 59 वर्ष बीत गये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको याद है कि डाक्टर भीमराव अम्बेडकर को बम्बई में एडमिशन नहीं दिया गया था स्कूल में और आपको याद है यह स्थिति? आप क्यों इस चीजों की वापस याद दिला रहे हो? इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: हम आपकी सुनें कि उनकी सुनें?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): इसीलिए महाराजा बड़ौदा ने उनको बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। धन्यवाद दो बड़ौदा महाराजा को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उनकी शिक्षा की व्यवस्था किसने की थी?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): बाबा अम्बेडकरजी को पढ़ाने वाले बम्बई के पंडितजी थे, पता है कि नहीं है? बम्बई के एक पंडितजी थे जिन्होंने उनकी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की थी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): वह बड़ौदा के महाराजा थे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन उनको स्कूल से नहीं निकाल दिया गया था। वह सारे ही राजेन्द्रजी राठौड़ जैसे थोड़े ही होते हैं, खुशवीर सिंहजी जैसे भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आजादी के 58-59 साल के बाद स्थिति में बदलाव आया है लेकिन आज भी ईमानदारी की बात यह है कि आप दलित वर्ग के मौहल्लों में जाकर देख लें। मैं जयपुर की बात नहीं करता, मैं टोंक की बात नहीं करता, मैं आगरा की बात नहीं करता, कहीं भी छोटे से कस्बे से लेकर बड़े शहर तक चले जायें, दलित मौहल्ले में आंखें फाड़-फाड़कर देखने पर भी आपको सड़क नाम की चीज दिखाई नहीं देगी...

श्री हीरालाल (निवाई): आपने देखा क्या सड़कें नहीं है? कोई शहर हो, कोई कस्बा हो।

श्री अध्यक्ष: बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करें माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं आपकी भी बात करता लेकिन आप बीच में ही छेड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली के खम्भे लगे होते हैं तो उस पर लाइट और बल्ब नहीं होते। नल होते हैं तो उनमें पानी पूरा नहीं होता है। सफाई की सही व्यवस्था नहीं होती। आप बजट का कितना भी प्रावधान कर दें, खूब योजनाएं बना दें लेकिन जब तक काम करने वालों की नीयत सही नहीं हो, तब तक दलित वर्ग का उत्थान नहीं हो सकता। आपकी सारी योजनाएं बेमानी हैं। यह बात मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बोल रहे हैं, परन्तु आपकी पार्टी का कोई भी माननीय सदस्य मौजूद ही नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है किसी को। दलित वर्ग के उत्थान में प्रतिपक्ष को दिलचस्पी नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो आप भी अपने 130 को गिन लो।

श्री अध्यक्षः स्थान ग्रहण करो। स्थान ग्रहण करो।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय, पूरे दिन यह स्थिति रही है "नानो मरयो, गीगली जाई, रह्या तीन का तीन"।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 130 में से आपके गिन लो, कितने हैं। आप राज चला रहे हो तो 130 में से कितनी मूर्ति बैठी हैं यहां, गिनो। (व्यवधान) 130 में से इतने से हैं और जिनको अपनी डिमांड पास करानी है, उनकी भी यह स्थिति है (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप अपने को गिन लो, पहले आप अपने को जल्दी गिन लो, उसमें कम समय लगेगा।

एक माननीय सदस्यः चलो रेशियो को मिला लें 130 का और 56 का।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमने तो गिन लिया ना, पांच हैं। लेकिन आप उस प्रपोर्शनेट में 130 में क्या हो, आत्म विश्लेषण तो करो आप भी। सदन में सभी को रहना चाहिए। आप वालों को नहीं रहना चाहिए क्या? 130 कभी हाउस में बैठे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): चलो, अच्छी बात है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इतने वर्षों तक तो तुमने राज किया, क्या ये पांच ही थे तुम?

श्री अध्यक्षः स्थान ग्रहण करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कल आप बड़ा उपदेश दे रहे थे, आप बोले तो मैं खामोश था, फिर अब क्या हो रहा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, हर समय उत्तेजित होकर नहीं बोलते हैं। हर समय उत्त्तेजित नहीं होते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तेजित नहीं होता हूं, आवाज ही ऐसी है जिसको आप उत्त्तेजना समझती हैं।

श्री अध्यक्षः तो थोड़ा लो रख लिया करो वोल्टम आवाज का। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो आपसे, आसन से सीखा था, कोई भी माननीय सदस्य अपनी बात कहे तो अध्यक्ष महोदय को इंगित करके कहे, बाकी कोई हो या नहीं हो, आप

बिराजमान हैं, आपके माध्यम से अपनी बात कह रहा हूं, मैं तो आपके माध्यम से अपनी बात आसन के सामने रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आप बोलिये, बोलिये आप। अब कोई बीच में व्यवधान नहीं डालेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इतना सा निवेदन है कि आजाद साहब भाषण समाप्त करते ही चले नहीं जायें, इनको आप थोड़ा पाबन्द करें।

श्री अध्यक्ष: पी.ए.डी. मंत्री आपके दोस्त हैं, इसलिए मैं उनको कैसे रोकूंगी?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके सामने सदन में दोस्ती थोड़े ही चलती है?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माहिरजी, पड़ोसी को देखो आप, वह बार-बार उठते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस बात का आप आसन से जवाब दे दें कि जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तभी यह क्यों होता है? ये राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य बोले, मैंने आज तय कर लिया था कि मैं कतई, चाहे ये कुछ भी बोले, खड़ा नहीं होऊंगा लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं तब यह ऐसा क्यों होता है?

श्री अध्यक्ष: अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। कोई बीच में नहीं टोकेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यहां तो दोस्त और दुश्मन बराबर हो रहे हैं, मैं क्या करूं इनमें से।

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, बिलकुल शांति से बैठे रहिये। अब नहीं, आप बीच में व्यवधान नहीं डालें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, ईमानदारी से यह बात कह रहा था कि आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए केवल मात्र बजट में प्रावधान कर दें, हम घोषणा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कर दें, उससे भला होने वाला नहीं है। अगर हम उनको आज भी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहें और ईमानदारी से उनको कुछ देना नहीं चाहें तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता इसलिए हमको राजनैतिक विचारधारा से ऊपर उठकर उनके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। आज स्थिति यह है कि हम जो बात करते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का बैकलाग पूरा क्यों नहीं होता? बैकलाग इसलिए पूरा नहीं होता है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप उसके लिए निर्धारित करते हो, उस क्वालिफिकेशन के लोग नहीं मिलते। हमको इसकी जड़ में जाना चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं मिल रहे? आज क्या स्थिति है समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की? हम भी अपने क्षेत्र में जाते हैं। मैं चूरू के समाज कल्याण विभाग के छात्रावास को देखने गया था, और जगह भी जाकर आये थे। वहां क्या स्थिति है, वहां क्या पढ़ाई का माहौल है, क्या उनको सही ढ़ंग से भोजन मिल पाता है, उनकी कोई कोचिंग की व्यवस्था वहां की हुई है? आज इस आई.टी. के युग में, आज इस कम्प्यूटर के युग में आज जब हम तरक्की के आफ्ता दौर से गुजर रहे हैं, उन छात्रावासों की क्या स्थिति है और उन छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की स्थिति क्या है? अगर ईमानदारी से हम उनका सुधार करना चाहते हैं तो हमको निश्चित रूप से उनके बारे में सोचना चाहिए। जब तक उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, उनको एजुकेशन सही नहीं मिलेगी, प्रोपर कोचिंग नहीं मिलेगी तब तक यही स्थिति रहेगी, हम इनको आगे नहीं बढ़ा पायेंगे।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम आरक्षण की बात करते हैं कि इनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, क्या यह सही है कि सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों और अन्य स्वायतशासी निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति को नियंत्रित करने और उनसे सम्बन्धित सरकारी आदेशों के क्रियान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया हुआ है जिसके समाज कल्याण मंत्रीजी आप स्वयं अध्यक्ष हैं। यह कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के क-5/कार्मिक/ग्रुप-क/5/16/1/डीओपी/84 के यह आदेश निकले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या कभी समिति की मीटिंग हुई आपकी अध्यक्षता में, कभी

मीटिंग हुई उसकी? क्या मोनेटरिंग हुई? दूसरी कमेटी एक और है। इस कमेटी के तो समाज कल्याण मंत्रीजी अध्यक्ष हैं और इसमें अन्य समाज कल्याण सचिव, विशिष्ठ सचिव, निदेशक नियोजन, निदेशक समाज कल्याण विभाग, निदेशक क्षेत्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति और कई अन्य सदस्य हैं और इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी कार्मिक विभाग ने और बना रखी है। यह कमेटी है, राजस्थान राज्य अन्तर्गत राजकीय तथा नियमित विभागों एवं राजकीय उपक्रम व स्वायतशासी संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धित सर्वांगीण प्रगति की देखरेख हेतु स्थाई समिति।

इस समिति के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री। इस समिति की एक भी मीटिंग दो साल में हुई है? मैं पूछना चाहता हूं ईमानदारी से आप बताइये कि इस दो साल के अंदर इस समिति की एक भी मीटिंग हुई है। हम क्या बात करना चाहते हैं, हम क्या एससी और एसटी को देना चाहते हैं, दो साल में एक मीटिंग उसकी नहीं की, मानीटरिंग नहीं की, इसमें मुख्य मंत्रीजी अध्यक्ष हैं, समाज कल्याण मंत्रीजी इसके सदस्य हैं, शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, विशिष्ठ शासन सचिव, कार्मिक विभाग, निदेशक, समाज कल्याण विभाग, निदेशक, नियोजन विभाग, और इसके अलावा बेकवर्ड क्लासेज, वेलफेयर, बैंक है और दूसरे लोगों को आप स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में बुला सकते हैं। जो मानीटरिंग के लिए कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी की मीटिंग तक हमने नहीं की और फिर हम बात करते हैं कि एससी एसटी को हम यह देना चाहते हैं। देंगे तो तब, मुझे, अध्यक्ष महोदय, अल्लामा इकबाल का वह शेर याद आ रहा है कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में- इमां की हरारत वालों ने, मन जो पुराना पापी था- बरसों में नमाजी हो न सका।

श्री अध्यक्ष: मन नहीं है। माननीय सदस्य, दिल तो पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका।

मोहम्मद माहिर आजाद: केवल हम घोषणाएं कर दें और केवल हम एससी एसटी को देने की बात जबान से कर दें, जब तक कलम से हम नहीं देंगे, तब तक अनुसूचित जाति और जनजाति का भला हम कर नहीं सकते, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज स्थिति यह है, यहां बजट में घोषणा कर दी कि जो बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों को, जिनका नियोजन

(मोहम्मद माहिर आजाद)

विभाग में पंजीयन है, हम तीन सौ रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। पता है साल भर के अंदर कितने लोगों को दिया, साल भर में आपने 1668 लोगों को, कितने लोग आपके बेरोजगार पंजीकृत हैं और उसमें से 1668 लोगों को दे रहे हैं और जहां से माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी आते हैं, बारां जिले और कोटा जिले में दस लोगों को सिर्फ! क्या घोषणा करते हो आप, जिस पर आप अमल नहीं कर सकते हो, उन घोषणाओं को करने से उसका कोई लाभ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सत्यनारायणजी शर्मा भीलवाड़ा में बजरंग दल के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हुई, बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। उनकी पत्नी को आपने मुआवजे की राशि दी डेढ़ लाख रुपये और पाली जिले की जैतारण तहसील के बेड़कलां के मोहन मेघवाल, एक दलित वर्ग के व्यक्ति की हत्या हो गई, उसकी पत्नी को दस हजार रुपये। यानि उस सवर्ण की लाश की कीमत तो डेढ़ लाख और दलित की लाश की कीमत दस हजार रुपये और आप अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ न्याय करने की बात करते हो। लाश की कीमत भी जिस सरकार के मापदण्ड में अलग-अलग हो, उससे एससी और एसटी की भलाई की कोई उम्मीद हम कर नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ईमानदारी के साथ कि एक तरफ लालसोट, बस्सी, बामनवास, टोडाभीम और सिकराय के हमारे आदिवासी हैं, दूसरी तरफ घाटोल, कोटड़ा, डांगपुर, आसपुर और चौरासी, क्या इन दोनों के आदिवासियों की स्थिति एक है। मैं यह नहीं कहता कि आप बामनवास और लालसोट के आदिवासी की सुख-सुविधाएं और उसको जो मिलता है उसमें कमी कीजिए लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि अगर ईमानदारी से आप आदिवासी भील का भला करना चाहते हैं तो आपको इस आदिवासी क्षेत्र को चिह्नित करके इसके लिए विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए ताकि यह लोग भी मेन स्ट्रीम में आ सकें और इनका भी कुछ भला हो सके, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

विधवा महिला की बच्चियों के विवाह के लिए सहायता देने का आपने कहा। मैं पूछना चाहता हूं, कितना समय लगता है इसमें, कितनी औपचारिकता है। मेरा मकान समाज कल्याण निदेशालाय के बिलकुल नजदीक है। मैं रोज देखता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बेचारी बेसहारा विधवा महिलाएं आती हैं, साहब, आज तीन महीने हमको दरख्वास्त दिये हुए हो गये, सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी, हमको कहा शादी का कार्ड भी लाओ, कोई गरीब

(मोहम्मद माहिर आजाद)

विधवा जिसके पास कार्ड छपाने के पैसे भी नहीं है, शादी का कह रही है, शपथ पत्र दे रही है उससे कार्ड मांगा जा रहा है। इतनी औपचारिकताएं करा रहे हैं। यह सारी चीजें बेकार है और छह-छह महीने, चार-चार महीने आप उसको पैसा नहीं दो, पांच हजार रुपये दो और उसके लिए आप उसको छह महीने चक्कर लगाओ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जटिलताओं को कम कीजिये और जिस दिन आये, उसकी शादी की जो तारीख हो, जब तक उसको पैसा दे दें, भले ही आपको सहायता केन्द्र से मिल रही है, कहीं से मिल रही है, उसको बाद में आप करते जाइये, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें डिले नहीं होना चाहिए। विधवा और इनको आपने पेंशन की राशि में जो वृद्धि की है मैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन आपके माध्यम से और करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम जो आपके समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत ही आता है, आज सरकार को बने हुए दो साल, सवा दो साल हो गये, आपने तीसरा बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है, आपने आज तक राजस्थान में अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी विकास निगम का गठन हीं नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना हम स्टेट गारंटी देते हैं उतनी ही हमको सहायता केन्द्र सरकार भी देती है। हमने आज तक इसका गठन नहीं किया। जो अल्पसंख्यक बेरोजगार, दस्तकार शिक्षित और अशिक्षित इनकी योजनाओं का जितना लाभ उठा पाते हैं उससे वंचित रह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी मंत्रीजी, आप अपना उत्तर दें, ओम बिरलाजी, माननीय संसदीय सचिव, मैं समाज कल्याण मंत्रीजी से अध्यक्षजी के माध्यम से कुछ निवेदन कर रहा हूं कि जब भी आप अपना उत्तर दें, कृपया सदन को और सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को यह अवगत करायें कि आप राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम का कब गठन कर देंगे। आपने घोषणा तो कर दी कि श्री गुल मोहम्मद मंसूरी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है लेकिन आपने कायदे-कानून का भी ध्यान नहीं रखा कि नियमों में प्रावधान यह है कि दो चैयरमेन आप एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से जारी कर सकते हैं, तीसरा चैयरमेन बनायेंगे तो उसका चुनाव होगा। क्या इसका इलेक्टोरल कालेज है, कौन लोग इसको चुनेंगे, आपने घोषणा कर दी, कैसे भी करके अपनी घोषणा को एक्जीक्यूट कराइये और अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम बनाइये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर राजस्थान का सीमावर्ती जिला है, जैसलमेर के दस्तकारों के लिए, अल्पसंख्यक बेरोजगारों के लिए केन्द्र सरकार ने 100 लाख रुपये की सहायता आपको दी। क्या यह सही है? 100 लाख रूपये की सहायता दी 2005-06 के लिए।

श्री मदन दिलावर: लोन लेते हैं, सहायता नहीं, लोन।

मोहम्मद माहिर आजाद: हां, लोन दिया। जो भी दिया आपको, अनुदान दिया। आपकी गारंटी पर लोन दिया, उसका लक्ष्य 100 लाख था। आज 31 मार्च नजदीक आ रही है, आप उसमें से अभी तक केवल 30.76 लाख रुपये का ही उपयोग कर पाये, दे पाये। मेरा निवेदन है कि कम से कम इसमें तो आप...(व्यवधान) क्या हो गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह भी पहली बार हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद: क्या पहली बार हुआ है?

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह तीस लाख रुपये दिये।

मोहम्मद माहिर आजाद: ऐसा नहीं हुआ, यह पांचों साल के आंकड़े हैं, मुझसे मत कहलवाओ। आपने 2004-05 में 158 लाख रुपये की राशि थी जो लौटाई है वापिस, जिसका उपयोग नहीं कर पाये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन: वह पहले परम्परा नहीं थी सीमावर्ती जिले...

मोहम्मद माहिर आजाद: महावीरजी, आपको जानकारी नहीं है इसलिए बीच में मत इंट्रप्ट कीजिये, हां। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप राजस्थान में जल्दी से अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम का गठन कीजिये ताकि गरीब दस्तकारों, अल्पसंख्यकों को भी इसका लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण छात्रावासों की स्थिति आप सुधारिये। क्या स्थिति है, धोद से आने वाले सदस्य ने भी जिक्र किया। मैं ज्यादा गहराई में जिक्र नहीं करना चाहता, आपके सीकर के छात्रावास में कल क्या हुआ, छलके जाम, पका मांस, खेली जुआ, क्या शिक्षा देना चाहते हैं आप हमारे आने वाले भविष्य के कर्णधारों को। आपने उसमें एक्शन तो लिया, लेकिन यह स्थिति पैदा क्यों हुई कि समाज कल्याण छात्रावास के अंदर, कार्यालय के अंदर दिन में शराब पी जा रही है टेबल पर बैठकर, मांस पक रहा है वहीं पर ही और जुआ खेला

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जा रहा है, क्या असर पड़ेगा इससे दूसरे लोगों पर, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी कर्मवाणी और आचरण में समरूपता होनी चाहिए। अगर राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों का आप भविष्य सुधारना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं तो आपको समाज कल्याण के छात्रावासों को बेहतर सुविधाएं उनको मिले, सही खान-पान की व्यवस्था वहां पर हो, रहने के लिए बिस्तर की, पलंग की और वहां के वातावरण की सही तरीके से व्यवस्था हो, इसके लिए जो बजट में आपने प्रावधान किया है, आप बढाइये मत, लेकिन ईमानदारी से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुसूचित जाति जनजाति निगम के अंदर जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी, अधिकारियों के अर्दली भत्ते के ऊपर रोक लगा दी थी वित्त विभाग ने, अर्दली भत्ते पर रोक लगाई हुई है और आपके अधिकारी अर्दली भत्ता उठा रहे हैं। उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? आप अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के ऊपर काम आने वाली राशि को अधिकारी अर्दली भत्ते के रूप में और अपनी सुख-सुविधा के ऊपर यूज कर रहे हैं, यह आदिवासियों का और अनुसूचित जाति और जनजातियों का किसी भी तरीके से इससे भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राशि का समुचित उपयोग हो और हम ईमानदारी से अगर चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति का भला हो तो उसके लिए जो बेकलाग है, आपके नियम, आपका 2002 के अंदर आदेश निकला था।

दूसरा यह 10.10.2002 को निकाला कार्मिक विभाग ने और इसमें यह कहा गया है साफ कि अगर अनुसूचित जाति/ जनजाति का कोई बैकलॉग किसी भी वजह से बाकी रह गया है तो चाहे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पचास प्रतिशत आरक्षण हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है लेकिन फिर भी इसको आप प्रीज्यूम करना चाहते हैं तो इसके लिए कितना भी हो इसको आपको पूरा करना चाहिए लेकिन आपके अभी हाल ही में कार्मिक विभाग ने दूसरा आदेश निकाला है जिसकी मेरे से पहले दूसरे साथियों ने भी चर्चा की है। यह 22.6.2004 को आपके सत्ता में आने के बाद यह आदेश आपके कार्मिक सचिव ने निकाला है और समस्त शासन सचिवों और प्रमुख सचिवों को लिखा है और इसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं किन्हीं भी परिस्थितियों में उक्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किसी भी रिक्ति को पदोन्नति

(मोहम्मद माहिर आजाद)

और साथ ही सीधी भर्ती द्वारा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से नहीं भरा जाएगा। लेकिन यह 10.10.2002 से पूर्व उपलब्ध होने वाली रिक्तियां तत्समय विधान नियमों के अनुसार तथा दिनांक 10.10.2002 एवं उसके पश्चात उपलब्ध होने वाली रिक्तियां संशोधित नियमानुसार भरी जाएंगी । यह राइडर क्यों लगाया, किसलिये लगाया, क्या मंशा है इसके पीछे? जब यह बात सीधी सी साफ है कि इस एक वर्ष के अन्दर आपको बीस पद एससी/एसटी के भरने थे और आपने बारह भरे आठ बाकी रह गये फिर अगले वर्ष बीस आ गये तो आपको पहले 28 पद एससी/एसटी के लोगों से भरने चाहिएं उसके बाद आप दूसरी भर्ती करें। आप यह चाहें कि नहीं ये नहीं मिले तो नहीं मिले और इसको हम उससे कर दें, यह अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के साथ आपका भला करने का इरादा नहीं है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम चाहे जितने भी कानून कायदे बना दें और बजट में प्रावधान कर दें अगर इसकी सही तरीके से क्रियान्विति नहीं होगी और मॉनीटरिंग के लिए जो कमेटियां बनायी गयी हैं उन कमेटियों की अगर मीटिंग नहीं होगी तो वो कमेटियां बनाने और यह प्रावधान करना बेकार है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान देंगे अनुसूचित जाति/जनजाति ...(व्यवधान) सीकर वाला तो देख लिया, जाम छलक रहे हैं, उस रोज तो भरतसिंहजी ने अंडे की बात कर दी तो जिस पर इतना बबाल मचा था और ये वहां पर मांस पक रहा है इसके ऊपर इनके कोई जूं नहीं रेंगी और कह रहे हैं कि एक अधिकारी को हमने सस्पेंड कर दिया ऐसा मत कीजिये मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम मत करें। ईमानदारी से आप अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की भलाई के लिए इन छात्रावासों में भी व्यवस्था और जो ऐसे लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देंगे इसी आशा और विश्वास के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। (अनुपस्थित) श्री नवनीत नीनामा। (अनुपस्थित) श्री तगाराम चौधरी। (अनुपस्थित) श्री मदन राठौड़। (अनुपस्थित)

आप बोलना चाहते हैं? बोलिये। श्री सुभाषचंद शर्मा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

कल्याण और मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट योजना संगठन की अनुदान की मांगों पर मेरे कटौती प्रस्ताव पर मैं चर्चा में भाग लेते हुए आपके आदेश से निवेदन करना चाहता हूं कि काफी लंबे समय से सदन में इन सभी मांगों पर चर्चा हो रही है और सदन में जिस प्रकार माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से इन बातों पर विचार किया, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि मैं नया सदस्य हूं नये के नाते मेरा यह एक्सपीरियंस इसी प्रकार हो लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूं सदन के अन्दर यह बड़ा पीड़ादायक है कि केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंधित माननीय सदस्यों को छोड़कर कुछ सदस्य ही सदन के अन्दर सुबह से दोपहर से इस प्रकार से विराजमान हैं बाकी माननीय सदस्यों को अनुसूचित जाति/जनजाति के मामलों में कोई चिन्ता नहीं है। यह मैं देख रहा हूं इस बात के लिए और जैसा आज चर्चा का विषय रहा उसमें भी एक ही बात सामने आयी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ही ज्यादातर चर्चा परिचर्चा में भाग लेने का मौका दिया गया। कुछ माननीय सदस्य ही इस प्रकार के आये जिनको बोलने का मौका मिल पाया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति को ऊपर उठाने की सामाजिक सुरक्षा की, गरीब लोगों को गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाने की, क्षेत्र में और समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने की और जो असमानता हमारे समाज में आयी हुई है उस असमानता को दूर करने की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब बातों के लिए बड़ी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, दिल में भावना हो मन में संकल्प हो और विचारों में विस्तृत विचाराधारा हो अगर इस तरह की सोच हमारे मन में पलती है तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य, हर एक इन्सान का हर जीव का हर एक का हम कल्याण करने के लिए आगे आ सकते हैं। जिस प्रकार से योजनाओं के बारे चर्चा हो रही है इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान सरकार ने जो योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किये पूर्व के जितने प्रावधान रहे हैं उनसे बहुत गुना अच्छे रहे और बहुत ही सोच और विचाराधारा के साथ रखा। लेकिन सवाल इस बात का है कि लंबे समय से आज देश को आजाद हुए 59 साल हो गये। 59 साल पहले देश में जब गुलामी थी हो सकता है गुलामी के समय पर किन-किन समाजों में गुलामी रही होगी लेकिन आजादी के बाद में जब हमारा संविधान लागू हो गया, 1950 के बाद

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

और सबको बराबर का अधिकार देने की बात की गयी रिजर्वेशन के माध्यम से हमने उन लोगों को आगे लाने की कोशिश की है जो समाज में पिछड़े हुए थे, समाज में नीचे रह गये थे जो धारा में नहीं थे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको रिजर्वेशन का लाभ देकर के, हमने साथ जोड़ कर के आगे लेकर चलने की बात रखी लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, पचपन साल बीत जाने के बाजजूद भी आज हमारे इन समाजों की स्थिति क्या है इस मामले पर विचार मैं समझता हूं कि शायद हम सब लोग यहां करते जरूर हैं लेकिन उन पर मनन नहीं होता है और उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। इसकी सोच यह है, मेरा निवेदन आपके माध्यम से यह है कि हम कब तक बैसाखियों से, अभी करौली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे बैसाखियों पर कब तक किसी चीज को खींचते रहोगे क्यों नहीं हम समाज के इन लोगों को इन तबकों को आगे लाने के लिए इनके समुचित विकास, सर्वांगीण विकास के लिए निचले स्तर से हम काम करें। हम गहराई से अध्ययन करें इस बात के लिए कि जब तक उनको पूरी शिक्षा और शिक्षा भी वर्तमान युग के अनुसार वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुसार इस एडवांस टैक्नॉलॉजी के अनुसार उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया शिक्षा उनके घर के दरवाजे और उनके आसपास दिलवा करके और उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात करें । हम केवल रिजर्वेशन के मामले में यह छोड़ देते हैं कि ये रिजर्वेशन से निकलकर आ जाएगा इसलिए एससी/एसटी को उसका लाभ मिल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं इस बात के लिए कि एससी/एसटी का जिन्होंने रिजर्वेशन का आज तक फायदा उठाया है, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं या राजनेता हैं उन लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का भला करने के लिए कौन सा काम किया? आज केवल पांच प्रतिशत और दस प्रतिशत लोग वो ही केवल उन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। आज एक आई ए एस अफसर के परिवार का आदमी दो हजार रुपये का कांवेंट स्कूल में ट्यूशन पर पढ़कर के और वो ही आगे आ कर के आई ए एस और आर ए एस बनेगा लेकिन एक गरीब तबके का एससी/एसटी का आदमी जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है जिसके बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती जिसके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, जिसके बच्चों को खाना नहीं मिलता वो मुख्य धारा में किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता और यही विसंगति पिछले पचास सालों के अन्दर हमारे इन समाजों के बीच में आज तक बनी आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस बात

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

के लिए आज कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? कौन पूरा करेगा इन बातों को? आज इस वर्ग के अन्दर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग बन गये हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की जाति बनी हुई है उसमें जो संपन्न तबका है जो क्रीमीलेयर का तबका है वो जितना ऊपर आ गया वो अपने समाज से अलग हट गया वो गांव के आदमी से बात नहीं करना चाहता वो गांव के आदमी के साथ शादी ब्याह में शरीक नहीं होना चाहता वो गांव के आदमी के साथ बैठ कर के खाना नहीं खाना चाहता वो गांव के आदमी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। बड़ी-बड़ी बातें हम सब लोग करते हैं, अखबारों में आती हैं सदन के अन्दर ये बात आती है हर बार एक ही चर्चा रहती है वोट बैंक की राजनीति की बात चलती है। हर आदमी अपना वोट लेने के लिए, एक समाज को राज़ी रखने के लिए किसी का विरोध नहीं करना चाहता है किसी बात की सच्चाई पर नहीं आना चाहता लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यही स्थितियां अगर चलती रहीं तो मैं नहीं समझता कि आगे आने वाले पचास सालों में भी इन गरीब तबके के लोगों को समाज में बराबर बैठने का दर्जा मिल सकेगा इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय जनजाति कल्याण मंत्री और हमारे समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा इसका जातियों के लोगों को इन तबकों के लोगों को और गरीब लोगों को ऊंचा उठाने के लिए बनायी गयी हैं इनका लाभ आम आदमी तक पहुंचे, इनका लाभ उन गरीबों तक पहुंचे, इन लाभ बिना सिफारिश के पहुंचे केवल सिफारिशों के आधार उन लोगों को फायदा मिलता है जिनके बड़े अधिकारी और बड़े पदों पर बैठे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के मामले में मैं माननीय दोनों मंत्रियों से यह पूछना चाहता हूं कि एससी/एसटी के लोगों को एस सी डी सी कारपोरेशन से और जितने भी वित्त निगम के कारपोरेशंस से कितने ऋण पिछले दो सालों में, तीन सालों में, चार सालों में, पांच सालों में दिये गये?

अगर एक भी गिनती में नहीं आता तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं है। हम कहां जा रहे हैं इस बात के लिये, कौनसे राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं । हम केवल ऊंची जातियों, बडी जातियों और नीची जातियों में हमारे समाज को बांटकर इस प्रकार से तोड़ने की साजिश रचते हैं। अभी माननीय सदस्य श्री हरिमोहनजी के लिये बात आई थी कि एसटी, एससी

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

के साथ, मैं आपको निवेदन करूं और सदन में इस बात को कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मेरे परिवार में, मेरे साथ रहने वाले, मेरे पास काम करने वाले या मेरे साथ चलने वाले व्यक्ति सारे एससी, एसटी परिवारों से जुडे हुए हैं और मैं उनके साथ रहता हूं, उनके घरों में भी जाता हूं, वह मेरे साथ आते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि मैं मेरे समाज को छोड दूं या दूसरे को छोड दूं । इंसानियत हमारा समाज है, इंसानियत हमारा धर्म हैं और हम सबको मानवता के लिये काम करना चाहिये। इंसानियत के लिये काम करना चाहिये तो मैं समझता हूं सच्चे मायने में राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान में हम हर लोगों को बराबरी का दर्जा दिला सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्यक्रम सरकार के माध्यम से चलाये जा रहे हैं इनकी जब तक आम आदमी तक पहुंच नहीं होगी, आम आदमी तक जानकारी नहीं होगी और हम बिना भेदभाव के, बिना किसी लगाव के, बिना किसी बदलाव के अगर हम उन योजनाओं का लाभ उन आदमियों तक पहुंचायेंगे तो निःसंदेह हमारी इस सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो सपना देखा है जिस प्रकार से सहरिया परिवारों को ऊंचा उठाने के लिये जिस प्रकार से भील जाति के लोगों को ऊंचा उठाने के लिये, महिला शिक्षा में जिस प्रकार से उनको मोटर साइकिलें और साधन उपलब्ध करवा कर, बच्चों की फीस और उनको कपडे देकर जो योजना बनाई है मैं चाहता हूं इस बात के लिये कि राजस्थान में छात्रावासों की स्थिति इससे भी ज्यादा सुधारने की आवश्यकता है। मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अभी पावटा में एक छात्रावास का निर्माण राज्य सरकार ने करवाया। बहुत-बहुत धन्यवाद की बात है और मैं समझता हूं कि उन परिवारों को, उन बच्चों को अभी थोडे दिन पहले अभी पिछले सदन में भी यह चर्चा आई थी कि बच्चों के पास बैठने की व्यवस्था नहीं है, चारपाई की व्यवस्था नहीं है, चद्दरों की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट जाने के लिये बाथरूम की व्यवस्था नहीं है और यहां पर मानवाधिकार आयोग में भी इस मामले की चर्चा हुई। मानवाधिकार आयोग ने उसका निरीक्षण कर के हमारी सरकार को नोटिस दिया था। उस वक्त यह चर्चा आई थी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाज कल्याण मंत्रीजी को कि आपने उस बात को प्रायोरिटी पर लेकर पावटा में नये समाज कल्याण छात्रावास का निर्माण करवाया और मैं कहना चाहता हूं इस बात के लिये कि मंत्री महोदय इन

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

छात्रावासों की स्थिति सुधारिए, इनमें सीटे बढाइए। जितनी सीटों का प्रावधान आपने बजट में कर रखा है इन सीटों से हमारे राजस्थान के एससी, एसटी के लोगों का भला नहीं होने वाला है । आप इन बच्चों को पढाइए, उनको शिक्षा दिलवाइए,उनको कोचिंग करवाइए, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग करवाइए, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढाकर उन बच्चों को चाहे रिजर्वेशन के सहारे लाये चाहे उनको जनरल कैटेगिरी में लेकर आये लेकिन उनके विकास की योजनाओं को आप सही मायने में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो यह समाज का जो गिरा हुआ और पिछडा हुआ तबका है वह आगे आने वाले 50 साल तक भी सुधरने वाली स्थिति में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा की हम बात करते हैं । गरीब परिवारों की जिनके छप्पर होते है, झोपड़े होते हैं उनके अग्निकांड हो जाता है। अभी गर्मियां आयेंगी इनमें सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके अग्निकांड हो जाता है और उनका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। लेकिन आज से 25-30 साल पहले बनाई हुए एक योजना कि उनको क्षतिपूर्ति के रूप में केवल 2500 रुपये मात्र दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, 2500 रुपये में तो छान झोपडा बनाने के लिये उसके पूले भी नहीं आते । मैक्सिमम 2500 रुपये मंजूर करते हैं जिसमें हमारे उप खण्ड अधिकारी से, तहसीलदार से जब रिपोर्ट मंगाई जाती है तो उससे कोई 18 सौ, 12 सौ, 2 हजार रुपये मंजूर करके दिये जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं यह कौनसी योजनाएं हैं, क्यों नहीं ध्यान दिया जाता इन बातों पर। उसको कम से कम झोपड़ो बनाकर उसमें तात्कालिक सहायता के रूप में दो बर्तन, दो कपडे, रज़ाई, गद्दा, कंबल लाने के लिये कम से कम 10 हजार रुपये प्रति परिवार के हिसाब से अगर यह सहायता बढाई जाये तो मैं समझता हूं इस बात के लिये उन गरीब परिवारों को 24 घंटे में छत के रूप में कुछ सहायता मिल पायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये कहना चाहता हूं जिस प्रकार से शिक्षा के साथ रोजगार की आवश्यकता है। जब तक रोजगार इन परिवारों को नहीं मिलेगा तो हम समाज में समरसता की भावना जो लाना चाहते हैं वह नहीं आ पायेगी। रोजगार के लिये रोजगार सृजन करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें इन लोगों को जोड़कर काम किया जा सकता है। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से हम इस बात की तरफ नहीं जा रहे हैं। अध्यक्ष

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण के बारे में जिस प्रकार से आप योजनाएं बनाते हैं, जनजाति विकास के मामले में जिस प्रकार से योजनाएं बनाते हैं, आप उसको शामिल कीजिए कि एक-एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिया जा सकता है । ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे संसाधन मौजूद है, ऐसे रोजगार मौजूद हैं कि जिन रोजगारों के साथ आप उनको जोड़कर लाना चाहेंगे, प्लानिंग बनायेंगे, योजना बनायेंगे तो निश्चित रूप से इन परिवारों का भला हो पायेगा और शिक्षा के साथ-साथ इनको आगे लाने के लिये आपको आगे काम करना पड़ेगा और जब तक छात्रावासों की संख्या नहीं बढ़ायेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आप छात्रावास ज्यादा से ज्यादा नहीं बनायेंगे उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों को पढ़ाई में, शिक्षा में और हर तरह के विकास में बराबर लाने के लिये जब तक आप नीचे के स्तर से नहीं उठायेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम समाज के कल्याण के मामले में या समरसता के मामले में, सामाजिक सुरक्षा के मामले में सही मायने में कोई काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इसी बात के साथ मैं एक छोटा सा निवेदन गाड़िया लुहारों के बारे में करना चाहूंगा । मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने 25 गाड़ियां लुहारों को पट्टे वितरित कराए और मेरा गांव ऐसा है जिसमें आज से 14 साल पहले गाड़िया लुहारों को पट्टा देकर इंदिरा आवास में मकान बनाकर उनको वहां बसाया है । योजनाओं को लागू करने के लिये सभी माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी तरफ से पहल कीजिए । कौनसा काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते । निःसंदेह आप में यह संकल्प होना चाहिये उन गरीब लोगों के प्रति, उन गरीब लोगों के प्रति आपके दिल में यह भावना होनी चाहिये कि हम वोट लेने के लिये तो उनके घर, उनकी झोपड़ी में, उनकी गूदडी तक जाकर बैठ जाते हैं और जब हमें वोट मिल जाता है और जब हम राजनीति में आगे आ जाते हैं उसके बाद हम उनके दरवाजे जाना बंद कर देते हैं, उनसे मिलना बंद कर देते हैं। इन स्थितियों से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और हमारी सोच विस्तृत करनी पड़ेगी और जब तक हम अपनी सोच को विस्तृत करके और समरसता की भावना और सारे समाज को एक जुटता में लाने की बात नहीं करेंगे तो यह जाति भेद और जिस प्रकार के धर्म भेद की बात होती रहती है उससे यह गतिरोध बढ़ते रहेंगे और समाज का वास्तव में विकास नहीं हो पायेगा।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

पिछले तीन चार दिन का समय जिस प्रकार से सदन में निकला बडी पीड़ा हुई इस बात के लिये। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसने किया, नहीं किया लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं चाहे हम नये सदस्य हैं लेकिन नये सदस्य के नाते भी हम गम्भीरता को समझते हैं। हम विषय वस्तु को समझते हैं कि कौनसा शब्द बोलने से किस को पीड़ा होगी। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, मैं कल बोलना चाहता था लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय की परमिशन नहीं मिली मैं अनुशासनप्रिय आदमी हूं मुझे खुद को डर भी लगता है कि मैं नया आदमी हूं, हो सकता है, मैं कोई अवहेलना नहीं कर दूं और अध्यक्ष महोदय इस बात को गलत नहीं माने। लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाह रहा था कि जब तक हम खुले दिल से, खुली भावना से, खुले विचारों से जब तक हम इस पवित्र सदन में प्रदेश की प्रगति के बारे में, प्रदेश के हित के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आम आदमी की समस्याओं के बारे में यहां चर्चा नहीं करेंगे, हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो हम समाज का कल्याण नहीं कर रहे हैं । मैं हमारे जितने भी मंत्री महोदय हैं और पक्ष के सभी माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई बहुत बढ़िया एपिसोड नहीं था कि आपकी मांगे पास हो गई या अपने आपको ठीक करके निकल गये, मैं नहीं कहता, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र में जब तक सार्थक बहस नहीं होगी, सार्थक विचारधारा निकल कर नहीं आयेगी, पक्ष-प्रतिपक्ष से कोई अच्छी बात या जो गलत बात है उसके बारे में बहस नहीं होगी तो मैं नहीं समझता कि सच्चे अर्थों में हम लोकतंत्र का भला कर पायेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों से पुन: यह प्रार्थना करते हुए कि आगे आने वाले सदन के इस सत्र में भी और आगे आने वाले और सत्रों में भी आप अपनी जबान पर लगाम कर के, अपने विचारों पर लगाम कर के, अपने बोलने की भाषा पर लगाम कर के कि हम दूसरे किसी को प्रोत्साहित नहीं करें, किसी को प्रोवोक नहीं करें, किसी को झगड़ा पैदा करने की स्थिति में नहीं लाये और हम गलत शब्दों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को दबाने की बात सोचतें हैं तो मैं नहीं समझता कि लोकतंत्र का भला हम कर रहे हैं। यह हो सकता है कि यह पक्ष आपको दबा ले और आप इनको दबा लें लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे बहुत बड़ा कोई समाज कल्याण का काम होने वाला है। इसलिए मैं पुन: सभी से आग्रह करते हुए उम्मीद करूंगा

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

इस बात के लिये कि आगे आने वाले समय में सत्र में जनकल्याणकारी योजनाओं के लिये यह पवित्र सदन चर्चा करता रहेगा। आज की इन मांगों के ऊपर मैं अपनी भावना आप तक पहुंचाते हुए और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि समाज कल्याण के क्षेत्र में जनजाति विकास के क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के विकास के क्षेत्र में हम लोगों को एक बड़ी विचारधारा के साथ उन लोगों को गहराई के साथ, रोजगार के साथ, शिक्षा के साथ और ऊंचे मानदण्डों के साथ, ऊंचे संस्कारों के साथ जोड़कर, उनको समाज की मुख्यधारा में हम लेकर नहीं आयेंगे तो हम कितने भी कार्यक्रम करते रहे, कितने भी अम्बेडकरजी को मानते रहे, कितने भी गांधीजी को मानते रहे, कितने ही भाषण देते रहे लेकिन इन सबके बावजूद हम समाज में उनको बराबरी में नहीं ला पाएंगे। इन्हीं भावनाओं और विश्वास के साथ मैं उम्मीद करुंगा कि पुन: हमारे मंत्री महोदय अपनी जो योजनाएं आपने पेश की है उनमें समाज के कल्याण और इन जातियों को ऊंचा उठाने की जो योजना है उसमें पुन: विचार करते हुए आगे नई योजना बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि 10.3 को यहां प्रोसिडिंग में आपके निर्देश से अकाल के संबंध में जो त्रुटियां रह गई थी, खसरा, गिरदावरी में वैधानिक त्रुटियां रह गई थी उसमें आपके साथ मुख्यमंत्रीजी, विपक्ष के नेता को और माननीय अकाल राहत मंत्री को विचार करके किसानों को क्या राहत पहुंचाई जा सकती है। आपने निर्देश दिया था, बीच में भी मैंने आपसे अनुरोध किया था, 15 दिन हो गए। 10 दिन बाद सदन का सत्र समाप्त हो जाएगा। आप कृपया करके शीघ्र ही इन बातों पर जो वैधानिक रूप से फैसला ले सकते हैं उस पर आप पहल करके शीघ्राताशीघ्र जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए मीटिंग आयोजित करें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। दे चुकी हूं ना व्यवस्था मैं उस बारे में। मैं व्यवस्था दे चुकी हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष बात कर लें। मैं अवेलेबल हूं। वह उनसे बात कर ले सदन के नेता से, हो जाएगी उसी दिन मीटिंग।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको पहल करना है साहब, इसमें तो। आपकी अध्यक्षता में, पहल आपको करना है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। अन्य कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे तो, मैं मंत्री जी को जवाब दिलवाऊं। श्री जुबेर खान आपका नाम है बोलने में, आप इन्टरेस्टेड है ? नहीं, ठीक है।

श्री जुबेर खान: आपसे पहले ही निवेदन कर दिया था कि जवाब करा दें। हमने तो पहले ही कह दिया था।

श्री अध्यक्ष: ठीक है1 माननीय मंत्रीजी।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में पक्ष और विपक्ष में दोनों ही माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जाति, जनजाति, क्षेत्रीय विकास इनके संदर्भ में अपने अमूल्य सुझाव और अपनी बातें रखी। मैं बहुत-बहुत आभारी हूं कि कुल 19 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मुझे भी ज्ञानवर्द्धन हुआ कि वाकई में आज इस सदन में अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे दीन, हीन, गरीब कहलाने वाले लोगों के प्रति आपने चिंता जताई। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि वाकई में आपने यहां जो बोला और कुछ कहा, सुना वह निश्चित रूप से उस गरीब तक, निश्चित रूप से वह काम पहुंचेगा।

सरकारें आती और जाती है, आंकड़े प्रस्तुत करती है और उसका हिसाब किताब भी होता है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष यह चिंतन हमारा रहता है लेकिन वाकई में उस गरीब को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह तो यहां के माननीय सदस्य और वहां क्षेत्र की जनता जानती है कि हमारा कौन है, पराया कौन है, यह भाव वह प्रकट करते हैं।

कभी-कभी मुझे याद आता है ,हास्पिटल के अंदर कई लोग भर्ती होते हैं,कई लोग भर्ती होने के बाद गरीब आदमी यह सोचता है कि मेरा कोई देखने वाला है नहीं। मुझे कोई पूछने वाला है या नहीं है। कई अच्छे लोग आते हैं इनको मिलने के लिए, सब जगह कैसे हाल-चाल पूछते हैं लेकिन गरीब अगर जाता है तो डाक्टर सीधा चलता है तो वह गरीब सोचता है राष्ट्रीय ध्वज के सामने जैसे परैड जाती है, ऐसे व्यक्ति चला गया और मेरे को देखा ही नहीं। यह छोटी-छोटी बातें मन में जब गरीब व्यक्ति सोचता है तो मन में अपनी आत्मा को कहता है कि वाकई में यह परिस्थिति कैसी होगी, मेरा कौन देखने वाला है।

जहां जनजाति समुदाय की बात है मैं निवेदन करना चाहता हूं, देश आजाद हुआ 58 वर्ष हो रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने राजस्थान के इस

(श्री कनकमल कटारा)

विधान सभा सदन में भी और मैं जब राज्यसभा का मैम्बर था दिल्ली के अंदर भी और वहां पर पक्ष और प्रतिपक्ष जिस तरह की बातें करते थे, मुझे बहुत सारा इस बीच में ज्ञानवर्द्धन हुआ है। मेरी आत्मा तो यह कहती है कि 58 वर्ष होने के बाद भी यह जो परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है, इसके बावजूद भी हम यह कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, लोगों का लाभ नहीं हो रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा है, यह परिस्थितियां हमारे सामने नजर आ रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति समुदाय ऐसा समुदाय है इसमें एक गुण है, यह स्वाभिमानी भी है, कर्तव्यनिष्ठ भी है, स्वामीभक्त भी है और राष्ट्र भक्त भी है। अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना अपूर्व योगदान अगर किसी समुदाय का है तो जनजाति समुदाय का है। इसको देखने की आवश्यकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टीएसपी क्षेत्र हमारा, इधर मांडा क्षेत्र, डीएसपी क्षेत्र, डूंगरपुर पांच जिलों को मिलाकर के, जिसमें 23 पंचायत समितियां हैं। मांडा, टाडा, कलस्टर और सहरिया, इस प्रकार की योजनाओं को भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार में,योजना दोनों के मत से इसके विचार में निश्चित रूप से किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी राष्ट्र भक्ति अपना बलिदान लिये हुए, ऐसे समुदाय के बारे में हम सबको मिलकर इस प्रकार का काम करने की आवश्यकता है। जहां पर हम सोचते है, कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप के अंदर, जो अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ अगर वहां पर कोई समुदाय था तो भील समुदाय था, जिसने महाराणा प्रताप के परिवार का भी, रख-रखाव की व्यवस्था,उनकी सेना को खाद्यान्न की व्यवस्था, यानि छोटे से छोटा कार्य कोई भी हो भील समुदाय ने किया। राणा कुंजा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप को जो विजय हासिल हुई है, इतिहास आज इसका गवाह है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक गुरूभक्ति, राष्ट्र भक्ति, इस प्रकार की स्थिति में मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगा, एक लोकगीत के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस समुदाय का, इस जनजाति समुदाय का जो भाव रहा है और आज किस स्थिति में है और इसके लिए हमारा सबका सोच उसका विकास करने का है। उसके सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि जब अंग्रेजों

(श्री कनकमल कटारा)

का राज था उस समय भी जनजाति समुदाय के लोग कह रहे थे और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया लेकिन आज इनका इतिहास में नाम नहीं है। इनका पता नहीं है क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि वह ऐसी दीनहीन अवस्था में, छोटा मोटा काम करने के लिए कहते वह करते रहते थे लेकिन दूसरा कोई नहीं होता और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो वह गाया करते थे और स्थिति में यह कह रहे थे कि झालौद में म्हारी कुंडी है, दाहौद में म्हारी थाली है, भूरेटिया नहीं मानू रे नहीं मानू, मैं भूमिका ही बांध रहा हूं, मैं बजट पर तो आ ही रहा हूं लेकिन थोड़ा सा चार-पांच पंक्तियां आप जरूर सुने। ऐसी स्थिति में वह कहते थे जालौद में डंका बजायेंगे और दाहोद में म्हारी थाली बजेगी और हम सब एक होकर कहेंगे कि अंग्रेज तू अब इस देश में नहीं रहेगा, तेरे को जाना है। भूरेटिया का मतलब अंग्रेज था और ऐसी स्थिति में यह बात कही थी और फिर कह रहा है, आगे फिर कहते थे दाहोद में म्हारी थाली है गोदरा में म्हारो दीवो है, भूरेटिया नहीं मानू रे नहीं मानू रे कहता था अंग्रेजों कि भूरेटिया, अंग्रेज, भूरा मनुष्य अब तेरे को नहीं मानूगा, यह संघर्ष उसने किया।

भूरेटिया, भूरा आदमी जिसका रंग गौरा है। उसके लिये उससे लड़ाई लड़ी और उससे कहता है गोदारा में म्हारो जीवड़ो है, अहमदाबाद में जाजम है, भूरेटिया नहीं मानूं रे नहीं मानूं। उसने कहा कि जाजम में बैठकर हम एका करके हम यह निर्णय करने वाले हैं और हम तेरे को नहीं मानेंगे। अब हमने सोच लिया है कि इस देश को छोड़कर के तेरे को जाना ही पड़ेगा। ऐसे सोचकर के इन्होंने किया और यह भी बात कही कि दिल्ली में हमारी कलम है, बेणेश्वर में हमारा झोपड़ा है, भूरेटिया, नहीं मानूं रे नहीं मानूं। उस समय उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी कलम है, यहां लोकतंत्र कायम होगा। लोकतंत्र कायम होगा और इस देश में इस क्षेत्र में विकास होगा और चुनी हुई यहां पर सरकार होगी और इसमें विकास होगा। उस समय ही घोषणा कर दी थी इन्होंने।

श्री अध्यक्ष: भूमिका तो खूब बांध दी आपने। आप तो एक साल में क्या काम किया, वह बताएं इनको।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ऐसी स्थिति में, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो स्वतंत्रता आन्दोलन में भी इस प्रकार

का इनका समर्पण रहा है।मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं और इसी के विकास के लिये 1975 में जनजाति विभाग की स्थापना हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य में 2001 के अन्दर कुल जनसंख्या 5.65 करोड़ थी इसमें से अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 70.98, जनजाति का प्रतिशत 12, अनुसूचित क्षेत्र में 45.14 और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 30.93 और जनजाति का प्रतिशत 30.93 और जनजाति का प्रतिशत 68 प्रतिशत। माडा क्षेत्र में 22.58 और अनुसूचित क्षेत्र में 12 और उसका प्रतिशत 55 था। माडा कलस्टर में 0.83 और अनुसूचित जनजाति की संख्या 0.45 और जनजाति का प्रतिशत 54 प्रतिशत। 1991 की जनसंख्या कलस्टर और सहरिया, सहरिया क्षेत्र में भी 1991 के अनुसार उसकी जनसंख्या 1.90...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, साल भर में आपने क्या काम किये हैं, वह बता दो। हो गयी सब बात।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उसके अन्तर्गत जनजाति विभाग अपना कार्य कर रहा है। इसलिये जनजातिय क्षेत्रीय विभाग द्वारा जनजातिय संचालन हेतु पूर्व सरकार द्वारा जो पंचवर्षीय योजना है जिसमें केवल262 करोड़ का प्रावधान किया था जबकि वर्तमान सरकार ने 364 करोड़ का प्रावधान किया है जो वर्तमान सरकार की संवेदनशीलता को प्रकट करता है। और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र पैटर्न के अन्तर्गत भी पूर्व सरकार द्वारा कुल 44.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा 3 वर्षों में 183 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदया, शिक्षा क्षेत्र में जहां तक मैं मानता हूं कि कोटड़ा के अन्दर कालेज की घोषणा हुई। खैरवाड़ा के अन्दर कालेज की घोषणा की। जहां-जहां ऐसी स्थितियां थीं, वहां पर शिक्षा की दृष्टि से जनजातिय क्षेत्रीय विभाग ने, कोटड़ा में घोषणा हुई है, खैरवाड़ा में कार्य निर्माणाधीन है। ऐसे क्षेत्र में जहां विद्यालय में बच्चियां पढ़ने वाली हैं उनके लिये भी, इनके प्रोत्साहन के लिये भी राशि का प्रावधान किया गया है। मैं सोच रहा हूं कि यह जो जनजातिय क्षेत्रीय विभाग की विभिन्न योजनाएं जो चली हैं, इसके अन्दर यह लगा है कि वाकई में यह जो प्रावधान हुआ है, पूर्व सरकार में जो बजट था उसका हमने हिसाब लगाया है तो कम से कम, पहले 5 करोड़ 2002-03, 2004-05 में 10, फिर 30 और उसके बाद 2005-06 के अन्तर्गत हमने 77 करोड़ का प्रावधान किया, इस बार भी हमने प्रावधान पूरा रखा है।

ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की हमारी मंशा है और उस आधार पर हम सबने इस क्षेत्र में जानकारी भी ली है और उस आधार पर विभिन्न...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो बजट में दे रखा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने सिर्फ झुन्झुना बजाया है, काम तो यह हुआ है।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): : 2004-05 में 14 करोड़ के प्रावधान में वृद्धि करके 2005-06 में शिक्षा क्षेत्र में 26.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अभी सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, वे होते तब कहते आप, यह झुन्झुना और हारमोनियम बजाने की बात।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): वर्ष 2006-07 के लिये शिक्षा क्षेत्र में 37.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि 2006-07 के विभागीय बजट का 29 प्रतिशत है। ऐसे ही छात्रावासों के संचालन में भी, हमने बहुत कुछ परीक्षण किये हैं और उसकी व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिये भी हमने पूरी कोशिश की है। उसी आधार पर आज हम सोच रहे हैं कि जहां-जहां आश्रम छात्रावास चल रहे हैं वहां पर पोशाकें, जो बच्चों को पिछली सरकार के समय जनवरी-फरवरी में दी जाती थीं, हमने उन बच्चों को भी पोशाकें छात्रावासों में 15 जुलाई तक देकर दो वर्षों में इन बच्चों को राहत दी है। बच्चे यह समझ रहे हैं कि वाकई में यह जो वर्ष के अन्त में हमारी पोशाक हमको देते हैं, इससे इनको तकलीफ है। छात्रावास जो इस विभाग के द्वारा खोले गये हैं, 214 नव आवासीय विद्यालय और उसमें कुल 15419 जनजातिय बालक और बालिकाएं लाभान्वित हो रहे हैं। 10 नये आश्रम छात्रावास आगामी वर्ष आरम्भ करने की घोषणा इसमें की है जिससे 500 अतिरिक्त छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहन के लिये साइकिल वितरण का कार्यक्रम हमने किया है और उससे प्रवेश संख्या बढ़ी, महिला शिक्षा में भी प्रोत्साहन हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान न डालें, कृपया व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक आप हैं, जो छात्रावास बनाया था बांसवाड़ा में बालिकाओं के लिये, जिसकी 3 दिन में छत गिर गयी थी। ऐसे मंत्री हैं, देखिये क्या काम हो रहे हैं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह हमने पहले ही कह दिया आपको। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने इन बच्चों को साइकिल वितरण कर प्रोत्साहनवर्द्धन किया जिससे इनकी प्रवेश संख्या में भी वृद्धि हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमने छात्रावासों की सुविधा के लिये आगे और कितनी सुविधा देंगे इसके लिये हमने पिछले समय 2005-06 में करोड़ 50 लाख रुपये उपलब्ध करवाये और 2006-07 में 3 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा है। जिससे हम इन बच्चों को एक टी.वी....

श्री अध्यक्ष: दुगुना कर दिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): काम ही दो कर रहे हैं, कटारियाजी और कटाराजी। बाकी तो यूं ही कर रहे हैं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): प्रत्येक छात्रावास में टी.वी. लगाएंगे। आवासीय विद्यालय में भी टी.वी. की योजना हम लागू करेंगे। मां-बाड़ी योजना, सहरिया क्षेत्र के अन्दर भी पिछले समय में, गत वर्ष 30 मां-बाड़ी केन्द्र खोले गये थे। इस बार हमने सौ मां-बाड़ी केन्द्र खोले हैं। जहां पर बच्चों को मुफ्त में उनकी पोशाक, उनके खाने-पीने की व्यवस्था और प्रारम्भिक शिक्षा उनको वहां दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदया, इसमें कुल मिला कर 3 हजार सहरिया छात्र-छात्राएं इसका लाभ ले रहे हैं।

सिंचाई के क्षेत्र में भी हमने एनिकट, कूप-निर्माण, जलोत्थान सिंचाई योजना, यह हमने निश्चित रूप से उस काम को हमने किया है जिसके आधार पर सरकार और सामुदायिक जलोत्थान योजना, जो पिछले समय में इस बजट में यानि, एनिकट, कूप-निर्माण और सामुदायिक जलोत्थान योजना जिसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं हमने इसमें लागू करके जनजाति क्षेत्र में इन सभी लोगों को लाभान्वित किया है और विगत वर्षों में रुपये 41 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये थे और आगामी वर्ष में रुपये 19 करोड़ का प्रावधान इसमें हमने किया है। इस समय सामुदायिक जलोत्थान योजना, कुल हमारी 39 सामुदायिक योजनाएं, जिसके अन्तर्गत हमने 38 योजनाएं पूरी कर लीं और इसके आधार पर जो पिछले समय में बंद पड़ी लिफ्टें थीं उनको भी हमने पुन: पुनर्जीवित किया है। 146 जो बंद पड़ी लिफ्टें थीं इनको जीवित करके इन सभी काश्तकारों को लाभान्वित किया है।

श्री अध्यक्ष: आपने सब बातों का जवाब दे दिया, संतुष्ट है सदन। ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जैसे कई माननीय सदस्यों ने कहा है, जैसे बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम बहुत बड़ा एनिकट, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि यहां पर एनिकट और पुलिया बनाने की क्या आवश्यकता है? यहां पर तो बीच में दोनों तरफ नदी है और लोगों को आने-जाने के लिए बेणेश्वर धाम में वहां पर आने-जाने के लिए व्यवस्था के लिए काम किया है। यह कह रहे हैं कि पुलिया बनाने की आवश्यकता क्या थी? हमने वहां पर पुलिया का निर्माण किया है और पुलिया का निर्माण करके लोगों को राहत दी है लेकिन यह इस प्रकार का वक्तव्य देकर ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो खुद करते तो 23 साल में वहां बांसवाड़ा का पानी भरा नहीं रहता। यह तो सारी जलोत्थान योजनाएं क्या-क्या किया है, आप उसको सुनिये। ... (व्यवधान) केन्द्र खोले हैं इन्होंने 100 ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब तो आपने मां-बाड़ी केन्द्र खोल दिये, कुछ बचा ही नहीं, खतम बात। ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे विद्युतीकरण की बात आयी तो विद्युतीकरण के अन्दर भी हमने ... (व्यवधान) बस्तियों का विद्युतीकरण किया, जिसके अन्तर्गत साढ़े चार करोड़ की लागत से 180 बस्तियों का हमने विद्युतीकरण किया और चार हजार परिवारों को हमने लाभन्वित किया। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 20 क्यों छोड़ दिये आपने? 200 में से 180 किये, 20 किनको, निर्दलियों को छोड़ दिया क्या ? कैसे छोड़ दिया? ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): वह भी पूरा कर देंगे और आने वाले समय में हम 2 करोड़ 50 लाख का व्यय बस्ती विद्युतीकरण के नाम से करेंगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): कच्चे मकानों के लिए। जनजाति क्षेत्र में लोगों के मकान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री कनकमल कटारा)

कच्चे मकानों को पक्के मकान करने के लिए हमने पिछले समय में 6 करोड़ 5 लाख का बजट रखा था और इस बार हमने फिर से 6 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया है, जिसके आधार पर इन लोगों को कच्चे मकान से पक्के मकान बनने के लिए हमने ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सहरिया का भी है या नहीं?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सहरिया का तो पूरा ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति कृषकों को सीमित भूमि से अधिक उत्पादन करने के उद्देश्य से हमने कृषि आधारित योजनाओं को लागू किया है और उस आधार पर किसानों को उन्नत बीज और कृषि संबंधी उपकरण आदि का वितरण किया और आने वाले समय में हम 2006-07 में 2 करोड़ 70 लाख का प्रावधान इसके अन्दर कर रहे हैं, जिससे कृषकों को और उस क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा जिससे 7220 कृषक लाभान्वित होंगे। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब मंत्रीजी हो गया सदन संतुष्ट।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में भी बजट हमने दिया जिसके अन्तर्गत 1119 ए.एन.एम. वहां दूरदराज में जो चिकित्सा सेवा नहीं थी और उसके लिए भी पिछले समय में हमने 1119 ए.एम.एम. का प्रावधान वहां दूरदराज के क्षेत्र के लिए किया, जिसके कारण से उनको चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त हुई।

इसी प्रकार से किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि टी.बी., क्षय रोग। मावली से आने वाले माननीय सदस्य श्री चपलोत साहब ने कहा था तो जनजाति परिवार, जिनके टी.बी. की बीमारी होती है, जिसके कारण से वह बड़ा परेशान रहता है और उसके लिए हमारा 2005-06 में कुल हमने एक हजार, नहीं, आने वाले समय में यानि 2006-07 के अन्दर हमने जो प्रावधान इसका रखा है वह 87 लाख रुपये का प्रावधान रखा है, जिसका आने वाले समय में इन लोगों को लाभ निश्चित रूप से मिलेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): रघुवीरजी मीणा पूछ रहे थे, उनका भी बताओ।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): रघुवीरजी मीणा ने बताया था। प्रशिक्षण केन्द्र जैसे ... (व्यवधान) वह भी बता रहा हूं। अभी

नयी योजनाओं के अन्दर, पिछले समय में, कांग्रेस के समय में जो प्रशिक्षण ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, केवल एक सवाल मंत्रीजी से करना चाहता हूं। केवल एक सवाल करना चाहता हूं मंत्रीजी से यदि आप परमिशन दें तो एक सवाल । ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अभी कम्प्लीट हुआ ही नहीं, एक घंटा और बोलेंगे, अभी कैसे बीच में पूछ रहे हो आप? ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): केवल एक सवाल।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशिक्षण के लिए अभी बताया ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दे दिया आपने तो करीब-करीब। सब जो उठाये गये मुद्दें थे आपने जवाब दे दिया। अब कोई बचा ही नहीं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बी.एड, एस.टी.सी., यह बंद थी पिछले समय में। हमने आने वाले समय में बी.एड. जे.एन.एम. और कम्प्यूटर प्रशिक्षण, आई.टी.आई. का प्रावधान रखा है और उसके अन्दर 2005-06 में 1750 जनजाति युवकों को हम लाभ दिलवाएंगे। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, कोई आरोप लगे हैं, प्रतिपक्ष की और से तो उसके बारे में जवाब देना हो तो दे दें। अगर कोई नहीं लगा है तो फिर आपसे सदन संतुष्ट है। ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रघुवीरजी मीणा ने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष। स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कटौती प्रस्तावों में, एक भी कटौती प्रस्ताव पर, जितने भी माननीय सदस्यों ने दिये हैं, एक का भी इन्होंने उत्तर नहीं दिया।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं दे रहा हूं न। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो आंकड़े पढ़ रहे हैं जो बजटेड अमाउंट है उसका वह तो हमारे पास है पहले से ही लेकिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, मेहनत की है, आपने खर्चा किया है हजारों-लाखों रुपये खर्च हुए हैं, यह आपके ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): नहीं, दे रहा हूं न और यह कटौती प्रस्ताव के पूरे जवाब मेरे पास में है। यह कटौती प्रस्ताव के जवाब आपको भेज ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष को नहीं टोके। नेता प्रतिपक्ष। आप बैठिये, आप बैठ जाइये मंत्रीजी। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): श्री खुशवीर सिंह जोजावर ने विधान सभा क्षेत्र खारची में एक मात्र राणावास गांव में महाविद्यालय पर एवं खिवाड़ा में समाज कल्याण छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए कटौती प्रस्ताव दिया है। आप उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हो। वहां पर खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? और इसी तरह से ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: लिखित में भिजवा देंगे। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लिखित में क्या भेज देंगे? फिर यहां पर किसलिए बैठे हैं, झक मारने के लिए ? क्या बात कर रहे हैं? लिखकर भेज देंगे तो बहस क्यों करवा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहस भी लिखित भिजवा दो। यह बहस भी लिखित भिजवा दीजिए। हम पढ़ लेंगे। समय क्यों बरबाद कर रहे हैं? मान्यवर, एक भी कटौती प्रस्ताव का उत्तर नहीं आया है और जो आरोप लगाये हैं सीकर में, सीकर के छात्रावास में माननीय माहिर आजाद ने लगाया था कि सीकर में ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उसका जवाब समाज कल्याण मंत्री देंगे।

श्री अध्यक्ष: वह तो समाज कल्याण मंत्री के अण्डर में आएगा सीकर का मामला तो। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चलो वह दे देंगे। लेकिन आदिवासियों के लिए जितने कटौती प्रस्ताव हैं उनके एक का तो जवाब दो आप।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं दे रहा हूं न। आप सुनिये तो सही। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कहां दे रहे हो? कहां दे रहो हो? सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव ... (व्यवधान) आपने यह व्यवस्था दी है कि कटौती प्रस्ताव के जवाब अपने सबके मिल जाएंगे। ... (व्यवधान) जो लोगों ने कुछ मुद्दें उठाये हैं उनका जवाब देना जरूरी है। ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उनके बारे में ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उनका जवाब देना जरूरी है। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उसका जवाब भी नहीं है यह। उसका जवाब भी नहीं है यह।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कुछ तो दिलाओ आप। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह किया था। आपने कहा कि कोई काम नहीं किया ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह तो जो अधिकारियों ने लिखकर दे दिया वह पढ़ रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने कहा कि कोई काम नहीं किया, आदिवासी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, वहां कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है पर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कितने बताये हैं, आपने कितना काम किया। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): चिकित्सा सुविधा, यह सारा बता रहे हैं। आपने कहा जवाब ही नहीं है। जलोत्थान योजनाएं जो आपने बंद कर दी थीं वह चालू कर दी। ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सरकारी मुख्य सचेतक महोदय, जवाब तो देने दीजिए। आप क्यों समय खराब कर रहे हैं उनका । ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): एक सवाल करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल करना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, वह पूछ रहे हैं उनके बाद, हां पूछिये। ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): मैं यह कह रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मंत्रीजी ने बजट तो खूब कर दिया। बजट की, स्कीम की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में पैसा इन्होंने दिया। टी.एस.पी. एरिया में दिया और सहरिया एरिया में भी दिया लेकिन जो कमी दिखाई दी वह यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा बजट ट्रांसफर होकर अन्य विभागों में टी.ए.डी. से जाता है और टी.ए.डी. की स्कीम अन्य विभाग की है वे चिन्ता नहीं करते हैं तो इसके लिए मंत्रीजी ने ऐसी कोई मॉनिटरिंग कमेटी या ऐसी कोई व्यवस्था की है क्या जिससे कि जो पैसा हम, जैसे एजुकेशन में हमको पैसा देना है, सहरिया क्षेत्र में एजुकेशन के लिए पैसा दे रहे हैं, मां-बाड़ी केन्द्रों में पैसा दे रहे हैं और दूसरे एजुकेशन विभाग में डी.ई.ओ. को पैसा दे रहे हैं लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए टी.ए.डी. विभाग के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हमारे वह काम समय पर हो सके तो मॉनिटरिंग की व्यवस्था ठीक हो, क्योंकि सिंचाई में पैसा चला गया माननीय अध्यक्ष महोदय, पीड़ा इस बात की है कि डिपार्टमेंट में पैसा जाने के बाद डिपार्टमेंट के लोग अपने काम को तो ज्यादा करेंगे, अपने विभाग के कामों को प्राथमिकता से करते हैं और हमारे टी.ए.डी. के कामों में प्राथमिकता नहीं रखते हैं और हमारा काम भी समय पर पूरा हो इसके लिए अगर कोई योजना हो तो मंत्रीजी जरूर बतायें। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको यह इश्यू उठाने थे तो आपको अपने भाषण में उठाने थे, बीच में क्यों इण्टरप्ट कर रहे हैं आप मंत्रीजी को। हां। ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आपकी हर बात का जवाब देंगे। ऐसे कैसे करो, ऐसे कैसे समाप्त करो, हर बात का जवाब देंगे। ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): टी.एस.पी. क्षेत्र के अन्दर आर.पी.एम.टी. के अन्दर जो आरक्षण की बात आपने उठायी थी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी तो आप यह फरमाते हो कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है और आज आप बड़े अच्छे मूंड में हो, कह रही हो कि आपकी हर बात का जवाब देंगे। ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद यह रोक लगी थी। महाविधवक्ता की राय के अनुसार और राय ली गयी और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह निश्चित रूप से कहा है कि टी.एस.पी. क्षेत्र में यह जो आरक्षण यथावत रहेगा। ... (व्यवधान)

इस टी.एस.पी.क्षेत्र के अन्दर कानून प्रभावी नहीं रहेगा और इसके लिये माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा भी कर दी है और इसके लिये निश्चित रूप से प्रयास होगा, यह आरक्षण उस समय में रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ..(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): वी.सी.ने कहा है कि सरकार की तरफ से हमारे पास लिखित में आएगा तभी मानेंगे। गुमराह करने की जरूरत नहीं है। अगर है तो आप कहो, यूं बंडल मत मारो। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर लागू नहीं था, महाधिवक्ता यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहां लागू नहीं होता है तो आपको कौनसा सपना आ गया, जो लागू कर दिया, क्यों किया और विद्-ड्रा किस आधार पर कर रहे हो, यह बताइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन नहीं होगा और उस आधार पर राजकुमारी मीणा ने एक रिट याचिका दायर की थी और उस रिट याचिका में कंटेम्प्ट का नोटिस राजस्थान सरकार को मिला था। पिछली बार हमने सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रार्थना करके कि इस साल हमने फार्म भरवा लिये हैं इस आधार पर उसमें छूट दे दी थी। इस समय कंटेम्प्ट का नोटिस जब मिला तो विधि विभाग की राय आई कि इसको मानना जरूरी है। एक आदेश विश्वविद्यालय में चला गया। इसके बाद हमने एडवोकेट जनरल की राय ली । एडवोकेट जनरल साहब ने कहा है कि यह माइक्रो-स्कोपिक विभाजन नहीं है और रीजनेबल डिवीजन है इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होता, इसलिए राज्य सरकार ने तय करके विश्वविद्यालय को आदेश दे दिया है कि टी.एस.पी. एरिया का रिजर्वेशन पी.एम.टी. में यथावत् रहेगा और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसके लिए एक कानून भी राज्य सरकार पारित करेगी ताकि भविष्य में भी इसको किसी प्रकार से कोई चुनौती नहीं दे सके।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ जवाब तलब किये हैं और मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि बिखरी योजना का कोई बजट है तो आप मुझे अवगत कराएंगे तो बिखरी योजना में वर्ष 2004-05 में ..(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मेरा बजट के लिये निवेदन नहीं है, मेरा सीधा-सादा अर्थ यह है कि हमारी जो बिखरी आबादी है। मेरा विधान सभा क्षेत्र है, सी.पी. साहब का है, आपका भी है, सुरेन्द्रजी का है 32-32 हजार आदिवासी हमारे एरिये में हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं है। जो बिखरी आबादी है 22 हजार आबादी ऐसी है आदिवासियों की। ..(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यही मैं निवेदन कर रहा हूं कि बजट में प्रावधान हमने रखा है और इसलिए बिखरी योजना के अन्तर्गत निश्चित रूप से करवाएंगे। यह बजट मैंने रखा है, वह बोल रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चपलोत साहब को मंत्री नहीं बनाया, यह ज्यादती तो आपने की, लेकिन उनके क्षेत्र का तो आप ध्यान रखो। हमारा नहीं रखा तो उनका तो रखो।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : अधिकतर माननीय सदस्यों ने बिखरी और माडा क्षेत्र के अंदर बजट की बात कही है। बजट का प्रावधान इस बार हमने रखा है और आप कहो तो मैं सबका अलग अलग पूरे क्षेत्र का मैं आपको बताने के लिये भी तैयार हूं। कटौती प्रस्ताव आये हैं, उनका भी मेरे पास पूरा जवाब है, आप चाहें तो मैं भिजवा दूंगा। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि बिखरी योजना के अन्तर्गत हमने बजट का प्रावधान रखा है । वर्ष 2004-05 में 880 लाख का प्रावधान था और उसके बाद 2005-06 में 960 लाख का प्रावधान रखा था और आने वाले समय में यानि 2006-07 में 957 लाख का काम हम उस क्षेत्र में कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, सलूम्बर से आने वाले (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष का तो हो गया, बस हो गये संतुष्ट।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : आने वाले बजट में सलूम्बर क्षेत्र में, कम्प्यूटर के लिये अभी बात कही थी और स्कूलों में

शौचालय के बारे में भी इन्होंने कुछ कहा था और इस आधार पर टी.आर.आई. के अंदर मैं निवेदन करना चाहूंगा शौचालय, प्रयोगशाला की व्यवस्था होगी। आर्टिकल 275 में कितनी राशि दी जाएगी और कितना विकास इसके अंदर कराएंगे प्राथमिक विद्यालय में, यह हमारे सभी जिला स्तर पर भी वहां पर करवाये जाते हैं टी.ए.डी. के अंदर भी उस क्षेत्र की मांग है जैसा इन्होंने बताया है तो उस क्षेत्र के अंदर भी निश्चित रूप से बजट का प्रावधान करके सलूम्बर क्षेत्र के माननीय सदस्य को राशि स्वीकृत करेंगे।

श्री अध्यक्ष: बहुत पेज बाकी है अभी आपके। ये संतुष्ट हो गये।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, यहां है नहीं।(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह हैं ही नहीं, वह तो चले गए।

श्री अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य सदन को छोड़कर चले गये, उनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जितने भी सवाल आए थे, इनके जवाब मेरे पास हैं। आप सुनना ही नहीं चाहते, आप जाने की जल्दी में हैं इसलिए मेरी पूरी जो बात है उसमें कहीं न कहीं व्यवधान आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वैसे आपने सबको संतुष्ट कर दिया। कटमोशन के जवाब भिजवा दिये जाएंगे। आप भिजवा देना।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): कटमोशन के पूरे जवाब भिजवा दिये जाएंगे। सभी नई घोषणाओं के अन्तर्गत हमने आश्रम छात्रावास और आवासीय विद्यालयों में नये टी.वी.खरीदकर इन बच्चों को देने की योजना हमने बनाई है।

श्री जुबेर खान (रामगढ): टी.वी. में भारतीय संस्कृति ही दिखाना, विदेशी संस्कृति मत दिखा देना, जैसे सीकर में दिखा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सभी देख रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह उस संस्कृति के हैं अस्सी घाव लगे थे तन पर, फिर भी व्यथा नहीं थी मन पर, उस संस्कृति के हैं यह।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आपके आवासीय विद्यालय में सैकिण्ड ग्रेड टीचर 72 में से 36 खाली हैं और होस्टल वार्डन 9 में से 5 खाली हैं। इसलिए मेहरबानी करके टी.वी. बाद में भिजवा देना, यह पहले भेजो आप। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इसके लिये भी हमने चिन्ता की है, निश्चित रूप से हम बहुत ही जल्दी मेहरबानी करके जहां तक रिक्त पद हैं, इनको भरेंगे। इस समय मैं निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: भर लेंगे, समस्या है आपके सामने, आप एजूकेशन को लिखते हैं, एजूकेशन वाले भरते नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें। कृपया व्यवधान नहीं डालें। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं पूरी बात कहना चाह रहा हूं लेकिन आप सब (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो मांग पास कराओ। हम सब संतुष्ट हैं। आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। हम पहली बार ताली बजायेंगे आपकी मांगों पर, आप पास कराइये। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): शायद आप सभी का मूड नहीं है। मैंने अपने कथन में जो आने वाले क्षेत्र में जो हम घोषणाएं और जो कार्य करने वाले हैं इनके बारे में मैंने अभी पूरा निवेदन कर दिया है और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब इस मूड में हैं कि अब आगे न कहा जाए तो मैं सोच रहा हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं डालें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय मंत्रीजी, हम आपके जवाब से संतुष्ट हैं, आप तो जितना चाहें उतना पैसा ले लो, काम ठीक ढंग से करना।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसा आपकी मन की भावना है, जो बजट आबंटित होता है उसके अंदर विभाग निश्चित रूप से पूरी पूरी कार्यवाही करके उन लोगों को निश्चित रूप से लाभ दिलायेगा और उसमें मोनिटरिंग की व्यवस्था आने वाले समय में भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर व स्थानीय

लोगों की आवश्यकता के अनुसार इस काम को निश्चित रूप से हम करायेंगे और पूरे-पूरे बजट का उपयोग करेंगे, ऐसा मैं इस समय निवेदन करना चाहता हूं। आप सबने जो विचार रखे हैं इस आधार पर मैं आप सबकी भावना को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में निश्चित रूप से इस विभाग के माध्यम से काम करवाऊंगा, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या-30 पारित की जाए।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ठीक, मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 और 51 में लगभग 19 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है और 109 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सार्थक सुझाव दिये हैं और उन सुझावों को, जो अच्छे सुझाव हैं, हम उनको स्वीकार करके उन पर काम करने के प्रयास करेंगे।

जो कटौती प्रस्ताव मुझे प्राप्त हुए हैं उनके जवाब सभी माननीय सदस्यों को डाक से भिजवा दिये जायेंगे।

यह समाज कल्याण विभाग की जो मांगें हैं, आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान में बहुत बड़ी जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजाति, विकलांग महिलाएं, बालक, गरीब लोगों की है, वृद्ध लोग हैं और उनका कल्याण करने का जिम्मा, उनके विकास का जिम्मा हम सब का है और इसी नाते सरकार ने समाज कल्याण विभाग का गठन किया हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में एक बहुत बड़ा काम गरीब लोगों के लिए किया है, जो उन्होंने प्रस्ताव किया है कि जो गरीब लोग हैं, जो बी.पी.एल. सूची में हैं ऐसे लोगों के परिवार में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार के पीछे के जो आश्रित होते हैं उनके सामने तुरन्त बड़ी परेशानी होती है तो उन्होंने उसमें कहा है कि उनका बीमा कराया जायेगा और बीमा कम्पनी के माध्यम से 50 हजार रुपये ऐसे परिवार को दिये जायेंगे जिनके परिवार का सदस्य दुर्घटना में स्वर्गवासी हो जाता है और वह यदि गम्भीर रूप से घायल भी हो जाता है और जो काम करने की स्थिति में नहीं रहता तब भी 50 हजार रुपये उस परिवार को दिये जायेंगे और

(श्री मदन दिलावर)

यदि कोई गरीब परिवार का सदस्य सामान्य रूप से भी यदि कोई गरीब परिवार सदस्य स्वर्गवास हो जाता है तो उस परिवार को भी 20 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक सहयोग योजना चालू की थी और उसमें यह कि ऐसे गरीब बी.पी.एल. परिवार की बेटियों की यदि शादी होने वाली होती है तो उसके लिए हम पांच हजार रुपये प्रति बालिका की शादी में देंगे जो मैग्जिमम एक परिवार में दो बालिकाओं को दिये जायेंगे और बजट में लगभग 23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राजस्थान में पहली बार हुआ है, यहां अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शादी होने पर सरकार की तरफ से सहायता दी जा रही है।

यही नहीं जो अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं और पांचवी तक पढ़े-लिखे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है तो ऐसे परिवारों के लिए हम 50 हजार रुपये तक का लोन देंगे जिसमें दस हजार का अनुदान होगा और ब्याज मात्र पांच प्रतिशत लिया जायेगा शेष ब्याज होता है वह समाज कल्याण विभाग के खाते से बैंकों को उसकी भरपायी की जायेगी। यह भी एक बहुत बड़ी योजना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि जब कोई गरीब बालक डेण्टल कालेज में एडमिशन लेता है और जो एम.बी.बी.एस. में एडमिशन लेता है तो आप जानते हो कि उसकी फीस बहुत सारी होती है। प्राइवेट कालेज में जायेंगे तो डेण्टल कालेज की फीस एक लाख 70 हजार रुपये प्रति छात्र होती है और एम.बी.बी.एस. में जायेंगे तो उसकी जो फीस होती है वह एक लाख दस हजार रुपये प्रति वर्ष होती है और इन्जीनियरिंग कालेज में भी एडमिशन लेंगे तो 95 हजार रुपये प्रति वर्ष होती है, समाज कल्याण विभाग ने तय किया हुआ है कि सारी की सारी फीस गरीब बालकों की समाज कल्याण विभाग अपने खाते से भरेगा और इसके कारण से कोई भी ऐसा गरीब छात्र डाक्टर और इन्जीनियर बनने से वंचित नहीं रहेगा। जो प्रतिभावान तो है लेकिन धन नहीं है उस सारे धन की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कालेजों में पढ़ने वाले जो छात्र, छात्राएं हैं इनकी छात्रवृत्ति को हमनें पिछले वर्ष से लगभग पौने दो गुना बढ़ा दिया है और उसके कारण से जहां मेडिकल में पढ़ने वाले छात्र को 425 रुपये प्रति

माह छात्रवृत्ति मिलती थी उसको 725 रुपये कर दिया है और इस रेश्यों में कालेज या उससे ऊपर की छात्रवृत्ति को भी बढ़ा दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं कालेज में छात्रों को पुस्तकें नि:शुल्क मिल जाएं, मुफ्त मिल जाएं इसलिए लाइब्रेरी में हमने इस वर्ष 52 लाख रुपये की पुस्तकें उपलब्ध करायी हैं ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के बालक वहां से पुस्तकें प्राप्त कर के अपना अध्ययन कर सकें, उनको किसी प्रकार की पुस्तकें नहीं खरीदनी पड़ें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं शिक्षा विभाग तो कक्षा एक से और दसवीं तक की छात्रवृत्ति देता है, उसके अलावा जो ऊपर की छात्रवृत्ति होती है वह सारा समाज कल्याण विभाग देता है और लगभग हम ...(व्यवधान) सुनों तो सही।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): दस हजार में से खाली 455 बच्चों को छात्रवृत्ति दी है, पता है आपको।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): तीन लाख लोगों को छात्रवृत्ति दी है समाज कल्याण विभाग ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन लाख लोगों को छात्रवृत्ति दी है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह किताब बोलती है, यह मैं घर से छपा कर नहीं लाया हूं, यह आपके विभाग की है। दस हजार का टारगेट ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): तीन लाख अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी., स्वच्छकार और विकलांग लोगों को, तीन लाख लोगों को छात्रवृत्ति दी है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको कोई चुनोती उन्हें देनी है तो जब भाषण समाप्त करें तब आप कह देना। तब कह देना।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): कौन गलत बयानी कर रहा है? मैं कर रहा हूं? तो यह क्या है? यह क्या मैं गलत बयानी कर रहा हूं?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): हां। आप छात्रवृत्ति स्वच्छकार की पढ़ रहे होंगे एक की, सारी छात्रवृत्ति जोड़ें, स्वच्छकार, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य कमजोर वर्ग, सारी छात्रवृत्ति जोड़कर के कह रहा हूं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): 'जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण,' कोष्ठक में समाज कल्याण विभाग।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): हां, आप अच्छी तरह पढ़ें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): हां, छात्र संख्या दस हजार और दिया है 455 को।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हाथी की पूंछ देख ली आपने केवल, पूरे हाथी को देखो, हाथी की पूंछ मत देखो केवल।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): क्या? हम तो आपको देख रहे हैं, इनसे मोटे से।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, अभी तक कांग्रेस के बंधुओं ने या पूर्ववर्ती सरकार ने...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपको देख कर हाथी को देखने की क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लिया करें न, आप इन्हें ही क्यों देखते रहते हैं?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने जो वर्षों तक राज किया है राजस्थान में, यह नहीं सोचा था कि टैन प्लस टु के बाद जो गांव में छात्राएं पढ़ लेती हैं वह शहर में जाकर के कालेज में जायेंगी तब कैसे पढ़ेंगी, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, वह गरीब बालिकाएं पढ़ पायेंगी कि नहीं पढ़ पायेंगी, अभी तक यह विचार उनके मन में नहीं आया था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनके ऊपर विचार कर के और बहुत सदाशयता बरतते हुए राजस्थान के सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर

(श्री मदन दिलावर)

एक-एक महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए छात्रावास खोलने का निर्णय लिया है। हमने भवन के लिए पैसा आबंटित कर दिया है, भवन बनना प्रारम्भ हो गया है और यह छात्रावास शीघ्र प्रारम्भ कर दिये जायेंगे। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए काम करते हैं या जो अनुसूचित जाति के बालक अच्छे प्रतिभावान हैं और जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम करते हैं ऐसे लोगों को और ऐसी संस्थाओं को भी सम्मानित करने का निर्णय अम्बेडकर पुरस्कार से हमने किया है, यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा थी और इसके कारण से जो आने वाली 14 अप्रैल है जिस दिन अम्बेडकरजी की जयंती है उस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था या व्यक्ति को एक लाख रुपये का पुरस्कार अपने हाथों से देंगी। यही नहीं जो पढ़ने में काफी प्रतिभावान छात्र हैं ऐसे छात्र को भी, जो सर्वश्रेष्ठ छात्र होगा उसको 51 हजार रुपये दिये जायेंगे और जहां महिलाओं के कल्याण के लिए संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है उसको भी 51 हजार रुपये से सम्मानित किया जायेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं है हमने चिंता उनकी भी की है जो राजस्थान के एक छोर से दूसरे छोर तक और राजस्थान के छोर से नहीं, राजस्थान को छोड़ कर मध्य प्रदेश तक भी लोग अपने पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद उनके बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती और इसीलिए पशु पालकों के बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा दिलाने के लिए एक आवासीय विद्यालय की जालौर जिले में हम स्थापना करने जा रहे हैं, उसके बजट का हमने आबंटन कर दिया है, जमीन हमने ढूंढ ली है, शीघ्र उसका निर्माण होने वाला है। यही नहीं, ऐसे बालकों की भी हमने चिंता की है जो भीख मांगते रहते हैं, जिनकी माताएं गलत कार्यों में लगी रहती हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है ऐसे बालकों के लिए भी हमने कोटा जिले के मंडाना गांव के पास एक जमीन आबंटित करवा ली है और वहां एक बहुत अच्छा आवासीय विद्यालय निर्माण करेंगे और उसका सारा का सारा खर्चा, भोजन इत्यादि का खर्चा समाज कल्याण विभाग की तरफ से वहन किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम आवासीय विद्यालय चलाते हैं, गरीब बच्चे हैं वह पैसा देकर पब्लिक स्कूल में

(श्री मदन दिलावर)

नहीं पढ़ सकते इसलिए हमने विचार किया है कि गरीब परिवारों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसलिए एक आवासीय विद्यालय की स्थापना हमने की और राजस्थान में हम 12 आवासीय विद्यालय चला रहे हैं और मैं समझता हूं यह कम हैं और इसीलिए 20 आवासीय विद्यालय खोलने की सैद्धांतिक और प्रशासनिक स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम को दे दी है अब यह जर्मन की सहायता से यानि के.एफ.डब्ल्यू. की सहायता से 20 आवासीय विद्यालय और खोलने का प्रस्ताव हमारा है और इसके लिए हम जर्मन से बातचीत कर रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से उनहोंने स्वीकृति दे दी है अब तो कागजी कार्यवाही बाकी है, वह स्वीकृति आते ही 20 आवासीय विद्यालय हम राजस्थान में खोलेंगे जिसकी एक-एक आवासीय विद्यालय के निर्माण में लगभग छह– छह करोड़ रुपये लगने वाले हैं और उसका सारा का सारा खर्चा जो बालकों का होगा सब समाज कल्याण विभाग भुगतेगा और 20 आवासीय विद्यालय के माध्यम से लगभग दस हजार बालक-बालिकाओं को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग की तरफ से हम कर पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विकलांगों के सामने भी एक बड़ी समस्या होती है इसलिए विकलांगों के लिए, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए हमने यह सोचा कि इनकी भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।

इसलिए आपको ध्यान होगा जब माननीय भैरोंसिंहजी मुख्यमंत्री थे तो विकलांगों की पुत्रियों की शादी के लिए दस हजार रुपए का प्रावधान किया था। बीच में कांग्रेस की सरकार आयी उसको बढ़ाना तो दूर लेकिन देना लगभग बंद कर दिया था, सॉरी पांच हजार का किया था अब हमने उसको बढ़ाकर के दस हजार कर दिया है और विकलांगों की शादी के लिए जो दस हजार का प्रावधान था उसको बढ़ाकर हमने बीस हजार रुपए कर दिया है। एक बहुत बड़ा काम किया है। यही नहीं जो विकलांग बंधु हैं उनके सामने बड़ी परेशानी रहती है रोजगार की इसलिए हमने यह निर्णय किया है कि ऐसे विकलांग जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पैर नहीं हैं या दोनों आंखें नहीं हैं ऐसे विकलांगों के लिए उनके परिवार के लोग उनका सहारा बन सकें तो परिवार के लोग मिलकर रोजगार पा सकें इसके लिए मोबाइल कियोस्क यानि चलती फिरती गुमटी या स्थाई गुमटी लगभग एक हजार गुमटियों का हमने प्रावधान किया है जो नि:शुल्क हम उनको बनाकर देंगे ताकि वह अपना रोजगार कर सकें । यही नहीं पचास हजार रुपए तक का लोन हम बैंकों के माध्यम से दिलाएंगे जिसमें

(श्री मदन दिलावर)

दस हजार रुपए का अनुदान होगा और पचास हजार रुपए तक का लोन दिलाएंगे उनको ताकि वह रोजगार आसानी से कर सकें । इस प्रकार की भी हमने व्यवस्था की है । यही नहीं एक परिवार में यदि एक से ज्यादा विकलांग हैं तो हमने कहा कि इसको बी पी एल के बराबर मानेंगे और इसलिए हमने उनको आस्था कार्ड जारी कर दिया है । ऐसे परिवार जिनके यहां एक से ज्यादा विकलांग हैं उन सब लोगों को आस्था कार्ड जारी कर रहे हैं और उसके माध्यम से उस परिवार में कोई वृद्ध है, विकलांग है, विधवा है तो सबको हम पेंशन देंगे । यादि विधवा और विकलांग को तो दो- दो सो रुपया और वृद्ध है तो उनको चार सौ रुपए पेंशन राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाएगी ।

यही नहीं अध्यक्ष महोदय, गरीबों को जो नि:शुल्क गेहूं मिलता है उसक लाभ भी वह लेंगे और जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है और गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए जो और योजनाएं चल रही हैं उन सभी का लाभ उन लोगों को मिल पाएगा, ऐसा हमने निर्णय किया है।माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको विदित है कि जहां पेंशन हम 200 रुपए महीना दिया करते थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वृद्ध लोगों के लिए उसको 400 रुपए कर दिया है और जहां छात्रावासों में हम 675 रुपया प्रति छात्र उनके भोजन इत्यादि पर खर्च करते थे उसको बढ़ाकर 725 रुपए कर दिया है। यह एक बढ़ावा है वहीं जहां छात्रों की हम ट्यूशन के लिए 200 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से दिया करते थे एक अध्यापक को उसको बढ़ाकर के हमने 500 रुपए कर दिया है, माननीय सदस्यों की एक मांग थी, यह भी हमारा एक अचीवमैंट है ।

यही नहीं छात्रावासों की स्थिति से आप सभी लोग परिचित हैं । सभी माननीय सदस्यों ने एक चिन्ता जाहिर की लेकिन मैं बताना चाहूंगा अब वह समय गुजर गया है जब छात्रावासों की स्थिति बहुत खराब थी । अब आपको जानकारी दे देता हूं मैं कि अब हमने सब अनुपयोगी सामान लगभग बदल दिए हैं और जो कुछ रह गए होंगे वह आने वाले छह महीने में हम सब बदल देंगे । सब गद्दे, तकिया, बेडशीट्स वगैरहा-वगैरह उन सबको बदल दिया है और उनके मनोरंजन के लिए और समाचार सुनने के लिए भी हमने 32 इंच का एक रंगीन टी वी उपलब्ध करा दिया है ताकि बच्चे अपना मनोरंजन भी कर सकें और देश विदेश के समाचार भी सुन सकें । यही नहीं.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कुछ अनुपयोगी सामान रह गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सीकर में क्या हुआ उसकी कहलवाओं ना । अनुपयोगी सामान की क्यों कह रहे हो, सीकर में कल ही जो हुआ है ना उसकी कहलवाओं ना, वह है क्या उपयोगी, वह रखवाना चाहते हो क्या वहां शिक्षा मंत्रीजी?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिन्ता जाहिर की है माननीय सदस्यों ने कि छात्रावास अधीक्षकों के पद रिक्त होने के कारण छात्रावासों में अव्यवस्था रहती है । इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि अभी हमारे पास आधे छात्रावास अधीक्षक नहीं हैं। यानि 602 हमारे पास छात्रावास हैं सरकारी उसमें से लगभग 290 के आस पास हमारे पास छात्रावास अधीक्षक हैं । मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमको छात्रावास अधीक्षकों के रिक्त पद भरने की स्वीकृति दे दी है जो 315 हमारे यहां रिक्त पद हैं उनमें से 210 छात्रावास अधीक्षकों के पद आने वाले वित्तीय वर्ष में भर देंगे और शेष जो बचेंगे उन छात्रावास अधीक्षकों के पद हम उसके आगे वाले वित्तीय वर्ष में भर देंगे। यह हमको स्वीकृति प्राप्त हो गई है । उसके बाद छात्रावासों में कोई अव्यवस्था नहीं रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि बहुत सालों पहले छात्रावास भवनों का निर्माण हुआ होगा उसके बाद माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तब कुछ छात्रावास भवनों का निर्माण हुआ। कांग्रेस के राज में एक भी छात्रावास भवन का निर्माण नहीं हुआ। पिछले साल हमने 45 छात्रावास भवनों का निर्माण किया और अब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमको स्वीकृति दे दी है कि हम 95 छात्रावास भवनों का निर्माण करेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, स्वीकार कर रहे हो क्या आप इस बात को यह जो कह रहे हैं ? यह जो कह रहे हैं स्वीकार कर रहे हो क्या आप?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इनकी किस किस असत्य बात का जवाब दें यह तो असत्य का पुलिंदा हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह क्या जवाब दे रहे है... (व्यवधान) जवाब दे नहीं रहे हैं अल्पसंख्यकों का क्या ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): सबका जवाब दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): फालतू का बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): फालतू नहीं है, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए छात्रावास बनाते हैं तो इनको फालतू लग रहे हैं ...(व्यवधान) आप दुश्मन हो उनके ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उसमें दारू पिलवा रहे हो, उसमें मांस पकवा रहे हो ...(व्यवधान) चूहा खिलवा रहे हो, यह छात्रावास बनाते हो आप है क्या इसका कोई जवाब आपके पास में ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने जो मांस खाया था और उल्टी हो गई थी वह क्या हुआ ?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): कांग्रेस के राज में एक भी अनुसूचित जाति के छात्रावास का निर्माण आप लोगों ने नहीं किया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कांग्रेस के राज में एक हजार से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावासों का निर्माण किया गया है अगर आप चाहें तो जाकर जांच करा लीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक भी नहीं कराया, माननीय नगर से आने वाले सदस्य, जब खाने लगे तो इनको उल्टी आ गई।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं कह रहा हूं एक हजार से ज्यादा के कराए आप बता दों ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नाखून आ गया था ना आपके खाने में।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हमारे यहां जो पहले खोले हुए थे उनको ट्रांसफर कराकर आपने गिनती में लिया है । मेरे यहां गच्छीपुरा में जो हमने खोले थे माननीय मुख्यमंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत थे, माननीय मदनजी दिलावर थे वह जो गच्छीपुरा में खोले उसको ट्रांसफर करके ले गये । ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बारां जिले के सारे छात्रावास तोड़कर ले गये और उधर ले गये टोंक की तरफ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह भी बता दीजिए इन छात्रावासों में आपने स्टेट का कितना पैसा लगाया है? यह भी जरा जानकारी दे दीजिए आप

(श्री जुबेर खान)

कि राज्य सरकार का कितना पैसा इनमें लगा है ...(व्यवधान) कितना पैसा भारत सरकार का लगा है?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप सुनो तो सही जानकारी पूरी दे देंगे मंत्रीजी। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): सारा का सारा स्टेट का पैसा लगा है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): कांग्रेस के सदस्य असत्य बोल रहे हैं समाज कल्याण छात्रावासों के बारे में ...(व्यवधान) इनके राज में एक भी भवन का निर्माण नहीं हुआ। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): सारा का सारा इस देश की जनता का पैसा लगा है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): भारत सरकार कोई अनुदान नहीं देती है क्या इसमें?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): सारा का सारा इस देश का पैसा लगा है आपका एक भी नहीं लगा। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): भारत सरकार के पास कहां से आता है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन की कमेटी बनाई जाए कि भारत सरकार इसमें अनुदान दे रही है या नहीं दे रही है जिससे सत्य आपके सामने आ सके ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप कमेटी बना दो अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारा का सारा इस देश का पैसा लगा है ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ...(व्यवधान) यह सही नहीं है कि मंत्री मन चाहे जैसे असत्य कहते जाएं क्योंकि इनका आधार ही असत्य है ...(व्यवधान) यह जो लोग आर एस एस की ट्रेनिंग लेकर आते हैं इनको असत्य का पाठ पढ़ाया जाता है ...(व्यवधान) इन्होंने जिन्दगी में कभी सत्य बोला ही नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं तैयार हूं आप कमेटी बना दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारा का सारा इस देश का पैसा लगा है ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तैयार हो जाइये सदन की कमेटी बनानने के लिए ...(व्यवधान) आप प्रस्ताव कर दीजिए अध्यक्ष महोदय को कि इसके लिए सदन की कमेटी का गठन कराया जाए।

श्री अध्यक्ष: रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप प्रस्ताव कर दीजिए अध्यक्ष महोदय को ।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप एक बार स्थान ग्रहण करें। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य इस देश में संघीय व्यवस्था है। भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो पैसा कितना खर्च किया है सवाल इसका है कि हमने इतना पैसा खर्च किया है यह प्रश्न है, यह संघीय व्यवस्था है इसमें कोई अहसान नहीं है किसी भी सरकार का है ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मानने में क्या बुराई है ?

श्री अध्यक्ष: तो यह आप क्या कहते हो कि भारत सरकार का पैसा है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: संघीय व्यवस्था है इसमें क्या बात हुई ।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपके समय भारत सरकार तो सहायता देती थी पर आप एक पैसा खर्च नहीं करते थे।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान के हिस्से का पैसा है क्या बात है इसमें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हम तो यह कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, हक है हमारा लेकिन यह नहीं हो आप बिलकुल मानो ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष: भारत सरकार से ...

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं मान रहा हूं इस देश का पैसा लगा है, सारा का सारा इस देश का पैसा लगा है ।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, साफ कह रहे हैं कि देश का पैसा है आप सुन नहीं रहे हो उस बात को ।

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) बंद हो जाएगा क्या पैसा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री को जवाब देने दीजिए।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): देश का पैसा है । ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, क्या सोनियाजी कोई इटली से पैसा लाकर यहां लगा रही हैं क्या ...(व्यवधान) यह कोई देश पर कोई अहसान थोप रही हैं क्या ?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): यह हमारे देश का पैसा है

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आपको जब मंत्रीजी बार बार कह रहे हैं कि देश का पैसा है देश का पैसा है ...(व्यवधान) क्या आप इनसे कहलवाना चाहे हैं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमने कब कहा है लेकिन जब एन डी ए की सरकार थी केन्द्र में तो इतना पैसा नहीं देती थी इसलिए यह कमी आई है और जब से यू पी ए की सरकार आई है दिल खोलकर पैसा देती है ...(व्यवधान) और आपको इतना पैसा दे रही है कि आप खर्च ही नहीं कर पा रहे हो ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बार बार कह रहे हैं कि देश का पैसा है देश का पैसा है ...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): आप यह करो तो क्या इटली से लाकर लगा रहे रहे हैं क्या ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, बिलकुल ऐसे के मुंह से पवित्र नाम का उच्चारण नहीं होना चाहिये। हमारी आदरणीय सोनिया जी के बारे में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप एक बात बता दो। एक बात का जवाब दे देना आप तो ... (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): सरकार कोई अहसान नहीं कर रही है। यह तो सरकार का दायित्व है, केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है वह भी दे। जवाबदारी रखता है वह। जनता से चुनी हुई सरकार है, वह देगी, देना पड़ेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): समाज कल्याण मंत्रीजी को देखते ही हिंडोली से आने वाले माननीय सदस्य को ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जिस गतिशील तरीके से आर्थिक स्थिति आपकी स्वयं की सुदृढ़ हुई है उसी गतिशील तरीके से अनुसूचित जाति

(श्री हरिमोहन शर्मा)

के लोगों की गतिशीलता, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की है क्या आपने ? यह बता दो।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मेरी स्थिति आपके आशीर्वाद से बहुत सुदृढ़ है, आपसे ठीक है।

श्री अध्यक्ष: आपका इस सम्बन्ध में कोई कटौती प्रस्ताव नहीं था इसलिये वह बाध्य नहीं हैं कि जवाब देंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): और भारतीय नेता तो इनको कोई लीडर बनाने को मिले नहीं और विदेशी महिला को अपनी नेता बना रखा है और यहां लम्बी-चौड़ी बात करते हैं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया तब तो ठीक नहीं किया और आप एक दिन में पूरी की पूरी ठीक करवाना चाहते है, की जायेगी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैंने क्या कहा, पहले तो यह बतायें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): अध्यक्ष महोदय, जिस समय इस भारत के भाग्य विधाता ने अनुसूचित एस.टी., एस.सी. के बंधुओं को विदेशी संस्कृति के चंगुल से बचाया ऐसे बाबा साहब अम्बेड़कर के साथ नेहरू खानदान ने अन्याय किया। इस बात का प्रूफ है, इतिहास साक्षी है ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और हारने के बाद भी विधि मंत्री नेहरू खानदान ने ही बनाया था। बाबा साहब अम्बेड़कर के चुनाव हारने के उपरांत भी यह जवाहर लाल नेहरूजी थे, जो उनको विधि मंत्री बनाया। आप इंकार नहीं कर सकते।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): न तो नेहरू खानदान को आप जानते हो और न आपने पढ़ा है। संविधान सभा का आपने बनाया होगा। कांस्टीट्यूशन निर्माण का निर्माता आपने बनाया होगा ? जिसको इस देश का संविधान बनाने का अधिकार दिया, वह नेहरू खानदान है। आपको ए,बी,सी,डी का भी ज्ञान नहीं है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): जवाहर लाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेड़कर को हराया, यह इतिहास साक्षी है। इतिहास साक्षी है कि अम्बेड़कर के साथ अन्याय नेहरू खानदान ने किया था। एस.टी., एस.सी. के

भगवान स्वरूप माने जाने वाले अम्बेड़कर के साथ जो अन्याय किया गया उसे सारा देश जानता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप लोगों ने तो उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया। आप लोग तो उन्हें मंदिर में नहीं जाने देते थे, आज बात कर रहे हैं यहां बाबा साहब की।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): महात्मा गांधी के ध्यान में आया कि हम किस स्थिति में है, यह महात्मा गांधी की देन है कि हम किस स्थिति में हैं।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): भारत माता के दो टुकड़े नेहरू ने किये, कांग्रेस का तो सारा किया धरा है नेहरू खानदान का। नेहरू खानदान को भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): पुजारी था मंदिर में, उसका मंदिर तोड़ दिया, अनुसूचित जाति का व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता और आप बात कर रहे हो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप जवाब देने दें मंत्रीजी को। स्थान ग्रहण करें। बीच में व्यवधान नहीं करें। बीच में नहीं बोलें।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि छात्रावासों की स्थिति को सुधारने के लिये हमने निदेशालय में जो अधिकारी बैठता है उन सबको एक-एक जिला बांटा हुआ है और वह तमाम जिलों में अधिकारी लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त यह स्वयं जाकर उनकी मानीटरिंग करेंगे और देखेंगे। इस कारण से मैं यह कह सकता हूं कि हमारा पिछला परीक्षा परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहा है। जहां बोर्ड की परीक्षाओं का औसत परीक्षा परिणाम 43 परसेंट था वह हमारा परीक्षा परिणाम लगभग 60 प्रतिशत, ज्यादा रहा है बोर्ड की परीक्षाओं का। इससे मैं कह सकता हूं छात्रावासों की स्थिति में सुधार हुआ है। हमने छात्रावासों में अनाथ बालकों, विकलांगों, विधवा के बालक या विकलांग महिलाओं के पुत्र पुत्रियों को प्रवेश देने में प्राथमिकता दी है। शेष बच्चें के लिये हमने मैरिट तय की है। इसके साथ-साथ हमने यह भी ध्यान रखा है कि किसी कारण से अत्यन्त गरीब कोई बालक का एडमीशन नहीं हो पाता तो माननीय विधायकों को भी अधिकार दे रहा हूं कि वह अपनी सिफारिश पर छात्रावासों में प्रवेश दिला

(श्री मदन दिलावर)

सकते हैं जो वह समझते हैं कि अत्यन्त गरीब है और वंचित रह गये हैं। माननीय विधायक इस प्रकार का प्रवेश दिला सकेंगे।

आवासीय विद्यालयों की हमारी योजना है उसको हमने बाबा अम्बेड़कर आवासीय योजना के नाम पर रखा है। उसमें विद्यालय और छात्रावास दोनों हैं। हमने विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानन्द, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों के नाम पर रखे जायेंगे और छात्रावासों के चन्द्रशेखर आजाद, सुभाष चन्द्र बोस, ऐसे देशभक्तों के नाम पर रखे जायेंगे। ऐसा निर्णय हमने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गरीब जातियां, अत्यन्त गरीब जातियां जो न तो अनुसूचित जाति में हैं, न अनुसूचित जनजाति में हैं, न ओ.बी.सी. में हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति में हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसी कुछ जातियों के लिये जैसे सांतिया है, मोगिया है, कालबेलिया है, बागदी है, सांसी है, इनके कल्याण के लिये कुछ योजनाएं बनायी जायें। इनके सर्वे करने और योजनाएं बनाने के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दस लाख के बजट का प्रावधान किया है ताकि सर्वे करके उनके लिये कल्याणकारी योजनाएं हम बनायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विकलांग लोगों के पढ़ने के लिये एक बहुत बड़ी समस्या थी कैसे पढ़ें, क्या हो ? राजस्थान में सभी जिलों में यह व्यवस्था नहीं थी इसलिये हमने जहां 17 जिलों में यह व्यवस्था नहीं थी वहां सभी जिला मुख्यालयों में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार के आवासीय विद्यालय खोले जाएं । नेत्रहीन, मूक, बधिर और हमारे विमंदित बालक पढ़ सकें। अब मैं यह कह सकता हूं कोई जिला ऐसा नहीं है जहां इनके पढ़ने की इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आपको जानकर भी खुशी होगी कि अभी तक हम मूक, बधिर बच्चों को केवल इशारों से पढ़ाया करते थे और उनको इशारे से ही एजुकेशन दी जाती थी। अब ऐसी तकनीक का अविष्कार हुआ है कि बच्चों को बोलना सिखाया जा सकता है इसलिये हमने एक अल्पना शर्मा नाम की एक महिला, एन.जी.ओ. से बात हुई है जिसका नाम आवाज फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हमने बच्चों को आवाज देने की कोशिश की है और मैं यह कह सकता हूं कि 75 बालकों की हमने स्वीकृति दी है और जो अभी तक मैंने देखा है, काफी बच्चों को इस प्रकार की आवाज दे सकी हैं। हम

(श्री मदन दिलावर)

यदि इस तकनीक का अविष्कार करेंगे ताकि मूक, बधिर बालक केवल साइन और इशारों से ही अपनी पढ़ाई न करें बल्कि बोलना सीखकर सामान्य बच्चों की तरह अपना व्यवहार कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विकलांग बच्चे भी अपने घर से बाहर निकलकर भाग लें इसलिये हमने खेल-कूद प्रतियोगिताओं का करने का निर्णय किया है। छात्रावासों में रहने वाले और विकलांग बच्चे, दोनों की खेल-कूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिताएं हम करायेंगे ताकि यह बच्चे भी घर से बाहर निकलना सीखें।

छात्रावासों में जो अधीक्षक हैं, वह किस प्रकार से बच्चों की देख-भाल करते हैं, हम प्रति वर्ष उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम करते हैं। इस बार भी उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम करेंगे ताकि वह रिफ्रेश हो सकें और अच्छी तकनीक के माध्यम से बच्चों की देख-भाल कर सकें।

विकलांग लोगों के विवाह में पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल सा रहता है। लड़के वाला सोचता है कि मैं जाऊंगा तो मेरे बेटे के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, कि नहीं ? बेटी के लिये जाऊंगा तो प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, कि नहीं ? इसलिये हमने विकलांग वैवाहिक परिचय सम्मेलन प्रारम्भ कर रखे हैं और हम जोड़े ढूंढकर उनकी शादियां कराने का यत्न करते हैं।	माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पोलियो के काफी लोग हैं तो हमने पोलियो करेक्शन कैम्प लगाकर राजस्थान को पोलियो मुक्त करने का विचार किया है। चिकित्सा विभाग जहां पोलियो की बूंद पिलाकर बच्चों को पोलिया होने से रोकता है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पोलियो मुक्त मेडिकल में आयेगा या आपके आ रहा है? पोलियो मुक्त करना मेडिकल में आयेगा या आपके आयेगा?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप मेरा पूरा निवेदन सुनें। पोलियो करेक्शन तो आयेगा समाज कल्याण में, पोलियो की दवा पिलाकर उनको विकलांग होने से रोक रहा है वह चिकित्सा विभाग में है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, पोलियोग्रस्त आयेगा आपके यहां पर।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): पोलियोग्रस्त हो गया उसका करेक्शन करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विकलांग हो गया वह पोलियोग्रस्त है।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): पोलियो करेक्शन कैम्प यानि जो पोलियो हो गया है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, मैं समझ गयी।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): उसका इलाज करवाकर आपरेशन से ठीक करवाने का यत्न करेंगे और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि राजस्थान में जो पोलियोग्रस्त हो गये हैं उससे मुक्त करवाकर, उनका आपरेशन करवाकर ठीक स्थिति में लाये। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, गाड़ियां लुहारों के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि यह कितनी मेहनती कौम है और महाराणा प्रताप के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं हो जाएगा तब तक हम एक जगह पर नहीं रहेंगे। ऐसे लोग आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। माननीय भैरोंसिंहजी जब मुख्य मंत्री थे तो उनके समय में हमने एक गाड़ियां लुहारों के लिए योजना बनाई थी कि सभी गाडियां लुहारों को नि:शुल्क जमीन हम उपलब्ध कराएंगे और चरणबद्ध तरीके से हम उनके मकान बनाएंगे। आज मैं यहां पर घोषणा कर रहा हूं कि इस योजना का नाम महाराणा प्रताप आवास योजना रखेंगे और चरणबद्ध तरीके से ऐसे सभी गाड़ियां लुहारों को जिनके मकान नहीं है, उनको 17500 रुपये प्रत्येक गाड़ियां लुहारों को देकर चरणबद्ध तरीके से उनके मकान बनाने का हम प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): आप गाड़िया लुहारों को मकान बनाने के लिए जो पैसा देते हैं, वह आप मकान बनाने का काम शुरू कर दे और तीन -तीन फीट प्लेंथ लेवल तक का आये उसके बाद देते हैं । एड़वांस में उनको पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपकी योजना चल ही नहीं पा रही है आगे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें, बीच में व्यवधान नहीं करें ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): इसलिए इसमें रिलेक्शेसन करें नियमों में छूट करें उसको कम से कम पाँच हजार रूपये की एक किश्त तो एडवांस में देते ताकि वह अपना काम शुरू करे ताकि वह आगे बढ़े ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं तब तक कमेटियों का प्रस्ताव ले लेता हैं आपकी आज्ञा से ।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के गठन संबंधी प्रस्ताव

जन लेखा समिति

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति 2006-07 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाये ।

प्राक्कलन 'क' समिति

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क' 2006-07 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए ।

प्राक्कलन 'ख' समिति

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख' 2006-07 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाये ।

राजकीय उपक्रम समिति

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233(ख)(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2006-07 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसमें चुनाव का प्रावधान है और उसमें काफी समय लगने की संभावना है ।

श्री अध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष सहमत हैं आप ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सहमति की परम्परा रही है। अध्यक्ष महोदय पर छोड़ा जाये, अध्यक्ष महोदय को अधिकार देता है यह सदन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष को तो बोलने दिया होता । आप बीच में ही खड़े हो जाते हैं ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बात एक ही है पार्टी में ।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): एक कैसे है? नेता, नेता है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप अधिकार दे रहे हैं कि नेता, प्रतिपक्ष को...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह कह रहे हैं वह पढ़ूं या... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके पास है वह पढ़ो ।

श्री अध्यक्ष: आप सहमत हैं ना।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पढ़ने दो आप ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सबंधी नियमों के नियम 230(1), 231(1) सपठित...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): महावीर जी, आप पहली बार अच्छे लग रहे हो, ईमानदारी की बात है । सब ताली बजाओ । आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 233(ख) (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बात क्या है, बात क्या है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): समस्त सदस्यों में से... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष जी भी हंस रहे हैं... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं हंसता हुआ इनको बहुत अच्छा लग रहा हूं इसलिए कुछ ज्यादा ही ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आज ठंडाई पी रखी है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): राजकीय उपक्रम समिति में प्रत्येक के लिए 15-15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए, जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है। सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृति प्रस्ताव के अभिलंघन में यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्ययधीन

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

प्रक्रिया के नियम 230(1),231(1), 233(ख)(1) का निलंबित करके यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वह उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य से तथा सहमति प्राप्त करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह का उनका प्रतिनिधित्व उनके दल के नेता द्वारा प्रस्तावित माननीय सदस्यों में से दिया जाये जितना सदन में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि यह अधिकार अध्यक्ष को प्रदान किया जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से कहा कीजिये कि सर्वसम्मति से पास किया गया ।

श्री अध्यक्ष: सर्वसम्मति से अनुमति दी गयी है । नेता, प्रतिपक्ष को धन्यवाद इस बात के लिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): पहली बार उन्होंने अपना अधिकार सुरक्षित रखा है । पहले हमेशा अध्यक्ष महोदय का अधिकार होता था कि प्रत्येक दल के जितने सदस्य आते हैं उतने सदस्यों को अध्यक्ष नियुक्त करे, अब उन्होंने यह अधिकार सुरक्षित रखा है कि जो नाम नेता देगा उनको ही अध्यक्ष नियुक्त करें, इसलिए उन्होंने कोई कृपा नहीं की है ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने रखा है, हमारी तरफ से कुछ नहीं था ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह प्रस्ताव पर सहमति तभी हुई है जब आपके नेता, प्रतिपक्ष ने यह शर्त लगायी ...(व्यवधान) उसके बाद सहमति हुई है ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कोई बाहर की बात हो तो अलग बात है। मुख्य सचेतक ने प्रस्ताव रखा है वही स्वीकार किया है। आप तो डिफरेंस ऑफ ओपीनियन डालना चाहते हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): गवर्नमेंट का चीफ व्हिप प्रस्ताव रख रहा है आप उस पर असहमति जाहिर कर रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बिलकुल नहीं कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर ऐसी क्या आवश्यकता हो गयी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैंने तो उसका स्पष्टीकरण दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, क्या दिया है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने तो रहस्योदघाटन किया है। इन्होंने स्पष्टीकरण भी नहीं दिया, नेता, प्रतिपक्ष, इन्होंने रहस्योदघाटन किया है जो आपने कहा था ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अधिकार दिया है न ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर यह रहस्योदघाटन होने लग जायेंगे तो बहुत बातें खुल जायेगी इसलिए रहस्यों को रहस्य ही रहने दो, रिकार्ड पर मत लाओ ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राज को राज ही रहने दो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): राज को राज ही रहने दें, चलिये।

श्री अध्यक्ष: क्या सचमुच में कोई अलग बात है इससे ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, कतई नहीं है । आपके मामले में अलग कैसे हो सकती है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, अलग नहीं है ।

मांग संख्या-30, 33 व 51 पर विचार

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: यह देखने में, सुनने में आया है गाड़िया लुहारों के राशनकार्ड नहीं बनते हैं । उनको सरकारी योजनाओं का लाभ राशनकार्ड नहीं होने से नहीं मिल पाता है । हम समाज कल्याण विभाग की तरफ से पंचायत राज और जो निकाय है उनसे सम्पर्क करके इस प्रकार की मीटिंग करके कोशिश करेंगे कि एक टीम बनाकर के सभी गाड़िया लुहारों के राशनकार्ड बनें और सरकारी योजनाओं का लाभ जो भी उनको मिल सकता है जिनकी वह पात्रता रखते हैं वह सारा का सारा लाभ उनको मिले । यह हमारी कोशिश रहेगी । अध्यक्ष महोदय, आपको यह सुनकर के काफी कष्ट होगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कष्ट वाली बात क्यों बताते हैं ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष: खुशी की बात बताइये न आप ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आपको कष्ट इसलिए होगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने लगभग डेढ़ लाख लोगों की पेंशन को बंद करके... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात करिये, पूर्ववर्ती को छोड़िये न, भूत की बात क्यों करते हैं।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): काफी परेशानी में डाला था राजस्थान के लोगों को और यह बात सुनकर के आपके खुशी होगी कि पूरे देश भर में राजस्थान पेंशन देने में प्रथम स्थान रखता है । सात लाख लोगों को अभी हम विधवा, विकलांग, वृद्वावस्था वाले लोगों को हम पेशन दे रहे हैं यह पहला राज्य है देश में जो इतनी पेंशन दे रहा है।

श्री अध्यक्ष: बढ़िया ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 60 साल के किसी वृद्व के 18 साल के ऊपर का बेटा है तो नहीं देंगे। उसको आप हटा रहे हैं क्या? वह जो हर्डल था पिछली सरकार के समय में उसको हटा रह हैं न इसके मामले में...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय मंत्री महोदय, 60 साल से ऊपर वाले जितने बुजुर्ग हैं उनकी बहुत दयनीय स्थिति है । थोड़े से बचे हैं उनको भी पेंशन देने की घोषणा कर दें तो बहुत बडा कल्याण राजस्थान के बुजुर्गों के लिए हो जायेगा । परिवार वाले भी कुछ नहीं दे रहे हैं उनको ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि जितने भी इस राजस्थान के वृद्व हैं जो बीपीएल परिवारों की श्रेणी में आते हैं, सूची में आते हैं ऐसे 65 साल के वृद्वों को सबको पेंशन मिलेगी, चार सौ रूपये मिलेगी। एक भी वंचित नहीं रहेगा । गरीब लोगों को ही चाहिए न, बड़े लोगों को काहे की चाहिए । हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, बीपीएल सूची में जिनके नाम हैं उनकी बात कर रहा हूं ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): ऐसे लोग जिनके बच्चे भी खाना नहीं दे रहें हैं, मंत्री महोदय उनकी बात है। उनकी दयनीय स्थिति है... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जिन डेढ़ लाख लोगों की नवम्बर,2003 में पेंशन बंद कर दी थी। आप उनकी पेंशन शुरू कर रहे हैं, कब से एक अप्रैल से शुरू करेंगे या उनको बीच में बंद कर दी, उनकी जो वंचित रहे हैं उसका एरियर भी देंगे । कृपया उसको भी स्पष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष: उसको एरियर कहां से देंगे ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि जिनके बेटे भोजन नहीं देते हैं, यह तो उनके मां-बाप की गलती है कि ठीक तरीके से पालन-पोषण नहीं किया होगा, संस्कार नहीं दिये होंगे फिर भी ऐसी स्थिति है तो हमने वृद्वाश्रम की स्थापना कर रखी है, यदि किसी के सामने ऐसी विवशता है तो हमने संभागीय मुख्यालयों में वृद्वाश्रम खोल दिये हैं। उन वृद्वाश्रमों में जाकर के अपने मां-बाप को भर्ती करा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष: ठीक बात है, वृद्वाश्रमों में भेजिये उनको ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माहिर आजाद जी, यदि आपको यह समस्या हो तो आप मेरे से मिल लेना, मैं भर्ती करवा दूंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है जहां ऐसे अनाथ बच्चों की चिन्ता की गई है जिनके मां-बाप नहीं हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, जो हमने मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब तो दिलवाओ माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री मदन दिलावर: मैं मुद्दों की ही तो बात कर रहा हूं, आप सुन तो लें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सीकर के छात्रावास पर बोलो न कि क्या एक्शन किया? क्या एक्शन करेंगे?

श्री मदन दिलावर: हां, बोलूंगा न, बोलूंगा, अभी तो दो घण्टे बाकी है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम पर बोलो। यह घोषणाएं तो रोज अखबारों में आती है, यहां पर रिपीट क्यों कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: घोषणाएं सुन तो लीजिए आप उनकी। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर: राजस्थान हिन्दुस्तान में पहला प्रदेश है जहां ऐसे अनाथ बालकों की चिन्ता की गई है जिनके मां-बाप नहीं हैं, उनके साथ में

(श्री मदन दिलावर)

क्या बीतती होगी? जिनके मां-बाप बचपन में छोड़कर चले जाते हैं, कैसे पालन -पोषण होता होगा, आप और हम सब देखते हैं, कितना ही नजदीक का रिश्तेदार हो, ठीक प्रकार से उनका पालन पोषण नहीं हो पाता है। बहुत बिरले ही होते हैं जिनका ठीक प्रकार से पालन पोषण हो पाता है, ठीक प्रकार से शिक्षा-दीक्षा हो पाती है। इसलिए हमने तय किया है कि जो पढने वाले बालक हैं, कक्षा एक से अठारह साल की उम्र के सब बालकों को आठ सौ रुपए महीने के हिसाब से एवरेज क्योंकि 675 रुपए प्रति माह प्लस 2000 रुपए प्रति वर्ष, यानि एवरेज 800 रुपए प्रति माह के हिसाब से ऐसे बालकों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं जो जीरो दिन से लगाकर कक्षा एक तक पढ़ने जाते हैं यानि पाँच साल तक का होता है वहां तक 500 रुपए प्रति माह प्लस 2000 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि उनका लालन पालन ठीक प्रकार से हो सके, यह योजना जिसका नाम हमने पालनहार योजना रखा है, देश के अन्य प्रदेशों में नहीं है, मैं चाहूंगा कि देश के अन्य प्रदेश भी इस योजना को लागू करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एक स्वयंसिद्धा योजना भी लाएं हैं। राज्य के सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर इस योजना को लागू करने वाले हैं और हम ऐसे केन्द्र स्थापित करेंगे जहां विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित महिलाएं अपना स्वरोजगार करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सके ताकि ऐसी महिलाओं को वहां प्रशिक्षण लेने के बाद रोजगार मिल सके, इसी प्रकार का हमने तय किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वृद्धों की भी चर्चा आई तो मैं बताना चाहूंगा कि भक्त श्रवण कुमार वृद्ध देखभाल केन्द्र खोलने की योजना हमारे पास है। हम ऐसे 35 वृद्ध देखभाल केन्द्र चला रहे हैं जहां वह दिन में दस से पाँच तक रहे, टेलीविजन देखे, कोई गेम्स वगैरह खेलना चाहे तो खेले, कोई गीत संगीत करना चाहे तो वह करे, अख़बार पढ़ना हो तो वह पढ़े, इसके बावजूद हम दिन में पाँच रुपए का नाश्ता प्रति वृद्ध जो वहां आता है, उसको देते हैं। इसी प्रकार के 35 भक्त श्रवण कुमार देखभाल केन्द्र हमने खोल रखे हैं इस प्रकार के जो भी वृद्ध हैं, उनको हम वहां लिस्टेड कर लेते हैं, उनको हम सुविधाएं देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं राजस्थान रोडवेज की बसों में जो वृद्ध यात्रा करते हैं उन्हें 30 प्रतिशत किराये में छूट देने का हमने निर्णय लिया

(श्री मदन दिलावर)

हुआ है। ऐसे सभी वृद्धों से मैं निवेदन करता हूं कि अपना पास रोडवेज कार्यालय में बनवा सकते हैं ताकि उनको 30 प्रतिशत का लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, अभी यहां सदन में भी नशे पर चिन्ता व्यक्त की गई थी। हमने भूतपूर्व सैनिकों के माध्यम से और जन सहभागिता के माध्यम से इस प्रकार के केन्द्र संचालित करेंगे ताकि नशे की प्रवृत्ति जो बढती जा रही है, उस पर रोक लगा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक योजना में बारे में यहां पर जानकारी दी गई थी, मैं उसको दोहरा रहा हूं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो प्रतिभावान बालक हैं और आई ए एस या आई पी एस अफसर बनना चाहते हैं, इसके लिए वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, यदि वे इनकी प्रारम्भिक परीक्षा में पास हो जाते हैं तो एक लाख रुपए मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए हम उपलब्ध करवाते हैं ताकि कोई भी धन के अभाव में आई ए एस, आई पी एस अफसर बनने से वंचित न रह जाए। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थी जो आर ए एस की प्रारम्भिक परीक्षा में पास हो जाते हैं उनको हम मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 45 हजार रुपए उपलब्ध करवाते हैं, ताकि उनको लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आर ए एस परीक्षा के रिजल्ट आपको बताते हुए खुशी है कि अब की बार इस योजना के तहत सात लोगों ने आर ए एस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। पहले जब हम इस प्रकार के कोचिंग, प्रशिक्षण चलाते थे और उसमें यह रिजल्ट था कि एक भी किसी प्रतियोगी ने इसमें आज तक सफलता प्राप्त नहीं की थी लेकिन अब यह सफलता यहां के लोगों ने प्राप्त की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग का दायरा काफी बड़ा है। अनुसूचित जाति निगम और अनुसूचित जनजाति निगम, अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, अल्प संख्यक वित्त विकास निगम इस प्रकार के हम चलाते हैं और उनके माध्यम से भी हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ बी सी, सफाई कार्यों में लगे लोगों और विकलांग लोगों को भी इनके माध्यम से लोन उपलब्ध करवाकर लाभांवित करते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें मैंने बताने की कोशिश की है, अभी बहुत सारी बातें हैं लेकिन काफी समय हो रहा है, माननीय सदस्यों को भी बहुत जल्दी होगी इसलिए मैं आपसे

(श्री मदन दिलावर)

निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ...(व्यवधान)... हां, सीकर का मैं बता रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा विभाग है, हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सुविधाएं मिले इसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं चाक-चौबन्द की है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ऑफिस था, छात्रावास थोड़े ही था।

श्री मदन दिलावर: उसके बावजूद भी माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि हमारा एक कनिष्ठ लेखाकार जो विकलांग है, उससे चला नहीं जाता है, हो सकता है उसको तलब हो दारू की, मैं कोई इसका पक्ष नहीं ले रहा हूं ...(व्यवधान)... हमने उसको एक कमरा भी वहां इसलिए दिया हुआ था कि वह अपना काम भी कर ले और वहां रह भी ले, उसका वहां निवास भी था और आफिस भी था क्योंकि उससे चला नहीं जाता था। उसने जो कृत्य किया, वह अच्छी बात हो, ऐसा नहीं है लेकिन उसने कार्यालय समय में शराब पी है यह सच बात है, कुछ ताश पत्ते मैंने भी देखे, पड़े हुए थे, इसका मतलब तीन-चार लोग इसमें इन्वाल्व थे। हमने उस कनिष्ठ लेखाकार को तुरन्त निलम्बित कर दिया है और उसे कारण बताओ नोटिस दिया है। यह सच है कि उसमें अन्य भी शामिल हैं, ऐसे सब कर्मचारियों को भी हम निलम्बित करेंगे जो इस कृत्य में शामिल थे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बचाने के लिए हम नहीं हैं, दुर्घटना हुई है उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूं, यह दुर्घटना हो गई है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: वह सहकारी निगम तो सहकारिता विभाग में आएगा, इसमें नहीं, रजिस्ट्रेशन जहां होगा वहीं आएगा।

श्री मदन दिलावर: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है ...(व्यवधान)... चुनाव के माध्यम से सहकारिता विभाग करेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपके अण्डर में नहीं आता?

श्री अध्यक्ष: समाज कल्याण में नहीं आएगा, सहकारी विभाग में आएगा वह।

श्री मदन दिलावर: समाज कल्याण के अण्डर में चुनाव करवाना नहीं आता।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा ठीक है।

श्री मदन दिलावर: जैसे डेयरी के चुनाव करवाने का काम हमारा है और डेयरी का प्रशासनिक विभाग पशु पालन या डेयरी विभाग है, ऐसे है, थोड़ा समझो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): समझ रहा हूं। आप उसका काम तो करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह चलो सरकार बना देगी, नहीं बना देगी, उसका कामकाज तो हो, उसके पैसे का उपयोग तो हो, जैसलमेर के लिए 1 करोड़ मिले, आप 30 लाख ही यूज कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इन मांगों को पास कराएं।

मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-30–जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 7,78,39,68,000/- (सात अरब अठहत्तर करोड़ उनतालीस लाख अड़सठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 6,79,42,18,000/- (छह अरब उन्नासी करोड़ बयालीस लाख अठारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51–अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-51–अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,23,52,56,000/- (दो अरब तेईस करोड़ बावन लाख छप्पन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2006 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.19 बजे, सोमवार, 27 मार्च, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-30 मुख्य शीर्षक जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

1. विभाग द्वारा जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्य करने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

2. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में माडा के गांवों में विकास कार्यों में प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

3. विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर जनजाति क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

4. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के माडा में सम्मिलित गांवों यथा:-कानीदेह, नीमला, दामोलाई पातलवास, अस्थल, थौलाई के साथ अन्य गांवों को माडा योजना के विकास कार्य स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

5. विभाग द्वारा ग्राम डोलीका में बालिका आवासीय विद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

6. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत शेरगढ़ एवं नाथड़ाइ में अनुसूचित जाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार (निम्बाहेड़ा)

7. तहसील छोटी सादड़ी के माडा क्षेत्र में स्थित "ऊंट की गोडी एनिकट" निर्माण एवं अन्य एनिकटों के निर्माण की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

8. तहसील छोटी सादड़ी के माडा क्षेत्र के गांवों में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण,स्कूलों में कक्षाकक्ष,सड़क निर्माण व अन्य विकास कार्यों पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के जनजाति क्षेत्र (माडा क्षेत्र) के गांवों में विद्युतीकरण पर चर्चा के लिये।

10. विभाग द्वारा तहसील छोटी सादड़ी की अनुसूचित जनजाति बाहुल्य आबादी की 10 ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में घोषित करने पर चर्चा के लिये।

11. विभाग द्वारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र छोटी सादड़ी की ग्राम पंचायत मुख्यालय पीलीखेड़ा पर बालक छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

12. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जनजातीय परिवारों को कुटीर एवं घरेलू लघु उद्योगों के लिए अनुदान राशि दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

13. जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए कम धनराशि उपलब्ध कराने, योजनाओं की कारगर मोनेटरिंग का अभाव एवं जनजाति एवं बाहुल्य क्षेत्रों का सन्तुलित विकास नहीं हो पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी)

14. विभाग द्वारा जनजाति के छात्रों को शिक्षित करने एवं इस हेतु छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली)

15. विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों के बैगलोक भरने हेतु पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)

16. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए उपयुक्त धन राशि देने के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)

17. विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना व छितरी हुई जनजाति के समग्र विकास के लिए योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)

18. विभाग द्वारा मंडेसरा तहसील रावतभाटा में आदिवासी जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के रावतभाटा तहसील के आदिवासियों के सन् 1980 के पूर्व के कब्जे नियमन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

20. पंचायत समिति पाली की रामपुरा की ढाणी के अनुसूचित जनजाति परिवार क्षेत्र में विद्युतीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

21. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के जनजाति, बी.पी.एल. परिवारों के कच्चे मकानों को पक्का बनवाने हेतु सहायता मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विभाग द्वारा जन जातीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्रों व अन्य जीवों की रक्षा का ठेका जनजाति वर्गके नागरिकों को ही दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. महाराष्ट्र प्रणाली की भांति जनसंख्या के आधार पर जनजाति विभाग को एकमुश्त राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. विभाग द्वारा पाली जिले के अनुसूचित जनजाति के गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की छात्राओं को साईकिल व स्कूटी वितरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)

25. जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत की जा रही विभिन्न योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

26. विधान सभा क्षेत्र बाली के आदिवासी जनजाति बाहुल्य ग्राम खेतरली में जनजाति बालिका छात्रावास खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र बाली में माडा योजनान्तर्गत वाटर हारवेस्टिंग, पक्के सारण एनिकट बेसफ्लो, सरफेस फ्लो, बांध, नहर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

28. विधान सभा क्षेत्र बाली के माडा चयनित गांवों व बिखरी जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में वर्तमान परिस्थितियों/मापदण्डों के अनुरूप स्थायी पेयजल सुविधा/हैण्डपम्प निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र बाली के आदिवासी जनजाति गांव-ढाणियों जैसे बेरडी आदि में बिखरी जनजाति योजनान्तर्गत भू-संरक्षण आदि के कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र बाली की पंचायत समिति बाली की माडा चयनित दस पंचायतों एवं पिण्डवाडा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति पिण्डवाड़ा की जनजाति बाहुल्य सोलह पंचायतों को सम्मिलित कर जनजाति उपयोजना खण्ड बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)

31. जिला जयपुर में माडा योजना में कुल दिये गये हैण्डपम्पों की संख्या में हो रही कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. उदयपुर सम्भाग में जनजाति के लोगों को आबंटित खानों को खान माफियाओं से मुफ्त कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

33. जनजाति की परित्याकताओं, विधवाओं के लिए जीवनयापन की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. जनजाति क्षेत्रीय विकास में पश्चिमी राजस्थान के लोगों के विकास में आ रही अवरोधतता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत निनामा (घाटोल)

35. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के पटवार मण्डल कुवानीया द्वारा जनजाति किसानों से नोन कमाण्ड भूमि का प्रीमियम कमाण्ड रेट से वसूलने पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में आदिवासियों की बिना जानकारी के भूमि आबंटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव कुवानीया में आदिवासी किसानों को भूमि एलोटमेंट कर नाजायज प्रीमियम वसूल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी)

38. उदयपुर सम्भाग में जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रावासों में विशेष कोचिंग एवं एकलव्य खेल की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)

39. जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में छात्रावासों में रिक्त पदों को भरना एवं नये पद सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

40. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत मुख्यालय चित्रावास में छात्रावास (छात्रा), लोहारचा (क्यारी), तथा गुन्दाली में छात्रावास के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में चित्रावास में छात्रावास एवं पाटिया, (गोगुन्दा), भाडेर (कोटड़ा), भूतवड़ में छात्रावास बनवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

42. विभाग द्वारा ग्राम अलियापाड़ा में माडा योजनान्तर्गत बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में राजकीय आश्रम छात्रावास भांवता-भांवती में सीटें बढ़ाने एवं भवन विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर)

44. विभाग द्वारा माडा गांवों को टी.ए.डी. राज्य योजना में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. माडा ग्राम में विकास हेतु राशि स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा)

46. विभाग द्वारा जनजाति वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिये आवश्यकता उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर)

47. विभाग द्वारा ग्राम धौड में आश्रम छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खाट (बागीडोरा)

48. जनजाति परामर्शदात्री समिति की समय पर बैठकें नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. जनजाति बस्तियों में भू-जल स्तर के नीचे जाने से पेयजल सुविधा हेतु जोड़ने के लिए सार्वजनिक कूप निर्माण करने एवं ब्लास्टींग कार्य को प्राथमिकता से लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. टी.एस.पी. क्षेत्र में आदिवासी किसानों को कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)

51. विभाग द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा, आवास, लघु उद्योगों की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

1. अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण के लिये सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

3. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में चित्रावास व भाडेर (उखलियात), भूतवड़ (मेवाडो कामठ में छात्रावा) बनवाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

4. गरीब एवं अति पिछड़े लोगों के कल्याण एवं परिवार के मुखिया की मृत्यु पर मुआवजा राशि बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई)

5. टोंक जिले के भवनविहीन छात्रावासों में भवन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

6. वर्ष 2004 एवं 2005 में तत्कालीन सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग, टोंक द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

7. राज्य में छात्रावास अधीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

8. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सभी प्रकार के विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय की आवश्यकता के सम्बनध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)

9. निम्बाहेड़ा तहसील के मुख्यालय से 40 कि.मी. दूर स्थित कनेरा घाटा क्षेत्र में कस्बा कनेरा में समाज कल्याण विभाग का आवासीय छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. छोटी सादड़ी नगर में समाज कल्याण के छात्रावास के भवन निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

11. बूंदी जिले में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)

12. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे वृद्धाश्रम की दुर्दशा एवं अजमेर जिले से समाज कल्याण के दो होस्टल स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)

13. विभाग द्वारा कमजोर वर्गों हेतु विभिन्न योजनाओं की राशि के सदुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)

14. राज्य में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की विभिन्न योजनाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

15. विभाग द्वारा वृद्धा अवस्था पेंशन में 20 वर्ष के बालिग पुत्र एवं भूमि की शर्त हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों को ट्राई साईकिल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

17. विभाग द्वारा विधवा पेंशन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

18. सामाजिक सुरक्षा के लिये जन सहयोग व जन जाग्रति अभियान चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

19. विधान सभा क्षेत्र बाली के शारीरिक विकलांग मूक बधिर, असक्षम, बौने, बेसहारा बेरोजगारों को अभियान चलाकर सहायता रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)

20. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुऐं खुदवाने में लगे जनजाति के गरीब मजदूरों को जलदाय विभाग द्वारा मजदूरी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. विभाग द्वारा राजस्थान में मानसिक रूप से पीडित माताऐं, बहनें तथा पुरूष निवस्त्र होकर सरेराह घुमते हैं उनकी देखभाल एवं सुरक्षा मुहैया कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. नि:आश्रित व गरीब परिवार के नाबालिंग बालकों को फैक्ट्रीयों, ढ़ाबों में कार्य करने से रोकने तथा उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. पुरूषों द्वारा सहभागनी के परित्याग के साथ उत्पीड़न व आत्महत्या हेतु प्रेरित करने पर विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)

24. उदयपुर सम्भाग में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)

25. चित्तौड़गढ़ में जिला पुनर्वास केन्द्र भक्त श्रवण कल्याण सेवाआश्रम आवासीय विद्यालय खोलने पर चर्चा के लिये।

(श्री बद्रीलाल जाट)

26. विधान सभा क्षेत्र कपासन क्षेत्र की पंचायत समितियों को सामाजिक सहायता के अन्तर्गत पारिवारिक लाभ योजना का अतिरिक्त बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विभाग द्वारा विधवा पुत्रियों के विवाह पर देय अनुदान का बजट पंचायत समितियों के माध्यम से वितरण की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

28. विभाग द्वारा महानगरों में ट्रेफिक लाइट पर शिशु गोद में लेकर, भीख मांगने व मौका मिलते ही वाह्नों में से चोरी कर देने वालों को, सुधार गृह भेजकर अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देने हेतु कारगर कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

29. मानसिक रूप से पीड़ित लोगों को बांधकर रखने के बजाय उन्हें मनोचिकित्सालय में भर्ती करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. आर्थिक आधार पर पिछड़े परिवार के बच्चों को भी अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार के बच्चों की भांति शिक्षा, भोजन व वस्त्रादि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए जोड़े संख्या सीमा हटाकर सहयोग राशि बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

32. समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की दयनीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह में दी जाने वाली सहायता राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

35. विधान सभा क्षेत्र बाली के अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के विकासार्थ राजस्थान ओ.बी.सी. वित्त निगम द्वारा कृषि, व्यापार, यातायात एवं लघु उद्योग सेवाओं के लिए रोजगार ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)

36. निशक्तजनों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से दिये जाने वाले ऋणों की प्रक्रिया का सरलीकरण करने पर चर्चा के लिये।

(श्री राकेश मेघवाल)

37. राज्य की ग्रामीण निराश्रित जरूरतमन्द महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु विशेष योजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. राज्य में विद्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति हेतु समय पर एवं आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

40. राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने एवं अत्याचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)

41. विधान सभा क्षेत्र अजमेर में विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार न होने की वजह से सभी पात्र विधवा महिलाओं को लाभ न मिलने व बकाया आवेदकों को अनुदान स्वीकृत करने में विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र अजमेर (पूर्व) के विद्यमान आंगनबाड़ी केन्द्रों के विकास एवं विस्तार तथा मानदण्डों के अनुसार नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. अजमेर जिले की विभिन्न तहसील क्षेत्रों में विचाराधीन पेंशन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों के मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की खराब हालत में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई)

46. विधान सभा क्षेत्र नदबई में महिला एवं बालकों के कल्याण हेतु महिला सदन एवं बालगृह निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडौरा)

47. बांसवाड़ा जिले के अधिकांश वृद्धावस्था पेंशन के फार्म पेंडिंग पड़े होने एवं उनका समय पर निस्तारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. बांसवाड़ा जिले में विधवा पेंशन के विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)

49. विभाग द्वारा संचालित बाल कल्याण/महिला कल्याण नि:शक्त कल्याण योजनाओं के द्वारा आमजन को राहत प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

50. समाज के विभिन्न वर्गों के विकास हेतु शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान एवं संरक्षण की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

51. जिला बीकानेर में महिला अपराधियों व किशोरी अपचारियों के लिये निर्मित नारी निकेतन व किशोरी अपचारी गृह के निर्माण तथा कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

52. अग्नि दुर्घटना व प्राकृतिक आपदा के समय दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)

53. पारिवारिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के अतिरिक्त अन्य गरीब परिवारों व अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब परिवारों को सम्मिलित करने हेतु चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)

54. विभाग द्वारा समाज कल्याण छात्रावासों की स्थिति में ओर सुधार करने एवं वार्डन्स को ट्रेनिंग देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)

55. विधान सभा क्षेत्र खारची में एक मात्र राणावास गांव में महाविद्यालय पर एवं खिवाड़ा में समाज कल्याण छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-51 मुख्य शीर्षक अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

1. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के विकास के लिए किये जा रहे विभिन्न प्रयास पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

2. अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण एवं उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

3. विभाग द्वारा बेलवा व इसरा भामू के छात्रावास भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विभाग द्वारा राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास बालेसर व सेतरावा के भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के ग्राम पंचायत देथू में अनुसूचित जाति छात्रावास (छात्रा,बालिका) खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

6. अनुसूचित जाति के कल्याण पर हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी कोई सुधार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

7. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के बायतु में अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रावास में दो कम्प्यूटर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय बायतु में अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रावास के भवन के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)

9. निम्बाहेडा तहसील के सबसे बड़े ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत मुख्यालय बिनोता में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की शिक्षा एवं आवास के लिए छात्रावास खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)

10. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूढ, रूद, बोरदा, पहुंना में अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं के लिए छात्रावासों की स्वीकृति व भवन निर्माण के लिए धन राशि उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

11. अनुसूचित जाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की नि:शुल्क व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

12. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संगठक योजना के अन्तर्गत अल्प धन राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)

13. केसरीसिंहपुर में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करोली)

14. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवारों को भू-आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)

15. अनुसूचित जाति के लिए तहसील वाइज संख्या का पता लगाकर उनको समूह में लाभान्वित कराने एवं उनके होस्टल बनाने तथा मावली तहसील के डबोक में अनुसूचित जाति का होस्टल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

16. अनुसूचित जाति वर्ग को समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष खड़ा करने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. अनुसूचित जाति वर्ग में शिक्षा व स्वरोजगार को प्रोत्साहित कर, आत्मनिर्भर बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. अनुसूचित जाति की ढाणी बस्तियों में सड़क, विद्युत व पेयजल व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री मदन राठौड़)

19. अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सस्ती आवास सुविधा मुहैया करवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)

20. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कुएं गहरे करने तथा दुषित पानी को शुद्ध करने हेतु सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

21. विभाग द्वारा बस्सी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों को खेती के लिए ऋण राशि उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. जयपुर जिले की पंचायत समितियों में लोक स्वास्थ्य का लाभ नहीं पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. जयपुर जिले की पंचायत समितियों में लोक स्वास्थ्य का लाभ नहीं पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. जयपुर जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों को अलोह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों के लिए राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)

25. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र घाटौल के पंचायत सेमलीया क्षेत्र में सार्वजनिक कुआं निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव लाम्बाडावढ़ा गांव रैणदा में पीने के पानी की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव रैणदा में माणीया में सार्वजनिक कुआ निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)

28. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रावासों में रसोइयों के पदों को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सुरजगढ़)

29. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ (झुंझुनूं) में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए पावरलूम क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

30. रामगढ़ (अलवर) में अनुसुचित जाति के लिये आवासीय छात्रावास निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री जुबेर खान)

31. रामगढ़ (अलवर) में अनुसुचित जाति के लिये आवासीय विद्यालय बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी)

32. झुंझुनूं जिले के अनुसूचित जनजाति के छात्रावास एवं उनमें रहने वाले छात्रों की संख्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सुरजगढ़)

33. विभाग द्वारा सूरजगढ़ (झुंझुनूं) में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पशु पालन हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. सूरजगढ़ (झुंझुनूं) क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को फसल, कृषि कार्य के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

35. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम लोटवाड़ा में अनुसूचित जाति का छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में आने वाले अनुसूचित/जनजाति के ग्रामों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सुरजगढ़)

37. विभाग द्वारा सूरजगढ़ (झुंझुनूं) क्षेत्र की अनुसूचित जाति बस्तियों में जलपूर्ति, साफ सफाई, रोशनी के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा)

38. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों के शैक्षणिक/आर्थिक उत्थान हेतु कारगर कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)

39. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु नवीन छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों हेतु संचालित छात्रावासों के भवनों का रख रखाव एवं सुविधाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

(श्री राकेश मेघवाल)

41. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति विशिष्ठ संगठक योजना के तहत निगम द्वारा संचालित एवं नवीन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)

42. अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन किसानों को सरकारी भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में संचालित बुनकर शाला की अनुदान राशि को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. अनुसूचित एवं आदिवासी क्षेत्रों में कृषि कार्य के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)

45. अनुसूचित जाति के गरीब तबके के लोगों को योजनाओं का वास्तविक लाभ देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।